~~5[9]~~ 511 TR-II

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)



(खंड 46 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : आठ रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

अंक 30, बुधवार 4 अप्रैल, 1984/15 चैत्र, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 18, पंक्ति 24, "सधुपैठ" के स्थान पर "घुसपैठ" पढ़िये ।

पृष्ठ 19, पंक्ति 20, "श्री चन्द्रजीत यादव" से पहले ता॰प्र॰ संख्या "1553" पढ़िये

पृष्ठ 27, पंक्ति 15, "आदीवासी" के स्थान पर "आदिवासी" पढ़िये ।

पृष्ठ 41, पंक्ति 8, "वेंकटसुब्बय्या" से पहले "श्री पी॰" अन्तःस्थापित कीजिए ।

पृष्ठ 41, पंक्ति 22, "श्री तिलास मुत्तेमवर" के स्थान पर "श्री विलास मुत्तेमवार" पढ़िये ।

पृष्ठ 47, पंक्ति 10, "प्रगती" के स्थान पर "प्रगति" पढ़िये ।

पृष्ठ 54, पंक्ति नीचे से 5, "अण्मान" के स्थान पर "अण्डमान" पढ़िये ।

पृष्ठ 69, नीचे से पंक्ति 10, "अनुसूची" के स्थान पर "अनुसूची" पढ़िये ।

पृष्ठ 78, पंक्ति 19 तथा पृष्ठ 188 पंक्ति 19, "श्री भट्टाभिराम राव" के स्थान पर "श्री पट्टाभिराम राव" पढ़िये ।

पृष्ठ 86, पंक्ति 27, "श्री॰ एस॰एम॰ लारेंस" के स्थान पर "श्री एम एम लारेंस" पढ़िये ।

पृष्ठ 115, पंक्ति 3, "श्री जैनुल बशर" से पूर्व अ॰प्र॰ संख्या "5401" पढ़िये ।

पृष्ठ 203, पंक्ति 18, अ॰प्र॰संख्या "6571" के स्थान पर "6517" पढ़िये ।

पृष्ठ 210, पंक्ति 1, "श्री विलास मुत्तेमदार" के स्थान पर -"श्री तिलास मुत्तेमवार" पढ़िये ।

पृष्ठ 211, पंक्ति 17, अ॰प्र॰संख्या "6526" के स्थान पर "6520" पढ़िये ।

पृष्ठ 214, नीचे से पंक्ति 6 "श्री अजित कुमार साह" के स्थान पर "श्री अजित कुमार साहा" पढ़िये ।

पृष्ठ 226, पंक्ति 23, "जलाला" के स्थान पर "जलाया" पढ़िये ।

पृष्ठ 231, पंक्ति 7 "सरप" के स्थान पर "शरप" पढ़िये ।

पृष्ठ 241, पंक्ति 21, "उपाध्यक्ष महदोय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 272, पंक्ति 8, "पीठासन हुए" के स्थान पर "पीठासीन हुए" पढ़िये ।

पृष्ठ 297, पंक्ति 10 "अध्यक्ष मोहदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 298 पंक्ति 8, "प्रो॰ मधु दंडवते" के स्थान पर "प्रो॰ मधु दण्डवते" पढ़िये।

पृष्ठ 298 पंक्ति 21, "एक मनानीय सदस्य" के स्थान पर "एक माननीय सदस्य" पढ़िये ।

पृष्ठ 302, नीचे से पंक्ति 3, "शुक्रवार 7 अप्रैल" के स्थान पर "गुरुवार, 5 अप्रैल" पढ़िये ।

पृष्ठ 302, नीचे से पंक्ति 2, "ग्यारह बजे" के स्थान पर "ग्यारह" पढ़िये ।

विषय-सूची

सप्तम माला, खंड 46, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)
अंक 30, बुद्धवार 4 अप्रैल, 1984/15 चैत्र, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
स्कवाड्रन लीडर राकेश शर्मा के प्रथम भारतीय के रूप में अन्तरिक्ष यात्रा करने के बारे में वक्तव्य	...	1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	3-19
*तारांकित प्रश्न संख्या 549, 551, 552 और 555 से 558	...	3-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	19-211
तारांकित प्रश्न संख्या 553 और 559 से 573	...	19-35
अतारांकित प्रश्न संख्या 6292 से 6345 और 6347 से 6440 और 6442 से 6530	...	35-211
14 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3006 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	...	212-215
सभा-पटल पर रखे पत्र	...	215-216
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति		
73वां प्रतिवेदन	...	216
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
79वां प्रतिवेदन	...	216-217
संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित अकालियों की मांगों तथा आनुषंगिक मामलों के बारे में गृह मन्त्री द्वारा 2 अप्रैल, 1984 को सभा में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा	...	217-302
प्रो० मधु दंडवते	...	217-227
श्री आर० एस० स्पैरो	...	227-234
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	...	234-240
प्रो० के० के० तिवारी	...	240-248
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	248-253
श्री जी० एस० निहालसिंहवाला	...	253.257
स्वामी इन्द्रवेश	...	257-263
डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी	...	263-267

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात को द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	267-275
श्री संतोष मोहन देव	...	275-279
श्री आर० एन० राकेश	...	279-280
श्री सी० टी० दंडपाणि	...	280-282
श्री सुन्दर सिंह	...	282-284
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	—	284-288
श्री चित्त बसु	...	288-290
श्री चन्द्रजीत यादव	...	290-293
श्री अब्दुल रशीद काबुली	—	293-294
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	...	294-302

—o—

लोक सभा

बुधवार, 4 अप्रैल, 1984/15 चैत्र 1906 (शक)

लोक सभा ग्यारह बज कर दो मिनट पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैंने नियम 388 के अधीन नोटिस दिया है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम सब खुश हैं तथा हम बधाई···

श्री राम विलास पासवान : क्या आपको नियम 388 के अधीन मेरा नोटिस मिल गया है ?··· (व्यवधान)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : वे इस प्रकार सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते। यदि वे बोलना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य आपसे अनुमति लेनी चाहिए। यह प्रश्न काल है।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, सारा पंजाब जल रहा है। वहां कम्युनल रायट्स हो रहे हैं··· (व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : कई बार प्रश्नकाल स्थगित हुआ है···

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने नियम 388 के अधीन नियमानुसार नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट ठहरिए। माननीय प्रधान मन्त्री।

स्क्वाड्रन लीडम राकेश शर्मा के प्रथम भारतीय के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे आशा है कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के प्रथम भारतीय अन्तरिक्ष यात्री बनने पर गर्व एवं प्रसन्नता व्यक्त करने में सदन के सभी पक्ष एवं पार्टियां मेरा साथ देंगी।

हममें बहुत से व्यक्तियों ने इस अन्तरिक्ष यात्रा को दूरदर्शन पर देखा। मैं उम्मीद करती हूं कि कल मैं समूचे देश की ओर से उन्हें तथा उनके साथी अन्य अन्तरिक्ष यात्रियों को उनकी सफल उपयोगी यात्रा पर बधाई दूंगी तथा उनकी सकुशल वापसी की प्रार्थना करते हुए उनसे सीधी बातचीत करूंगी। यह एक महान् उपलब्धी है तथा जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत से खतरे हैं। यह न केवल हमारे लिए अपितु उनके लिए भी जो इसका चिरकाल से परीक्षण करते रहे हैं, नई चीज है।

मैं दूसरे भारतीय श्री रवीश मल्होत्रा को भी अपना सद्भावना संदेश देती हूं, जो कि अन्तरिक्ष में तो नहीं गये, परन्तु उन्होंने भी इस जोखिम भरे प्रशिक्षण को पूरा किया है। उन्हें अन्तरिक्ष में न जाने पर अवश्य खेद हुआ होगा, परन्तु कम से कम···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनकी पत्नी को अवश्य संतोष मिला होगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इन दोनों युवकों के परिवारों के साथ हम भी प्रसन्न हैं। एक बार फिर उन सभी को सद्भावना संदेश भेजते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने नियम 388 के अधीन नोटिस दिया था···

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम प्रधान मन्त्री द्वारा व्यक्त भावनाओं के साथ सहमत हैं। हमें भी इस पर गर्व है।

श्री राम विलास पासवान : पंजाब की स्थिति बहुत गम्भीर है। प्राईम मिनिस्टर यहां पर हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है मेरे पास 388 का नोटिस भी आपने दिया है। डिसाइड यह हुआ है कि प्रश्नकाल के बाद सबसे पहले इसी मद को लिया जाएगा। लेकिन यह आपके और सारे सदन की सलाह से होता है। मैं सभी बातों को स्थगित करता हूं।

···(व्यवधान)···

अच्छा है कि हम प्रश्नकाल को ले लें।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी बात को रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन आवर हो लेने दें, उसके बाद पहला आइटम इसको लेंगे।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए राम विलास जी, मैं तो हाउस के हाथ में हूं। जैसा आप कहते हैं वैसा करता हूं।

···(व्यवधान)··

अध्यक्ष महोदय : जब तक कि क्वेश्चन आवर के क्वेश्चन वाले ऐग्री न करें मैं यह नहीं कर सकता।

···(व्यवधान)··

अध्यक्ष महोदय : लेकिन सवाल तो यह है कि आपने तय किया है कि क्वेश्चन के बाद पहला ही आइटम यह लिया जायगा।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यह कह रहा हूं कि सारा हाउस कहे तब तो मैं चल सकता हूं। अकेले मैं नहीं कर सकता। श्री आर० पी० गायकवाड।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप प्रश्नकाल को समाप्त करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के समाप्त होने पर हम इस मामले को सर्वप्रथम लेंगे। (व्यवधान)

जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर बहस करवा दूंगा।

···(व्यवधान)···

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री गायकवाड । मैंने निर्णय ले लिया है । हम इसे प्रश्नकाल के बाद लेंगे ।

श्री के० मायातेवर : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, इससे क्या उपलब्धी होगी । कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा ।

श्री बूटा सिंह : क्या सदन में प्रतिदिन शोर मचाने से कुछ प्राप्त होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर प्रश्नकाल के बाद उस पर अधिक गम्भीरता से ध्यान दूंगा । श्री गायकवाड । प्रश्न संख्या 549 ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गुजरात राज्य में औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के आवेदन पत्र

*549. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 को गुजरात राज्य में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र सरकार के पास विचाराधीन थे;

(ख) क्या सरकार ने विलम्ब न होने देने के लिए आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 1.1.1984 को उद्योग (विकास तथा विनिमयन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत गुजरात में लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए 88 आवेदन विभिन्न अवस्थाओं पर विचाराधीन थे।

(ख) और (ग) लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाने और औद्योगिक स्वीकृतियों में विलम्ब को दूर करने के लिए इस समय विभिन्न प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों को निपटाने में निम्नलिखित समय-सीमा निर्धारित की गई है :—

1. गैर-एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के आवेदन	—	60 दिन
2. एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के आवेदन	—	90 दिन
3. मिश्रित प्रकार के आवेदन	—	90 दिन
4. अनिवासी भारतीयों के आवेदन	—	45 दिन
5. 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के आवेदन	—	30 दिन

श्री आर० पी० गायकवाड : मुझे मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी पर प्रसन्नता है । यह प्रसन्नता की बात है कि औद्योगिक लाइसेंसों को निपटाया जा रहा है । पूरी प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि बड़ौदा नगर तथा बड़ौदा जिले के लिए 88 में से कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

श्री पट्टाभि राम राव : मैं समझता हूं, मेरे पास उक्त स्थान का विवरण नहीं है । वह पथक् प्रश्न पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सदस्य को बाद में बता दें ।

श्री आर० पी० गायकवाड : मैं जानना चाहता हूं राज्य के पिछड़े इलाके को कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं।

श्री पट्टाभि राम राव : 1.1.84 को गुजरात से लाइसेंसों के लिए 88 आवेदन बकाया थे। उनमें से 38 लाइसेंस 29.3.84 तक जारी कर दिये गये हैं। उनमें से केवल 50 मामले बकाया हैं। पास किये गये मामलों के विवरण मेरे पास हैं। यदि आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं। यह लम्बी सूची है। यदि आप चाहें तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा कारखानों का अधिग्रहण

*551. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा नहाने का साबुन और प्रसाधन सामग्री का उत्पादन करने के लिए कई कारखानों का वस्तुत: अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने यह कदम भारत सरकार की सहमति से उठाया है; और

(ग) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन भारत सरकार की स्वीकृति से मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० ने पंजाब राज्य सरकार की ओर से पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के संयुक्त क्षेत्र के एक रुग्ण एकक अर्थात् मै० स्टेपन कैमिकल्स लि०, राजपुरा का जो टायलेट साबुनों और डिटरजेंटों का उत्पादन करता है, 5 वर्षों के लिए पट्टे पर अधिग्रहण किया है। कंपनी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि उसने किसी भी एकक अथवा अन्यथा किसी भी शृंगार प्रसाधन बनाने वाले एकक का पट्टे पर अभिग्रहण नहीं किया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने पढ़ा है और उन्होंने यह माना है कि उस फर्म द्वारा एक एकक का अधिग्रहण किया गया है। दूसरी बात उन्होंने यह स्वीकार की है कि कम्पनी ने यह पुष्टि की है कि उसने पट्टे पर या अन्यथा प्रसाधन सामग्री बनाने वाला कोई कारखाना अपने अधिकार में नहीं लिया है। जहां तक मुझे जानकारी है, पुणे, औरंगाबाद बंगलौर, हरियाणा में राजौरा, श्रीनगर में पेम्पेरे में स्थित कुछ ऐसी कंपनियां हैं, जिनके उत्पाद मैसर्स हिंदुस्तान लीवर्स के ब्रांड नाम से बाजार में आते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर में यह भी बताया गया है कि कंपनी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि उसने प्रसाधन सामग्री बनाने वाला कोई एकक पट्टे पर या अन्यथा अधिगृहीत नहीं किया है। "पट्टे पर या अन्यथा अधिगृहीत नहीं किया है" इसका क्या अर्थ है। यह सर्वविदित है कि उपरोक्त कंपनियों के उत्पाद बाजार में मै० हिंदुस्तान लीवर्स के ब्रांड नाम से बेचे जा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता द्वारा आपको पत्र लिखे जाने के पश्चात् आपने इस मामले में छानबीन की। मै यह जानना चाहती हूं कि जिन कंपनियों का मैंने ऊपर उल्लेख किया है क्या वे कंपनियां वहां वास्तव में विद्यमान हैं या नहीं ? क्या आपने इस बारे में कोई जांच की है और यदि ये कंपनियां वहां पर विद्यमान हैं तो क्या वे कंपनियां मैसर्स हिंदुस्तान लीवर्स के ब्रांड नाम से उत्पाद निकाल रही हैं ? क्या माननीय मन्त्री इस बात पर मेरे से सहमत होंगे कि इस प्रकार के व्यवहार से लघु क्षेत्र के कारखानों की प्रगति पर वास्तव में दुष्प्रभाव पड़ता है और उन्हें हानि होती है तथा साथ ही राजकोष ऐसे उत्पादों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क से वंचित हो जाता है। इस प्रकार के व्यवहार से श्रमिकों

को भी परेशानी होती है क्योंकि मैसर्स हिंदुस्तान लीवर्स यह अच्छी तरह जानती है कि श्रमिकों के लाभार्थ बने औद्योगिक कानूनों से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। क्या आप इस बारे में जांच करेंगे और बतायेंगे कि इस बारे में जांच के निष्कर्ष क्या हैं। वास्तव में इस प्रकार से एकाधिकार अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा है।

श्री पट्टाभि राम राव : मेरे उत्तर के अन्तिम वाक्य में यह लिखा है कि "कंपनी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि उसने पट्टे पर या अन्यथा प्रसाधन सामग्री बनाने वाला कोई कारखाना अधिगृहीत नहीं किया है।" इससे स्पष्ट है कि हमारी जानकारी में यह नहीं आया है कि उस कंपनी ने किसी अन्य कंपनी का भी अधिग्रहण किया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, क्या मेरे प्रश्न का यही उत्तर है? मैंने ऐसे अनेक स्थानों का उल्लेख किया है जहां पर मैसर्स हिंदुस्तान लीवर्स के नाम से कुछ एककों के माल की बिक्री की जा रही है। माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा है कि वह इस बात की जांच पड़ताल करवायेंगे और न ही यह बताया है कि वह इस बारे में क्या कार्यवाही करेंगे? पहले वह मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री पट्टाभि राम राव : अध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने पहली बार सुनी है और मैं निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में जांच कराऊंगा और पता करूंगा कि वास्तव में तथ्य क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि वह इस सम्बन्ध में जांच करायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय सदस्य यह चाहती हैं कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में जांच कराएं और जांच निष्कर्ष से उन्हें भी अवगत कराएं।

श्री पट्टाभि राम राव : जांच कराने के पश्चात् मैं निश्चित रूप से उन्हें जांच—निष्कर्ष से अवगत कराऊंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ऐसा केवल हिंदुस्तान लीवर के साथ ही नहीं हो रहा है। ऐसी अनेक अन्य कंपनियां भी हैं जो ऐसे कदाचार कर रही हैं। क्या आप एकाधिकार अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली अन्य कंपनियों, जो लघु क्षेत्र में आने वाले कारखानों के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं के सम्बन्ध में भी जांच करायेंगे?

श्री पट्टाभि राम राव : सरकार की नीति स्पष्ट है और वह यह नहीं चाहती कि एकाधिकार अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां इस क्षेत्र में प्रवेश करें। यदि माननीय सदस्या कोई विशिष्ट मामला हमें बताएंगी तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच कराएंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन तथा संचार परियोजनाएं

*552. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन तथा संचार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(ख) इसके अन्तर्गत किन-किन परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परिवहन और संचार के लिए निर्धारित की गई राशि ।

परिवहन और संचार के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों उत्तर-पूर्वी परिषद् और सम्बन्धित मंत्रालयों की योजनाओं में धनराशियों की व्यवस्था की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित परिव्यय नीचे दिए गए हैं :—

(1) पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1981-84 के दौरान उत्तर-पूर्वी परिषद् और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजना के अन्तर्गत परिवहन और संचार के लिए अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रु०)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			उत्तर-पूर्वी परिषद्			राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी परिषद् जोड़
	1981-82	1982-93	1983-84	1981-82	1982-83	1983-84	1981-82
(1) सड़क और पुल	58.81	62.50	72.70	25.05	36.85	44.10	300.01
(2) सड़क परिवहन	6.87	7.01	7.37	—	—	—	21.25
(3) नागर विमानन	0.50	0.27	0.40	—	—	—	1.17
(4) अंतर्देशीय जल-परिवहन	1.06	1.00	1.21	0.50	0.50	0.50	4.77
(5) रज्जू मार्ग (रोपवेज)	—	—	—	—	0.30	0.10	0.40
(6) रेल सर्वेक्षण	—	—	—	0.35	0.35	0.10	0.80
जोड़ :	67.24	70.78	81.68	25.90	38.00	44.80	328.40

(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक में अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रु०)

	1981-82	1982-83	1983-84	जोड़ (1981-82)
(1) नागर विमानन	1.95	1.16	2.10	5.21
(2) (1) अन्तर्देशीय जल परिवहन	0.07	0.24	0.15	0.46

1	2	3	4	5	6	7
	(2) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम		4.36	6.08	9.05	19.49
(3) रेलवे			25.00	22.53	26.98	74.51
(4)	(1) सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग		4.66	7.90	8.60	21.16
	(2) केन्द्रीय सड़क धनराशि		0.75	0.34	0.39	1.48
	(3) आर्थिक महत्व की सड़कें		—	0.25	0.40	0.69
(5) संचार*			10.21	10.75	14.97	35.93
		जोड़ :	47.00	49.25	62.64	158.89

दूर संचार के लिए आंकड़े व्यय को बताते हैं ।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परिवहन और संचार के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रकों और उत्तर-पूर्वी परिषद् की बड़ी परियोजनाओं की सूची

केन्द्रीय क्षेत्रक और उत्तर-पूर्वी परिषद्

1. परिवहन

(क) रेलवे

(1) परिवर्तन/बिस्तार

(1) असम में बोंगाईगांव से गोहाटी तक बड़ी गेज (बी० जी०) लाइन (164 कि० मी०) का विस्तार ।

(2) गोहाटी से डिब्रूगढ़ तक छोटी लाईन (एम० जी०) का बड़ी लाइन में परिवर्तन ।

(2) 6 नई रेलवे लाइनों का निर्माण

(1) गोहाटी-बुरनीहट (असम/मेघालय)-बी०जी०

(2) अंगूरी-तुली (असम/नागालैंड)-एम०जी०

(3) बालीपारा-मालुकपोंग (असम/अरुणाचल प्रदेश)-एम०जी०

(4) लाल बाजार/लाल घाट-भैराबी (असम/मिजोरम)-एम०जी०

(5) सिल्चर-जूरीबम (असम/मणिपुर)-एम०जी०

(6) धर्मनगर-कुमार घाट (त्रिपुरा)-एम०जी०

(3) लुम्डिंग-बेदारपुर हिल सैक्शन का सुधार

(4) जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र के पार रेल सड़क पुल जोगीघोपा से गोहाटी तक बड़ी लाइन ।

(ख) सड़कें और पुल

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक बढ़ाई जाने वाली सड़कें

(1) इम्फाल-सिल्चर-बदरपुर

(2) सिल्चर-आइजवाल-लुंगलेह

(3) इटानगर से सम्पर्क

(4) नार्थ ट्रंकरोड (गोहाटी-पास्सीघाट-तेजू-साइकोहाघाट)

(5) पाईकन-तूरा-दालू

(6) पार्श्व (लेटरल) सड़क (उत्तर बंगाल और असम में कुछ भाग)

(2) उत्तर-पूर्वी परिषद् सड़कें

(1) अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण/सुधार

(2) आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण

(3) तेजपुर के नजदीक भूमोखगुरी पर ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरा पुल

(ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन

(1) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम

(बेड़े को मजबूत बनाना)

(2) छोटी नौकाओं और रात्रि नौ यात्रा सहायता

(एन० ई० सी० योजना के अन्तर्गत)

(3) पांडू पर जलावतरण मंच (स्लिपटे)

(घ) नागर विमानन

(1) चाबस (2) तेजू (3) गोहाटी (4) शिलांग (5) सिल्चर और (6) एजवाल पर वायुदूत सेवा का प्राचलन

(2) हवाई अड्डों का विकास

(1) अगरतला (2) बेहाला (3) दीमापुर (4) गोहाटी (5) इम्फाल (6) जोरहट (7) लोलाबरी (8) मोहनबड़ी (9) सिल्चर और (10) तेजपुर (11) कैलाशहर, पासीघाट, कूचाबिहार और दापोरिजो पर नए टर्मिनल भवन 2 नए एपन और टैक्सी मार्गों का निर्माण

(12) एन० ई० आर० में हवाई पत्तनों पर संचार और नौवहन उपस्कर को स्थापित करना।

(13) एन० ई० आर० में हवाई पत्तनों पर आग बुझाना और रात्रि में हवाई जहाज उतरने की सुविधाओं सहित भूमि और हवाई सुरक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना।

2. संचार

(क) सूचना और प्रसारण

(1) दूरदर्शन

(1) कम शक्ति वाले 7 टी० वी० ट्रांसमीटरों को स्थापित करना—प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक स्थापित करना

(2) गोहाटी में अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर सहित पूर्ण टी० वी० केन्द्र की स्थापना करना, अगरतला में अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर और डिब्रूगढ़, तूरा, तेजपुर और लोकटक में कम शक्ति वाले 4 टी० वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना करना

(2) आकाशवाणी

(1) ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), ऐजवाल (मिजोरम), डीफू (असम) और तूरा (मेघालय) में नए रेडियो स्टेशनों को स्थापित करना

(2) डिब्रूगढ़, गोहाटी (असम) में ट्रांसमीटर शक्ति में वृद्धि करना

(3) शिलांग में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक नई एकीकृत सेवा

(4) पासीघाट, तेजू, तवांग, ऐजवाल, कोहिमा, शिलांग, गोहाटी, सिल्चर, अगरतला, डिब्रूगढ़ और इम्फाल पर निर्माण कार्य

(ख) दूर-संचार

(1) स्वीचिंग क्षमता

(2) डी० ई० एल० जी०

(3) दूरभाष केन्द्र

(4) यू० एच० एफ० व्यवस्था

(5) भू स्टेशन

(6) ओपनवायर केरियन

(7) सम्मिलित कार्यालयों (संख्या) सहित तार कार्यालय

(8) एल० डी० पी० सी० ओज

(9) टेलेक्स केन्द्र

(10) टेलेक्स क्षमता

(ग) डाक और तार

(1) डाकघरों का खोला जाना

(2) गांवों के लिए काउंटर-सेवा की व्यवस्था

(3) लेटर बक्सों की स्थापना करना

(4) गांवों में वितरण और लेटर-बक्सों की निकासी के सुधार के लिए अतिरिक्त ई० डी० एच० की नियुक्ति

राज्य क्षेत्रक

(1) सड़कें और पुल

(2) सड़क परिवहन

श्री संतोष मोहन देव : मेरे विचार से मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह गुमराह करने वाला है क्योंकि मेरे हाथ में एक पत्र है जो सिल्चर में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के बारे में माननीय प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन का उत्तर है। श्री एच० के० एल० भगत, सूचना और प्रसारण मंत्री ने अपने 27 अगस्त, 1983 के पत्र द्वारा इस बात की पुष्टि की थी जबकि उत्तर में यह लिखा गया है कि डिब्रूगढ़, तुरा, तेजपुर और लोकटक में कम शक्तिशाली ट्रांसमीटर होंगे। अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या आपके द्वारा दिया गया उत्तर ठीक है या नहीं। क्योंकि श्री भगत द्वारा लिखा गया यह पत्र मेरे हाथ में है। आपने प्रश्न का जो उत्तर दिया है उससे मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूं। इसलिए पहले इस बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्य ने श्री भगत द्वारा लिखे गये पत्र की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। वस्तुतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय को योजना आयोग को भी नवीनतम स्थिति से अवगत करना चाहिए था। चूंकि माननीय सदस्य को उस मंत्रालय के मंत्री ने पत्र लिखा है तो इस आधार पर माननीय सदस्य यह मान सकते हैं कि उस क्षेत्र के लिए टेलीवीजन केन्द्र को स्वीकृति मिल गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब तो प्रश्न का उत्तर संशोधित किया जाना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का वृहद् उत्तर दिया है।

श्री सतीश मोहन अग्रवाल : अभी तो आपने कहा था कि मंत्री महोदय ने गुमराह करने वाला उत्तर दिया है।

संतोष मोहन देव : उन्होंने अपने उत्तर में शुद्धि कर दी है। इस सभा में समय-समय पर ऐसी आलोचना की जाती रही है कि भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन विकास के गतिरोध को दूर करने और वहां का विकास करने के लिए उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिये गये अपने विभिन्न भाषणों में कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है उसे इस बात को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वहां बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वहां पर अनेक विकास कार्य प्रारम्भ किये गये। इस दृष्टि से देश के अन्य भागों की तुलना में वहां पर अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। इस संदर्भ में मैं योजना मंत्री से पूछना चाहता हूं कि परिवहन और संचार व्यवस्था तथा अन्य विकास कार्यों के लिए नियत की गई राशि के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रति व्यक्ति कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है और देश के अन्य भागों के लिए निर्धारित प्रतिव्यक्ति परिव्यय की तुलना में यह कम है या अधिक ?

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय और संचार मंत्रालय के विशेषज्ञों सहित योजना मंत्रालय के विशेषज्ञों का एक दल पूर्वोत्तर क्षेत्र के दौरे पर गया था और उसने यह सुझाव दिया था कि घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर कुछ सड़कों का विकास किया जाना चाहिए। यदि हां तो वह रिपोर्ट क्या है और गृह मंत्रालय तथा योजना मंत्रालय द्वारा दिये गए उस विशिष्ट प्रतिवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री एस० बी० चव्हाण : जो हां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए छठी योजना में जो परिव्यय रखा गया है वह प्रति व्यक्ति परिव्यय के हिसाब से पांचवीं योजना की तुलना में ढाई गुना अधिक है। (व्यवधान) इस क्षेत्र के लिए छठी योजना काल में प्रति व्यक्ति परिव्यय 1219 रुपये आता है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 891 रुपये है। पूर्वोत्तर परिषद के परिव्यय, जो 340 करोड़ रुपये था और जो बाद में बढ़ाकर 413.90 करोड़ रुपये कर दिया गया था; आसाम पहाड़ी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत दी गई 71.28 करोड़ रुपये की विशिष्ट केन्द्रीय सहायता; और 35.69 करोड़ रुपये की आदिवासी उपयोजना को मिलाकर इस क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति परिव्यय 1447 रुपये बैठता है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है योजना आयोग, गृह मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक विशेषज्ञ दल पूर्वोत्तर क्षेत्र में गया था और उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

श्री संतोष मोहन देव : मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है। (व्यवधान) महोदय मेरा पहला प्रश्न तो स्पष्टीकरण मांगने के लिए था। अब मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि रेल मंत्रालय ने गोहाटी से तिनसुखिया तक बड़ी रेल लाइन के सर्वेक्षण को भी शामिल किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सर्वेक्षण असम सरकार तथा संसद सदस्यों द्वारा दिये गये इस नये सुझाव के अनुसार किया जायेगा कि ये दोनों बड़ी लाइनें ऊपर असम के सभी शहरों को जोड़ती हुई जाएं और यह विद्यमान रेलवे लाइन के साथ न किया जाये। इस सर्वेक्षण की योजना क्या है? क्या यह सर्वेक्षण असम सरकार तथा संसद सदस्यों द्वारा दिये गये नये सुझाव के अनुसार कराया जायेगा या मूल प्रस्ताव के अनुसार कराया जायेगा?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह एक बड़ा प्रश्न है जिसमें कई बातें पूछी गई हैं और मेरे लिए वह सारा ब्यौरा देना बहुत ही मुश्किल है जो माननीय सदस्य ने पूछा है। वास्तव में ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना रेलवे मंत्रालय के लिए ही ठीक होगा। मैं इस बारे में रेल मंत्रालय से अवश्य ही पूछताछ करूंगा और माननीय सदस्य को स्थिति से अवगत कराऊंगा।

श्री अमर राय प्रधान : माननीय मंत्री ने सभा को गुमराह करने का प्रयास किया है क्योंकि यह प्रश्न पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में है। यदि आप उत्तर के पृष्ठ 3 पर देखें तो आप "कैलाशहर पासीघाट, कूचबिहार पर नए टर्मिनल भवन/नए एप्रन और टैक्सी मार्गों का निर्माण" लिखा देखेंगे। कूच बिहार पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं है, यह पश्चिम बंगाल में है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री का भौगोलिक ज्ञान बहुत कम है। आप कृपया इसे ठीक कीजिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की विशेष रूप से असम के लोगों की ओर से यह मांग लम्बे समय से चली आ रही है कि वहां पर एक शुष्क गोदी पत्तन होना चाहिए। यह गोहाटी में अपनी किस्म का नया होगा। क्या उन्होंने इस पत्तन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है और कोई संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार कराया है? क्या इससे कलकत्ता पत्तन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? यदि हां, तो क्या सरकार ने सातवीं योजना में इसे सम्मिलित किया है या नहीं।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक प्रश्न के बाद वाले भाग का संबंध है, योजना आयोग के लिए इतनी जल्दी यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि 7 वीं योजना का स्वरूप क्या होगा। इसके लिए हमें कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सारा मामला तय कर लिया जायेगा तब मैं माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर दे सकूंगा।

दिल्ली में जन्म दर

*555 **श्री रेणुपद दास** : क्या गृह मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली जनगणना के बाद से दिल्ली में वर्ष-वार कितने जन्म पंजीकृत हुए हैं, और यदि कोई जन्म पंजीकृत न हुए हों तो वह कितने हैं जिससे कि इस महानगर की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का पता चलता है;

(ख) क्या इस नगर की जन्म दर में कलकत्ता और मद्रास की तुलना में हाल के वर्षों में लगातार कमी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) नागरिक पंजीकरण प्रणाली के रिकार्डों के अनुसार, दिल्ली शहर अर्थात् दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के दिल्ली नगर निगम,

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में 1981 में 155, 825 बच्चों का और 1982 में 164,823 बच्चों का जन्म हुआ। वर्ष 1983 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पंजीकृत नहीं हुए जन्म के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) 1978 से 1982 तक की अवधि के लिए उक्त तीन शहरों के जन्म दर आंकड़े, जो नागरिक पंजीकरण रिकार्डों से लिए गए हैं, में दिल्ली शहर के संबंध में कोई क्रमिक कमी नजर नहीं आती है। संबंधित आंकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन है क्योंकि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अधीन कार्य कुशलता अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है।

विवरण

शहर	जन्म दर (प्रति 1000 जन संख्या)				
	1978	1979	1980	1981	1982
कलकत्ता	16.5	16.6	18.2	16.9	18.9*
मद्रास	34.8	34.7	30.0	32.0	30.9*
दिल्ली	25.2	26.1	29.5	29.4	30.0

*अनंतिम

श्री रेणुपद दास : मंत्री महोदया, ने केवल पंजीकृत जन्मों के बारे में ही आंकड़े दिये हैं। वह अपंजीकृत जन्मों के बारे में आंकड़े देने में तथा जन्मों संबंधी प्रवृत्ति को बताने में असमर्थ रही हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत अन्य अनेक विभागों की तरह ही नागरिक पंजीकरण प्रणाली भी कुशलतापूर्वक काम कर रही है और इसके आंकड़े अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग मिलते हैं। जहां तक दिल्ली नगर का संबंध है, मुझे यह आशा थी कि नागरिक पंजीकरण विभाग ठीक आँकड़े देगा। लेकिन यहां भी वह ऐसा नहीं कर पाया। इस संबंध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पर्यावरण प्रदूषण विशेषज्ञों के अनुसार महानगरों और विकसित देशों में जन्म दर में गिरावट आने के मुख्य कारण आधुनिकीकरण, तीव्र आर्थिक विकास हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा: आपका प्रश्न क्या है ?

श्री रेणुपद दास : मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत के तीसरे सबसे बड़े नगर दिल्ली में जन्म दर बहुत अधिक है और बम्बई और कलकत्ता में जन्म दर कम होने के क्या कारण हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : क्योंकि यहाँ पर मंत्रीगण रहते हैं।

श्री रेणुपद दास: मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा जनसंख्या नियंत्रण उपायों की विफलता के कारण हैं या जन्म और संतत्ति-निरोध के प्रति लोगों के परम्परागत दृढ़ दृष्टिकोण के कारण है। इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक दिल्ली का संबंध है, पंजीकरण के आंकड़े उपाबन्ध में दिए हुए हैं और उपाबंध में दिये गये आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि कलकत्ता में जन्म दर 1978 में 16.5 प्रति हजार थी, 1979 में 16.6 प्रति हजार थी, 1980 में 18.2 प्रति हजार थी, 1981 में 16.9 प्रति हजार थी और 1982 में 16.9 प्रति हजार थी। दिल्ली में जन्म दर 1978 में 25.2 प्रति हजार थी जो 1982 में बढ़कर 30 प्रति हजार हो गई। 1983 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक पंजीकरण कार्यालय का संबंध है, हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं । यह संभव है कि इस विभाग में कुछ दोष हों, उन पर भी ध्यान दिया जायेगा । अब हम इस विभाग में सुधार करने और इसके कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ।

डा० कर्ण सिंह : महोदय, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने परिवार नियोजन मंत्रालय का यह काम करना कब से शुरू कर दिया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्योंकि इस का संबंध "घर" से होता है ।

अध्यक्ष महोदय : घर का मतलब "घर" है जहां बच्चे पैदा होते हैं ।

श्री रेणुपद दास : मैं अब दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में महिला जनसंख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है और क्या इसका सीधा संबन्ध एशियाई और प्रशान्त देशों में बढ़ती हुई महिला जनसंख्या से है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस शताब्दी के अंत तक 1.6 बिलियन तक पहुंच जाने की आशा है । क्या इसका कोई सीधा सम्बन्ध दिल्ली में महिला जनसंख्या के बढ़ने से है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : देश की जनसंख्या बढ़ रही है और जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, यहां प्रतिदिन 1 लाख से भी अधिक लोग प्रतिदिन बाहर से आते हैं और इसलिए जनसंख्या निश्चय ही बढ़ रही है । परन्तु दुर्भाग्य से जो भी यहां आता है वह अपने आपको पंजीकृत नहीं करा रहा हैं और यही दोष है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वह महिलाओं के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या के बारे में अलग-अलग आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री एम० राम गोपल रेड्डी : दिल्ली की जनसंख्या जन्म-दर के कारण नहीं बढ़ रही है यह तो बाहर से दिल्ली में आने वाले लोगों के कारण बढ़ रही है । अखिल भारतीय स्तर पर जनसंख्या में वृद्धि 22 प्रतिशत है जबकि दिल्ली में यह 43 प्रतिशत है । मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि दिल्ली की संख्या में वृद्धि होने का कारण क्या है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : दिल्ली में यह वृद्धि 30 प्रतिशत है न कि 43 प्रतिशत जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है ।

पालामाऊ और मधुबनी में उद्योगों की स्थापना

*556. **श्री भोगेन्द्र झा**
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनकी स्थापना के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और जो अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) विलम्ब होने के कारण क्या हैं और उन में से प्रत्येक की स्वीकृति के लिए समय सीमा क्या है;

(ग) पालामाऊ और मधुबनी में प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्रों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्रीय कार्य दल का विशिष्ट ब्यौरा क्या है और निर्माण के लिए निर्धारित कार्यक्रम क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टभि राम राव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) बिहार सरकार के राज्य औद्योगिक नियमों से नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु प्राप्त (दो) आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हुए हैं। चूंकि इन्हें 22.2.1984 और 22.3.1984 को पंजीकृत किया गया था, अत: ये आवेदन पत्र ऐसे आवेदनपत्रों को निपटने के लिए निधारित 60 दिन की समयसीमा के अन्तर्गत ही हैं। सारकार द्वारा इन आवेदनपत्रों पर अन्तिम निर्णय ले लिए जाने तक अनिर्णीत आवेदनपत्रों का ब्यौरा आमतौर से प्रकाशित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें देकर उनके प्रयासों को पूरा करने में सहायता करती है। मधुबनी और पलामू में केन्द्रस्थ संयंत्रों का पता लगाने वाले कृतिक बल की रिपोर्ट अग्रेतर कार्यवाई हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई है।

बिहार सरकार ने सिफारिश किए गए केन्द्रस्थ संयंत्रों के बारे में परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार करने के लिए कार्यावाही शुरू कर दी है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग 'क' में पूछा था कि उन उद्योगों के नाम क्या हैं, जिनकी स्थापना के लिये बिहार सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और जो अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं, लेकिन जवाब जो दिया गया है, उसमें किसी उद्योग का नाम नहीं है। मन्त्री जी बता सकते थे कि उन्होंने किन उद्योगों की स्थापना की मांग की है? उन्होंने यहां लिख दिया कि बिहार सरकार से दो लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। मैं जानना चाहता था कि वहां सरकार किस तरह के उद्योग स्थापित करना चाहती है पलामू और मधुवनी में? साथ ही उन्होंने यह भी लिख दिया कि आमतौर से सरकार आवेदनों के ब्यौरे देती नहीं है, यह आमतौर लिखने की क्या जरूरत थी? अगर आमतौर कोई बात है तो खासतौर पर भी कोई बात हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आम शास्त्री जी मीठा होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आम शास्त्री नहीं, खास शास्त्री हैं ये।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने कहा कि आमतौर है तो खासतौर चीज भी होगी। इसलिये वह उद्योग क्या हैं, यह बताइये तो मैं आगे प्रश्न पूछूं।

श्री सतीश अग्रवाल : महाराष्ट्र में आमबार और खासदार होता है।

श्री पट्टाभि राम राव : पालामाऊ जिले में, गड़वा रोड पर केन्द्रस्थ, सयंत्र, कार्यदल ने जिन उद्योगों के सुझाव दिये वे हैं : रेयन, लुगदी और स्टेपल फाइबर, संयंत्र, बुनकरमिल, हथकरघा और विद्युतचालित मिल-वहां 2,192 लोग काम करते हैं—और पारा-नाइट्रो क्लोरो-बेनजीन संयंत्र वह भी उसी स्थान पर हैं। वहां एक केल्सियम कारबाइड। पीवीसी समूह है।

श्री रामावतार शास्त्री : वह कृपा है।

श्री पट्टाभि राम राव : एक क्रुसीबल मोबाइल एक्स-रे और मेथोल मेन्थोल संयंत्र है।

श्री मनीराम बागड़ी : हो गया, सब ठीक हो गया। सब समझ गये।

श्री रामावतार शास्त्री : आपको यह सब बातें सइ विवरण में शामिल कर लेनी चाहिये थी।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसे सभा पटल पर रख दीजिये। हम नहीं चाहते कि आप इसे पढ़ें।

श्री पट्टाभि राम राव : एक साल्वेंट एक्सट्रेक्शन संयंत्र, मण्डल टैनरी यूनिट, खनन और अर्थ-मूविंग मशीनरी संयंत्र तापीय विद्युत सयंत्रों के लिये मैकेनिकल उपकरण और फालतू पुर्जे...

(व्यवधान)

श्री मनोराम बागड़ी : सारी इंडस्ट्रीज इनको दे दें ।

श्री पट्टाभि राम राव : एक एल्युमिनियम एक्सट्रेक्शन कास्टिंग और वायर रोड्स यूनिट और एक सिरामिक कम्पलैक्स है, मधुबनी जिले में एक सूती कपड़ा बुनने का मिल है ।

अध्यक्ष महोदय : आप टेबल पर रख दीजिये । शास्त्री जी को दे दीजिये, खाली वक्त में पढ़ेंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह एक लम्बी सूची है ।

श्री रामावतार शास्त्री : दो लाइसेंस में इतने कारखाने कहां से आ गये ?

अध्यक्ष महोदय : वह लाइसेंस की लिस्ट है ।

श्री रामावतार शास्त्री : इसमें दो का ही जिक्र है । उत्तर में कहा गया है कि मधुबनी और पालम में केन्द्रस्थ सयंत्रों का पता लगाने वाले कृतिक बल, टास्क फोर्स, को रिपोर्ट आग्रेतर कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई है । मैं जनाना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने ऐसी कौन सी बातें कही थीं, जिनके बारे में कार्यवाही करने के लिए वह रिपोर्ट बिहार सरकार को भेजी गई है । इस तरह के कामों में केन्द्र के द्वारा राज्य सरकारों की किस प्रकार की मदद की जाती है और यारियायतें दी जाती हैं ?

श्री पट्टाभि राम राव : पिछड़े क्षेत्रों को तीन श्रेणियों :–(क) (ख) और (ग) में बांटा गया है । बिहार सरकार ने बताया है कि राज्य सरकार के नियमों को मधुबनी और पालामऊ जिले में कृतिक बल की सिफारिश के अनुसार केन्द्रस्थ संयंत्र स्थापित करने के अनुदेश दे दिये हैं । केन्द्रस्थ सयंत्र सम्बन्धी दायित्व और रियायतें उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध होंगी । इस प्रकार प्रमाणीकरण होने पर सयंत्र को सभी केन्द्रीय और राजस्वस्तर के प्रोत्साहन मिलेंगे बशर्ते उसने अपना दायित्व पूरा कर दिया हो । केन्द्रस्थ सयंत्र के रूप में प्रमाणीकृत होने के लिये परियोजना प्रतिवेदन यह किया जाना चाहिये कि संयंत्र का 50 प्रतिशत भाग सहायक सयंत्रों के असेम्बली । सब—असेम्बली संघटकों द्वारा विनिर्दिष्ट माल उतारने के माध्यम से होगा । केन्द्रस्थ संयंत्र को ऐसा माल बनाने की इजाजत नहीं दी जायेगी जिसका लदान करना होगा ।

श्री बीजू पटनायक : उनके पास जो जानकारी है वह उन्हें सभापटल पर रखनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा पहले हाउस में नहीं थे वह लेट आए हैं । फिर भी वह सप्लीमेंटरी कर लें ।

श्री भोगेंद्र झा : अध्यक्ष महोदय, बिहार के हम सब लोग औद्योगिक मामलों में पिछड़े हुए हैं । हमारा औद्योगिक संस्कार पिछड़ा हुआ है । उसमें कोई व्यक्ति उपवाद हो सकता है बाकी किसी को मैं अपवाद नहीं समझता । ऐसी हालत में उद्योगों के सन्बन्ध में जो सुझाव वहां आता है, जिसको यहां पर अंतिम रूप दिया जाता है, वह क्रियान्वित नहीं हो पाता । जैसे बरौनी के पेट्रो-कम्प्लेक्स की योजना है । इसी तरह अशोक पेपर मिल में तीन बरसों से उत्पादन बन्द है, जबकि देश में कागज का अकाल, है । पलामु और मधुबनी के लिए केन्द्र का टास्क फोर्स वहां गया और उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया, लेकिन वह भी जहां का तहा अटका हुआ है । किन्तु दुर्भाग्य से हमें जो पैसा दिया जाता है, आमतौर पर हम उसे खा लेंगे, उद्योग कम खड़े करेंगे । बिहार की

यह बात है। कोई मित्र खण्डन कर देंगे तथ्य पर तो मुझे खुशी होगी। लेकिन जो उद्योग का काम अभी लटका हुआ है केन्द्र सरकार की वजह से, मैं जानना चाहूंगा कि उस पिछड़ेपन में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है और पलामू, मधुबनी के लिए जो न्यूक्लिअस है उस का, उस में स्थानीय लोग अपना उद्योग खोल सकें, मैं नौकरी पर जोर नहीं दे रहा हूं, उस के लिए जो परियोजना थी वह परियोजना क्या है ? उस के लिए आप क्या सहायता दे रहे हैं ? यह केवल उन दो जिलों की ही बात नहीं है बल्कि यह एक नया पेस-सेटर होगा पूरे बिहार के लिए इसी माने में एक उदाहरण के रूप में, तो उस के लिए आप क्या कर रहे हैं, यह मैं जनान चाहता हूं।

प्रो०एन० जी रंगा० : श्रीमान, क्या यह भाषण का प्रश्न है।

श्री पट्टाभि राम राव : जब मैं उद्योगों की सूची पढ़ रहा था तो आपने कहा कि मुझे इसे सभापटल पर रख देना चाहिये। यदि आज इजाजत दें तो मैं इसे फिर पढ़ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभापटल पर रख दीजिये।

भारत-बांग लादेश सीमा पर तार लगाना

*557. **श्री चित्त बसु**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच भारत बंगलादेश सीमा पर प्रस्तावित तार लगाने के बारे में तकनीकी सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) तकनीकी समिति, जो सरकार द्वारा यह सलाह देने के लिए नियुक्त की गई थी कि बंगलादेश सीमा पर कैसी और किस किस्म की बाड़ लगाई जाए, ने दिसम्बर, 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त समिति द्वारा जैसी सिफारिश की गई थी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कराने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। प्रारंभ में असम में धुब्री जिले और पश्चिम बंगाल में पश्चिम दीनाजपुर जिले प्रत्येक में जहां बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया जाना है 100 कि० मी० सड़क पर सर्वेक्षण किया जा रहा है, सर्वेक्षण पूरा करने के लिए लगभग चार महीने की अवधि जरूरी है और उसके बाद उपर्युक्त जिलों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

श्री चित्त वसु : क्या बंगलादेश सरकार ने भारत सरकार को लिखे गये अपने किसी पत्र में तार आदि लगाने के प्रस्ताव पर अपना रोष अथवा असन्तोष व्यक्त किया था ? यदि हां, तो इस तरह की आपत्ति के पीछे क्या कारण था और भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया थी ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : आयुक्त (सीमा) से 1 अप्रैल 1984 को सूचना मिली थी कि बंगलादेश के साथ हमारी सीमा पर तार लगाने के लिए किये गये तकनीकी सर्वेक्षण के दौरान बंगलादेश राइफल्स के लोगों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 150 मीटर के भीतर तार लगाने के बारे में हमारे सर्वेक्षण दल के अधिकार के बारे में आपत्ति की थी। यह पता चला कि बंगलादेश ने वहां अपनी सेना बढ़ा दी और एक सेक्शन के बजाय एक पूरी पल्टन तैनात कर दी। वह सूचना विदेश मन्त्रालय को प्राप्त हुई थी। इस मामले की जांच करने के बाद; आयुक्त (सीमा) और असम सरकार से कहा गया कि वे सर्वेक्षण करें और तार आदि लगाने का काम करना आरम्भ करें।

विदेश मन्त्रालय से आज सुबह की गई पूछताछ से पता चला कि विदेश मंत्रालय को बंगलादेश के विरोध-पत्र का पाठ अभी तक नहीं मिला है यद्यपि वह ढाका में हमारे उच्चायुक्त को दे दिया गया है।

श्री चित्त बसु : श्रीमन्, उत्तर में कहा गया है कि सरकार ने 100 किलोमीटर की दूरी के लिये सर्वेक्षण-कार्य करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की है।

एक माननीय सदस्य : लगभग दो सौ किलोमीटर।

श्री चित बसु : प्रत्येक जिले में एक सौ किलोमीटर। यह केवल दो जिलों के लिये है। प्रत्येक जिले में एक सौ किलोमीटर।

क्या सरकार पूरी भारत-बंगलादेश-सीमा पर तार लगायेगी या किसी विशेष क्षेत्र में ?

इस पर कितना खर्च होगा, इसका उत्तर भी माननीय मंत्री ने नहीं दिया है। यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो जायेगा सीमा में घुसपेठ को रोकने के लिये तार लगाने तक क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कांटेदार तार लगाने का काम पश्चिम बंगाल और असम के प्रत्येक एक जिले में 100 किलोमीटर पर आरम्भ होगा और बाद में समस्त भारत-बंगलादेश सीमा पर ऐसे तार लगाये जायेंगे। कांटेदार तार लागाने की लागत लगभग 201 करोड़ रुपये होगी और भारत-बंगलादेश सीमा पर सड़कें बनाने पर 240 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग चार महीनों में अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद काम शुरू होगा।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि एक महीने में सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिल जायेगी और फिर काम तुरन्त शुरू हो जायेगा। क्या सरकार ने तार लगाने के लिए भूमि का अर्जन कर लिया है और क्या सरकार समस्त 3270 किलोमीटर के कुल सीमा-क्षेत्र पर तार लगवाने का विचार रखती है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ; भूमि के अर्जन का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि तारें हमारे क्षेत्र में लगनी हैं (व्यवधान)। यदि भूमि अर्जित करनी है तो यह हमारा अपना क्षेत्र है और यह हो सकता है। यह तारें पूरे सीमा-क्षेत्र पर लगाये जायेंगे और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद तुरन्त काम शुरू हो पायेगा।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : भूमि के अर्जन के लिये विशेष विधान बनाना होगा। सरकार वह कब करेगी ?

श्री रतन सिंह राजदा : यह एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है। सीमा से हमारे देश में घुसपैठ बेरोकटोक से रही है। माननीय गृह मंत्री को याद होगा कि बंगला देश सीमा से हमारे देश में घुसपैठ सम्बन्धी प्रश्न मैंने पिछले सत्र में भी पूछा था। मैंने कहा था कि बंगलादेश से हमारे देश के विभिन्न भागों विशेषकर बम्बई में हजारों लोग घुसपैठ कर रहे हैं। सरकार को इस मामले को उदासीन भाव से नहीं लेना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा था कि वह महाराष्ट्र सरकार को लिखेंगे। चार महीने हो गये हैं परन्तु मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक योग्य सांसदिक हैं। आप एक अलग प्रश्न पूछ सकते थे।

श्री रतन सिंह राजदा : यह इसी से उत्पन्न हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। मैं इस पर आपसे सहमत नहीं हूं।

श्री रतन सिंह राजदा : ठीक है, मैं अपने प्रश्न को दूसरी तरह रखूंगा।

क्या यह सच है कि इस आश्वासन के बावजूद कि तारें लगाई जायेंगी, भारत-बंगला देश सीमा से घुसपैठ बेरोकटोक चल रही है ? वे देश के विभिन्न भागों में घुसपैठ करा गये हैं। बम्बई समेत देश के विभिन्न भागों में इस घुपपैठ को रोकने और इन विदेशियों के फैलने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : बंगलादेश से घुसपैठ के बारे में यह सच है कि यह असम में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और वहां से कुछ बिहार में भी आ रहे हैं। बिहार में पूछताछ हो रही है। बंगाल सरकार घुसपैठियों को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही कर रही है। मैंने महाराष्ट्र सरकार को लिख दिया है और उन्होंने उत्तर दिया है कि वहां कोई बगंलादेशी नहीं है। हालांकि कच्छ और पाकिस्तान के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों से वहां लोग आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वे उन्हें बाहर खदेड़ देंगे।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मेरा निर्वाचन-क्षेत्र समस्त बंगलादेश की सीमा के साथ साथ है। क्या आदेश जारी कर दिये गये जो सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर हमारी ओर लोगों को दिये जा रहे हैं कि वे सीमा के साथ 100 मीटर तक हमारी ओर भूमि को खाली कर दें और वहां सभी मकान गिराये जायेंगे ? आपने कहा कि सर्वेक्षण कार्य चल रहा है और उसके पूरा होने से पहले आपने ये आदेश जारी कर दिये हैं ? क्या सीमा सुरक्षा बल अनधिकृत रूप से कार्य कर रहे हैं ? लोगों को हमारी सीमा में 100 मीटर तक मकानों आदि को गिराने के लिये कहा जा रहा है। यह 24 परगनड़ जिले में हो रहा है। मैं आपको उन क्षेत्रों के नाम बता सकता हूं जहां यह हो रहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : तारें लगाने का काम शुरू होने तक किसी को भी बेदखल नहीं किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल को यह काम करने के लिये नहीं कहा जायेगा। यदि उन्होंने 24 परगना में कोई ऐसा कार्य किया है तो मैं इसकी पूछताछ करूंगा और रिपोर्ट मिलने पर माननीय सदस्य को बताऊंगा।

श्री विष्णु प्रसाद : 1960 से आसाम भारत-बंगला देश सीमा के साथ तारें लगाने की मांग कर रहा है। भारत सरकार ने और हमारी प्रधान मन्त्री ने इस मांग को स्वीकार कर लिया इसके लिये हम उनके आभारी हैं। क्या सरकार सघुपैठ को रोकने के लिए भारत बंगलादेश सीमा के साथ निर्जन पट्टी बनाने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 558

पर्यावरण संस्थान के लिए धनराशि का आवंटन

*558. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अल्मोड़ा में कटारमल नामक स्थान में खोले जाने वाले पर्यावरण संस्थान के लिए इस वित्तीय वर्ष में कुल कितनी राशि का आवंटन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त संस्थान के लिए अब तक कितनी भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) हिमालयन पर्यावरण तथा विकास संस्थान को अभी तक कोई औपचारिक आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) संस्थान के लिए 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। अभी तक कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, इन्स्टीट्यूट आफ एनवायरनमेंट के स्थान चयन के लिए कटरामल नामक स्थान का चयन किया गया है, इसके लिये मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना

चाहता हूं। इसके साथ ही मैं प्रधानमन्त्री जी की जानकारी में यह तथ्य भी लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 365 एकड़ जमीन इस इंस्टीट्यूट के लिए आफर की है और बाकी जमीन उससे लगी हुई है वह भी देना चाहती है। अभी तक उस जमीन को एक्वायर नहीं किया गया है, इससे स्थानीय लोगों में कुछ शंका है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट के लिए 1984-85 में कितना धन आवंटित किया जाएगा और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितना धन आवंटित किया जाएगा। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितना धन आवंटित किया जाएगा। यह इंस्टीट्यूट कब तक अपना निर्धारित स्वरूप प्राप्त कर लेगा। इसके रीजनल आफिसेस खुलने की भी बात है। कब तक ये रीजनल आफिसेस खुल जाएंगे और कब तक खोले जाएंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, 365 नहीं बल्कि 135 एकड़ जमीन के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक बताया है। बाकी 365 एकड़ जमीन की हमको आवश्यकता है। पांच सौ एकड़ की खास आवश्यकता है और पांच सौ एकड़ जमीन एक साथ नहीं मिलती है। इसके लिए चीफ सैक्रेटरी के साथ जून, 83 और दिसम्बर, 83 तथा फरवरी में मीटिंग बुलाई थी। पांच सौ एकड़ जमीन मिल जाए, यह कार्यवाही चल रही है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने एलोकेशन के बारे में पूछी है, 1984-85 में सैन्टर ए लोकेशन 50 लाख रु० का रखा है। इसमें से कितना धन प्राप्त हो सकेगा और हम दे सकेंगे, लेकिन वह कार्यवाही सबसे पहले शुरू हो जानी चाहिए। (इति)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उदार पेंशन फार्मूला

*553 **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 31 मार्च, 1979 के पूर्व के पेंशनभोगियों पर लागू उदार पेंशन फार्मूले को सेवानिवृत्त आई० सी० एस० तथा० आई० पी० एस० अधिकारियों पर लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस फार्मूले के अन्तर्गत यदि आई० सी० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को भी इसकी अदायगी की जाये तो पेंशनभोगियों को अदायगी करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सरकार 31 मार्च, 1979 से लागू किये गये उदार पेंशन फार्मूले को उन सेवानिवृत्त आई० सी० एस० अधिकारियों पर लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो इस समय इससे शासित नहीं होते हैं।

भारतीय पुलिस सेवानिवृत्त अधिकारी 31 मार्च, 1979 से लागू उदार पेंशन फार्मूले से शासित होते हैं।

(ग) चूंकि उन सेवानिवृत्त आई० सी० एस० अधिकारियों के बारे में पूर्ण सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, जिन्हें उदार पेंशन फार्मूले के अधीन लाया जाना अपेक्षित है, इसलिए उन्हें इस

फार्मूले के अधीन लाए जाने की स्थिति में उन्हें वस्तुतः देय अतिरिक्त धनराशि की सही रकम बताना संभव नहीं है।

"सम्मान भत्ता" बढ़ाए जाने के संबंध में अंदमान में रखे गये भूतपूर्व राजनैतिक बंदियों का अभ्यावेदन

*559. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक्स-अंदमान पालिटिकल प्रिजनर्स फेटरनिटी सर्किल की ओर से दिनांक, 18 नवम्बर, 1983 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें जीवन निर्वाह व्यय में तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनका "सम्मान भत्ता" बढ़ाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्दमान में रखे गये बन्दियों में से अब केवल 135 भूतपूर्व बन्दी जीवित हैं और उन सभी की आयु 70 वर्ष से अधिक है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक बंदी पेंशन योजना, 1969 के अन्तर्गत पेंशन को 1-10-78 से 200/-रु० मासिक से बढ़ाकर 500/-रु० मासिक कर दिया गया था। पेंशन को बढ़ाना संभव नहीं समझा गया है।

सातवीं योजना में शामिल प्राथमिकताएं

*560. **भीखा भाई** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में किन-किन प्राथिमिकताओं को शामिल करने का निर्णय किया गया है;

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) अब तक कितने कार्यदल गठित किए जा चुके हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) योजना आयोग इस समय सातवीं योजना का नीति पत्र तैयार करने में लगा हुआ है। यह नीति पत्र, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने पर, केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना तैयार करने से संबंधित विस्तृत कार्य का आधार बनेगा।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 को तैयार करने के लिये कार्यकारी/संचालन दलों/अध्ययन दलों आदि की सूची।

1. भावी आयोजना

1. सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रक में स्फीत्यात्मक पूंजीगत उत्पादन अनुपात के विश्लेषण और माप से संबंधित कार्यकारी दल
2. वर्षा से सिंचित क्षेत्रों में कृषि कार्यनीतियों से संबंधित कार्यकारी दल
3. भारत के पूर्वी क्षेत्र में कृषि कार्यनीतियों से संबंधित कार्यकारी दल
4. उर्वरक उपभोग से संबंधित कार्यकारी दल
5. सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना प्रतिरूपण से संबंधित परामर्शी दल
6. गरीबी की रेखा की संकल्पनाओं और अनुमान से संबंधित कार्यकारी दल

2. वित्तीय संसाधन

7. सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए वित्तीय संसाधनों के अध्ययन के लिए कार्यकारी दल

8. सरकारी क्षेत्रक योजना परिव्ययों की वित्त व्यवस्था करने के लिए घरेलू संसाधन जुटाने के लिए क्षमताओं और साधनों के अध्यवन के लिए कार्यकारी दल

3. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

9. भुगतान शेष से संबंधित कार्यकारी दल

4. प्रबोधन

10. केन्द्रीय मंत्रालयों और केन्द्रीय क्षेत्रक की परियोजनाओं में प्रबोधन और सूचना प्रणालियों से संबन्धित कार्यकारी दल

11. राज्य और जिला स्तरों पर प्रबोधन और सूचना प्रणालियों से संबंधित कार्यकारी दल

12. विकास प्रशासन के लिए प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकारी दल

5. कृषि

13. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों से संबन्धित संचालन दल

14. बागवानी से संबन्धित कार्यकारी दल

15. मांग और पूर्ति अनुमानों और कृषि सांख्यिकी के सुधार से संबन्धित कार्यकारी दल

16. प्रबंध और प्राकृतिक विपत्तियों से संबंधित कार्यकारी दल

17. कृषि उत्पादन सहित सिंचित और वर्षा वाले/बारानी खेती, कृषि विस्तार और प्रशासन से संबंधित कार्यकारी दल

18. पशुपालन और डेरी उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल

19. कृषि ऋण और सहकारिता (फसल बीमा सहित) से संबंधित कार्यकारी दल

20. खाद्य प्रकमण से संबंधित कार्यकारी दल

21. भंडारण और मांडागारण से संबंधित कार्यकारी दल

22. भूमि सुधार और विकास से संबंधित कार्यकारी दल

23. बफर स्टाक से संबंधित कार्यकारी दल

24. कृषि निवेशों (बीजों, उर्वरकों, पौध संरक्षण, कृषि उपकरणों और मशीनरी) से संबंधित कार्यकारी दल

25. कृषि कीमत नीति, व्यापार और विपणन से संबंधित कार्यकारी दल

26. मछली उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल

27. वन उद्योग और भूमि संरक्षण से संबंधित कार्यकारी दल

28. कृषि विपणन और ग्रामीण गोदामों से संबंधित कार्यकारी दल

29. बागवानी फसलों से संबंधित कार्यकारी दल

30. कृषि अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल

6. सिंचाई, नियंत्रण क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण

31. बड़ी और मझोली सिंचाई से संबंधित कार्यकारी दल

32. छोटी सिंचाई से संबंधित कार्यकारी दल

33. नियंत्रण क्षेत्र विकास से संबंधित कार्यकारी दल

34. बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यकारी दल

7. ग्रामीण विकास

35. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम से संबंधित कार्यकारी दल

8. ग्राम और लघु उद्योग

36. खादी और ग्राम उद्योगों से संबंधित कार्यकारी दल
37. हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल
38. लघु उद्योगों से संबंधित कार्यकारी दल
39. क्वायर उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल

9. श्रम रोजगार और जनशक्ति

40. रोजगार कार्यनीति से सम्बन्धित संचालन दल
41. तकनीकी जनशक्ति की कमियों का निर्धारण करने से संबंधित कार्यकारी दल
42. पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकताओं और कमियों से संबंधित कार्यकारी दल
43. औद्योगिक संबंधों से संबंधित कार्यकारी दल
44. व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकारी दल
45. महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकारी दल
46. रोजगार सेवाओं से संबंधित कार्यकारी दल

10. ऊर्जा

47. कोयला और लिग्नाइट से संबंधित कार्यकारी दल
48. पेट्रोलियम से संबंधित कार्यकारी दल
49. विद्युत से संबंधित कार्यकारी दल
50. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विभाग के लिए कार्यकारी दल

11. उद्योग और खनिज

51. अधात्विक (औद्योगिक) खनिजों से संबंधित कार्यकारी दल
52. अलौह धातुओं-एल्यूमीनियम, तांबा, जस्ता, मैगनेशियम और निकल से संबंधित कार्यकारी दल
53. टायर और ट्यूबों (आटोमोबाइल और बाइसिकल्स) से संबंधित कार्यकारी दल
54. सीमेंट उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल
55. कागज, गत्ता और समाचार पत्र उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल
56. नियंत्रण और यंत्रीकरण उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल
57. चीनी उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल
58. जहाज-निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल
59. मशीन निर्माण, परिवहन उपकरण और सम्बद्ध उद्योगों से संबन्धित कार्यकारी दल
60. चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल
61. लौह अयस्क और खनिजों का लौहवर्ग से संबंधित कार्यकारी दल
62. जूट टेक्सटाइल उद्योग से संबधित कार्यकारी दल
63. पेट्रो-रसायन उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल
64. जैव और गैर-जैव रसायनों से संबंधित कार्यकारी दल
65. उर्वरकों से संबंधित कार्यकारी दल

66. कीटनाशक औषधियों से संबंधित कार्यकारी दल
67. लोहा और इस्पात से संबंधित कार्यकारी दल
68. इलैक्ट्रानिक उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल
69. परमाणु ऊर्जा विभाग के औद्योगिक और खनन कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकारी दल
70. खाद्य तेल, साबुन और डिटरजेंट से संबंधित कार्यकारी दल
71. औषधि और भेषज से संबंधित कार्यकारी दल
72. उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित कार्यकारी दल
73. वस्त्र उद्योग (हथकरघा, बिजली चालित मशीनें और रेशम उद्योग सहित) से संबंधित कार्यकारी दल

12. परिवहन

74. रेल से संबंधित कार्यकारी दल
75. सड़कों से संबंधित कार्यकारी दल
76. सड़क परिवहन से संबंधित कार्यकारी दल
77. नौवहन से संबंधित कार्यकारी दल
78. पत्तनों से संबंधित कार्यकारी दल
79. अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित कार्यकारी दल
80. सिविल एयर परिवहन से संबंधित कार्यकारी दल
81. पर्यटन से संबंधित कार्यकारी दल
82. मौसम विज्ञान से संबंधित कार्यकारी दल

13: संचार, सूचना और प्रसारण

83. संचार से संबंधित कार्यकारी दल
84. सूचना और प्रसारण से संबंधित कार्यकारी दल

14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कार्यकारी दल
86. परमाणु ऊर्जा (अनुसंधान और विकास) विभाग के लिए कार्यकारी दल
87. अंतरिक्ष विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के लिए कार्यकारी दल
88. पर्यावरण विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिक) के लिये कार्यकारी दल
89. संसद विकास विभाग के लिए कार्यकारी दल
90. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के लिये कार्यकारी दल

15. शिक्षा, कला और संस्कृति तथा खेलकूद

91. शिक्षा से संबंधित संचालन दल
92. प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल
93. माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल
94. विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल
95. प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल

96. तकनीकी शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल
97. शैक्षिक तकनीकी और दूरी से सीखना (डिस्टेंस लरनिंग) से संबंधित कार्यकारी दल
98. भाषाओं से संबंधित कार्यकारी दल
99. प्रबोधन और मूल्यांकन (शिक्षा) से संबंधित कार्यकारी दल
100. शिक्षा क्षेत्रक के लिए संसाधनों की आवश्यकता के लिए कार्यकारी दल
101. कला और संस्कृति से संबंधित कार्यकारी दल
102. खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और युवक सेवाओं से संबंधित कार्यकारी दल
103. पुस्तकालय सेवाओं और सूचना तंत्र के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यकारी दल

16. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

104. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित संचालन दल
105. जनसंख्या स्थिरीकरण और-एम० सी० एच० देखभाल क्रियाकलाप से संबंधित कार्यकारी दल
106. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य निगरानी वितरण सेवाओं से संबंधित कार्यकारी दल
107. संक्रामक बीमारियों और अंधेपन के नियंत्रण करने से संबंधित कार्यकारी दल
108. असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने से संबंधित कार्यकारी दल
109. चिकित्सा शिक्षा और जनशक्ति आयोजना से संबंधित कार्यकारी दल
110. चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्यकारी दल
111. स्वास्थ्य, शिक्षा/सूचना, शिक्षा और संचार (आई० ई० सी०) से संबंधित कार्यकारी दल
112. औषधियों के स्वदेशी प्रणालियों और होम्योपैथी से संबंधित कार्यकारी दल

17. आवास, शहरी विकास और जलपूर्ति

113. आवास से संबंधित कार्यकारी दल
114. शहरी विकास से संबधित कार्यकारी दल
115. जलपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित कार्यकारी दल

18. बहुस्तरीय आयोजन

116. जिला आयोजना को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने से संबंधित कार्यकारी दल
117. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सबंधित कार्यकारी दल
118. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिये कार्यकारी दल

19. पिछड़ा वर्ग

119. अनुसूचित जातियों के लिए कार्यकारी दल
120. अनुसूचित जनजातियों के लिये कार्यकारी दल

20. समाज कल्याण

121. महिलाओं के कल्याण और विकास से संबंधित कार्यकारी दल
122. बच्चों के कल्याण और विकास से संबंधित कार्यकारी दल

123. विकलांगों के कल्याण से संबंधित कार्यकारी दल

124. समाज कल्याण के शेष क्षेत्रों से संबंधित कार्यकारी दल

21. आर्थिक संवृद्धि और नीति

125. नागरिक पूर्ति संबंधित कार्यकारी दल

गोआ में मैंगनीज और लौह अयस्क का खनन

*561. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में मैंगनीज और लौह अयस्क के अंधाधुंध खनन के कारण बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र नष्ट हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अयस्क धूल से कृषि भूमि/मिट्टी को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) वन भूमि को क्षति कुछ सीमा तक गड्ढों की खुदाई और पछोड़न सामग्री के ढेर लगाने से होती है लेकिन गोआ में खनन को कुल मिलाकर अन्धाधुंध खनन नहीं कहा जा सकता ।

2. संघशासित क्षेत्र गोआ पर्यावरण सन्तुलन बनाए रखने के लिए अनेक उपाय कर रहा है । इनमें ये शामिल हैं :—

1. खोदे गए गड्ढ़ों में मिट्टी की भराई
2. खनन क्षेत्र से समुचित फासले पर निचले क्षेत्रों में पछोड़न का ढेर (डम्प) लगाना
3. डम्प स्थलों की दीवार से घेराबंदी ।
4. डम्प्स को सपाट और समतल करना
5. जमीन के ऊंचे कंटूर स्थलों पर जल प्रवाह नालियां बनाना ।
6. डम्प्स के नीचे छलनीदार रोक बांध बनाना । डम्प्स के आस-पास उपयुक्त स्थलों पर, छायादार फलीदार वृक्षों, घास का रोपण ।

3. गोआ के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक पर्यावरण खनन बोर्ड गठित किया गया है । खनन पछोड़न के निपटान हेतु वैकल्पिक उपायों का सुझाव देने हेतु विकास आयोग की अध्यक्षता में एक और समिति गठित की गई है । भवन निर्माण कार्यों में खनन पछोड़पन के इस्तेमाल के लिए साध्यता अध्ययन परियोजना शुरू की गई है । अध्ययन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

4. गोआ के कृषि विभाग द्वारा तैयार मार्गदर्शी नियमों के तहत सुरक्षात्मक उपायों की 40% लागत गोआ सरकार द्वारा तथा शेष 60% लागत खान स्वामियों द्वारा वहन की जाएगी ।

5. गोआ के विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक विधान सभा समिति कृषि क्षेत्रों को हानि की समस्या का अध्ययन कर रही है ।

सरकारी कार्यालयों में काम काज में हिंदी के प्रयोग की पुनरीक्षा

*562. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के कार्यालयों में कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की पुनरीक्षा, की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को दिए गए प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले उठाए गए हैं कि कुछ अधिकारी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा हिन्दी पढ़ाने और कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों, विभागों और कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) अपेक्षित जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) सामान्यत: केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-3 (3) के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाता है। यदि कभी कोई कमी आती है तो वह अधिकारियों/कर्मचारियों के दोनों भाषाओं में पूर्ण प्रवीणता न होने के कारण ।

(घ) सरकार की नीति यह है कि राजभाषा नीति का अनुपालन केवल अनुनय तथा सद्भाव के द्वारा ही बढ़ाया जाए । अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा में शिक्षा देने का विशेष प्रयास किया गया है । इसके लिए राजभाषा विभाग के अधीन हिन्दी शिक्षण योजना के 153 केन्द्र हिन्दी प्रशिक्षण के लिए खोले गए हैं । हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि सिखाने के लिये 25 केन्द्रों पर शिक्षा दी जा रही है । इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से भी हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मन्त्रालय/विभाग इसके लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन करते हैं ।

विवरण

अहिंदी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी (प्रबोध प्रवीण तथा प्राज्ञ) /हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है । इनकी परीक्षाएं पास करने पर निम्नलिखित प्रोत्साहन मिलते हैं :—

(क) वैयक्तिक वेतन

12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर ।

टिप्पणी : जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है उन्हें हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतन-वृद्धि की बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है ।

(ख) नगद पुरस्कार

	रु० 300/-	रु० 200/-	रु० 100/-	रु० 50/-
प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रबोध	70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	55 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर । 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	55 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर

हिन्दी टंकण	97 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	95 प्रतिशत या अधिक अक प्राप्त करने पर	90 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर
हिन्दी आशुलिपि	95 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	92 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	88 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर

(ग) एक मुश्त पुरस्कार

निजी प्रयत्नों से पास करने पर पुरस्कार की राशि

प्राज्ञ	रु० 300/-
प्रवीण	रु० 250/-
प्रबोध	रु० 250/-
हिन्दी टंकण	रु० 150/-
हिन्दी आशुलिपि	रु० 300/-

आदिवासी विकास के लिये कार्यक्रम

*563. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी विकास के कितने कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता दी है तथा इसके लिये राज्यों को पृथक-पृथक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) इस दिशा में किए गए कार्य के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य में और अधिक तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) आदिवासी विकास के कार्यक्रम जिनके लिए गृह मन्त्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता दी जाती है, निम्न प्रकार हैं :—

(i) आदिवासी उप-योजना ।

(ii) गहन आदिवासी जन संख्या क्षेत्रों के लिए योजनाएं

(iii) आदिम आदिवासी परियोजना एं ।

(iv) अनुसूचित जनजातियों के लिए कन्या छात्रावास ।

(v) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।

(vi) अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां ।

(vii) मेडिकल/इंजिनियरिंग कालेजों में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक ।

(viii) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध योजनाएं ।

1983-84 के दौरान उक्त योजनाओं के लिए राज्यवार आवंटन सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) आदिवासी विकास कार्यक्रमों की सरकार द्वारा आदिवासी उप-योजनाओं पर विचार-विमर्श करते समय वर्ष में दो बार नियमित रूप से समीक्षा की जाती है । कार्यक्रमों को अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को निदेश दिए जाते हैं ।

विवरण

आदिवासी विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान राज्यों को दी गई धनराशियां ।

केवल आदिवासियों के लिए योजना

(रुपये लाखों में)

राज्य	विशेष केन्द्रीय सहायता			केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ।	
	उप योजना	गहन आदिवासी जनसंख्या के क्षेत्र	आदिम आदिवासी	कन्या छात्रावास	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	404.20	55.00	52.32	58.00	5.00
असम	477.33	शून्य	शून्य	3.25	10.00
बिहार	1344.18	167.67	55.04	10.50	3.00
गुजरात	806.36	92.75	9.15	शून्य	4.50
हिमाचल प्रदेश	152.49	5.78	शून्य	0.35	शून्य
कर्नाटक	74.14	—	3.84	1.68	शून्य
केरल	55.39	—	7.12	4.00	10.00
मध्य प्रदेश	2623.62	367.25	114.08	8.50	2.00
महाराष्ट्र	654.88	49.93	53.94	शून्य	4.79
मणिपुर	193.24	शून्य	3.85	4.70	1.10
नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	2.00	0.12
उड़ीसा	1327.51	116.34	52.04	15.00	4.19
राजस्थान	473.11	241.99	7.01	3.11	2.00
सिक्किम	29.18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	110.69	शून्य	11.19	3.38	2.65
त्रिपुरा	167.12	शून्य	14.80	1.50	0.50
उत्तर प्रदेश	12.53	3.29	8.57	2.00	1.79
पश्चिम बंगाल	475.23	शून्य	24.85	2.00	2.90
अ० तथा नि० द्वीप	12.00	शून्य	83.00	शून्य	शून्य
गोवा, दमन और दीव	6.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	9399.20	1100.00	500.80	119.97	54.51

संयुक्त योजनाएं

(रुपये लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां**	अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक**	अनु० जातियों/ अनु० जन जातियों के लिए अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध योजना **
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	104.27	3.10	1.00
असम	104.69	4.50	0.50
बिहार	63.52	1.60	2.00
गुजरात	108.94	1.50	0.61
हरियाणा	—	0.486	0.48
हिमाचल प्रदेश	2.46	0.20	1.00
जम्मू और कश्मीर	—	0.50	—
कर्नाटक	—	1.007	1.197
केरल	28.19	1.00	1.00
मध्य प्रदेश	32.81	—	—
महाराष्ट्र	87.58	—	—
मणिपुर	5.28	1.50	—
मेघालय	1.33	—	—
नागालैण्ड	19.00	—	—
उड़ीसा	42.29	0.50	2.174
पंजाब	—	—	—
राजस्थान	35.23	1.00	0.10
सिक्किम	3.00	—	—
तमिलनाडु	2.39	13.565	—
त्रिपुरा	6.64	—	0.05
उत्तर प्रदेश	20.00	—	—
पश्चिम बंगाल	23.38	—	1.00
दादरा और नागरहवेली	0.88	—	—
दिल्ली	—	1.00	1.12
गोवा, दमन और दीव	—	0.10	—
मिजोरम	45.00	—	—
पाण्डिचेरी	—	0.05	—
कुल	736.88	31.608	12.231

दिये गये आंकड़े केवल अनुसूचित जनजाति के लिये हैं।

दिए गए आंकड़े अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली और सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

*564. **श्री जैनुल बशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वित्तीय बाधाओं के कारण प्रमुख बिजली और सिंचाई परियोजनाओं के काम में शिथिलता आ जाने की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी वार्षिक योजना में आने वाली संभावित कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत और सिंचाई सहित कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में त्वरित निष्पादन के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था।

(ख) वर्ष 1984-85 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देते समय उक्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा हल्के इन्जीनियरिंग उद्योग स्थापित करना

*565. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हल्के इंजीनियरिंग उद्योग में बड़े औद्योगिक समूहों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से केवल छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों सम्बन्धी सरकारी नीति में ढील दिए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय हल्के इंजीनियरिंग और चमड़ा उद्योगों सम्बंधी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने प्रौद्योगिकी नीति को और अधिक उदार बनाने को की कहा है ताकि स्वदेशी उत्पादन विधियों का दर्जा समकालीन स्तर तक बढ़ाया जा सके और निरन्तर उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक ने इस बारे में अन्य क्या मुख्य मुद्दे उठाए हैं और क्या सरकार ने सभी को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) क्या उन्होंने हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों में बड़े औद्योगिक गृहों के प्रवेश का सुझाव दिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) महत्वपूर्ण निर्यात उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों और संस्थानात्मक सहायता में कैसे वृद्धि लाई जा सकती है यह दर्शाने की दृष्टि से विश्व बैंक ने अपनी "भारत हल्के औद्योगिक निर्यात विकास तथा वित्त" शीर्षक की रिपोर्ट में भारत से हल्के औद्योगिक सामान के निर्यातों पर एक अध्ययन किया है। रिपोर्ट में हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों और चमड़े के निम्नलिखित उत्पाद भागों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है :—

(1) बाइसिकलें और उनके हिस्से पुर्जे
(2) डीजल इंजन
(3) आयरन कास्टिंग
(4) ऑटो तथा डीजल इंजन
(5) हाथ के औजार

2. रिपोर्ट में निकाले गए मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं : -

(1) क्षमता नियंत्रणों से भारत की निर्यात संभावनाएं सीमित होती हैं।

(2) एम० आर० टी० पी० और अन्य क्षमता नियंत्रणों को समाप्त करने अथवा कम करने की आवश्यकता है कम-से-कम मजबूत निर्यात सम्भावनाओं के अनुरूप तो अवश्य ही ऐसा किया जाए और प्रतियोगिता करने तथा गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना आवश्यक है।

(3) विदेशी सहयोग नीति जो कि प्रतिबन्धात्मक है निर्यात संभाव्यताओं को प्रभावित करती है।

(4) नीतियों और संस्थानात्मक सहायता जैसे कि नियमित समय में आपूर्ति करना और भाड़े में समायोजन करना आदि में संशोधन की आवश्यकता है जिससे कि भारत चमड़ा उद्योग की सम्भाव्यताओं का प्रसार करना जारी रख सके। भारत से खरीद में कठिनाइयों को कम करने के लिए मशीनों, फिटिंगों, पैकेजिंग की आयात प्रक्रियाओं को सरल करने की आवश्यकता है।

3. विदेशी सहयोग के मामले में सरकारी नीति चयनात्मक ही रही है। इस प्रकार की भागीदारी उद्योग की प्राथमिकता, निहित प्रौद्योगिकी की किस्म और क्या इससे आयात बढ़ेगा इस संदर्भ में युक्तिसंगत होनी चाहिए। 40% विदेशी इक्विटी भागीदारी की सामान्य सीमा को गुणावगुण के आधार पर असाधारण मामलों में शिथिल करने पर विचार किया जा सकता है। उत्पादन के 75% को निर्यात करने की शर्त पर लघु उद्योग के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने की भी अनुमति एम० आर० टी० पी० "फेरा" उपक्रमों को दी जाती है। अतः सरकार की नीति लोचशील हैं और जहाँ निर्यात संवर्धन के हित में आवश्यक समझा जाए रियायतें दी जा सकती हैं। तथापि सरकार ने विश्व बैंक की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को नोट कर लिया है।

सरकारिया आयोग के निर्देश पदों की पुनरीक्षा

*566. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकारिया आयोग द्वारा 6 महीने की मेहनत के बाद अपर्याप्त प्रश्नावली जारी किये जाने सम्बन्धी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) क्या प्रश्नावली की अपर्याप्तता का कारण निर्देश पदों का सीमत होना है; और

(ग) क्या राजनैतिक दलों द्वारा सरकार को व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सरकारिया आयोग के निर्देश पदों की पुनरीक्षा करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के संबंध में प्रैस में भिन्न-भिन्न टिप्पणियां होती रही हैं।

(ख) आयोग का विचार है कि प्रश्नावली और आयोग के राज्यों के दोनों के बाद ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर एक विस्तृत राष्ट्रीय बहस के लिए मंच तैयार होगा, जिन पर इसे विचार करना है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कुद्रेमुख से लौह अयस्क उठाना

*567. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईरान द्वारा उस देश में इस समय भीषण युद्ध की परिस्थितियों के दौरान अहवास इस्पात संयंत्र चालू करने और ईरानी उद्योगों को पुनर्जीवित करने में सहायता देने की अपील के उत्तर में ईरान को तकनीकी विशेषज्ञ और विशिष्टता प्राप्त तकनीकी कार्मिक भेजने का है; और

(ख) ईरानी प्राधिकारियों ने कुद्रेमुख परियोजना से, जो एक ईरान-भारत संयुक्त उद्यम है से कान्सेंट्रेट लौह अयस्क उठाने के अपने ठेके की शर्तों को कहां तक पूरा किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं। क्योंकि ईरान सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) ईरान (नेशनल इरानियन स्टील इंडस्ट्रीज कम्पनी) के साथ किए गए बिक्री तथा खरीद करार के अनुसार ईरान को लौह अस्यक सांद्रण की सप्लाई अगस्त, 1980 के अन्त से शुरू की जानी थी लेकिन ईरान ने मुख्य रूप से अपने इस्पात कारखाने के निर्माण-कार्य में विलम्ब के कारण करार में उल्लिखित लौह अयस्क सांद्रण की मात्रा उठाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। इस सम्बन्ध में तथा करार से सम्बंधित अन्य मामलों को हल करने के लिए ईरान के साथ बातचीत चल रही है।

परमाणु बिजलीघर की स्थापना

*568. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों पर निर्भर रहे बिना परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए भविष्य में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) नए परमाणु बिजलीघरों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) "फास्ट ब्रीडर रिएक्टर" तथा भारी जल संयंत्र स्थापित करने के लिए अब तक क्या कार्य किया गया है; और

(घ) क्या कोटा राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो विदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता से स्थापित किया गया था और जो सामान्यत: खराब रहता है, के स्थान पर सरकार की दो और नए परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को स्थापित करने की कोई योजना है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में हम काफी हद तक स्वावलम्बी बन चुके हैं।

(ख) यह निर्णय अभी किया जाना है कि नए परमाणु बिजलीघर किन-किन स्थानों पर लगाए जाएं।

(ग) आशा है कि कलपाक्कम में बनाया गया फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर इस वर्ष के अंत तक क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा। बड़ौदा और तूतीकोरिन स्थित भारी पानी संयंत्र पहले ही काम कर रहे हैं। कोटा और तलचर स्थित संयंत्रों को चालू करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में थाल-वैशट नामक स्थान पर और आंध्र प्रदेश में मानुगुरु नामक स्थान पर दो और भारी पानी संयंत्र लगाने का काम चल रहा है।

(घ) उत्तरी क्षेत्र में नए रिऐक्टरों को लगाने के लिए स्थलों का चुनाव करने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

देश में छोटी कागज मिलों का बंद होना

*569. श्री सतीश अग्रवाल
श्री राम विलास पासवान } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 मार्च, 1984 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि हाल ही में बजट में लघु क्षेत्र की तुलना में बड़ी कागज मिलों को रियायत देने से देश में उनके लागत संबंधी व्यय में पर्याप्त कमी आई है जिससे छोटी कागज मिलों के बन्द होने की स्थिति पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छोटे कागज मिलों को बंद होने से बचाने के लिए कोई उपाय करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) लघु कागज कारखानों के लिए उत्पादन शुल्क संबंधी योजना में बड़े कागज कारखानों द्वारा देय शुल्क की तुलना में कुछ प्रतिशत का ही भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। 1984-85 के बजट में छोटे कागज कारखानों को दी गई राहत का अनुपात उनके द्वारा पहले से प्राप्त राहत के बराबर ही है। दूसरी ओर बड़ी कागज मिलों के लिए उत्पादन शुल्क की दर मूल्यानुसार 10% है, जबकि छोटी कागज मिलों के लिए शुल्क की दर निर्दिष्ट होती है। अत: 1983 के बजट से कागज और गत्ते में हुई मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लघु कागज मिलों के हक में शुल्क विषयक सम्पूर्ण अन्तर को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा गत्ते के बारे में इससे पहले लघु कागज मिलों को शुल्क सम्बन्धी कोई भी लाभ नहीं दिया गया था। वर्ष 1984-85 के बजट में लघु कागज मिलों द्वारा उत्पादित गत्ते के लिए उत्पादन शुल्क में रियायतें दी गई हैं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं/संस्थानों में नियुक्तियों/तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबंध

*570. श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों में व्यय कम करने के उद्देश्य से नई नियुक्तियों/तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगा दी है;

(ख) क्या सरकार ने सी. एफ. टी. आर. आई., एन. पी. एल., एन. सी. एल., एम. आर. एम., पी. आई. डी., आई. एन. एस. डी. ओ. सी., एन. आई. एस. टी. ए. डी. एस. आदि जैसी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं/संस्थानों में नियुक्तियों/तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगा दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त संबद्ध कार्यालयों ने विभिन्न श्रेणियों के कुछ पद भरने के लिए विज्ञापन दिए हैं और क्या सरकार के उपर्युक्त निदेश से पहले विज्ञापित पद भरे जा सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भरा जाएगा ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। सरकार ने निर्णय लिया है कि पदों की रिक्तियां यथा, गैर संचालित पद, जिनका कार्य मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के अन्तर्गत आंतरिक एंडजस्टमेंट द्वारा देखा जा सकता है, को वर्ष 1984 के सितम्बर अन्त तक खाली रखा जाना चाहिये।

(ख) सरकार के निर्देश सी० एस० आई० आर० पर लागू होते हैं। समस्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों (प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित प्रयोगशालाओं सहित) को उपयुक्त निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं, कि महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अग्रिम आदेशों तक सरकारी आदेशों के प्राप्त होने से पूर्व जिन मामलों में भर्ती संबंधी कदम पहिले ही उठा लिये गये हैं को छोड़कर कोई पद नहीं भरा जाना चाहिए और किसी मामले में जहां संचालन के किसी पद को भरना आवश्यक हो जाता है, महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसे ही भर्ती संबंधी कार्यवाही पूरी हो जाती है, पदों को भर दिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट पर आधारित उद्योग

*571. **श्री सुबोध सेन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल के उप-हिमालय तराई क्षेत्र में डोलोमाइट पर आधारित उद्योग खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं। अलीपुरद्वार क्षेत्र में डोलोमाइट पर आधारित कोई उद्योग खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल की भूसी के मूल्य में वृद्धि

*572. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल की भूसी के मूल्य में हो रही लगातार वृद्धि के कारणों पर विचार किया है जो नारियल जटा रेशों और नारियल जटा उत्पादों के लिए कच्चा माल है;

(ख) क्या मजदूर संघों और वास्तविक उत्पादकों की इच्छा के विरुद्ध केरल के वर्तमान भूसी नियंत्रण आदेश को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वे सोचते हैं कि उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार की दृष्टि में नारियल की भूसी के मूल्य पर नियंत्रण रखा जाना वांछनीय नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार किस तरीके से नारियल जटा के रेशे और उनके उत्पादों की उत्पादन लागत पर नियंत्रण रखेगी; और

(ङ) इस संबंध में क्या तरीके अपनाये गए हैं ताकि निम्नतम मूल्य बढ़ने न पाये क्योंकि इससे विदेशी बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) न्यूनतम मूल्यों में वृद्धि सदैव ही विदेशी बाजारों की ग्राह्यता को ध्यान में रख कर की जाती है।

परमाणु ऊर्जा संबंधी विज्ञान क्षेत्र में कार्य हेतु वर्ष 1984-85 के दौरान आवंटित धनराशि

*573. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) परमाणु ऊर्जा संबंधी बिज्ञान के क्षेत्र में कार्य हेतु वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदान-मांगों में 852.86 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों द्वारा उद्योगों का पंजीकरण

6292. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जन-जातियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ष 1980 से आज की तारीख तक अपने लघु उद्योगों का पंजीकरण कराया है;

(ख) राज्य-वार और वर्ष-वार उनको दिये गए ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आदिवासियों को वनों पर आधारित लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत मूल/सीमान्त धनराशि के रूप में प्रयोग किया जाने वाला केन्द्रीय ऋण राज्य/संघशासित सरकारों को दिया जाता है जो उक्त धनराशि का वितरण करती हैं। राज्य/संघशासित सरकारों द्वारा वितरित किये गये ऋणों का समुदाय वार ब्यौरा केन्द्रीय सरकार एकत्रित नहीं करती है।

(ग) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सभी उद्योगों के विकास सम्बन्धी संभाव्यता और विनियमनों को ध्यान में रखते हुए वनों पर आधारित उद्योगों सहित सभी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए आदिवासियों सहित उद्यमियों को राज्य/संघशासित सरकारों के अधीन जिला उद्योग केंद्रों द्वारा सभी सेवा और सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश	1980-81	1981-82	1982-83
1.	आंध्र प्रदेश	57	94	122
2.	असम	79	61	185
3.	बिहार	14	139	360
4.	गुजरात	285	9	34
5.	हिमाचल प्रदेश	96	94	160
6.	हरियाणा	13	प्रा. न.	प्रा. न.
7.	जम्मू और काश्मीर	प्रा. न.	प्रा. न.	प्रा. नि.
8.	कर्नाटक	40	133	161
9.	केरल	प्रा. न.	1	27
10.	मध्य प्रदेश	275	3368	1629
11.	महाराष्ट्र	148	141	134
12.	मणिपुर	696	694	6+3
13.	मेघालय	10	54	519
14.	नागालैंड	1070	842	553
15.	उड़ीसा	91	1361	173
16.	पंजाब	प्रा. न.	प्रा. न.	6
17.	राजस्थान	744	1196	817
18.	सिक्किम	4	8	2
19.	तमिलनाडु	2	11	4
20.	त्रिपुरा	14	20	28
21.	उत्तर प्रदेश	442	320	377
22.	पश्चिम बंगाल	122	104	92
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप	प्रा. न.	प्रा. न.	2
24.	अरुणाचल प्रदेश	71	61	95
25.	चण्डीगढ़	प्रा. न.	प्रा. न.	प्रा. न.
26.	दादरा और नागर हवेली	5	प्रा. न.	प्रा. न.
27.	गोआ, दमन और द्वीव	प्रा. न.	प्रा. न.	प्रा. न.
28.	मिजोरम	163	565	1694
29.	पांडिचेरी	प्रा. न.	प्रा. न.	प्रा. न.

(प्रा. न. = प्राप्त नहीं)

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अपनी खानों में कामगारों का विभागीकरण

6293. **श्री ए० के० राय :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार के 15 दिसम्बर, 1979 के राजपत्र के अनुसार लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मेंगनीज खानों में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, ओवर बर्डन रिमूवल के कामों का विभागीकरण किया जाना था और यदि हां, तो क्या इस अधिसूचना को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्वामित्व वाली खानों में क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) 1 जनवरी, 1984 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्वामित्व वाली खानों में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और ओवर बर्डन रिमूवल के काम में लगे विभागीकृत कामगारों और ठेके वाले कामगारों की संख्या कितनी थी; और

(ग) सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अपनी लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मेंगनीज खानों में कितने कामगारों का विभागीकरण किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां। चूना पत्थर और डोलोमाइट की खानों में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और "ओवर बर्डन रिमूवल" के कार्यों में ठेका श्रमिकों को रोजगार देने पर रोक लगाने संबंधी दिनांक 15-12-79 की अधिसूचना राउरकेला इस्पात कारखाने की बड़ा द्वार की डोलोमाइट की खानों को छोड़कर स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड "सेल" के इस्पात कारखानों की चूना-पत्थर और डोलोमाइट की रक्षित खानों में कार्यान्वित कर दी गई है। बड़ा द्वार की खान से संबंधित स्थिति विवरण-एक में दी गई है। "सेल" के किसी इस्पात कारखाने की मैंगनीज की अपनी खानें नहीं हैं।

(ख) इस्पात कारखानों की रक्षित खानों में ड्रिलिंग, ब्यास्टिंग और "ओवर बर्डन रिमूवल" के कार्य में लगे विभागीय श्रमिकों और उनको दी जा रही मजूरी से संबंधित ब्यौरा विवरण-दो और "तीन" में दिया गया है।

(ग) दिनांक 15-12-79 की अधिसूचना जारी होने से पहले ही भिलाई इस्पात कारखाने की रक्षित खानों में इन कार्यों का विभागीयकरण कर दिया गया था। राउरकेला और बोकारो के इस्पात कारखानों में जिन कार्यों का विभागीयकरण किया गया है उन पर काम कर रहे ठेका-श्रमिकों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा नामित उम्मीदवारों में से की जाती है।

विवरण-एक

इस्पात डोलोमाइट खान (बड़ा द्वार)

15 दिसम्बर, 1979 को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने डोलोमाइट खानों के निम्नलिखित कार्यों में ठेका श्रमिकों को नौकरी पर रखने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी की थी :—

(I) ओवरबर्डन रिमूवल

(II) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग

इस अधिसूचना के अनुसरण में राउरकेला इस्पात कारखाने ने उपर्युक्त दोनों कार्यों का विभागीयकरण करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी थी। इसी बीच ठेकेदार के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक संघों ने औद्योगिक विवाद खड़ा कर दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभागीयकरण की मांग भी शामिल थी। मांगों के संबंध में समझौता करने के लिए की गई बैठकों के पश्चात् 23-1-1981 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के०), जबलपुर के समक्ष एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

विभागीयकरण के मामले के बारे में इस समझौते में की गई व्यवस्था इस प्रकार है :—

(क) परिवहन, क्रशिंग और वैगनों में माल भरने के कार्य को छोड़कर खनन कार्यों का चरणों में विभागीयकरण किया जाएगा।

(ख) ठेका-श्रमिकों की स्वास्थ्य परीक्षा और ट्रेड टेस्ट पास करने पर ही खपाया जाएगा।

(ग) जिन विभागीयकृत ठेका-श्रमिकों के लिए विभागीय कार्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं उन्हें ठेकेदारों के अधीन परिवहन, क्रशिंग और वैगनों में माल भरने के कार्य में नौकरी पर लगाया जाएगा।

(घ) विभागीयकरण की प्रक्रिया कुव्यवस्थाभाजित तरीके से दो से तीन वर्षों की अवधि में शुरू की जानी थी लेकिन समझौते में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि नियमित किए जाने की प्रक्रिया एक वर्ष के अन्दर पूरी की जाएगी और इस वर्ष की गणना समझौते की तारीख से तीन वर्ष पूरा होने के पश्चात् की जाएगी। यह समझौता क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के०) के समक्ष बातचीत द्वारा हुआ था। क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के०) श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना को लागू करने के लिए समक्ष प्राधिकारी भी है। वर्ष 1982 के शुरू में ही ठेका-श्रमिकों और ठेकेदार के मध्य औद्योगिक विवाद उठ खड़ा हुआ जब ठेकेदार मैसर्स लाल एण्ड कम्पनी के ठेके की अवधि समाप्त हो गई और ठेकेदार ठेका-श्रमिकों को समीप के स्थान पर अन्य कार्य पर भेजना चाहता था। इस विवाद में भी मई, 1982 में क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के०) के समक्ष एक त्रिपक्षीय समझौता हो गया था। यह समझौता भी ठेका-श्रमिकों का विभागीयकरण करने के प्रश्न से संबंधित है और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि राउरकेला इस्पात कारखाने के भर्ती नियमों के अनुसार ठेका श्रमिकों को विभागीयकृत कार्यों में खपाया जाएगा। 23 जनवरी, 1981 को हुए समझौते में तय की गई विभागीयकरण की प्रक्रिया को भी दोहराया गया।

राउरकेला इस्पात कारखाना इन समझौतों में स्वीकार की गई विभागीयकरण की प्रक्रिया को लागू कर रहा है, लेकिन जून, 1983 से एक पड़ताल के कारण विभागीयकरण की प्रक्रिया में प्रगति नहीं हो सकी। इस मामले को हल करने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने और मुख्य श्रमायुक्त के कार्यालय की ओर से कई प्रयास किए गए। चूंकि ये प्रयास विफल रहे इसलिए श्रम मंत्रालय ने इस हड़ताल को जारी रखने पर रोक लगा दी है और श्रम मंत्रालय ने इसे न्याय-निर्णय के लिए भेज दिया है। लेकिन यह हड़ताल अब भी चल रही है। जैसे ही सामान्य रूप से कार्य होने लगेगा। अधिसूचित कार्यों का विभागीयकरण कर दिया जाएगा।

विवरण-दो

"सेल" के अधीन चूना पत्थर और डोलोमाइट की रक्षित खानों में निषिद्धकार्यों पर लगाए गए श्रमिक

वि०श्र० =विभागीय श्रमिक
ठे०श्र० =ठेका श्रमिक

कार्य	भिलाई				बोकारो						राउरकेला					
	नन्दिनी (चूना पत्थर)		हिरी (डोलोमाइट)		भवनाथपुर (चूना पत्थर)		कुटेश्वर (चूना पत्थर)		तुलसीदमार (डोलोमाइट)		पुर्णापानी (चूना पत्थर)		सतना (चूना पत्थर)		बड़ा द्वार (डोलोमाइट)	
	वि०श्र०	ठे०श्र०	वि०श्र०	ठे०श्र०	वि०श्र०	ठे०श्र०	वि०श्र०	ठे०श्र०	वि०श्र०	ठे०श्र०	वि०श्र०	ठे०श्र०	वि०श्र०	ठे०श्र०	वि०श्र०	ठे०श्र०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. ड्रिलिंग	46	—	35*	—	38	—	24	—	63	—	102**	6	32	—	—	—
2. ब्लास्टिंग	24	—	30	—	14	—	34	—	40	—	20	—	20	—	2	—
3. ओवर बर्डन रिमूवल	क	क	क	क	3	—	7	—	28	—	क	क	क	क	जून 1983 से काम रुका हुआ है।	

टिप्पणी :—*इनमें 18 विभागीय उजरती श्रमिक शामिल हैं।

**इनमें 56 अस्थायी श्रमिक शामिल हैं।

(क) "ओवर बर्डन रिमूवल" के कार्य के लिए अलग से कोई कर्मचारी नहीं है और यह कार्य खनन कार्य के अन्तर्गत ही किया जाता है। खनन कार्य लिए लगाए गए विभागीय श्रमिकों में से आवश्यक श्रमिकों को ओवर बर्डन रिमूवल के कार्य में लगाया जाता है।

विवरण-तीन

1. टाइम रेटिड विभागीय श्रमिकों के लिए मजूरी ढांचा

रुपए

एन 1	550-11-704
एन 2	565-13-656-15-761
एन 3	585-16-697-18-825
एन 4	610-20-750-22-904
एन 5	645-26-827-28-1023
एन 6	690-32-914-34-1152
एन 7	750-38-1016-41-1303
एन 8	810-54-1118-48-1454
एन 9	910-51-1267-55-1597

श्रमिकों को मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता भी मिलता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 561 के औसत के अनुरूप मार्च-मई, 1983 की तिमाही के लिए मंहगाई भत्ते की वर्तमान दरें इस प्रकार है :—

619 रुपए तक	—	350.20 रुपए
620-769 रुपए तक	—	355.20 रुपए
770-869 रुपए तक	—	360.20 रुपए
870 रुपए से अधिक	—	365.20 रुपए

2. उजरती विभागीय श्रमिकों के लिए मजूरी

हिरी की खानों में श्रमिक संघों के साथ हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर विभागीय उजरती श्रमिकों को उत्पादन के लिए निर्धारित मानदण्डों के आधार पर दी जाने वाली दरें इस प्रकार हैं :—

मजूरी	दी जाने वाली दरें (रुपयों में)
मूल	21.15
नियत महंगाई भत्ता	6.01
परिवर्तन महंगाई भत्ता	4.95
कुल :	32.11

सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विलम्ब से दी गई पेंशन पर ब्याज का भुगतान

6294. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या गृह मन्त्री सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्त उपदान के भुगतान के बारे में 24 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4904 के भाग (ङ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विलम्ब से दी जाने वाली पेंशन पर, संबंधित कर्मचारी द्वारा अधिकार स्वरूप दावा किये जाने के बजाय; स्वत: ही ब्याज देने का है; और

(ख) क्या इस बात पर विचार करते हुए कि एक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, जिसकी देय धनराशि के भुगतान में प्राय: देर हो जाती है, को अपने पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने में अपना समय; धन और शक्ति खर्च करनी पड़ती है, ब्याज की दर 5% से बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) जब किसी सरकारी कर्मचारी के नियमों के अधीन उसकी पेंशन के अंतिम रूप से निर्धारण तथा तय किए जाने से पहले सेवानिवृत्त होने की सम्भावना हो तो ऐसी स्थिति में नियमों में यह व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से लेकर अधिक से अधिक 6 महीने की अवधि के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर नियत की गई पेंशन की शत प्रतिशत अनन्तिम पेंशन के रूप में मंजूर कर दी जाएगी। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 6 महीने की इस अवधि के भीतर पेंशन की अन्तिम राशि नियत नहीं की जाती है तो लेखा अधिकारी अनन्तिम पेंशन को अन्तिम पेंशन मानकर 6 महीने की अवधि की समाप्ति के बाद तत्काल पेंशन अदायगी आदेश जारी कर देगा। इसलिए पेंशन पर ब्याज के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान में विलम्ब के कारण देय 5% वार्षिक की वर्तमान दर उस समय डाक घर बचत जमा के लिए ब्याज की प्रचलित दर के सन्दर्भ में 1979 में निर्धारित की गई थी। ब्याज की इस दर को बढ़ाए जाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र को धनराशि का आवंटन

6295. **श्री विलास भुत्तेमवर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम को और तेज करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी गई;

(ख) उस धनराशि में से इस उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस धनराशि के साथ पूरे किए गए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) 20 सूत्री कार्यक्रम 14 1-82 को घोषित किया गया था और इसका कार्यान्वयन 1982-83 की वार्षिक योजना के अंतर्गत आरम्भ किया गया था। अत: 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्यय के सबंध में सूचना दो वर्षों के लिए उपलब्ध है, जो हैं—1982-83 और 1983-84। 20-सूत्री कार्यक्रम राज्य योजना का अनिवार्य हिस्सा होता है, अत: इसके लिए अलग से परिव्यय निर्धारित नहीं किए जाते। तथापि, ये राज्य योजना से प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र की योजनाओं में 20-सूत्रीय कार्यक्रम के लिए 1982-83 और 1983-84 के लिए क्रमश: 863.83 करोड़ रु० और 953.77 करोड़ रु० की व्यवस्था किये जाने का अनुमान है।

(ख) और (ग) प्रत्येक राज्य में जिलावार परिव्यय/व्यय की सूचना योजना आयोग को नहीं दी जाती है और न ही योजना आयोग द्वारा इसका प्रबोधन किया जाता है। इसी प्रकार, वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों की जिलावार सूचना योजना आयोग को नहीं दी जाती है।

देश में औसत आय

6296. **श्री छांगुर राम**
श्री जैनुल बशर } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जिलेवार औसत आय का पता लगाने के प्रयास किए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इससे संबंधित आंकड़े किस तारीख तक एकत्र कर लिए जाएंगे; और

(ग) किसी जिले को पिछड़े जिले के रूप में घोषित करने का मापदण्ड क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सरकार ने क्षेत्रीय लेखा सम्बन्धी एक समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों द्वारा जिला स्तर पर घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना था। नवम्बर, 1974 में प्रकाशित समिति की प्रथम रिपोर्ट में समिति ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि केवल वस्तु उत्पादनकारी क्षेत्रों के लिए जिला स्तर के अनुमान प्रस्तुत करना उपयोगी हो सकता है। क्योंकि विश्वसनीय अनुमान तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों के बारे में आंकड़ों की उपलब्धि समिति है। प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों ने समिति के उपर्युक्त मार्गदर्शी अनुदेशों का अनुपालन किया है।

(ग) किसी राज्य के भीतर किसी जिले/क्षेत्र को पिछड़ा होने की पहचान करने का उत्तर दायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार पर है। तथापि केन्द्रीय सरकार ने कुछ क्षेत्रों/जिलों को कुछ विशिष्ट कारणों से पिछड़ा हुआ निर्धारित किया है जो आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, सूखा-ग्रस्त क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र अथवा पूर्वोत्तर अचल में स्थित क्षेत्र के रूप में हैं।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का संविधान

6297. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संविधान को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सेवाओं के विभिन्न ग्रेडों सहित ड्यूटी, पदों के नाम, संख्या और वेतन-मान क्या हैं;

(ग) क्या इनमें शामिल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में से पिछले पदनाम थे उन्हें बदल कर सेवा में शामिल नामावली के अनुसार कर दिया गया है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या यह सच है कि संवर्ग की नियंत्रक प्राधिकरण होने के कारण उनके मंत्रालय को इस संबंध में आदेश जारी करने चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के समूह 'क" एवं समूह "ख" तथा समूह "ग" के पदों के लिए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। सेवा के समूह "ग" में सम्मिलित पदों का आरम्भिक गठन पूरा कर लिया गया है और सेवा के समूह "क" तथा समूह "ख" में सम्मिलित पदों के आरम्भिक गठन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) सेवा में सम्मिलित ड्यूटी पदों के पदनाम, संख्या और वेतनमान भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3, उपखंड (1) में सा० का० नि० 842 के अन्तर्गत 19-9-1981 को प्रकाशित

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) नियम, 1981 की अनुसूची-1 और भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3, उपखंड (1) में सा० का० नि० 696 के अन्तर्गत 24-9-1983 को प्रकाशित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "क" और "ख" पद) नियम, 1983 की अनुसूची-2 में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) सेवा में सम्मिलित विभिन्न पदों के पदनाम ऊपर (ख) पर संदर्भित सेवा नियमों की संबंधित अनुसूचियों में दिए गए हैं। इन पदों के पदनाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। तथापि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि यदि वे अपने हिन्दी पदों के पदनाम उक्त सेवा नियमों में अपनाये गए पदनामों के आधार पर बदलना चाहें, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

सीमेंट का भाव और मूल्य वृद्धि

6298. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीमेंट के गंभीर अभाव की जानकारी है;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीमेंट के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) सीमेंट के मूल्यों को नियंत्रित करने और इसे पूरे देश में उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) देश में सीमेंट की अनुमानित समग्र मांग और कुल उपलब्धता के अनुसार सीमेंट की सामान्यतः कमी है। कुछ राज्यों/संघशासित प्रदेशों में सीमेंट की कमी संबंधी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) लेवी सीमेंट का रेल भाड़ा मुक्त मूल्य संपूर्ण देश में समान होता है तथा इसका निर्धारित सीमेंट नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अधीन किया जाता है। किन्तु गैर-लेवी का सीमेंट मूल्य और वितरण से मुक्त है। विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके तथा अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत करके देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

कागज मिलों का आधुनिकीकरण

6299. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न केवल समेकित मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने अपितु इनके वर्तमान स्तर के गत्यारोध को दूर करने के लिए भी इन कागज मिलों, के आधुनिकीकरण सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में, के लिए कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) क्या उत्पादन की गति बनाए रखने के लिए कच्चे माल हेतु कोई व्यापक योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) आगामी दशक में नरम लकड़ी और बांस के परम्परागत कच्चे माल और पानी सम्युल, हाथी घास, अनानास के पत्तों और "केनफ" जैसे गैर-परम्परागत कच्चे माल की अनुमानतः कितनी आवश्यकता होगी और इस शताब्दी के बाद कागज की बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति मांग को पूरा करने के लिए इसे कैसे पूरा किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) कागज, लुगदी और सहायक उद्योगों की विकास परिषद् कागज उद्योग की कठिनाइयों के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। कागज उद्योग में उत्पादकता स्तर में निर्दिष्ट वृद्धि प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाने हेतु एक उत्पादकता बोर्ड का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) कागज और लुगदी की मांग को पूरा करने के लिए बांस, लकड़ी और अन्य गोण कच्ची सामग्री की वर्ष 1985 और 2000 तक अनुमानित आवश्यकता की जानकारी राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा निम्न प्रकार दी गई है :

लकड़ी (000 मी० टन में)	1985	2000
लकड़ी (000 मी० टन में)	6,055	17,695
बांस (हजार मी० टन में)	3,123	3,546
खोई (बगासे) (000 मी० टन में)	82	720
रद्दी कागज, कृषि अवशेष और अन्य सामग्री (000 मी० टनों में)	538	2,285

कागज उद्योग की कच्ची सामग्री विषयक आवश्यकताओं को पूरा करने के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक बागानों में वृद्धि करने के प्रयास किए गए हैं। कच्ची सामग्री की कमी को दूर करने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे बागानों के लिए कार्यक्रम में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है। गन्ने की खोई (बगासे) जो कागज उद्योग के लिए एक आवश्यक कच्ची सामग्री है, के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। सीमा शुल्क को समाप्त करके/कम करके रद्दी कागज, लकड़ी की लुगदी तथा लकड़ी के चिप्स जैसी कच्ची सामग्री के आयात को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, ताकि इन विविष्टियों से देशी कच्चे माल के स्रोतों में वृद्धि की जा सके।

एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री

6300. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ये घड़ियां किन-किन स्थानों पर बेची गईं और प्रत्येक स्थान पर कितनी-कितनी घड़ियां बेची गईं; और

(घ) भारत एच० एम० टी० की घड़ियों का कितना निर्यात करता है और उन देशों के नाम क्या हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में एच० एम० टी० घड़ियों का विस्तृत ब्यौरा बताने वाला विवरण संलग्न है। इससे यह पता चलता है कि एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री गत समय में बढ़ी है।

(घ) 1981-82 और 1982-83 के दौरान एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात इस प्रकार था :—

वर्ष	निर्यात का मूल्य (लाख रु० में)
1981-82	247.43
1982-83	123.79

एच० एम० टी० द्वारा निम्नलिखित देशों को घड़ियों का निर्यात किया जा रहा है :— अफगानिस्तान, अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, बहरीन, भूटान, दुबई, हांग-कांग, हंगरी, इराक, कीनिया, कुवैत, मेडागास्कर, मोरक्को, मोजाम्बिक, नेपाल, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नार्वे कात्तार, सउदी अरेबिया, सिंगापुर, सन्तनते-अमान, स्विटजरलैंड, तनजानिया, ब्रिटेन, अमरीका, रूस, पश्चिम जर्मनी, जाम्बिया इत्यादि।

विवरण

(एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री)

राज्य	1980-81	1981-82 (घड़ियों की सं०)	1982-83
1. जम्मू और कश्मीर	47,282	41,100	34,291
2. हिमाचल प्रदेश	3,112	5,496	5,577
3. चंडीगढ़ सहित पंजाब	102,511	237,761	308,999
4. हरियाणा	24,802	36,672	27,349
5. नई दिल्ली	219,589	196,753	156,917
6. उत्तर प्रदेश	119,186	163,947	154,537
7. बिहार	83,692	99,881	75,947
8. पश्चिम बंगाल	355,329	323,050	291,238
9. आन्ध्र प्रदेश	248,267	252,789	264,976
10. उड़ीसा	71,711	83,151	88,536
11. कर्नाटक	285,083	246,964	243,867
12. तमिलनाडु	296,331	288,641	232,373
13. केरल	130,178	126,343	111,932
14. महाराष्ट्र	226,804	367,085	379,886
15. मध्य प्रदेश	67,831	105,762	94,928
16. गुजरात	79,293	140,068	126,468
17. राजस्थान	49,692	73,076	64,818
18. असम	15,840	29,005	27,373
19. मणिपुर	1,133	1,117	1,917
20. त्रिपुरा	1,094	795	1,080
21. सिक्किम	7,128	7,422	4,014
22. गोआ, दमन और दीव	3,220	6,263	5,995
23. पांडिचेरी	2,146	3,858	4,015
24. मिजोरम	5,465	6,550	8,542
25. दादर और नगर हवेली	3,780	3,770	9,010
26. मेघालय	3,288	6,829	5,932
अन्य	21,176	29,470	20,558
सी० एस० डी०*	701,545	965,530	1,278,016
निर्यात	64,062	150,204	60,707
कुल योग	32,40,470	40,09,318	41,39,798

*कैन्टीन स्टोर्स विभाग के जरिये रक्षा कार्मिकों के लिए बिक्री।

परमाणु ऊर्जा से बिजली

6301. **श्री नवीन रावणी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कितनी सफलता प्राप्त हुई है और आगामी पांच वर्षों के दौरान बिजली की कितनी आवश्यकता परमाणु ऊर्जा के स्रोत से पूरी किए जाने की संभावना है; और

(ख) अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परमाणु उर्जा से बिजली पैदा करने से संबंधित सभी क्षेत्रों में गहन स्वदेशी क्षमता विकसित की जा चुकी है। आशा है कि सन् 1990 तक परमाणु बिजली पैदा करने की स्थापित क्षमता 2035 मेगावाट हो जाएगी, जो हमारे देश में उस समय बिजली पैदा करने की कुल क्षमता का लगभग 4 से 5 प्रतिशत होगी।

(ख) भारत में किए गए अनुसंधान और विकास-कार्य संबंधी प्रयास का परिणाम यह रहा है कि परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए अपेक्षित न्यूक्लियर टैक्नोलाजी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत काफी सीमा तक स्वावलम्बी बन गया है। मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट, जिसे हाल ही में चालू किया गया है, का डिजायन बनाने और निर्माण करने का सारा काम परमाणु ऊर्जा विभाग ने भारतीय उद्योगों की सहायता से किया है। 500 मेगावाट क्षमता के दाबित भारी पानी किस्म के रिऐक्टरों और फास्ट रिऐक्टरों के बारे में तथा उन रिऐक्टरों से संबंधित न्यूक्लियर ईंधन-चक्र के क्षेत्र के बारे में अनुसंधान और विकास-कार्य किए जा रहे हैं।

खाड़ी के देशों में एशियाई श्रमिकों का इस्लाम धर्म में परिवर्तन

6302. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1984 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रेस नई दिल्ली में "एशियन बर्कर्स इन गल्फ कन्वर्टिंग टु इस्लाम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय मूल के उन व्यक्तियों के संबंध में जिनका उन देशों में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और जिनके परिवार भारत में हैं, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं को तैयार करना

6303. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री 3 मार्च, 1982 तारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 21 दिसम्बर, 1982 को आयोजित विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों और अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों के सम्मेलन द्वारा गठित ग्रुपों ने समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं को तैयार करने के अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तीन क्षेत्रों में समन्वित परियोजनाएं पहले ही जारी हैं— 42 परियोजनाएं हिमालयन विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में, 28 परियोजनाएं गंगा बेसिन विश्वविद्यालयों में और 53 परियोजनाएं पश्चिमी घाटों के विश्वविद्यालयों में। इन परियोजनाओं के उद्देश्य हैं :

—जलसंभरप्रबंध;

—चुने पारिविकास पुनरुद्धार;

—व्यापाक वृक्षारोपण और भूमि संरक्षण;

—भू-स्खलन नियंत्रण; तथा

—प्रभावी जल प्रदूषण तथा प्रबंध के लिए प्रदूषण प्रतिरूपण

उत्तर प्रदेश में धीमी प्रगती

6304. **श्री रामलाल राही** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग उत्तर प्रदेश में धीमी प्रगति के कारण असंतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं जिनकी गत तीन वर्षों के दौरान (छठी पंचवर्षीय योजना) प्रगति धीमी रही है;

(ग) क्या ऐसे विभागों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की छठी योजना के लिए परिव्यय 6200 करोड़ रु० है जिसके मुकाबले राज्य सरकार ने 1980-83 पहले तीन वर्षों में 3362.12 करोड़ रु० अर्थात् 54 प्रतिशत वास्तविक व्यय होने के बारे में बताया है। यह काफी संतोषजनक निष्पादन है।

विद्युत सृजन तथा संचरण और समस्याग्रस्त गांवों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था को छोड़कर, 1980-83 तक पहले तीन वर्षों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां भी संतोषजनक रही हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तमिलनाडु के नमक उद्योग, में संकट

6305. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में पिछले वर्ष की निरन्तर और भारी वर्षा के कारण नमक उद्योग गम्भीर संकट में है;

(ख) वर्षा के फलस्वरूप तमिलनाडु में कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में नमक उद्योग के प्रभावित श्रमिकों को संकट से उभरने में सहायता देने और वित्तीय राहत देने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) दिसम्बर, 1983 में तमिलनाडु में भारी वर्षा/बाढ़ के कारण कुछ तटवर्ती जिलों में काम में रुकावट आई थी जिसके फलस्वरूप नमक निर्माणशालाओं में नुकसान हुआ और नमक के भण्डार/उत्पादन को हानि हुई थी।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार तूतीकोरिन प्रभाग में 2 महीने की अवधि के लिए लगभग 6500 श्रमिकों को नौकरी से निकाला गया है।

(ग) राज्य सरकार प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करती है। राज्य सरकार भी वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बारी से भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने की अधिकारी होती है।

प्रदूषण निरोधी संयंत्र

6306. **श्री राम लाल राही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में प्रदूषण निरोधी संयन्त्र लगाए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन संयंत्रों को कब से लगाना आरम्भ कर दिया जाएगा;

(घ) क्या गैर-सरकारी उद्योगों के लिए भी ये संयन्त्र लगाना अनिवार्य होगा;

(ङ) क्या उन गैर-सरकारी उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी जो ये संयंत्र लगाने के इच्छुक नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (छ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन स्वीकृत आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस में शामिल की गई शर्तों में से एक शर्त निम्नलिखित है :

"वायु, जल और भूमि के प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रदूषण निवारण के लिए किये जाने वाले उपाय उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बहिःस्राव तथा उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होने चाहिए जिसमें औद्योगिक उपक्रम स्थित है।"

उपर्युक्त शर्त के अनुसार सभी औद्योगिक उपक्रमों को राज्य प्राधिकरणों की संतुष्टि के अनुसार उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करने सहित प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय करने होंगे। इस शर्त को पूरा न करने अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने की स्थिति में सरकार आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने के लिए इन्कार कर सकती है और औद्योगिक लाइसेंस के मामले में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्रवाई कर सकती है।

अन्तरिक्ष क्षेत्र में प्रगति

6307. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे वैज्ञानिकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष क्षेत्र में कितनी प्रगति की गई है और हमें अपनी उपलब्धियों पर कितना गर्व है और भारत की विश्व तथा एशिया में क्या स्थिति है;

(ख) अन्तरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए हमने अन्य देशों से कितनी सहायता मांगी है और पिछले दो वर्षों के दौरान हमारे उपग्रहों ने कहां तक अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किए हैं; और

(ग) अब तक भेजे गए हमारे उपग्रहों के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और उनका किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है और भविष्य में किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत से प्रयोगिक उपग्रहों का डिजाइन और निर्माण किया है तथा श्री हरिकोटा में राष्ट्रीय प्रमोचन रेंज से छोटे उपग्रहों के प्रमोचन की सन्तुलित क्षमता का भी विकास किया है। हवाई एवं उपग्रह प्लेटफार्मों से उपग्रह संचार तथा सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अन्तरिक्ष उपयोगों के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली ने देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण एवं मौसमविज्ञानीय आंकड़ों की उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब तक जो प्रगति की जा चुकी है उससे 1980-90 दशाब्द के लिए स्वीकृत अन्तरिक्ष प्रोफाइल में निर्दिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि में अन्तरिक्ष प्रयास ने राष्ट्रव्यापी अन्तरिक्ष सेवा के क्षमता निर्माण के प्रायोगिक चरण से प्रचालनात्मक चरण में संक्रमण के साथ ही एक क्रांतिक चरण में प्रवेश किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

—एस०एल०वी०-3 प्रमोचक राकेट द्वारा 30-5-1981 को लैण्डमार्क अनुवर्तक नीतभार ले जाते हुए रोहिणी उपग्रह (आर०एस०डी०-1) का प्रमोचन।

—यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी के एरियन प्रमोचक राकेट द्वारा 19.6.1981 को प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह (एप्पल) का प्रमोचन।

—सोवियत राकेट द्वारा 20-11-1981 को प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह (भास्कर-II) का प्रमोचन।

— संयुक्त राज्य अमरीका से 10-4-1982 को डेल्टा राकेट द्वारा प्रचालनात्मक संचार उपग्रह इन्सैट-I ए का प्रमोचन।

— स्वदेशी एस०एल०वी० 3 प्रमोचक राकेट द्वारा 17-4-1983 को उन्नत लैण्डमार्क अनुवर्तक नीतभार ले जाते हुए रोहिणी (आर० एस० डी-2) उपग्रह का प्रमोचन।

—संयुक्त राज्य अमरीका के अन्तरिक्ष शटल द्वारा 30.8.1983 को प्रचालनात्मक संचार उपग्रह इन्सैट-I बी का प्रमोचन।

उपयुक्त प्रशासनिक तथा अन्य आनुपातिक आधार सहित वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों की एक बृहत् तथा सक्षम टीम का निर्माण किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष के क्षेत्र में की गई प्रगति का ब्यौरा अन्तरिक्ष विभाग की वार्षिक रिपोर्टों और निष्पादन बजटों में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारत उन कुछ राष्ट्रों में से एक है, जिनके पास अन्तरिक्ष के क्षेत्र में सक्रिय कार्यक्रम है।

(ख) उपग्रहों के डिजाइन और निर्माण में तथा इनके उपयोग, दोनों में क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से भारत ने कुछ देशों की प्रमोचन-सहायता का उपयोग किया है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट के साथ-साथ प्रथम भारतीय प्रयोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह, भास्कर-I और II को सोवियत प्रमोचक राकेटों की सहायता से छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय प्रायोगिक भू-स्थायी संचार उपग्रह, एप्पल, को भी यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी के साथ हुए एक सहयोगी करार के अंतर्गत एरियन प्रमोचक राकेट की सहायता से छोड़ा गया था संयुक्त राज्य अमरीका के नासा के साथ किए गए प्रमोचन सेवा करार के आधार पर नासा इन्सैट-I ए और इन्सैट-I बी० अन्तरिक्षयानों

का प्रमोचन किया गया। भारतीय सुदूर संवेदन (आई०आर०एस०) उपग्रह के सोवियत प्रमोचक राकेट की सहायता से छोड़े जाने का प्रस्ताव है।

पिछले दो वर्षों के दौरान, तीन उपग्रह छोड़े गये। ये उपग्रह रोहिणी उपग्रह (आर० एस० डी०—2) इन्सैट-I ए और इन्सैट-I बी उपग्रह थे। रोहिणी उपग्रह (आर० एस० डी-2) ने अपने सभी निर्धारित लक्ष्य पूरे किए। इन्सैट-I ए उपग्रह अप्रैल 1982 में छोड़ा गया था। लेकिन सौर पाल के न खुलने के कारण व्युत्पन्न हुई लघु विसंगतियों के असाधारण संयोजन के परिणाम स्वरूप उपग्रह प्रचालनों को 6.9.1982 को निष्क्रिय करना पड़ा। अगस्त, 1983 में छोड़ा गया इन्सैट-I बी उपग्रह पूरी तरह प्रचालन में है तथा देश को सामान्य दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञानीय सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(ग) 1975 में छोड़ा गया आर्यभट उपग्रह मुख्यतया एक प्रौद्योगिकी उपग्रह था, जिसका उद्देश्य उपग्रह डिजाइन, निर्माण और अर्हता में स्वदेशी क्षमता की स्थापना करना था। भास्कर-I और II प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह थे, जिनका मुख्य उद्देश्य पूर्ण प्रणाली क्षमता की स्थापना करना, उपयोगी आंकड़ा उत्पादों के रूप में आँकड़ों का अभिग्रहण और संसाधन करना तथा जल विज्ञान, भूविज्ञान इत्यादि जैसे विविध प्रयोक्ता क्षत्रों में वैज्ञानिकों के साथ सीमित उपभोगों के लिये इन उत्पादों का उपयोग करना था।

एप्पल प्रथम प्रायोगिक भू-तुल्यकालिक संचार उपग्रह था। इसका मुख्य उद्देश्य संचार उपग्रह के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और उपयोग में पूर्ण प्रणाली क्षमता की स्थापना करना था। रोहिणी उपग्रह (आर०एस०-I) एक प्रौद्योगिकी उपग्रह था, जो एस० एल० वी० 3 प्रमोचक राकेट के कार्य निष्पादन के मानीटरन के लिए मुख्य रूप में बनाया गया था। रोहिणी आर० एस० डी०-I और आर०एस० डी०-2 उपग्रह लैण्डमार्क अनुवर्तक कैमरे ले गये थे, जिनका मुख्य उद्देश्य अन्तरिक्ष यानों की कक्षा और अभिवृत्ति प्राचलों के परिष्करण के लिए लैण्डमार्क अनुवर्तक से प्राप्त चित्रों में लैण्डमार्कों के उपयोग की कार्यपद्धति को स्थापित करना था। आर०एस० डी०-2 उपग्रह में, इसके अलावा दो बैण्ड के लैण्डमार्क अनुवर्तक आंकड़ों के संसाधन की सीमित क्षमता थी और इसे प्रमाणित किया गया। इन्सैट-I ए और I बी० उपग्रह प्रचालनात्मक उपग्रह हैं। इन्सैट-I बी० उपग्रह देश में दूरसंचार दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण तथा मौसमविज्ञानीय सेवा प्रदान कर रहा है।

भविष्य में छोड़े जाने वाले उपग्रह मुख्य रूप में निम्न श्रेणियों के होंगे :—

(क) विज्ञान/प्रौद्योगिकी/उपयोग के क्षेत्रों में निम्न भू-मिशनों के लिए 150 कि०ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रह।

(ख) 1000 कि०ग्रा० भार की श्रेणी के ध्रुवीय कक्षीय सुदूर संवेदन उपग्रह।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली के विकास और निरन्तरता के लिए संचार तथा मौसमविज्ञान के लिए आनुक्रमिक भू-स्थायी अन्तरिक्षयान।

ब्रैथवेट, बर्न एंड जोसेफ कम्पनी का बर्न स्टैंडर्ड के साथ विलय

6308. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रैथवेट, बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कम्पनी का बर्न स्टैंडर्ड के साथ विलय के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में लाए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम और नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मे० बर्न स्टैंडर्ड कं० लि० के साथ बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कं० लि० के विलय का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों द्वारा धर्म परिवर्तन संबंधी रिपोर्ट

6309. **श्री अर्जुन सेठी**
श्री अनन्त रामुलु मल्लु } : क्या गृह मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों द्वारा धर्म परिवर्तन के मामले के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार रामानाथपुरम जिले में आदि द्रविडदारों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आदि द्रविडदार कुछ अरब देशों में लाभकारी रोजगार के अवसरों से काफी प्रभावित है जो मुसलिम मजदूरों को प्राथमिकता देते हैं। सम्बन्धित जिला समाहर्ता और पुलिस उप-महा निरीक्षक ने उन कारणों का अध्ययन करने के लिये गांवों का दौरा किया, जिसकी वजह ऐसे धर्म परिवर्तन होते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला प्राधिकारियों ने क्षेत्र में आदि द्रविडदारों की शिकायतों का पता लगाने और ऐसी शिकायतों के समाधान हेतु तुरन्त कार्रवाई करने के लिये एक विशेष अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा समाहर्ता को भी यह निदेश दिया है कि वे स्थिति की गहराई से समीक्षा करने के लिए सभी सम्बन्धित जिला अधिकारियों की पाक्षिक बैठकें आयोजित करें। राज्य सरकार ने यह भी जोर दिया है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराध अविलम्ब दर्ज किए जाने चाहिये और तुरन्त अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिये ताकि दंड दिया जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में 3396 आदि द्रविड़दारों ने इस्लाम धर्म अपनाया।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों के निदेशक मंडल में निदेशकों का नामांकन

6310. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केंद्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशक मंडल में (चैयरमैन सहित) नौ निदेशकों का नामांकन करती है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन केलेन्डर वर्षों अर्थात् 1981, 1982 और 1983 के दौरान समिति के निदेशक मण्डल की कुल कितनी बैठकें हुई; और

(घ) इन बैठकों में से कितनी बैठकों में सभी नौ सरकारी नामांकित निदेशक उपस्थित थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जी हां। सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की उप विधि के उपबन्धों के अनुसरण में इस समिति के निदेशक-मण्डल में निदेशक मण्डल के अध्यक्ष सहित नौ निदेशक नामित करती है ताकि सरकार के समुचित हितों का प्रतिनिधित्व हो सके क्योंकि समिति में अधिकांश पूंजी सरकार की लगी होती है।

(ग) तथा (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	सरकार द्वारा नामित उपस्थित निदेशक
1981	
19 मार्च, 1981	9
18 अगस्त, 1981	9
16 दिसम्बर, 1981	9
30 दिसम्बर, 1981	6
1982	
15 फरवरी, 1982	6
19 मई, 1982	4
2 जुलाई, 1982	6
23 अगस्त, 1982	5
28 दिसम्बर, 1982	4
1983	
7 जनवरी, 1983	6
12 अप्रैल, 1983	6
27 मई, 1983	3
16 जुलाई, 1983	2*
26 नवम्बर, 1983	4*
27 दिसम्बर, 1983	8

*कोरम पूरा न होने के कारण इन बैठकों में कोई कार्य सम्पादन नहीं हो सका क्योंकि समिति की उप-विधि के अनुसार कम से कम 3 चुने हुए निदेशकों को उपस्थित होना चाहिए। 16-7-1983 की बैठक में केवल एक ही चुने हुए निदेशक उपस्थित थे और 26.11.1983 की बैठक में कोई भी चुना हुआ निदेशक उपस्थित नहीं था।

ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान प्रौद्योगिकी लागू करना

6311. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सरकार बहुत देर से ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लागू करती आ रही है। यह कृषि अनुसंधान और विस्तार, खादी और ग्रामोद्योग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला हस्पतालों, उदाहरण के लिए शिक्षा के अन्तर्गत हुआ है। अभी हाल ही में, सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए प्रौद्योगिकी विकास, महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवीकरण ऊर्जा स्रोतों पर प्रदर्शन परियोजनाओं, सामाजिक वानिकी पर कई योजनाएं आरम्भ की हैं और ग्रामीण प्रौद्योगिकी की प्रगति के लिए परिषद् का गठन किया है।

हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा 'अर्थ मूविंग' उपकरणों का निर्माण

6312. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की कीमत पर अमरीका के केटरपिलर के सहयोग से बिड़ला के स्वामित्व वाली हिन्दुस्तान मोटर्स की अर्थ मूविंग के सभी उपकरणों का निर्माण करने वाली परियोजना की स्वीकृति दी है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के एककों का प्रौद्योगिकी आधुनिकतम न बनाने गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त बिरला कम्पनी, लोहिया और बजाज जैसे गैर-सरकारी क्षेत्र को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से मुक्त करने और आधुनिक बनाने पर अधिक ध्यान देने संबंधी सरकार का हाल का निर्णय स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड और अन्य बहुत से सरकारी क्षेत्र के उद्योगों जो इसकी उपेक्षा के कारण डावांडोल स्थिति में हैं, की कीमत पर किस सीमा तक इसकी उद्घोषित नीति के अनुरूप है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड को चुने हुए माडलों के मिट्टी हटाने वाले उपकरणों के लिए मैसर्स टेरेक्स (आई० बी० एच० होल्डिंग) के साथ पहले वाले सहयोग के बदले इसी प्रकार के मिट्टी हटाने वाले उपकरणों के निर्माण हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स केटरपिलर के साथ एक नया सहयोग करने की अनुमति दी गई है। यह सरकारी क्षेत्र की कम्पनी अर्थात् भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की कीमत पर नहीं है जिसका मैसर्स कोमात्सू, जापान और मैसर्स बेबको, यू० एस० ए०, दोनों ही विश्व विख्यात निर्माता, के साथ सहयोग चल रहा है।

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योगों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार उत्सुक है ताकि उपभोक्ताओं के लाभ के लिए वे अपने उत्पादों का उन्नयन कर सकें।

प्रथम से छठी योजना तक खर्च की गई धनराशि

6313. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम से छठी योजना पर अलग-अलग कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) वर्ष 1983-84 के अन्त तक छठी योजना पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना व्यय की प्रगति

(करोड़ रु०)

	वर्तमान मूल्यों पर
प्रथम योजना (1951-56)	1960.0
द्वितीय योजना (1956-61)	4672.0
तृतीय योजना (1961-66)	8576.5
वार्षिक योजना (1966-69)	6625.4
चौथी योजना (1969-74)	15778.8
पांचवीं योजना (1974-79)	39426.2
वार्षिक योजना (1979-80)	12196.5
छठी योजना (1980-85) (परिव्यय)	97500.0
वार्षिक योजना (1980-81) वास्तविक	13832.4*
वार्षिक योजना (1981-82)	18210.9*
वार्षिक योजना (1982-83) (परिशोधित अनुमान)	21356.7*
वार्षिक योजना (1983-84) (योजना परिव्यय)	25480.3

*इसमें प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता शामिल नहीं हैं।

1980-81	191.00 करोड़ रु०
1881-82	162.00 करोड़ रु०
1982-83	372.00 करोड़ रु०

मारुति कारों और वैनों का उत्पादन और लागत

6314. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में मारुति कारों और वैनों के अनुमानित उत्पादन तथा कार और वैन के अनुमानित बिक्री-मूल्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के लिए मारुति उद्योग लि० द्वारा क्रमश: 840,20,000 और 40,000 गाड़ियों का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कम्पनी ने परिवहन प्रभार और स्थानीय करों को छोड़कर कार और नीची छत वाली वैन का कारखाने से निकलते समय का मूल्य 47,500 रु० घोषित किया है जो मार्च, 1985 तक वैध है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सहायक सचिवों, अधीक्षकों और तहसीलदारों के नियमित पदों को तदर्थ आधार पर भरना

6315. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सहायक सचिवों, अधीक्षकों और तहसीलदारों के कितने नियमित पदों को श्रेणी-वार नियमित नियुक्ति की बजाय, तदर्थ आधार पर भरा गया है;

(ख) ऐसी स्थिति में, जब स्पष्टत: नियमित रिक्त पद उपलब्ध हों, उन्हें नियमित नियुक्ति से न भर कर तदर्थ आधार पर भरने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्व विभाग में अधीक्षक, तहसीलदार और पटवारी से लेकर ऐसे अनेक कर्मचारियों को जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक सेवा कर ली हो, स्थायी नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की संख्या क्या है, जिन्होंने तीन वर्षों से अधिक सेवा कर ली है और उन्हें स्थायी नहीं किया गया है; और

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) में सन्दर्भित सरकारी कर्मचारियों की इन श्रेणियों में कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) इस संबंध में अण्डमान व निकोबार प्रशासन से सूचना मांगी गई हैं और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

साल्ट वर्कर्स यूनियन, तूतीकोरिन से प्राप्त ज्ञापन

6316. **श्री ई० बालानन्दन** · क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, साल्ट वर्कर्स यूनियन, तूतीकोरिन (तमिलनाडु) से प्रधान मंत्री को सम्बन्धित, दिनांक 6 मार्च, 1984 का एक ज्ञापन प्राप्त हो गया है;

(ख) उक्त ज्ञापन के मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(ग) इस ज्ञापन में उल्लिखित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 1983 में भारी वर्षा होने के परिणाम स्वरूप तूतीकोरिन में और उसके आसपास के क्षेत्रों में नमक बनाने के कार्य में देरी हो जाने के कारण नमक कामगरों ने बेरोजगार होने के आधार पर वित्तीय सहायता की मांग की है।

(ग) राज्य सरकार प्राकृतिक संकट से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार इसके लिए भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने की पात्र है।

एल्यूमिनियम का आयात

6317. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी एल्यूमिनियम कारखाने काम कर रहे हैं और प्रत्येक परियोजना में एल्यूमीनियम की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि देश की मांग को पूरा करने के लिए एल्यूमिनियम का आयात किया जा रहा है; यदि हां, तो वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक) के दौरान कितनी मात्रा में एल्यूमिनियम का आयात किया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा एल्यूमिनियम कम्प्लैक्स का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, यदि हां, तो उसमें कब तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है; और

(घ) अन्य निर्माणाधीन एल्यूमिनियम परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) देश में एल्यूमिनियम उत्पादकों की प्राथमिक धातु उत्पादन क्षमता निम्नलिखित है :—

उत्पादक कम्पनी	स्थान	क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
सरकारी क्षेत्र		
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०	कोरबा (म० प्र०)	100,000
गैर-सरकारी क्षेत्र		
इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि०	1. एलवाए (केरल)	20,000
	2. हीराकुंड (उड़ीसा)	24,000
	3. बेलगांव (कर्नाटक)	73,000
हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि०	रेणुकूट (उ० प्र०)	120,000
मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लि०	मेत्तूर (तमिलनाडु)	25,000
	कुल	362,000

(ख) एल्यूमिनियम के उत्पादन और मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि०, आयातक एजेंसी, ने एल्यूमिनियम का निम्नलिखित आयात किया :—

1981-82	17,196 टन
1982-83	शून्य
1983-84	30,000 टन (प्राधिकृत)

(ग) और (घ) केवल एक परियोजना अर्थात् नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नाल्को) का एल्यूमिनियम कम्प्लैक्स का निर्माण चल रहा है तथा इसकी 1986-87 में उत्पादन शुरू करने की आशा है।

राजस्थान में पाकिस्तानियों का गैर-कानूनी रूप से रहना

6318. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली पासपोर्ट के आधार पर बारह हजार से अधिक पाकिस्तानी गैर-कानूनी रूप से राजस्थान में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनको न पहचान पाने और कानून का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान दिनांक 10 मार्च, 1984 के जनसत्ता में इस सम्बन्ध से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हां, श्रीमान् जी।

केरल में आदिवासियों की संख्या

6319. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुल कितने आदिवासी लोग हैं;

(ख) सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए 1980-81 के बीच तैयार की गई मुख्य परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) उन परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए केंद्र द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(घ) क्या सारी धनराशि खर्च कर ली गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं और कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में आदिवासी जनसंख्या 2.61 लाख है।

(ख) आदिवासियों के उत्थान के लिए आदिवासी उप-योजना के अधीन पांच एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं अर्थात् पुनालूर, इडुक्की, नीलाम्बुर, मनाटोड्डी और अट्टापडी बनाई गई है। विशेष विकास प्रयासों के लिए चार जनजातियों अर्थात् चोलानायकन (कट्टूनायकन्स का एक वर्ग), काडर, कट्टूनायकन और कुरुम्बस का आदिम जनजाति के रूप में पता लगाया गया है।

(ग) और (घ) आदिवासी उप-योजना के कार्यान्वयन और आदिम जनजाति के विकास के लिए 1980-83 के दौरान राज्य को विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 161.00 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। राज्य सरकार ने पूरी धनराशि के उपयोग किए जाने की सूचना दी है। राज्य को 1983-84 के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 62.51 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं और चूंकि वित्तीय वर्ष अभी समाप्त हुआ है, इसलिए इस अवस्था में उपयोग के आंकड़े देना संभव नहीं है।

(ङ) जनवरी, 1984 तक छठी योजना के दौरान 12084 आदिवासी परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता की गई है ताकि वे गरीबी की रेखा पार कर सकें।

डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली के कल्याण संगठनों को आर्थिक सहायता

6320. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली की कल्याण संगठनों को वर्ष 1983-84 के लिए कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त क्षेत्र के कई संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने हिसाब-किताब के पूरे कागजात पेश नहीं किये हैं जिसके कारण उनको पूरी आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) एक विवरण संलग्न है। (ख) और (ग) जी, हां। इनमें से एक संगठन ने अपना पूरा लेखा पेश नहीं किया और न ही वह इससे संबंधित आपत्तियों को पूरी तरह दूर/परिशोधित कर सका है, जिसके परिणाम-स्वरूप इस संगठन को पूरा सहायता अनुदान नहीं दिया गया था।

विवरण

क्रम संख्या	संगठन का नाम	वर्ष 1983-84 के लिए मंजूर की गई सहायता अनुदान की राशि
1	2	3
1.	केंद्रीय सरकारी आवासीय कल्याण संगठन बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली	रु० 1290/-
2.	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण संगठन (मकान नं० 896 से 1090) बाबा खड्ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली	रु० 1170/-
3.	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण संगठन डी० आई० जैड० एरिया सैक्टर-4, बंगला साहिब मार्ग, नई दिल्ली	रु० 430/-
4.	चित्र गुप्त फ्लैट्स (एक्स० वाई० जैड०) आवासीय संगठन, नई दिल्ली	रु० 625/-
5.	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण संगठन क्लाइव स्क्वेयर तथा इसके साथ के स्क्वेयर, नई दिल्ली	रु० 1145/- (किराए में दी जाने वाली सहायता भी शामिल है)
6.	क्लाइव स्क्वेयर, सुधार समिति "के" ब्लाक (टाइप-I) रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	रु० 200/-
7.	गोल मार्किट, सैक्टर "डी" (टाइप-iii) आवासीय कल्याण संगठन, डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली	रु० 290/-
8.	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण संगठन "सी" डी० आई० जैड० एरिया (ऐल्बर्ट स्क्वेयर) रामकृष्ण आश्रम मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली	रु० 1290/-
9.	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण संगठन (बी टाइप) (जे ब्लाक) मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली	रु० 1175/-

1	2	3
10.	मन्दिर मार्ग, सेक्टर "डी" (टाइप-2) आवासीय कल्याण संगठन, नई दिल्ली	रु० 576/-
11.	काली बाड़ी मार्ग, केंद्रीय कर्मचारी एच० ब्लाक (टाइप-I क्वाटर्स) कल्याण समिति, नई दिल्ली	रु० 740/-
12.	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण संगठन, काली बाड़ी अपार्टमैंट, उद्यान मार्ग, नई दिल्ली	रु० 100/-
13.	चतुर्थ श्रेणी कल्याण समिति, (टाइप-I क्वाटर्स) डबल स्टोरी, पंचकुईया रोड, नई दिल्ली	रु० 1710/-

ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमान में संशोधन

6321. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायाधीश एच० एन० कपूर की अध्यक्षता में गठित विवाचन बोर्ड ने सर्वे आफ इण्डिया में ड्राफ्ट्समैन डिवीजन-सी (चयन ग्रेड) के वेतनमान में संशोधन करके उसे 550-900 करने और 1 जनवरी, 1973 से सांकेतिक आधार पर वेतन निश्चित करने का निर्णय दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय को अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) जी, हां।

(ख) इस पंचाट को अभी लागू नहीं किया गया है क्योंकि इसकी सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।

मध्य प्रदेश में गरीबी को समाप्त करने तथा 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु परिव्यय

6322. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गरीबी को समाप्त करने तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) कार्यक्रम के अपेक्षित लक्ष्य क्या हैं और तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम राज्य योजना का एक अभिन्न अंग है। अत: 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए अलग से परिव्ययों की व्यवस्था नहीं की जाती है। लेकिन कार्यक्रम के लिए परिव्यय राज्य योजना से प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष 1983-84 के लिए मध्य प्रदेश योजना में 708.86 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था किए जाने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से 84.48 करोड़ रु० एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों जसे गरीबी दूर करने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के लिए हैं।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के लिए लक्ष्य

सूत्र संख्या	विषय	इकाई	लक्ष्य
1.	(क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन	000 हेक्टेर लक्ष्य	180
2.	(क) दालों का उत्पादन	हजार टन	2395.0
	(ख) तिलहनों का उत्पादन	हजार टन	1,050
3.	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार	संख्या	2,75,400
	(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित किया गया रोजगार	हजार श्रम-दिवस	25,200
4.	वेशी भूमि का वितरण	एकड़	15,000
5.	पुनर्वासित किए जाने वाले बंधुआ परिवार	संख्या	250
6.	सहायता दिए जाने वाले परिवार		
	(क) अनुसूचित जातियां	संख्या	1,96,000
	(ख) अनुसूचित जनजातियां	संख्या	1,96,000
7.	पेय जल—शामिल किए जाने वाले समस्या वाले गांव	संख्या	6,000
8.	(क) आवंटित की जाने वाली मकान बनाने की जगहें	संख्या	50,000
	(ख) निर्माण सहायता	संख्या	40,000
9.	(क) शामिल की जाने वाली गंदी बस्तियों की जनसंख्या	संख्या	82,200
	(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान	संख्या	6,000
10.	ग्रामीण विद्युतीकरण		
	(क) बिजली लगाए गए गांव	संख्या	3,333
	(ख) बिजली चालित किए गए पंपसैट	संख्या	32,270

1	2	3	4
11.	(क) लगाए गए पेड़	लाख संख्या	2,870
	(ख) स्थापित किए गए बायो-गैस संयंत्र (राष्ट्रीय परियोजना)	संख्या	5,000*
12.	नसबंदियां	संख्या	5,22,000
13.	(क) स्थापित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	5
	(ख) स्थापित किए गए उप-केंद्र	संख्या	248
14.	स्थापित किए गए एकीकृत सामुदायिक विकास स्कीम खण्ड	संख्या	14
15.	(क) 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन	हजार संख्या	502
	(ख) शिक्षित किए जाने वाले प्रौढ़	हजार संख्या	500
16.	खोली गई उचित दर की दुकानें	संख्या	1,092
17.	स्थापित किए गए लघु इकाई यूनिट	संख्या	15,880

*इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग का 2000 का लक्ष्य शामिल है।

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड के प्रबंध में सुधार

6323. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड कलकत्ता ने अपने प्रबन्ध, उत्पादन और उत्पादकता, उचित कार्याविधि में कार्यान्वयन के लिए जनशक्ति आयोजना और संयंत्रों तथा उनके उत्पाद मिश्रण के नवीकरण और अद्यतन करने में सुधार के लिए कोई दीर्घावधि और अल्पावधि निगमित योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर में एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

मैं० भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०, कलकत्ता ने संयंत्र के नवीकरण, प्रौद्योगिकी अद्यतन तथा उत्पादन के तरीकों में सुधार लाने का कार्य शुरू कर दिया है। विविधीकरण-उत्पादों जैसे कि एल० पी० जी० सिलिंडरों, औद्योगिक वाल्वों, स्लेक एडजस्टरों तथा एयर-ब्रेकों का परीक्षण-उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है। फिर भी, इन वस्तुओं का पूर्णरूपेण उत्पादन 1984-85 में शुरू होने की सम्भावना है। अपने कार्यों में सुधार लाने के लिये कम्पनी ने अल्प-कालिक तथा दीर्घ-कालिक योजनाएं बनाई हैं। अल्पकालिक योजनाओं में उत्पादन की बढ़ोतरी में उच्च दर प्राप्त करना, क्षमता का बेहतर उपयोग

करना, रख-रखाव की वर्तमान प्रणाली को सुदृढ़ करना, बिक्री तथा विपणन के क्षेत्रों को सुदृढ़ करना तथा उत्पादकता में सुधार लाना शामिल है।

कम्पनी की योजना में दीर्घ-अवधि उपायों में उत्पादन बढ़ाना कम योगदान वाले वर्तमान उत्पादों में धीरे-धीरे प्रतिस्थापन करके उच्च योगदान वाले उत्पादों को लाना, संयंत्र का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी अद्यतन शामिल हैं।

सामाजिक/आर्थिक संगठन चलाने में आदिवासियों को शामिल करना

6324. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासियों को विभिन्न सामाजिक/आर्थिक संगठनों के संचालन में शामिल करके उनके हितों की रक्षा तथा उनके जीवन को नष्ट होने से बचाने के लिए कोई उपाय करेगी; और

(ख) क्या सरकार, जनजातीय समुदायों की सहायता करने और ऊपर उठाने के इस कार्य में और अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं को शामिल करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) देश में जनजाति क्षेत्रों में कल्याण कार्य में शामिल विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से अपनी गतिविधियों में अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को सम्मिलित करने की उम्मीद की जाती है।

(ख) सरकार की हमेशा जनजाति कल्याण कार्य में अधिक से अधिक स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने की कोशिश रही है। 1982-83 में 18 स्वयंसेवी संगठनों की तुलना में 1983-84 के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को सहायतानुदान दिया गया है, उनकी संख्या 23 थी।

मै० इण्डियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स फैक्ट्री के बेकार हुए श्रमिक

6325. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत 18 सितम्बर, 1972 को मैसर्स इण्डियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था और उसका प्रबन्ध भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है;

(ख) क्या 1 नवम्बर, 1983 को कम्पनी अनधिसूचित किये जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी के 600 कर्मचारी बेकार हो गये हैं और उनके भूखों मरने की नौबत आ गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन बेकार हुये 600 कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मै० इण्डियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स लि० के औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध का अभिग्रहण 18 सितम्बर, 1972 को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन किया गया था। आरम्भ में इसका प्रबन्ध एक प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जा रहा था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की नियुक्ति प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में 26 अगस्त, 1977 से की गई थी।

(ख) तथा (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस उपक्रम का प्रबंध 31.10.1983 से बंद कर दिया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति किये गए अस्थायी सरकारी परिसमापक ने उपक्रम का प्रबंध हाथ में ले लिया है जो इस उपक्रम के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता दिए जाने के बावजूद भी यह उपक्रम घाटे में ही चलता रहा। इस उपक्रम के जीव्य हो पाने की कोई युक्तिसंगत संभावनाएं नहीं थी। ऐसे एकक का प्रबंध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अनिश्चित काल तक के लिए जारी नहीं रखा जा सकता।

गृह मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिकों की सहायकों के रूप में पदोन्नति

6326. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/83-सी एम-II (ii) दिनांक 29 दिसम्बर, 1983 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/83-सी एम-II (i) के अनुसार, उन उच्च श्रेणी लिपिकों की, जो 1983 के दौरान उस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, पदोन्नत करने तथा उन्हें वर्ष 1980 तक के लिए चयन सूचियों में शामिल करने के अनुरोध पहले ही जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय ने अपने यहां पात्र उच्च श्रेणी लिपिकों को पदोन्नत कर दिया है, और उन्हें उक्त अनुदेशों के अन्तर्गत 29 दिसम्बर, 1983 से दीर्घविधि आधार पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक ग्रेड हेतु वर्ष 1980 तक के लिए चयन सूचियों में शामिल कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के उच्च श्रेणी वर्ग के कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले अधिकारी ही सहायक ग्रेड में अस्थायी आधार पर पदोन्नति के पात्र हैं। कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 29-12-83 के का० ज्ञा० सं० 5/7/83-सी एस-II (i) में पात्रता की इस शर्त में दी गई ढील इस प्रकार थी :—

1983 में होने वाली रिक्तियों के लिए

केंद्रीय सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड के तीन वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले अधिकारी।

1984 में होने वाली रिक्तियों के लिए

केंद्रीय सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड के चार वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले अधिकारी।

2. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपने 29-12-83 के का० ज्ञा० सं० 5/7/83-सी एस-II (ii) में सहायक ग्रेड की चयन सूची में शामिल करने और उस ग्रेड में अस्थायी आधार पर पदोन्नति के लिए जोन निर्धारित किये, जो इस प्रकार हैं :—

(1) चयन सूची के लिए जोन

(क) सामान्य रिक्तियों के लिए	—	पहले चयन सूची में शामिल उच्च श्रेणी लिपिक और चयन सूची के वर्ष 1972 तक के उच्च श्रेणी लिपिक।
(ख) अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिए	—	—वही—
(ग) अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिए	—	1979 तक चयन सूची में शामिल किये गये सभी उच्च श्रेणी लिपिक।

(2) अस्थायी पदोन्नति करने के लिए जोन

सामान्य तथा आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए	—	पहले जोन में शामिल किये गये उच्च श्रेणी लिपिक और 1980 तक चयन सूची में शामिल किये गये सभी उच्च श्रेणी लिपिक

3. पात्रता की शर्त में दी गई ढील के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र सभी उच्च श्रेणी लिपिकों को गृह मंत्रालय में उपलब्ध रिक्तियों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया गया है और उन्हें प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने पर उस तारीख से दीर्घकालीन अवधि के आधार पर नियुक्त कर दिया जायेगा, जिस तारीख अर्थात् 29-12-83 को अस्थायी पदोन्नति के लिए जोन निर्धारित किया गया है।

गैर-सरकारी गुप्तचर तथा सुरक्षा गार्ड विधेयक, 1983
नाम के प्रारूप विधेयक का परिचालन

6327. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा "गैर-सरकारी गुप्तचर तथा सुरक्षा गार्ड विधेयक 1981" नाम के प्रारूप विधेयक को विभिन्न राज्य सरकारों को, उनके विचार जानने के लिए परिचालित किया गया था;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों से प्राप्त की गई सिफारिशों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

घ) वे कौन-कौन सी राज्य सरकारें हैं जो प्रारूप विधेयक के समान विधान बनाने को सहमत हो गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) गैर-सरकारी तथा सुरक्षा गार्ड विधेयक 1983 नामक विधान का प्रारूप सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किया गया था। एक राज्य सरकार और पांच संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं।

कृषि विकास

6328. **श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या योजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सुझाव दिए हैं कि कृषि क्षेत्र के विकास, जिस पर कि सरकार गौरव अनुभव करती है केवल देश के कुछ भागों तक ही सीमित है और शेष भाग जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र जहां आबादी का अधिकांश हिस्सा रहता है, में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है; और

(ख) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र में सम्पत्ति के अधिकारों को बदले बिना तथा किसानों को अन्य सुविधाएं दिये बिना कोई प्रगति संभव नहीं है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) संभवत : प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। यद्यपि उत्पादकता में वृद्धि करने और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने के लिए चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने पर बल दिया गया है फिर भी परिषद ने यह बताया है कि उपज में जो वृद्धियां हुई हैं वे अधिकांशत: देश के सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित हैं और इसलिए विशेष रूप से, पूर्वी क्षेत्र में चावल के उत्पादन में और अधिक तीव्रगति से वृद्धि करना नितान्त आवश्यक है।

(ख) चावल के उत्पादन संबंधी उपर्युक्त विशेष कार्यक्रम तैयार करने के संदर्भ में, आर्थिक सलाहकार परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि कार्यक्रम को केवल तकनीकी आर्थिक मामलों तक सीमित न रखा जाए बल्कि वह इस प्रकार तैयार किया जाए ताकि जोतों की चकबंदी और संगठनात्मक प्रबंधों सहित किराएदारी (काश्तकारी) में सुधार जैसे संवृद्धि पर सामाजिक-आर्थिक प्रतिबंधों से निपटने के लिए उपायों को भी इसमें समाविष्ट किया जा सके।

भारतीय आदमी जाति सेवक संघ के कार्यकारी निकाय में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व

6329. **श्री बलबीर सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के कार्यकारी निकाय में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है और क्या यह पर्याप्त है; और

(ख) क्या सरकार उनका न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करेगी ताकि जो लोग आदिवासी समस्याओं को समझते हैं वे धनराशि का उपयोग उनके कल्याण के लिए कर सकें ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की कार्यकारी समिति के 21 सदस्यों में से 8 अनुसूचित जनजातियों के हैं। आदिवासियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त प्रतीत होता है।

(ख) सरकार से सहायतानुदान प्राप्त कर रहे स्वयं सेवी संगठनों से आशा की जाती है कि वे अपनी गतिविधियों में, जहां तक संभव हो, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सम्बद्ध रखें, परन्तु यह निर्धारित करना सरकार के लिए कठिन है कि उनकी प्रबंध परिषदों में एक विशेष प्रतिशत में उनका प्रतिनिधित्व हो।

बचतों के संबंध में कार्य दल की रिपोर्ट

6330. **श्री के० राममूर्ति : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बचतों के संबंध में कार्य दल की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस कार्य दल की रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक की मार्च, 1983 में हुई गोष्ठी में दिए गए मुख्य सुझावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) बचत विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों का सम्बन्ध निम्नलिखित तथ्यों से है—(1) कृषक परिवारों, गैर निगमित उद्यमों और वास्तविक परिवारों के लिए अलग-अलग पूंजी निर्माण तथा बचत के आकलन की आवश्यकता, (2) मूल्य-ह्रास के लिए प्रावधान की प्रणाली में सुधार, (3) माल-सूची में पूजी-निवेश के आकलन में सुधार, (4) जिसे प्रायः समानान्तर अर्थ-व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया गया है उसके विस्तार क्षेत्र को समझने के लिए अध्ययन प्रारम्भ करने की आवश्यकता, (5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कम्पनियों की वित्त-व्यवस्था के अध्ययनों के सीमा-क्षेत्र तथा प्रतिचयन कार्यविधियों में सुधार, (6) क्षेत्रीय स्तर पर पूंजी-निर्माण तथा बचतों के अनुमान तैयार करने के लिए गठित क्षेत्रीय लेखा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता और (7) इस बात को सुनिश्चित करना कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित अनुमान त्रुटिपूर्ण नहीं हैं।

कार्यकारी दल की विस्तृत सिफारिशों की राष्ट्रीय आय के लिए आंकड़ों के संग्रहण तथा राष्ट्रीय लेखा के संकलन एवं विश्लेषण सम्बन्ध सलाहकार समितियों द्वारा उनकी ग्यारहवीं संयुक्त बैठक में जांच की गई है और सलाहकार समितियों द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) विचार गोष्ठी में बचत सम्बन्धी कार्यकारी दल की प्रमुख सिफारिशों का समर्थन किया गया। उसके बारे में की गई कार्यवाही उपर्युक्त (क) में इंगित की गई है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा कम्प्यूटरों का आयात

6331. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का विचार अमरीका से कुछ आधुनिकतम कम्प्यूटरों को आयात करने का है;

(ख) क्या अमरीका के वाणिज्य विभाग ने इस सौदे के क्रियान्वयन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं;

(ग) यदि हां, तो अमरीका के वाणिज्य विभाग ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के सामने क्या शर्तें रखी हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) अमरीका के वाणिज्य विभाग ने निर्यात लाइसेंस अभी जारी नहीं किया है। इन कम्प्यूटरों के आयात के सम्बन्ध में यह बताने वाले परम्परागत विवरण दिए जा चुके हैं कि कम्प्यूटर मिलने पर उनका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा।

(घ) यदि अमरीका ने सप्लाई नहीं की तो कम्प्यूटरों के वैकल्पिक सप्लायरों का पता लगाया जाएगा।

राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के प्रति दिखाई गई अवमानना

6332. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के प्रति अवमानना दिखाई गई है और इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है;, और

(ख) इस प्रकार के अपराधों के लिए सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय में लंबित मामले

6333. **श्री डूंगर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्यालय में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा बार-बार अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने के बाद भी सम्बन्धित विभागों पर संगठनों ने शिकायतों का निबटारा नहीं किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय में ऐसे दो मामले लम्बित हैं।

घटिया किस्म की एम्बेसेडर कार

6334. **श्री अनादि चरण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा निर्मित डीजल से चलने वाली एम्बेसेडर कार घटिया किस्म की है जिसमें कई दोष हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार डीजल ऐम्बेसेडर कारों के मालिकों को जिन्होंने उन्हें खरीदा है, मुआवजा देने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) हिन्दुतान मोटर्स द्वारा बनाई गई डीजल कारों के सन्तोषजनक कार्य न करने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आये हैं।

(ख) यह मामला निर्माताओं के पास भेजा गया था, जिन्होंने यह बताया है कि ये खराबियां मुख्य रूप से उपयोक्ताओं द्वारा उचित रखरखाव न होने के कारण कुछ कारों में पैदा हुई हैं। फिर भी, कुछ मामलों में, कम्पनी ने अपनी ख्याति को ध्यान में रखते हुये इन खराबियों को दूर करने की कार्यवाही की है।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली में नए व्यापारियों का बड़ी संख्या में आना

6335. **एस० ए० बोराई सेबस्तियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र में बिक्रीकर सबसे कम होने के कारण दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में नये व्यापारी आ जाते हैं; और

(ख) दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में नये व्यापारियों के आने को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) संविधान के अधीन बिक्रीकर लगाना राज्य का विषय है। बिक्रीकर की दरें प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं। ये दरें आर्थिक स्थिति, संसाधनों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता तथा स्थिति-विशेष आदि की आवश्यकता पर निर्भर करती है। दिल्ली प्रशासन के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कुछ वस्तुओं की बिक्रीकर की दरें पड़ोस के राज्यों में इन दरों के मुकाबले थोड़ी कम हैं और कुछ वस्तुओं की दरें थोड़ी ज्यादा हैं। ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि विभिन्न वस्तुओं की बिक्रीकर की दरों में असमानता के कारण पड़ौस के राज्यों से व्यापार को बढ़ावा देने वाले लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में आने लगे हैं। इस तरह, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने को रोकने के वास्ते कोई कारंवाई किए जाने का प्रस्ताव होने का सवाल पैदा नहीं होता।

एल्युमिनियम नियंत्रण के वितरण सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन

6336. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र में प्रारंभिक एल्यूमिनियम उत्पादक, एल्यूमिनियम नियन्त्रण के वितरण सम्बन्धी मानदण्डों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन कर रहे है ("इकनोमिक टाइम्स", 23 फरवरी 1984 के अनुसार);

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को इस मामले में अब तक कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) 1983-84 में ई०सी० ग्रेड एल्यूमिनियम का उत्पादन प्रत्याशित स्तर तक नहीं हुआ है जिसके आधार पर आबंटन किया गया था, इसलिए 1983-84 में केबुल और कन्डक्टर निर्माताओं को ई०सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के आबंटन के विरुद्ध कुछ पूर्ति बकाया रह गई और असन्तुलन हुआ है। 1981-82 और 1982-83 में माल की भरमार की स्थिति थी जो 1983-84 के शुरू तक बनी रही जबकि आवंटियों ने आबंटनों के अनुसार धातु नहीं उठाई, अतिरिक्त धातु का आबंटन नियमों के अनुसार राज्य विद्युत प्राधिकरणों के नामितों को अतिरिक्त बिजली हेतु एवं टकसाल और आर्डिनेंस फैक्टरियों की जरूरतों के बदले दी जाती है, ये कुछ अन्य कारण इस असन्तुलन के जिम्मेदार हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में अलग-अलग आबंटियों से तथा केबुल और कन्डक्टर निर्माताओं की एसोसिएशनों से अभ्यावेदन और शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उत्पादकों को समय-समय पर निदेश दिया गया है कि बकाया माल की पूर्ति करें और असन्तुलन को ठीक करें।

संस्थानों को प्राप्त विदेशी धन

6337. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री हन्नान मोल्लाह } : क्या गृह मंत्री संस्थाओं को प्राप्त विदेशी धन के बारे में 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 251 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान देश की विभिन्न संस्थाओं तथा ए.-सियों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) इन वर्षों में एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक धनराशि प्राप्त करने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) विदेशों से प्राप्त हुई धनराशि का देशवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सूचना को अभी संगणकीकृत किया जा रहा है और वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदान की विवरणियों का संगणकीकरण होने के पश्चात ही परिणाम उपलब्ध होंगे।

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उद्योग और भारी उद्योगों की स्थापना

6338. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उद्योग तथा दूसरे भारी उद्योगों की स्थापना हेतु पिछले तीन वर्षों में कितने लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे कितने लाइसेंस दिये गये हैं जिन पर गत छः वर्षों के दौरान कोई काम शुरू नहीं किया गया है तथा इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत वर्ष 1981 से 1983 के दौरान हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित उद्योगों अर्थात् धातुकार्मिक उद्योगों, खाद्य उत्पादों, सीमेंट, कागज, रसायनों और वनस्पति से सम्बन्धित वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योगों की स्थापना हेतु 12 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे।

(ख) कोई भी औद्योगिक लाइसेंस दो वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है और तर्कसंगत कारण होने पर, एक-एक वर्ष के लिए दो बार अवधि को बढ़ाने की अनुमति भी दी जाती है। किसी भी औद्योगिक परियोजना को सामान्यतः फलित होने में लगभग तीन से चार वर्ष का समय लगता है। फिर भी प्रारम्भिक अवधि प्रत्येक उद्योग के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं। पिछले छः वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों में से किसी को भी रद्द नहीं किया गया है।

पांचवीं अनुसूचि के क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय परिषद का गठन

6339. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् की भांति पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों के लिये केंद्रीय परिषद् के गठन के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परिषद् का गठन कब तक किये जाने की आशा है;

(ग) पूर्वोत्तर परिषद् की शक्तियां, कृत्यों तथा संरचना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा परिषद् के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिये भी यही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) यह महसूस किया जाता है कि किसी वैकल्पिक प्रणाली को अपनाने से पूर्व जनजाति उप-योजना नीति का उचित परीक्षण किया जाना चाहिए यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर पूर्वी परिषद् के नमूने पर परिषद् के गठन सहित किसी वैकल्पिक नीति अपनाने पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

(ग) उत्तर पूर्वी परिषद् आवश्यक रूप से एक परामर्श दात्री निकाय है। इस समय उत्तर पूर्वी परिषद् के सदस्य असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के राज्यपाल/उप-राज्यपाल/मुख्यमंत्री है। परिषद् का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का सन्तुलित विकास करना है और उसे संयुक्त महत्व के विषयों पर उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिये एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। उत्तर पूर्वी परिषद् अधिनियम में परिषद् के कार्य निर्धारित किये गये हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा यह निर्धारित किया गया है कि परिषद् आर्थिक सामाजिक योजना, अन्तर्राज्यीय परिवहन और संचार सम्बन्धी मामले और संयुक्त हित की विद्युत और बाढ़ नियंत्रण परियोजना से सम्बंधित मामलों और संयुक्त हित की विद्युत और बाढ़ नियन्त्रण परियोजना से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श करेगी और सिफारिशें करेगी।

(घ) और (ङ) स्थिति भाग (क) और (ख) के उत्तर में स्पष्ट को गई है।

हिंदुस्तान फोटो फिल्मस कम्पनी की क्षमता और उत्पादन

6340. **श्री आर० प्रभु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०, ऊटी की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता क्या है और पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान श्वेत श्याम सिने फिल्मों का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) अगले पांच वर्ष के दौरान श्वेत श्याम फिल्मों की अनुमानत: कितनी मांग होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैनयुफैक्चरिंग कम्पनी लि०, ऊटी में पिछले वर्षों के दौरान ब्लैक एण्ड व्हाइट सिने फिल्मों का उत्पादन और उसकी विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता निम्नलिखित है :—

उत्पादन	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन		
		1980-81	1981-82	1982-83
			(लाख वर्ग मी०)	
सिने पाजिटिव (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	22.06	15.03	12.71	12.99
सिने फिल्म साउण्ड	5.27	4.10	4.96	4.01

(ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० द्वारा एक परामर्शदाता के माध्यम से वर्ष 1982 में किए गये बाजार सर्वेक्षण के आधार पर सिने फिल्म (ब्लैक एण्ड व्हाइट) पाजिटिव और सिने फिल्म साउण्ड की वर्ष 1987-88 तक अनुमानित मांग क्रमश: 15.91 लाख वर्ग मीटर और 5.06 लाख वर्ग मीटर होगी।

अलौह धातुओं का उत्पादन लक्ष्य और उत्पादन

6341. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान अलौह धातुओं के उत्पादन का लक्ष्य क्या था और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) माननीय सदस्य का आशय सम्भवत: 1982-83 के उत्पादन लक्ष्यों और लब्धियों से है, जो निम्नलिखित हैं :

1982-83

	लक्ष्य	लब्धि
एल्यूमिनियम (टन)	250,000	208,146
ब्लिस्टर तांबा (टन)	34,000	34,634
जस्ता (टन)	72,000	51,970
सीसा (माध्यमिक सहित) (टन)	27,000	22,895
स्वर्ण (कि०ग्रा०)	2,414	2,124

(ख) एल्यूमिनियम, तांबा और जस्ता के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा पर्याप्त विद्युत न मिलने की थी। सरकार ने खान विभाग के अन्तर्गत कुछ सरकारी उपक्रमों भारत एल्यूमिनियम कम्पनी, हिंदुस्तान कापर लि० तथा हिन्दुस्तान जिंक लि० में ग्रहीत बिजलीघर की स्थापना की कार्रवाई शुरू कर दी है।

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० की उड़ीसा में बन रही परियोजना का भी एक ग्रहीत बिजलीघर होगा।

स्वर्ण उत्पादन में कमी खानों में अयस्क के ग्रेड में गिरावट के कारण हुई उत्पादन में वृद्धि हेतु भारत गोल्ड माइन्स लि० ने नए अयस्क स्रोतों यथा आंध्र प्रदेश में रामगिरि स्वर्ण क्षेत्र की येप्पामाना खान, और चित्तूर जिले के निकट चिगारगुन्टा खान को उत्पादन लाइन में लाने और मिल से निकले पुराने अपशिष्ट ढेरों के समूह प्रक्षालन तथा संपींडन द्वारा स्वर्ण निकासी के उपाय किए गए हैं।

खान विभाग के सरकारी उपक्रमों के निष्पादन की सभी सरकारी उद्यमों तथा राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों के 16.7.83 को हुए सम्मेलन में समीक्षा की गई जिसमें प्रत्येक उद्यम ने 1983-84 और बाद के 4 वर्षों के लिए अपनी कार्रवाई योजना प्रस्तुत की थी। प्रत्येक सरकारी उद्यम ने 1983-84 के दौरान उच्च क्षमता उपयोगिता प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया ताकि सरकार द्वारा स्वीकृत कार्रवाई योजना को पूरा किया जा सके। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकों के द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का 1983-84 में एल्यूमिनिमय, जस्ता, सीसा, तांबा उत्पादन और खनिज विदोहन 1982-83 से अधिक होने की आशा है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण

6342. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान है;

(ख) उन्हें हिन्दी शिक्षण देने के लिये इस समय क्या व्यवस्था है, क्या क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं, और इस क्षेत्र में अब तक किए गए कार्य का मूल्यांकन क्या है; और

(ग) क्या सभी कर्मचारियों के हिन्दी सीखने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) मंत्रालयों/विभागों में 29440 कार्यरत कर्मचारियों में से 25176 कर्मचारियों को हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है ।

(ख) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत देशभर में विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे अंशकालिक/पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर (हिंदी/प्रबोध, प्रणवी तथा प्राज्ञ) और हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि की प्रशिक्षण कक्षाएं चलाई जाती हैं । सफल प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न प्रोत्साहन जिसमें अग्रिम वेतन वृद्धि तथा नकद पुरस्कार शामिल हैं, नियमानुसार दिये जाते हैं अब तक 4,90,938, कर्मचारियों को हिंदी में तथा 10,458 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण किया जा चुका है ।

(ग) कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित नहीं है ।

छोटी लड़कियों को वेश्यावृत्ति अपनाने के लिये मजबूर किया जाना

6343. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 से 13 वर्ष की छोटी-छोटी लड़कियों को वेश्यावृत्ति अपनाने के लिये मजबूर किया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसी कितनी लड़कियों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी और इस प्रकार के जघन्य अपराधों के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस को न तो किसी ऐसे मामले का पता लगा है और न ही किसी ऐसे मामले की उनको सूचना दी गई है ।

(ग) तथा (घ) ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए बार-बार छापे मारे जाते हैं और बड़ी निगरानी रखी जाती है । जब कभी ऐसा कोई मामला ध्यान में आता है तो अपराधियों को पकड़ने और लड़कियों का बचाव करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

केरल वासी स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र

6344. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से पेंशन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने मामलों को निपटा दिया गया है; और

(ग) बकाया आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केरल से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 29,999 हैं ।

(ख) 29.2.84 तक 16,302 मामलों का निपटान किया गया है।

(ग) आवेदन पत्रों को यथा शीघ्र निपटान के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। सभी लम्बित आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए कोई निश्चित तिथि बताना सच नहीं है क्योंकि मामलों को राज्य सरकारों से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप से लिया जाना है।

बिहार के गया जिले के स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन दिया जाना

6345. **श्री सूरज भान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 31 जुलाई, 1981 तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा पेंशन दिए जाने के लिए अकेले गया जिले से 12,633 आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने, स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन देने से सम्बन्धित मामलों पर जल्द निर्णय देने के लिये 6 मई, 1982 से पूर्व कई उपाय किए थे;

(ग) क्या सरकार स्वतंत्रता सैनानियों के पेंशन सम्बन्धी दावों पर निर्णय करते समय इस बात का ध्यान है कि आवेदकों की आय काफी अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो गया जिले के उन स्वतंत्रता सेनानियों का विवरण क्या है जिनके आवेदन 31 जुलाई, 1981 तक प्राप्त हुए, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान पेंशन दी गई; और बाकी के आवेदनों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) उदार बनाई गई पेंशन योजना, 1980 के अधीन गया जिससे 3.3.82 तक जो आवेदनपत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख थी, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या 2495 है।

(ख) सम्मान पेंशन के लिये आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) गृह मन्त्रालय अनुदेशों पर राज्य सरकारों ने आवेदन पत्रों को निपटाने के लिये विशेष कक्ष स्थापित किये हैं।

(2) राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार की सलाह पर दावों के सत्यापन और समीक्षा हेतु सलाह देने के लिए जिला/राज्य स्तर पर समितियां गठित की हैं।

(3) सरकार ने भी सम्मान पेंशन-योजना के कार्यान्वियन में बड़ी समस्याओं पर विचार करने और सरकार को सलाह देने के लिये केंद्रीय स्तर पर एक गैर-सरकारी सलाहकार समिति गठित की हैं।

(ग) और (घ) पेंशन प्रायः सम्बंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत की जाती है। परन्तु प्रमुख मामलों में जहां स्वतंत्रता सेनानी बहुत वृद्ध होता है और उसने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान यातना के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत कर दिये हैं राज्य सरकार की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक अनन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृत की जाती है। ऐसे मामलों का कोई तारीखवार रिकार्ड नहीं रखा गया है।

राज्यों के बीच असंतुलन को कम करना

6347. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान पिछड़े और विकसित क्षेत्रों के बीच व्याप्त परस्पर असन्तुलन को कम करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ख) क्या बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति पर निगरानी रखने तथा उसके तेजी से कार्यान्वियन के लिये सुझाव देने हेतु गठित की गई समितियों और अन्य निकायों के साथ विधायकों को संबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी योजना अवधि में क्षेत्रीय असन्तुलनों की समस्या विभिन्न उपायों द्वारा दूर की जानी है। केंद्रीय स्तर पर निम्नलिखित नीतियां और कार्यक्रम अपनाए गए हैं :—

(1) संसाधन स्थानान्तरण जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में है;

(2) विशिष्ट पिछड़े/समस्या वाले क्षेत्रों के लिये विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम;

(3) पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश संवर्धन के लिए प्रोत्साहन उपाय।

(ख) जी, हां। संसद सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य जिला और खंड स्तरों पर 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्थापित की गई प्रबोधन समितियों से सम्बद्ध हैं।

शुद्ध जल सुनिश्चित करने के लिये निगरानी केंद्र

6348. **श्री ईरा अनबारासु** :क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये स्थापित किये गये 120 निगरानी केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 120 और स्थापित किए जाने वाले निगरानी केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वायु की शुद्धता की निगरानी रखने वाले 120 केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या साधन विनियोग विकास कक्ष और पर्यावरण निगरानी संगठन की स्थापना की गई है और यदि हां, तो गतत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री विग्विजय सिंह) : (क) से (ग) पानी की गुणवत्ता के प्रबोधन के लिए स्थापित किये गये और स्थापित किए जाने वाले स्टेशनों की संख्या क्रमश: 120 और 140 है। वायु की गुणवत्ता के प्रबोधन के लिए विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये स्टेशनों की संख्या 68 है। राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

विवरण

राज्य का नाम	जल गुणवत्ता के प्रबोधन केन्द्र (स्टेशन)		वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों की स्थापना	
	पहले ही स्थापित किए गए	स्थापित किए जाने वाले	नीरी द्वारा	केन्द्रीय बोर्ड द्वारा
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	8	10	3	—
असम	3	15*	—	—

1	2	3	4	5
बिहार	13	25*	—	—
गुजरात	7	10	3	3
हरियाणा	4	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	10	—	—
कर्नाटक	6	10	—	—
केरल	7	10	3	—
मध्य प्रदेश	7	10	—	—
महाराष्ट्र	3	10	6	—
तमिल नाडु	1	10	3	—
उत्तर प्रदेश	28	—	7	10
पश्चिम बंगाल	9	15*	6	8
पंजाब	—	5*	—	—
राजस्थान	—	—	3	5
संघ शासित प्रदेश				
दिल्ली	4	—	3	5
गोवा	8	—	—	—
दादरा नागर हवेली	12	—	—	—
कुल	120	140	37	31

टिप्पणी *अनन्तिम आंकड़े प्रदर्शित करता है।

जेलों में कैदियों को दूरदर्शन की सुविधा

6349. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेलों में कैदियों को दूरदर्शन कार्यक्रम देखने की सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी कैदियों को कुछ सुविधाएं दी हैं : और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान। "जेल" राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) मामले में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. गुजरात	केन्द्रीय जेल अहमदाबाद में एक टेलीविजन सैट स्थापित किया गया है।
2. हिमाचल प्रदेश	जेलों में कैदियों को टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।
3. कर्नाटक	खुली जेल कारोमंगला में एक ब्लैक एण्ड व्हाईट टेलीविजन सैट उपलब्ध कराया गया है क्योंकि खुली जेल में कैदियों के लिए अन्य मनोरंजन की सुविधाएं नहीं हैं। अन्य जेलों के लिए, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

4. केरल	जेलों में टेलीविजन सैट उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।
5. पंजाब	अधिकांश केन्द्रीय जेलों और जिला जेलों में टेलीविजन सैट उपलब्ध कराए गए हैं।
6. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	जेलों में कैदियों के लिए विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्र और पत्रिकाएं, अन्तरंग खेल सुविधाएं, रेडियो और रिकार्ड प्लेयर, आदि उपलब्ध कराए गए हैं।
7. चण्डीगढ़	जिला जेल चण्डीगढ़ में कैदियों के लिए एक टेलीविजन सैट उपलब्ध कराया गया है।
8. दादरा और नगर हवेली	इस संघ शासित क्षेत्र में केवल एक उप-जेल है और उप-जेल में टेलीविजन सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
9. गोआ दमन और दीव	केन्द्रीय जेल में कैदियों के लिए टेलीविजन सुविधाएं भी उपलब्ध करायी गई हैं। प्रशासन ने कैदियों के लिए समाचार पत्रों, रेडियो और कभी-कभी चलचित्र दिखाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं
10. मिजोरम	सरकार ने अंतरंग खेल, रेडियो और चलचित्र-शो आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं।
11. पांडिचेरी	कैदियों के लिए टेलीविजन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोईप्रस्ताव नहीं हैं।

गुजरात में उद्योगों की स्थापना

6350. **श्री हीराभाल आर० परमार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इस निर्णय के पश्चात् गुजरात में उद्योग लगाने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए; और

(ख) क्या गुजरात में मेहसाणा जिले को भी पिछड़ा जिला घोषित किया गया है और यदि हां, तो मेहसाणा जिला में कितने उद्योग लगाने का निर्णय किया गया है तथा इस संबंध में सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकार देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है।

वर्ष 1981 से 1984 (फरवरी, 1984 तक) के दौरान गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये 90 औद्योगिक लाइसेंस और 189 आशय-पत्र जारी किये गए थे। इनका वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र
1981—	26	50
1982—	25	62
1983—	36	64
1984— (फरवरी तक)	3	3

(ख) जी हां, गुजरात के मेहसना जिले को वर्ग "ग" का पिछड़ा जिला माना गया है।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 1982-1983 के दौरान मेहसना जिले में उद्योगों की स्थापना के जारी किये गये आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत योजनाओं को दर्शाती है :—

वर्ष	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत योजनाएं
1982	1	2	11
1983	1	4	10

सभी आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे जैसे उपक्रम का नाम और पता, विनिर्माण की वस्तु तथा क्षमता आदि नियमित रूप से भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मन्थली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कर्नाटक में पैग्मेटाइट्स का पता चलना

6351. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा कर्नाटक में विभिन्न पैग्मेटाईट् का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण खोजों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने कर्नाटक के हासन, मैसूर और मांड्या जिलों में नरशीपुर, कृष्णराजपेट और नागामंगल क्षेत्रों में स्थित पट्टियों में कोलम्बाइट, टैंटेलाइट और बेरिल से युक्त बहुत से पैग्मेटाइटों का पता लगाया है।

महासागर में खनिज संसाधनों का विकास

6352. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खान विभाग ने महासागर में खनिज संसाधनों के विकास के लिए महासागर विभाग को एक योजना की रूपरेखा भिजवाई थी और इसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): महासागर विकास विभाग के अनुरोध पर खान विभाग ने सागरीय खनिज स्रोतों के विकास की एक रूपरेखा तैयार की थी तथा उसे जनवरी, 1982 में उस विभाग को प्रस्तुत किया था। इस रूप रेखा में तटीय समुद्र क्षेत्रीय समुद्र सकल आर्थिक क्षेत्र (ई० ई० जैड) तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल में 10 वर्ष की अवधि में खोज का कार्य क्रम करना शामिल है।

दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं से छेड़छाड़

6353. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 और 1983-84 के दौरान डी० टी० सी० की बसों में महिलाओं से छेड़-छाड़ के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है; और

(ख) सरकार द्वारा दिल्ली में डी० टी० सी० की बसों में महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली परिवहन की बसों में महिलाओं से छेड़छाड़ के 1982 में 42 मामले, 1983 में 15 मामले, 1984 में (15 मार्च, 1984 तक) 6 मामले दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए थे ।

(ख) महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए वर्दी में और सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस के कार्मिक चलती बसों में और भीड़-भाड़ वाले बस स्टापों पर तैनात किए जाते हैं । दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों और कडंक्टरों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जब कभी किसी यात्री द्वारा छेड़-छाड़ की कोई शिकायत की जाए या किसी तरह की छेड़छाड़ उनके ध्यान में आए तो वे बस को निकटतम पुलिस स्टेशन में ले जाएं । महिलाओं की सुविधा के लिए भीड़-भाड़ के समय महिलाओं के लिए अलग से 51 ट्रिप लगाए जाते हैं ।

राजस्थान में चूना पत्थर आधारित उद्योग स्थापित करना

6354. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जैसलमेर जिले में अच्छी किस्म के चूना पत्थर के अपार भंडार हैं; और

(ख) यदि हां, तो कहां चूना पत्थर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय सीमेंट निगम द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भट्टाभि राम राव) : (क) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान के जैललमेर जिले में चूने के पत्थर (सीमेंट और रसायन पी) का 8,000 लाख मी० टन भण्डार बताया गया है ।

(ख) भारतीय सीमेंट निगम ने चूने के पत्थर की विस्तृत जांच-पड़ताल करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य सरकार से जिले के दो क्षेत्रों में खुदाई के लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए आवेदन दिया है । निगम ने यह बताया है कि उसे अभी तक खुदाई करने के लाइसेंस स्वीकृत नहीं किये गये हैं ।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल द्वारा लघु-माइक्रो पन-बिजली टर्बाइनों का विकास

6355. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'भेल', भोपाल ने सिंचाई सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए लघु-माइक्रो पन-बिजली टर्बाइन और पन-बिजली पम्प विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मदों का वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रत्येक टर्बाईन की लागत क्या है और यह बाजार में कब तक उपलब्ध होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) बी० एच० ई० एल० भोपाल ने स्टेन्डर्ड डिजाइनों वाले मिनी-माइक्रो हाईड्रल टर्बाइनों का विकास किया है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

हैड रेन्ज	3—16 मीटर
डिसचार्ज रेन्ज	3—41.5 घन मीटर/सेकिंड
उत्पादन रेन्ज	75-5000 कि० वाट

सिंचाई के प्रयोजन के लिये हाइड्रो पम्पों का निर्माण, बी० एच० ई० एल० द्वारा नहीं किया जाता है ।

(ग) तथा (घ) इन वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है । इस समय प्रति किलोवाट की अनुमानित लागत 6,000-रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक है जो एकक की किस्म, आकार तथा विशेष परिस्थिति के लिए उपयुक्त अन्य पैरामीटरों पर निर्भर करता है ।

दिल्ली में शरारती तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों में अवांछित वस्तुओं का रखा जाना

6356. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ऐसे कई मामलों का पता चला है जिनमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा विभिन्न समुदायों के बीच दुर्भावना फैलाने के लिए, धार्मिक स्थलों में अवांछित वस्तुएं रख दी गई;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान कितने स्थलों पर ये वस्तुएं फेंकी गई और क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है;

(ग) क्या यह कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों का काम है जो गड़बड़ी फैलाने पर तुले हुए हैं;

(घ) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान देश में अन्य भागों, विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब में, इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं; और

(ङ) दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) संघशासित क्षेत्र दिल्ली में, पिछले तीन महीनों के दौरान, इस प्रकार के दो मामले सूचित किए गए हैं । एक मामले में एक गिरफ्तारी की गई और अन्य मामलों को हल करने तथा अपराधियों को पकड़ने के प्रयत्न जारी हैं । प्रथम-दृष्टया इन घटनाओं के पीछे समुदायों में वैमनस्य उत्पन्न करने का इरादा होता है ।

(घ) पिछले तीन महीनों के दौरान पंजाब में धार्मिक स्थानों की पवित्रता भंग करने के 11 मामले हुए हैं । हरियाणा से सूचना की प्रतीक्षा है ।

(ङ) संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त गहन कर दी गई है ।

झीलों को वन्य-जीवन अभयारण्य घोषित किया जाना

6357. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों में विभिन्न झीलों और स्थानों को पक्षी और वन्य जीवन अभयारण्य घोषित करने के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उन्हें अभयारण्य घोषित करने जा रही है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राज्य सरकारें ही, वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अभयारण्यों की घोषणा हेतु प्रस्तावों पर विचार करती हैं तथा निर्णय लेती हैं। अतः इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों या प्रस्तावों को सम्बन्धित राज्य सरकारों की उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया जाता है ग्राम रूद्रपुर जिला शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित एक झील के संबंध में इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है।

श्रम शक्ति आयोजन और रोजगार परिषदें

6358. **श्री मूल चंद डागा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों के जिलों में जिला श्रम शक्ति आयोजना और रोजगार परिषदों की स्थापना की गई है तथा किन-किन जिलों में तथा कौन-कौन सी तारीखों को इनकी स्थापना की गई है; और

(ख) जिन उद्देश्यों के लिए इन्हें स्थापित कर दिया गया है उन्हें प्राप्त करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जिला जनशक्ति योजना और रोजगार सृजन परिषदों से संबंधित सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट उद्योग को बिजली की सप्लाई

6359. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983-84 के दौरान देश में और विशेषकर गुजरात में, बिजली की कमी के कारण सीमेंट उत्पादन को हानि पहुंची; और

(ख) यदि हां, तो सरकार सीमेंट उद्योग को बिजली की नियमित सप्लाई के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि सीमेंट उत्पादन को नुकसान न हो क्योंकि सीमेंट एक आवश्यक वस्तु है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) गुजरात सहित सीमेंट का उत्पादन करने वाले अनेक राज्यों में बिजली की उपलब्धता संबंधी कठिनाइयों से देश में सीमेंट के उत्पादन पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है।

(ख) राज्य सरकारों से ग्रिड से पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने और सीमेंट कारखानों को विद्युत कटौती से छूट देने के लिए अनुरोध किया गया है। सीमेंट कारखानों को भी विद्युत संबंधी कम से कम अपनी आंशिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी निजी कैप्टिव जनित्रण सुविधाएं स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने डीजल जनित्रण सैटों की स्थापना करके प्राप्त अतिरिक्ति उत्पादन का कुछ प्रतिशत गैर-लेवी बाजार में बेचे जाने के लिए भी उद्योग को अनुमति प्रदान कर दी है।

लद्दाख में उद्योगों की स्थापना

6360. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में अब तक राज्य अथवा केन्द्रीय क्षेत्र में एक भी लघु अथवा मध्यम स्तर के उद्योग की स्थापना नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए,

उस क्षेत्र में एच० एम० टी० वाच असैम्बली यूनिट; रेडियो या ट्रांजिस्टर यूनिट और इसी प्रकार के अन्य एककों जैसे लघु उद्योग स्थापित करने के बारे में विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) लद्दाख एक ऐसा जिला है जिसमें कोई भी बड़ा अथवा मझोला उद्योग नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थिति इस प्रकार है—

	लद्दाख क्षेत्र			
	लेह		कारगिल	
	औपचारिक	अनन्तिम	औपचारिक	अनन्तिम
पंजीकृत एककों की संख्या	38	104	15	121
कुल अचल पूंजी निवेश (लाख रु० में)	9.90	14.04	2.12	17.49
कुल रोजगार	101	177	29	239
1982-83 के अन्त तक पंजीकरण के लिए प्रस्तावित एककों की कुल संख्या	200	400	185	350
1982-83 के अन्त तक उत्पन्न होने वाला सम्भावित रोजागार	600	300	555	700

लेह और कारगिल सहित लद्दाख क्षेत्र में जिस प्रकार के एकक पंजीकृत हैं वे खाद्य पर आधारित उद्योग, हौजरी और वस्त्र, लकड़ी के उत्पाद, धातु उद्योग, मरम्मत और सेवा (सर्विस) एकक तथा चमड़े के उत्पाद एकक हैं।

मारुति कारों के क्रयादेशों को रद्द करना

6361. **श्री धर्म-वीर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि मारुति उद्योग ने 21 फरवरी, 1984 तक केवल 483 कारों का उत्पादन और बिक्री की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिष्ठान का बड़े पैमाने पर किए गए प्रचार और फरवरी 1984 तक इसको यात्री कारों के लिए मिले कुल 13,51,004 क्रयादेशों को देखते हुए यह सन्तोषजनक कार्य निष्पादन है; और

(ग) इस तारीख तक कितने क्रयादेशों को रद्द किया जा चुका है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) कारों का उत्पादन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है।

(ग) 25 मार्च, 1984 तक 1530 आवेदकों ने मारुति वाहनों के लिए आर्डर रद्द कराए थे।

सिक्किम के लोगों को नागरिकता का अधिकार

6362. **श्री आनन्द पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम के लोगों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें

केन्द्र सरकार से हजारों सिक्किम निवासियों को, जो वहां पर पैदा हुए, बड़े हुए हैं तथा पीढ़ियों से सिक्किम में बसे हैं नागरिकता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत के संविधान के अन्तर्गत उन्हें नागरिकता का अधिकार देने का फैसला किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) :(क) और (ख) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन 16 मई, 1975 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 26 अप्रैल, 1975 (वह तारीख जिसको सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना था) से ठीक पहले प्रत्येक वह व्यक्ति, जो सिक्किम प्रजा विनियम, 1961 के अधीन सिक्किम की प्रजा था, को उस दिन से भारत का नागरिक समझा जायेगा। कुछ ऐसे व्यक्तियों को, जो उक्त विनियम के अधीन नहीं आये, नागरिकता प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. ऐसे व्यक्तियों के दावों पर नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार किया जाना है।

तकनीकी विकास महानिदेशालय ग्रुप द्वारा स्थापित उद्योग

6363. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तकनीकी विकास महानिदेशालय ग्रुप ने कितने उद्योग स्थापित किए हैं;

(ख) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय ग्रुप के कुछ चुने हुए उद्योगों का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1983-84 में तकनीकी विकास महानिदेशालय ग्रुप के उद्योगों के उत्पादन संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत एककों की संख्या निम्नलिखित है—

1982	—	1538
1983	—	2024

(ख) और (ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत उद्योगों द्वारा प्राप्त की गई समग्र वृद्धि अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1983 के दौरान 3.6% होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत उद्योगों के औद्योगिक उत्पादन का वर्गवार सूचकांक बनाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन का वर्गवार सूचकांक डी० जी० टी० डी० उद्योग

उद्योग मुख्य वर्ग संख्या	उद्योग	सामान्य सूचकांक में अंश 1970=100	सूचकांक अप्रैल से दिसम्बर 1983	सूचकांक अप्रैल से दिसम्बर 1982	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6
2-3	विनिर्माण				
20.	खाद्य पदार्थों का निर्माण	1.44	175.28	179.33	—2.3

1	2	3	4	5
21. पेय (बीयर)	0.69	487.52	535.50	—9.0
22. तम्बाकू का निर्माण (सिगरेट)	2.21	127.12	150.43	—15.5
23. अन्य कहीं वर्गीकृत न किये गए वस्त्रों का निर्माण	0.54	212.80	210.52	+1.1
24. चमड़े के जूतों का निर्माण	0.34	90.68	76.80	+18.1
27. कागज और गत्ते का निर्माण	2.19	151.36	164.64	—8.1
30. रबर के उत्पादों का निर्माण	1.71	187.63	174.71	+7.4
31. रसायन और रसायन उत्पादों का निर्माण	8.78	230.00	225.08	+2.2
33. पेट्रोलियम और कोयले के उत्पादों को छोड़कर गैर-धात्विक उत्पादों का निर्माण	1.45	176.84	162.53	+8.8
34. मूल धातु उद्योग	3.72	182.87	180.50	+1.3
35. मशीनों और परिवहन उपकरणों को छोड़कर धातु उत्पादों का निर्माण	2.00	188.79	173.51	+8.8
36. विद्युत पदार्थों को छोड़कर मशीनों का निर्माण	4.39	543.02	490.25	+10.8
37. बिजली के उपकरणों और सामान का निर्माण	5.30	175.83	171.57	+2.5
38. परिवहन उपकरण	3.63	222.70	200.69	+11.0
39. विविध निर्माण उद्योग	1.31	56.28	70.45	—20.1

चम्पारन में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना

6364. **श्री पीताम्बर सिंह :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों के औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, वहां उद्यमियों को लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करने हेतु क्या रियायतें और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या उन्हें पिछड़े जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) प्रेस टिप्पण सं० 4-1-81—बी० ए० डी० (खण्ड-31 दिनांक 7.9.83 (प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध) के साथ पठित इसी संख्या के 27.4.83 के प्रेस टिप्पण में घोषित पिछड़े क्षेत्रों के पुन: वर्गीकरण के अनुसार बिहार के चम्पारन जिले को, जैसा कि यह 1.10.1970 को था, श्रेणी "ख" का जिला माना गया है जो 15 लाख रु० की अधिकतम सीमा में 15 तक केन्द्रीय निवेश राजसहायता का पात्र है। और अधिक ब्यौरे उपर्युक्त प्रेस टिप्पण में दिए गए हैं।

केरल में सोना और अन्य खनिज

6365. **श्री जेवियर अराकल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भूगर्भ सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं उन्हें कितने स्थानों पर सोना और अन्य खनिज मिले हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) केरल में सर्वेक्षण करने और उनका पता लगाने में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इस सम्पदा का पता लगाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) केरल में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप मोप्पाडी, चंडाले, वैयथरि, टेरिओड आदि (वायनाड जिला), कप्पील के आस पास, बेटीकुथूमाला तथा एरुमांगलम मन्दिर के दक्षिण के स्थानों, मुथूरा स्कूल के निकट, नीलाम्बर क्षेत्र में कोशिपाराम्बु तथा मरुदा (मालापुरम जिला) तथा कनानोर जिले के मनाथोड़ी में निम्न ग्रेड के प्राथामिक स्वर्ण स्थलों का पता चला है। इसके अतिरिक्त नीलाम्बर क्षेत्र के पुनापुझा तथा चेलीयार पुझा जानों में भी स्वर्णधारी कंकड़ों का अध्ययन किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा केरल के विभिन्न जिलों में पता लगाए गए अन्य महत्वपूर्ण खनिज निक्षेपों में लौह अयस्क कालीकट और मालापुरम जिला (बाक्साइट) अल्लापेनी, क्वीलेन, त्रिवेन्द्रम तथा कन्नानोर जिले, (चूनापत्थर) पालाघाट जिला तथा ग्रेफाइट (अर्नाकुलम, इडूकी, कोटायम, क्वीलेन तथा त्रिवेन्द्रम), शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केरल के विभिन्न जिलों में कई स्थानों पर चायनाक्ले, फायरक्ले बीचसेंड, सिलिमेनाइट, सिलिका इलमेनाइट तथा रुटाइल सेंड का पता चला है।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने केरल में खोज करने के लिए 15 भू-विज्ञानी तथा भू-रसायनज्ञ तैनात किए हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर केरल के बाहर के भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशिष्ट प्रभागों के अधिकारी भी कार्य करते हैं।

(ग) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम पुनापुझा कंकड़ों से स्वर्ण प्राप्ति हेतु प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। अन्य खनिज निक्षेपों का दोहन उनकी प्रोद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा में गैस यूनिटें स्थापित करना

6366. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितनी गैस यूनिटें स्थापित का जा चुकी हैं;

(ख) वे औद्योगिक गैस यूनिटें कहां-कहां स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या उन औद्योगिक गैस यूनिटों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ङ) उन औद्योगिक यूनिटों के मालिकों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ड़) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	उपक्रम का नाम	एकक का स्थापना स्थल	उत्पादन कर रहा है अथवा नहीं	एकक के स्वामियों का ब्यौरा (प्रबन्ध निदेशक/ प्रवर्तक/निदेशक
1.	मे० एशियाटिक आक्सिजन लिमिटेड	राउरकेला जिला सुंदरगढ़	वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है ।	1. श्री श्याम सुंदर जालान 2. श्री बी० के० जालान
2.	मे० प्रदीप आक्सिजन प्रा० लिमिटेड	इंडस्ट्रियल एस्टेट जगतपुर, कटक	आक्सिजन का वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है	1. श्री सुबोध चन्द्र सामल
3.	मे० साहू गैसेज लिमिटेड	रायगढ़ जिला कोरापुट	—वही—	श्री अशोक कुमार साहू
4.	मे० उड़ीसा एयर प्राडक्ट्स लिमिटेड	राजनालगढ़ जिला धेनकनाल	कार्य जारी रखने का लाइसेंस देने पर अभी विचार किया जा रहा है	श्री अरूण कुमार महेश्वरी

दिल्ली में किराये पर लिए गए भवनों में कार्यालय

6367. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उनके मंत्रालय के विभिन्न कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय कब से किराए के भवनों में हैं;

(ख) प्रत्येक कार्यालय का नाम क्या है और उन कार्यालयों द्वारा लिए गए प्रत्येक भवनों का मासिक किराया कितना है;

(ग) किराए के इन भवनों में से प्रत्येक को किराए में लिए जाने की तिथि से 29 फरवरी, 1984 तक कुल कितने किराए का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार इन कार्यालयों को किराए के भवनों में से हटा कर सरकारी भवनों में से स्थानान्तरित करने की इच्छुक नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राजकोष के भार को कम करने के लिए इन कार्यालयों को किराए के भवनों से स्थानान्तरित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक प्रभावी कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) केवल क्षेत्रीय लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक का कार्यालय, जो इस्पात विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है, 27 अगस्त, 1981 से दिल्ली में एक किराए के भवन में है। मासिक किराया 4,403.75 रुपये है जिसमें सेवा-प्रसार और स्टाफ-कार खड़ी करने का खर्च भी शामिल है।

(ग) 27-8-81 से 29-2-84 तक सेवा तथा पार्किंग प्रभार सहित कुल 5,25,282.40 रुपये किराए के रूप में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सामान्य पूल में कार्यालय के लिए स्थान के अभाव के कारण सम्पदा निदेशालय द्वारा इस कार्यालय को सरकारी भवनों में स्थान नहीं दिया गया है।

राजधानी में बम विस्फोट

6368. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार "दिल्ली में सेना का बम फटा कबाड़ी मरा" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कबाड़ी को किस स्थान से कचरे से बम मिला; और

(ग) क्या इस मामले की जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) थाना महरोली के भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 क के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक यह पता लगाना संभव नहीं हुआ है कि मृतक ने किस स्रोत से बम प्राप्त किया था।

जेल सुधार संबंधी समिति का प्रतिवेदन

6369. **श्री एस० एम० लारेंस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा न्यायाधीश ए० एन० मुल्ला की अध्यक्षता में एक जेल सुधार समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) समिति ने जन प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सिफारिशें की हैं जिनमें अन्य सिफारिशों के साथ-साथ नये विधायी उपाय, जेल भवनों के नवीनीकरण और संशोधित प्रतिरूप बनाने की योजनाएं, जेलों में निर्वाह संबंधी स्थितियों में सुधारों, चिकित्सा और मनोरोग चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, सुरक्षा और अनुशासन को कड़े करने, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शैक्षिणिक सुविधाएं, समाज में कैदियों के पुनर्वास के लिए सुधारात्मक उपाय, विचारणाधीनों के पृथक्वास और व्यवहार तथा मामलों के शीघ्र निपटान के उपाय, महिला कैदियों, बच्चों और छोटे अपराधियों के लिए विशेष व्यवहार, जेल कार्मिकों के विकास, खुली हवादार जेलें, सजाओं को माफ करने की पद्धति, नियोजन, अनुसंधान और विकास आदि से संबंधित सुझाव शामिल हैं।

(घ) चूंकि जेल शासन राज्य का विषय है अत: रिपोर्ट की प्रतियों को राज्य सरकारों की टिप्पणियों के लिये राज्यों को भेजा गया है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद जांच की जाएगी और तत्पश्चात् रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाएगा।

मैकेनिकल, कैमिकल और इलेक्ट्रिकल उत्पादों की स्वीकृति के लिए सूची

6370. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित दर्शाने वाली सूचियां प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग निदेशालय द्वारा 1982 तथा 1983 में मैकेनिकल, कैमिकल और इलेक्ट्रीकल उत्पादों की स्वीकृति-मूल्यांकन के लिए कितनी परियोजनाओं/योजनाओं पर फिर से विचार किया गया है तथा कितनी परियोजनाओं/योजनाओं को एस० आई० एस० आई०—कलकत्ता और लुधियाना द्वारा स्वीकृत की गई है;

(ख) वर्ष 1982 तथा 1983 में मैकेनिकल, कैमिकल और इलेक्ट्रीकल उत्पादों की स्वीकृति के लिए उद्यमियों से कितनी परियोजनाएं/योजनाएं प्राप्त हुई तथा कितनी परियोजनाएं/योजनाएं एस० आई० एस० आई०, कलकत्ता और लुधियाना द्वारा स्वीकृत की गई; और

(ग) वर्ष 1982, 1983 में मैकेनिकल, कैमिकल और इलेक्ट्रीकल उत्पादन तथा एस० आई० एस० आई०, कलकत्ता और लुधियाना द्वारा स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं पर रिपोर्ट के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से कितने मामले प्राप्त हुए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) (i) उद्योगों के निदेशक, (ii) उद्यमियों तथा (iii) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कैमिकल उत्पादों की परियोजनाओं/योजनाओं और लघु उद्योग सेवा संस्थान, कलकत्ता तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान, लुधियाना द्वारा दी गई स्वीकृतियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) उद्योगों के निदेशालय द्वारा परियोजनाएं/योजनाएं—अनुमोदन के लिए :—

	1982 में						1983 में					
	मैकेनिकल		इलेक्ट्रिकल		कैमिकल		मकेनिकल		इलेक्ट्रिकल		कैमिकल	
	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
ल०उ०से०सं०, कलकत्ता	214	214	57	57	500	500	172	172	36	36	339	339
ल०उ०से०सं०, लुधियाना	5	5	20	20	4	4	7	7	30	30	6	6

(ख) उद्यमियों से प्राप्त परियोजनाएं/योजनाएं :—

	1982 में						1983 में					
	मकेनिकल		इलेक्ट्रिकल		कैमिकल		मकेनिकल		इलेक्ट्रिकल		कैमिकल	
	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
ल० उ० से० सं०, कलकत्ता	24	24	7	7	42	42	21	21	16	16	53	53
ल० उ० से० सं०, लुधियाना	1	1	शून्य	शून्य	1	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त परियोजनाएं/योजनाएं :—

	1982 में						1983 में					
	मकेनिकल		इलेक्ट्रिकल		कैमिकल		मकेनिकल		इलेक्ट्रिकल		कैमिकल	
	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
ल० उ० से० सं०, कलकत्ता	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ल० ड० से० सं०, लुधियाना	23	23	शून्य	शून्य	4	4	14	14	2	2	4	4

बिहार की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

6371. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के रांची और सिंहभूम जिलों की खंडाइजित खंडायित पाइक और भूइयान जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जातियों से अनुसूचित जनजातियों की सूची में भूइयान को नहीं बल्कि भूइया के स्थानान्तरण के बारे में और बिहार के रांची और सिंहभूम जिलों में पाइक को भूइया समुदाय के प्रयाय के रूप में मानने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) उक्त प्रस्ताव के साथ अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में बिहार समेत सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत के महापंजीकार के परामर्श से और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मामले में अपनाये जाने वाले सम्बन्धित मानदण्डों के अनुसार विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) की दृष्टि से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

बाल-बियरिंग का आयात

6372. **श्री अनवर अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बियरिंग निर्माण उद्योग पर पूर्वी यूरोपियाई देशों से इसके अत्यधिक आयात के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना तथा इस उद्योग की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) बॉल और रोलर बियरिंग के देशी उत्पादकों ने बताया है कि देश में बॉल और रोलर बियरिंगों के काफी आयातों की अनुमति दी गई है और इससे उनकी बिक्री पर प्रभाव पड़ रहा है। देश में उत्पादित बॉल बियरिंग अधिकांश आकारों की किस्म और मांग के अनुरूप होते हैं अतः केवल उन्हीं आकारों के बियरिंगों को आयात करने की अनुमति दी जाती है जो देश में नहीं बनाए जाते बॉल और रोलर बियरिंगों के सम्बन्ध में और अधिक कड़ी आयात नीति को अपनाने का प्रस्ताव है।

केंद्रीय हिन्दी सलाहाकार समिति की बैठक

6373. **श्री केशवराव पारधी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक 6 जनवरी, 1984 को आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या परिणाम निकले;

(ग) उनके मंत्रालय ने इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को क्या आदेश जारी किए हैं; और

(घ) इस बारे में राज्य सरकारों को क्या आदेश दिए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) जी हां।

(ख) केंद्रीय हिंदी समिति की मुख्य सिफारिशों का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) बैठक के कार्यवृत्त को सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दिया गया है। सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों को लिखते हैं।

विवरण

क्रम सं०	समिति की सिफारिश
1.	त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हिंदी का वर्चस्व कम न हो तथा इसके कार्यान्वयन के लिए निष्ठापुर्वक प्रयत्न किए जाने चाहिएं।
2.	हिंदी और उर्दू के बीच दीवार ढहाने और राष्ट्रीय एकता के वातावरण को मजबूत करने की दृष्टि से शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ऐसी पाठ्य पुस्तकें तैयार कराये जिनमें सूर, तुलसी, कबीर जैसे हिंदी के कवियों के अतिरिक्त उर्दू के मीर गालिब, जौक, इकबाल जैसे कवियों की भी रचनाएं हों।
3.	सार्वदेशिक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विकास में शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों में तेजी लाई जाए।
4.	भारत तथा विदेशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, मेलों, खेल-कूद संबंधी प्रतियोगिताओं में हिंदी का प्रयोग किया जाए।
5.	द्विभाषिक भारतीय भाषाओं के कोषों की रचना और उनके प्रकाशन में स्वैच्छिक संस्थाओं की भी सहायता लेनी चाहिए।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस तथा उग्रवादियों के बीच गोलाबारी

6374. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 फरवरी, 1984 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस तथा उग्रवादियों के बीच, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में घंटों तक गोला-बारी होती रही;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मारे गये अथवा घायल होने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंजाब में उग्रवादियों के शरणस्थलों का सफाया करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दो व्यक्ति मारे गए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक कांस्टेबल सहित तीन व्यक्ति जख्मी हुए। 26 फरवरी, 1984 को शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के प्राधिकारियों ने एक व्यक्ति के शव को पुलिस को सौंपा। बताया गया कि वह 17 फरवरी, 1984 को

गोलीबारी में जख्मी हुआ था और बाद में 26 फरवरी, 1984 को स्वर्ण मंदिर परिसर में मर गया।

(ग) सरकार ने इस संबंध में सामरिक महत्व के स्थानों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात करने, छापे और नाकेबन्दी आयोजित करने और आसूचना तंत्र को सुधारने सहित अनेक उपाय किए हैं। की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुलिस ने अनेक उग्रवादी तत्वों को गिरफ्तार किया है और आपराधिक मामलों में वांछित अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

देश में स्थित सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा

6375. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक (राज्यवार) कितने सीमेंट संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1984-85 में कुछ और सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त वर्ष में उड़ीसा में ऐसे कितने सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) उड़ीसा और अन्य राज्यों में नए सीमेंट संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) से (घ) 1984-85 के दौरान स्थापित किए जाने वाले सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-एक

देश में स्थापित सीमेंट संयंत्रों (मिनी सीमेंट संयंत्रों सहित) की संख्या का विवरण

क्र०सं०	राज्य	सीमेंट संयंत्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	असम	1
3.	बिहार	7
4.	गुजरात	10
5.	हरियाणा	2
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और काश्मीर	2
8.	कर्नाटक	9
9.	केरल	2
10.	मध्य प्रदेश	11
11.	मेघालय	1
12.	महाराष्ट्र	4

1 2	3
13. उड़ीसा	2
14. राजस्थान	7
15. तमिलनाडु	8
16. उत्तर प्रदेश	4
17. पश्चिम बंगाल	1

विवरण-दो

1984-85 के दौरान स्थापित किए जाने वाले सीमेंट संयंत्रों (विस्तार सहित) का ब्यौरा

क्र० सं०	नाम	स्थापना-स्थल	क्षमता (लाख मी० टन में)
1.	ए० सी०सी० लि०	वादी (कर्नाटक)	5.00 (प्रर्याप्त विस्तार द्वितीय चरण)
2.	—वही—	गागल (हिमाचल प्रदेश)	5.60
3.	कोरमण्डल फर्टीलाइजर	कलामल्ला (आंध्र प्रदेश)	10.00
4.	इण्डियन रेयन कारपोरेश	छीतापुर (कर्नाटक)	5.40
5.	श्री राम सीमेंट	दांता (गुजरात)	0.66
6.	हरिगंगा सीमेंट	राजूरा (महाराष्ट्र)	0.66
7.	यू० पी० एस० सी० सी० लि०	चुनार (उत्तर प्रदेश)	8.40 (द्वितीय चरण)
8.	टैक्समेको	येरागुन्तला (आंध्र प्रदेश)	5.00
9.	मानिकगढ़ सीमेंट	राजूरा (महाराष्ट्र)	10.00
10.	सतना सीमेंट	सतना (मध्य प्रदेश)	2.00 (द्वितीय चरण)
11.	केसोराम सीमेंट	सेराम (कर्नाटक)	5.00
12.	रासी सीमेंट	वाडापल्ली (आंध्र प्रदेश)	2.00 (पर्याप्त विस्तार)
13.	श्री सीमेंट	बेवार (राजस्थान)	6.00 (प्रथम चरण)
14.	श्री दिग्विजय सीमेंट	सिक्का (गुजरात)	4.85 (पर्याप्त विस्तार)
15.	ग्वालियर रेयन	जावाद (मध्य प्रदेश)	5.00 (प्रथम चरण)
16.	सोनवेली पोर्टलैण्ड सीमेंट	जापला (बिहार)	1.50 (पर्याप्त विस्तार)
17.	जे० के० सीमेंट	गोतन (राजस्थान)	0.50
18.	स्वदेशी सीमेंट	कोटपुतली (राजस्थान)	0.66
19.	हीरा सीमेंट	बारगढ़ (उड़ीसा)	1.65 (पर्याप्त विस्तार)

दिल्ली के लिए योजना आवंटन

6376. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1984 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "दिल्ली को 290 करोड़ की योजना मंजूर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उसके अन्तर्गत मदवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस योजना में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने का कोई लक्ष्य नियत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) वर्ष 1984-85 के लिये दिल्ली की वार्षिक योजना के लिए बजट प्रावधान और उसका अलग-अलग विवरण संघ के बजट दस्तावेजों में दिखाया गया है जिन्हें सदन के सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1984-85 के दौरान उन स्टाफ क्वार्टरों की संख्या जिनके निर्माणाधीन/पूरा होने की आशा है, और जिसके लिए श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के कर्मचारी पात्र हैं, 2789 है।

वर्तमान शताब्दी के अन्त में गरीबी रेखा

6377. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि एक अध्ययन के अनुसार इस शताब्दी के अन्त तक हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी और नितांत गरीबी में रहने वाली कुल जनसंख्या के 75% व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले होंगे; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) दिनांक 21 जनवरी, 1984 के "बिजनिस स्टैंडर्ड" के सम्पादकीय में उस अध्ययन का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार शताब्दी के अन्त तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 100 करोड़ के स्तर तक पहुंच सकती है और भारत में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोग सभी विकासशील देशों में नितान्त गरीबी में रहने वाली कुल जनसंख्या का लगभग 75% (भारत की जनसंख्या का 75 प्रतिशत नहीं) होंगे। उक्त अध्ययन के शीर्षक अथवा इसके लेखक आदि का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए अन्तर्निष्ट अभिधारणाओं के बारे में जानकारी के अभाव में, परिणामों की वैधता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भारत सरकार, योजना दस्तावेजों में, जससंख्या वृद्धि पर नियंत्रण तथा आम जनता में गरीबी दूर करने सम्बन्धी अनेक उपायों के बारे में स्पष्ट रूप से बता चुकी है। आगामी योजनाओं में, उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नों को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

बिहार में खनिजों पर आधारित उद्योग

6378. **श्री रीत लाल वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सभी क्षेत्रों के सन्तुलित विकास की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटा नागपुर में खनिज पर आधारित कुछ उद्योगों को स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं और उनके लिये प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे): (क) राज्य सरकार ने खनिज आधारित उद्योगों जैसे कोयला, चूना-पत्थर, अभ्रक, बाक्साइट तथा लौह अयस्क का पता लगाने के लिए अध्ययन किए हैं।

(ख) छोटा नागपुर क्षेत्र में पहले ही कार्यरत कई खनिज आधारित उद्योगों के अतिरिक्त, जदुनाथपुर में एक बड़े सीमेंट संयंत्र तथा चन्दील में एक स्पोंज आयरन प्लांट हेतु राज्य सरकार ने आशय पत्र प्राप्त किया है। जबकि रामगढ़ और बेनतिबागदा में दो लघु सीमेंट संयंत्रों हेतु प्रस्ताव तकीनीकी विकास महानिदेशालय के पास भेजे गए हैं, रामगढ़ में एक लघु सीमेंट संयंत्र में उत्पादन शुरू हो गया है। रांची में एक बड़े सिरामिक कैपसिटर यूनिट में उत्पादन शुरू हो चुका है। झुमरी तलैया में अभ्रक आधारित उद्योग कार्यान्वयन के अन्तर्गत है। प्रस्तावित परियोजनाओं में रामगढ़ रांची, बर्वाडीह तथा पलामू में क्रमश: कोक, घरेलू कोक, कोयला आधारित उर्वरक, मैथानोल संयंत्र हैं तथा धनवाद, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में बाक्साइट, कायानाइट, ग्रेफाइट आदि के केलशिनेशन तथा परिष्करण संयंत्र भी हैं।

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

काम के लिए अनाज कार्यक्रम के प्रभाव की जांच के लिए नियुक्ति समिति

6379. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "काम के लिए अनाज" कार्यक्रम और "अन्त्योदय" योजना के प्रभाव की जांच के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त मूल्यांकन समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि इन योजनाओं से गरीब से गरीब व्यक्तियों को सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अंत्योदय और काम के बदले अनाज कार्यक्रमों को परिष्कृत किया गया और इनकी पुन:संरचना की गई और क्रमश: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए०ग्रा०वि० का०) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा० ग्रा० रो० का०) के माध्यम से इनका विधिवत् विस्तार करके इनके अन्तर्गत संपूर्ण देश को शामिल किया गया।

अनुसूचित जातियों की सूची में परिवर्तन करने के लिए विधान

6380. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के बारहवें सत्र के दौरान दिनांक 5 अगस्त, 1983 को अनुसूचित जातियों की सूची में परिवर्तन करने और उसे बढ़ाने के संबंध में आधे घंटे की चर्चा का उत्तर देते हुये तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने यह कहा था कि इस बारे में तेरहवें सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तेरहवें सत्र के दौरान यह विधेयक पेश न करने के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी अड़चनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह विधेयक अब कब तक पेश कर दिया जाएगा तथा इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(घ) पूरे देश में खटीक धोबी, मल्लाह आदि जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 5 अगस्त, 1983 को गृह राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था :

"मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं कि यदि संभव हो तो संसद के अगले सत्र में विधेयक सदन में पेश किया जाए।"

(ख) से (घ) सारे देश में अनुसूचित जातियों की सूची में खटीक, बेरवा, धोबी, मल्लाह आदि को शामिल करने के प्रस्ताव के साथ अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत के महापंजीकार के परामर्श से और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मामले में अपनाए जाने वाले सम्बन्धित मानदण्डों के अनुसार विधिवत् विचार किया जा रहा है। कुछ राज्यों की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पूरी टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले में अन्तिम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

देश में व्यक्तिगत आय

6381. **श्री चतुर्भुज** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 से 1983 तक संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों की वर्ष-वार प्रति व्यक्ति आय क्या थी;

(ख) रेल, सड़क, उद्योग, संचार, सिंचाई और बिजली के विकास के लिए केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में पृथक्-पृथक् कितना/कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ग) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय और विकास स्तर में असन्तुलन के प्रश्न पर केंद्रीय स्तर पर विचार किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त असंतुलन को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) प्रति व्यक्ति निवल देशीय उत्पादन के वर्तमान कीमतों पर अनुमानों का विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8109/84] यह उल्लेखनीय है कि स्रोत सामग्रियों तथा प्रयुक्त कार्य-प्रणालियों में अंतर होने के कारण, विभिन्न राज्यों के लिए आंकड़े असलियत में तुलनीय नहीं है।

(ख) वर्ष 1970-71 से 1983-84 तक योजना परिव्ययों का विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8109/84]

(ग) और (घ) क्षेत्रीय असन्तुलनों को समाप्त करना एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसकी ओर हमारी योजनाओं में ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय असंतुलनों से निपटने के लिए विशिष्ट उपायों की सूची में संक्षेप में, क्षेत्र विकास योजनाएं तैयार करना; औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए प्रोत्साहनों के लिए घोषित नीति उपायों का सम्बेषटन (पैकेज); पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए दी गई वित्तीय तथा परिवहन राज-सहायता, शामिल है। और अन्ततः राज्यों में पिछड़ेपन से निपटने के लिए उपायों के भाग के रूप में, परिशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों को अधिक बाजार ऋणों तथा केंद्रीय सहायता का अन्तरण भी किया गया है।

निरंकारियों की हत्या

6382. श्री बी० डी० सिंह
प्रो० अजित कुमार मेहता } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधान जत्थेदार सुखदेव सिंह द्वारा दिये गये उस वक्तव्य के संबंध में पंजाब सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उसने निरंकारियों की हत्याओं की जिम्मेवारी ली है तथा ऐसी हत्याओं को जारी रखने की भी धमकी दी है जैसा कि दिनांक 21 दिसम्बर, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बब्बर खालसा के नेता जत्थेदार सुखदेव सिंह ने अपने कथित बयान में निरंकारियों की हत्या के लिए उत्तरदायित्व का दावा किया था। इस संबंध में श्री सुखदेव सिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506/295-क, अवैध गतिविधि (निरोध) अधिनियम की धारा 13 और राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है।

देश में अपराध

6383. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या मन्त्री गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1984 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितनी हत्यायें, डकैतियां और लूटपाट, चोरियां और बलात्कार के मामले हुए;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जिम्मेवार हैं, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। जनवरी, 1984 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में हत्याओं, डकैतियों तथा लूट पाट चोरियों और बलात्कार के मामलों की राज्यवार संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। बलात्कार की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए, आपराधिक कानून (संशोधन) विधयक, 1983 (1983 का अधिनियम संख्या 43) पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा बलात्कार के अपराध से सम्बन्धित कानून और इस अपराध के लिए सजा को और सख्त बना दिया गया है। सामान्य बलात्कार के लिए कम से कम 7 साल की अवधि की कैद की सजा रखी गई है जबकि न्यायिक हिरासत की स्थिति में पुलिस कर्मचारियों, लोक सेवकों आदि द्वारा बलात्कार के लिए और कतिपय गम्भीर किस्म के अपराधों के लिए कम से कम 10 साल की अवधि की कैद की सजा रखी गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चम्बल घाटी क्षेत्रों में हो रही डकैती की बड़ी वारदातों के सन्दर्भ में तीनों राज्य सरकारें इन क्षेत्रों में डकैती की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए एकजुट प्रयास कर रही है। डकैती की समस्या का मुकाबला करने के लिए, लम्बी अवधि की सामाजिक-आर्थिक नीति तैयार करने के वास्ते योजना आयोग ने एक कार्यकारी दल का गठन किया है। हालांकि, कानून और व्यवस्था तथा अपराधों पर नियन्त्रण राज्य का विषय है, तो भी केंद्रीय सरकार 10 साल की अवधि अर्थात् 1980-81 से 1980-90 तक के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय से राज्य पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के वास्ते एक योजना को कार्यान्वित कर रही है ताकि राज्य पुलिस बल इन समस्याओं से कारगर ढंग से निपट सकें। यह सहायता वाहनों, वायरलैस उपकरण, कम्प्यूटरों, जांच के लिए वैज्ञानिक उपकरण तथा प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद के लिए अनावर्ती स्वरूप के व्यय को के पूरा करने लिए है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981					1982				
		हत्या	डकैती	लूटपाट	चोरी	बलात्कार	हत्या	डकैती	लूटपाट	चोरी	बलात्कार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1387	384	529	17394	179	1440	318	537	16495	245
2.	असम	560	339	640	10357	281	607	475	631	9731	257
3.	बिहार	2435	3343	1871	23084	346	2744	3206	1983	21116	348
4.	गुजरात	1023	278	939	20910	98	1062	281	827	20550	112
5.	हरियाणा	369	38	92	4443	82	315	31	85	3551	100
6.	हिमाचल प्रदेश	49	1	23	615	17	74	1	19	535	32
7.	जम्मू व कश्मीर	88	9	23	3085	141	88	10	45	2581	115
8.	कर्नाटक	934	233	727	23705	118	888	172	517	17611	80
9.	केरल	537	39	129	3460	77	516	32	143	2953	78
10.	मध्य प्रदेश	2349	818	2925	51853	1017	2457	567	2695	47663	1113
11.	महाराष्ट्र	1810	679	3674	68660	512	1924	737	3615	59930	504
12.	मणिपुर	133	82	133	642	18	84	32	82	614	17
13.	मेघालय	68	24	57	599	13	68	38	31	520	15
14.	नागालैंड	26	14	39	520	9	18	12	59	429	8
15.	उड़ीसा	495	429	893	13464	133	529	317	812	12573	148

क्र०सं०	1983 प्रथम 6 महीने के लिए हत्या	डकैती	लूटपाट	चोरी	बलात्कार	1984 31-1-84 तक हत्या	डकैती	लूटपाट	चोरी	बलात्कार
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	711	207	247	7215	222	प्राप्त नहीं हुई				
					अक्टूबर 83 तक					
2.	1326	280	340	7133*	146*	—तदैव—				
3.	1448	1709	984	9505	281	—तदैव—				
					अक्टूबर 83 तक					
4.	963*	186*	409	18882*	89	—तदैव—				
5.	366*	13*	48	3255*	85*	—तदैव—				
6.	64*	2*	23*	562*	32*	6	शून्य	शून्य	40	शून्य
7.	41	19	22	970	146*	प्राप्त नहीं हुई			प्राप्त नहीं हुई	
8.	944*	169*	579*	26595*	119*	107	19	55	2236	शून्य
9.	प्राप्त नहीं हुई				71	प्राप्त नहीं हुई			प्राप्त नहीं हुई	
					अक्टूबर तक					
10.	1243	343	1377	21750	602	प्राप्त नहीं हुई			प्राप्त नहीं हुई	
					जून तक					
11.	1958*	305	1678	54061*	550*	प्राप्त नहीं हुई			प्राप्त नहीं हुई	
12.	72*	34*	27	545*	11*	प्राप्त नहीं हुई			प्राप्त नहीं हुई	
13.	61*	31*	19	460*	8*	प्राप्त नहीं हुई			प्राप्त नहीं हुई	
14.	24*	11*	66*	465*	5	—तदैव—				
					अगस्त तक					
15.	290	201	419	5678	166*	—तदैव—				

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. पंजाब	555	1	20	2305	87	575	1	24	1988	53
17. राजस्थान	882	152	1247	14016	298	839	146	1419	14016	336
18. सिक्किम	8	शून्य	9	84	7	13	3	6	84	4
19. तमिलनाडु	1333	44	260	28456	180	1309	40	292	25418	179
20. त्रिपुरा	87	152	136	1491	19	112	198	166	1265	18
21. उत्तर प्रदेश	5547	5363	5908	59182	948	5749	2225	5190	47544	766
22. पश्चिम बंगाल	1453	1442	1340	39089	504	1421	1339	1374	34831	489
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	6	शून्य	6	207	1	7	शून्य	3	199	शून्य
24. अरुणाचल प्रदेश	17	5	26	204	5	29	9	21	234	11
25. चण्डीगढ़	9	1	4	842	13	12	शून्य	9	850	7
26. दादर व नगर हवेली	2	1	3	44	शून्य	7	शून्य	1	49	2
27. दिल्ली	199	24	185	17339	67	238	22	155	13626	66
28. गोआ दमन और द्वीव	25	7	61	1050	5	23	5	45	884	2
29. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	1	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य
30. मिजोरम	21	4	31	255	29	28	7	31	185	31
31. पांडिचेरी	10	2	4	1207	5	7	4	8	1135	4

1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16.	591*	8*	24	1703*	57*			प्राप्त नहीं हुई		
17.	979*	147*	1217*	12202*	378*			—तदैव—		
18.	7*	3*	2	85*	4*			—तदैव—		
19.	657	29	157	11966	175			—तदैव—		
20.	131*	222*	94	1459*	31			—तदैव—		
21.	5593*	2075*	2418	21576	797*	269	220	प्राप्त नहीं हुई	426	प्राप्त नहीं हुई
22.	679	648	685	16992	415	प्राप्त नहीं हुई			प्राप्त नहीं हुई	
23.	12*	शून्य	1	164*	4*	प्राप्त नहीं हुई			प्राप्त नहीं हुई	
24.	21*	5	9	121	8*			—तदैव—		
25.	19*	शून्य	11*	735*	6*	शून्य	शून्य	1	64	प्राप्त नहीं हुई
26.	7*	2*	4*	24*	1	प्राप्त नहीं हुई			प्राप्त नहीं हुई	
27.	245*	15*	211*	13029*	79*	19	1	28	1168	प्राप्त नहीं हुई
28.	20*	4	25	805*	11*	प्राप्त नहीं हुई			प्राप्त नहीं हुई	
29.	शून्य*	शून्य	शून्य	6*	1*			—तदैव—		
30.	21*	3*	14	258*	39*			—तदैव—		
31.	14*	2*	9*	779*	7*	1	शून्य	शून्य	90	शून्य

टिप्पणी—1. आंकड़े पूरे वर्ष 1983 के लिए हैं।

2. आँकड़े अस्थायी हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं के सेवा संबंधी मामलों में अनावश्यक कठिनाइयों के लिए नियमों में ढील

6384. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों संबंधी सेवाओं के कुल कितने मामलों में कठिनाइयों को दूर करने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी बार अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बनाये गये अखिल भारतीय सेवाएं नियम 1960 (सेवा शर्तें-अवशिष्ट मामले) के नियम 3 के अन्तर्गत किसी नियम को समाप्त किया है या उसमें ढील दी है;

(ख) ऐसे मामलों का (एक) जहां सरकार ने स्वत: आदेश जारी कर दिये हैं (दो) इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से प्राप्त अनुरोध पर जारी किये गये आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई ऐसा विशिष्ट अनुरोध है जो छ: महीने या इससे अधिक समय से सरकार के आदेश की प्रतीक्षा में है, तो वह क्या है; और इसके क्या कारण हैं और अनावश्यक कठिनाई के लंबित मामलों पर शीघ्र कार्यवाही करने और निगरानी रखने का कोई प्रस्ताव है तो वह क्या है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) ऐसे मामलों की संख्या 228 थी। ये मामले वेतन का नियमन, सामूहिक बीमा योजना में शामिल किया जाना, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति और छुट्टी मंजूर किए जाने के संबंध में थे।

(ख) 113 मामलों में, सरकार ने अधिकारियों को स्वत: केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का सदस्य बनाकर आदेश जारी कर दिए थे। बाकी मामलों में, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारों से पत्र प्राप्त होने पर आदेश दिए गए थे।

(ग) वेतन नियमों तथा वरिष्ठता नियमों में छूट देने के लिए कुछ अनुरोध छह मास अथवा अधिक समय से लम्बित हैं। ऐसे मामलों में उचित तथा शीघ्र ध्यान दिए जाने के बावजूद इस प्रकार के कुछ मामलों के निपटान में समय का विलम्ब होना अपरिहार्य है क्योंकि प्रत्येक मामले पर राज्य सरकारों से संगत सूचना एकत्र करने के बाद तथ्यों; परिस्थितियों तथा गुणावगुण को ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक विचार करना होता है।

जम्मू और कश्मीर में पाक जासूसों का पकड़ा जाना

6385. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में पिछले वर्ष पाकिस्तान के कुछ जासूस पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां; तो कितने और उनसे कोई हथियार भी बरामद किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड कलकत्ता के श्रमिकों का ज्ञापन

6386. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड कलकत्ता के बी० बी० वी० एल० मजदूर यूनियन से सम्बन्धित श्रमिकों और कर्मचारियों की ओर से दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने;

(एक) पृथक अस्तित्व बनाए रखने;

(दो) कल्याणी एकक शुरू करने;

(तीन) रेलवे से 'एयर ब्रेक' प्रणाली को मंजूर कराने;

(चार) छुट्टी-यात्रा रियायत, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अन्य सुविधाओं के बारे में दिनांक 11 जून, 1980 और 26 अक्तूबर, 1981 के समझौतों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित मामले के बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स मजदूर संघ से दिनांक 17.12.1983 के पत्र की एक प्रति जो भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित है, भारी उद्योग विभाग में प्राप्त हुई है।

(ख) (1) भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के कार्यकरण सम्बन्ध में श्री एम० सत्यपाल तत्कालीन सचिव (तकनीकी विकास) और तकनीकी विकास महा-निदेशक की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा 2-11-1982 को एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड का बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के साथ विलय करना शामिल है। समिति की सभी सिफारिशों पर सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

(2) कल्याणी-परियोजना स्थल पर प्रारम्भिक निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कलकत्ता स्थित कारखाने के आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है और उसके बाद, आवश्यकताओं के आधार पर, गतिविधियों का रुख कल्याणी-परियोजना की ओर मोड़ दिया जायेगा।

(3) रेल मंत्रालय द्वारा एयर ब्रेक्स सिस्टम की खरीद के लिए अभी निविदा जारी की जानी है।

(4) छुट्टी यात्रा भत्ते, नगर प्रतिकर भत्ते और मकान किराया भत्ते की मांगों को प्रबंधकों द्वारा स्वीकार और कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी की वर्तमान अर्थोपाय स्थिति खराब है और इस तथ्य के कारण भी कि इसी तरह के सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में श्रमिकों तथा कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

रांची में बड़ी संख्या में डाक्टरों को तैयार करने की समस्या के बारे में विज्ञान सम्मेलन

6387. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में एक विज्ञान सम्मेलन में विश्वविद्यालयों द्वारा बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे डाक्टरों के कारण विज्ञान के स्तर में आयी गिरावट का उल्लेख किया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में 130 विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किये गये 35,000 डाक्टरों में से अनेक डाक्टरों ने जीवन से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है और उनका काम केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित है;

(ग) क्या राष्ट्र के कल्याण और विकास में योगदान देने हेतु अनुसंधान कार्य को नया रूप देने के सम्बन्ध में कोई ठोस विचार बना है;

(घ) कितने शोध कार्य प्रकाशित हुए हैं और अकादमीशियनों के बीच परिचालित किए गए हैं और क्या कुछ शोक कार्य जिन पर डाक्टरेट की डिग्री दी गई हैं बहुत हद तक अज्ञात रह गए हैं और उनका समुचित परिपेक्ष में प्रयोग नहीं हो रहा है; और

(ङ) सरकार का विचार वैज्ञानिकों की अनुसंधान क्षमता सहित विज्ञान के स्तर में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) रांची में आयोजित इंडियन साइंस कांग्रेस के 71 वें सत्र में विचार-विमर्श का मुख्य विषय—"भारत में उत्कर्ष विज्ञान —साध्य और साधन" था। वक्ताओं को मुख्य चिंता अनुसंधान में और इसके लिए अपेक्षित सुविधाओं के संबंध में और सुधार करने की आवश्यकता से थी।

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय की, डाक्टरेट डिग्रियां प्रदान करने से पहले इनके कठोर मूल्यांकन के लिए एक सुस्थापित क्रियाविधि होती है। विज्ञान पर आधारित पी० एच० डी० उपाधिधारियों की प्रतिवर्ष संख्या लगभग 3,000 है और यह देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी जन-शक्ति के परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक नहीं समझी जाती।

(ग) उपर्युक्त सत्र की कार्रवाईयों से कुछ निम्नलिखित सिफारिशें उभर कर आईं;

1. कुछ विद्यमान संस्थानों से प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहा जाए।

2. अपेक्षाकृत अधिक अनुसंधान सुविधाएं और अधिक अधिछात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाएं।

3. गणित पर अनुसंधान को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

4. अनुसंधान के लिए अच्छा वातावरण बनाया जाए।

5. विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रणालियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

6. अंतः विषयशास्त्रीय अनुसंधान पर बल दिया जाना चाहिए।

(घ) कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित किए जाते हैं इससे वैज्ञानिक समुदाय के प्रसार में सहायता मिलती है।

(ङ) इस सम्बन्ध में उठाए गए कुछ कदम ये हैं :—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में चयनात्मक अवसंरचनात्मक

समर्थन पर एक समिति के माध्यम से विश्वविद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, एक कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है, कई सरकारी विभाग और अभिकरण अनुसंधान स्कीमों का निधोयन कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को परिष्कृत यंत्र उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय परिष्कृत यंत्रीकरण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उद्योगों में उन के अंतर्गत अनुसंधान और विकास एककों सहित अनुमंधान और विकास संस्थानों द्वारा अनुसंधान उपस्कर निर्बाध रूप से आयात किए जा सकते हैं, उद्योगों को अनुसंधान और विकास करने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं। युवा वैज्ञानिकों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कई वैज्ञानिक संस्थानों में नम्य अनुपूरकता की एक योजना शुरू की गई है जिससे कि उच्चतर ग्रेडों में रिक्तियों की उपलब्धता पर बिना ध्यान दिए, उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति विशेष योग्यता और कार्य निष्पादन के आधार पर दी जाती है।

आतंकवाद की घटनाएं

6388. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाली दल ने गणतंत्र दिवस, 1984 की पूर्व संध्या पर दल द्वारा घोषित नई कार्यवाही सम्बन्धी कार्यक्रम के अनुशरण में आतंक की दूसरी लहर चला दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अनुशरण में आतंक की क्या मुख्य घटनायें हुई हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप मारे गये और घायल हुये लोगों की संख्या कितनी है, और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है और इससे सरकारी सम्पत्ति सहित कितनी सम्पत्ति नष्ट हो गई है ?

गृह मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) 27 जनवरी, 1984 से अकाली दल ने "एक्शन आफ प्रोग्राम" की घोषणा की थी, आन्दोलन में था आतंक और हिंसक गतिविधियों में 96 व्यक्ति मारे गए और 27 जनवरी, 1984 से 31 मार्च 1984 तक की अवधि के दौरान 207 मामलों में 121 व्यक्ति जख्मी हुए। लगभग 6 लाख रुपए की सम्पत्ति की क्षति का अनुमान लगाया गया था।

दुर्गादास इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

6389. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) इससे संयंत्र में कितना उत्पादन बढ़ जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए इस कारखाने का प्रौद्योगिक दृष्टि से सुधार करने तथा इसका आधुनिकीकरण का स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सरकार द्वारा

पूंजी—निवेश सम्बन्धी मंजूरी देने के बाद ही योजना के ब्यौरे (अनुमानित खर्च भी शामिल है) तथा इसके पूरा होने की अवधि के बारे में पता चल सकेगा।

देश में संतुलित आर्थिक विकास

6390. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस करती है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जो विकास के लिए वित्तीय साधनों के आवंटनों की कमी के कारण पिछड़े रह गए हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। सरकार, देश में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा उत्सुक रही हैं।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि विकास के लिए वित्तीय आवंटनों के अभाव के कारण ही कोई क्षेत्र पीछे रहा है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को परेशान किये जाने पर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 3 के अधीन सुरक्षा प्रदान करना

6391. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को परेशान किये जाने पर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 3 के अधीन सुरक्षा प्रदान करने के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4842 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी जबाबदेह होता है जब वह किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित करने के बाद उस पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम का नियम 3 (1) लागू करता है और इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं बोलता है कि इस नियम को क्यों लागू किया गया है अथवा उस सम्बन्ध में वह नियम का उल्लंघन करता है जब वह सरकारी कर्मचारी को परेशान तथा पीड़ित करने के एकमात्र उद्देश्य से असद् भावना से आचरण नियम का दूसरा नियम लागू करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को अपने हिती की रक्षा करने तथा सरकार से न्याय प्राप्त करने के लिए मुकदमेबाजी से पहले क्या उपाय करने चाहिए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जब किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी अपेक्षित होता है तो अनुशासनिक नियमों में यह आवश्यक होता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को आरोप की विशिष्ट आरोप की मदें तैयार करनी चाहिए जो कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के विशिष्ट आरोपों से समर्थित होनी चाहिए। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है कि नियमों में चूंकि सरकारी कर्मचारी के लिए स्वयं ही संरक्षण प्रदान किया गया है, इसलिए लोक सेवकों को अपने हितों की सुरक्षा के लिए किन्हीं विशेष उपायों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, नियमों में यह भी व्यवस्था है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है और उच्चतर अधिकारियों द्वारा उसकी पुनरीक्षा की जा सकती है।

टैक्सी ड्राइवर द्वारा डकैती का प्रयास विफल करना

6392. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा पालम हवाई अड्डे से उसकी टैक्सी में सवार यात्रियों को लुटेरों द्वारा लूटे जाने के प्रयास को विफल करने के साहसिक कारनामे के समाचार की ओर दिलाया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसे क्या पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है; और

(ग) क्या पुलिस घटना स्थल पर एक घंटा बाद पहुंची थी ?

गृह मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) श्री महावीर सिंह, टेक्सी ड्राइवर ने 24-2-84 को दिल्ली हवाई अड्डे से 3 यात्रियों को लिया और नजफगढ़ सड़क होते हुए पोकर (राजस्थान) की ओर बढ़ा । प्रात: लगभग 9.00 बजे सूअर-बाड़े के नजदीक पुल पर पहुंचने पर उसने देखा कि कार खड़ी करके सड़क को रोक रखा है । कार में बैठे चार व्यक्ति बन्दूक की नोक पर यात्रियों को लूटना चाहते थे लेकिन श्री महाबीर सिंह ने अदम्य साहस और सूझबूझ से हमले को असफल कर दिया और अन्य दो व्यक्तियों की मदद से दो अपराधियों को पकड़ने में भी सफल हुआ । एक अन्य अपराधी को पुलिस ने 26-2-84 को गिरफ्तार किया ।

पुलिस आयुक्त दिल्ली ने श्री महाबीर सिंह को प्रशस्ती प्रमाण पत्र और 1,000 रु० का नकद पुरस्कार दिया और श्री जय प्रकाश और श्री युद्धवीर सिंह की प्रत्येक को प्रशस्ती प्रमाण पत्र और 250 रु० का नकद पुरस्कार दिया, जिन्होंने अपराधी को पकड़ने में सहायता की ।

(ग) पुलिस नियंत्रण कक्ष में घटना के विषय से सूचना प्राप्त होने के 20 मिनट के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गयी थी ।

सांप्रदायिकता का फैलना

6393. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों से बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिकता फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने साम्प्रदायिकता के बढ़ने के कारणों के विषय में कोई मूल्यांकन करवाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिकतावाद प्रकट हुआ है । भारत की भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का कभी-कभी स्वार्थी और अनुदार तत्वों द्वारा अनुचित लाभ उठाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न होता है ।

अन्य देशों की सीमा के साथ लगने वाले राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स के एकक स्थापित करना

6394. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगी कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य इलेक्टॉनिक्स विकास निगम राज्य के पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले विभिन्न स्थानों पर विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स विकसित करना चाहता है; और

(ख) पश्चिम बंगाल को साल्ट लेक, कलकत्ता में इस आधार पर ऐसा एकक स्थापित करने से इंकार करने के क्या कारण हैं कि यह अन्य देश की सीमा के साथ लगता है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेट (बी० ई० एल०) की दो नई इकाइयों में से एक इकाई के स्थापना-स्थल के संबंध में कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य में उपयुक्त स्थल उपलब्ध करने का प्रस्ताव दिया था। पश्चिम बंगाल ने भी साल्ट लेक सिटी में एक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था। सभी सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड (बी० ई० एल०) की दो इकाइयों को उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में स्थापित किया जाए।

अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के छात्रावासों के भवनों के लिए की गयी धनराशि

6395. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के छात्रावासों के भवनों के निर्माण के लिए छठी योजना के दौरान कितनी धनराशि दी है; और

(ख) राज्य-वार आवंटन और निर्मित छात्रावासों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को धनराशि दे रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए 13.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कोई राज्यवार आंवटन नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस योजना के अधीन यथा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखकर उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धनराशि दी जाती है। 31-3-1982 तक इस योजना के अधीन राज्यवार निर्मित छात्रावासों का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनु० जाति/अनु० जनजाति छात्रों के लिए अब तक निर्मित लड़कियों के छात्रावास
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86
2.	असम	25
3,	बिहार	7
4.	गुजरात	55
5.	हरियाणा	3
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	कर्नाटक	2

1	2	3
9.	केरल	3 (अनु० जाति की लड़कियों के लिए) (अनु० ज०जाति उपलब्ध नहीं)
10.	मध्य प्रदेश	
11.	महाराष्ट्र	27 (पिछड़े वर्गों के छात्रावास)
12.	मणिपुर	7
13.	मेघालय	उ०न०
14.	नागालैंड	6
15.	उड़ीसा	145
16.	पंजाब	9
17.	राजस्थान	16
18.	सिक्किम	— (अ० जा०)
19.	तमिलनाडु	16 (अ० जनजाति-उ०न०)
20.	त्रिपुरा	3
21.	उत्तर प्रदेश	1
22.	पश्चिम बंगाल	86 (अ० जाति) (अ० जनजाति-उ० न०)
23.	अंडमान और निकोबार	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चंडीगढ़	—
26.	दादरा और नगर हवेली	2
27.	दिल्ली	—
28.	गोवा, दमन और दीव	—
29.	लक्षद्वीव	—
30.	मिजोरम	उ०न०
31.	पांडिचेरी	—

उ० न०=उपलब्ध नहीं

ताप बिजली संयंत्रों से निकलने वाली फलाई ऐश के कारण वायु प्रदूषण

6396. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप बिजली संयंत्रों से निकलने वाले फलाई ऐश स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दस मिलियन टन से अधिक फलाई ऐश का समुचित उपयोग करने और वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ताप बिजली प्राधिकारियों को कहा गया है कि वे फलाई-ऐश के निस्सारण को रोकने के लिए प्रभावी अवरोधक लगाएं और इसको सीमेंट, ईटों तथा ब्लाकों जैसी भवन सामग्रियों के लिए उपयोग में लाने के लिए अनिवार्य कदम उठाएं।

सिरेमिक वस्तुओं का निर्यात

6397. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में कच्चे माल की बहुलता तथा सस्ते श्रम को देखते हुए और सिरेमिक वस्तुओं के परम्परागत निर्माता देशों में श्रमिकों की कमी को देखते हुए विश्व बाजार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए सिरेमिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की भारी संभावनाओं का लाभ उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कच्चे माल और लगातार बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने और लघु क्षेत्र में चीनी मिट्टी के निर्माताओं के उत्पादन की वर्तमान सीमा को हटाकर जिससे उद्योग में रोजगार बढ़ेगा और वहां तक देश में बेरोजगारी घटेगी, समुचित प्रोत्साहन देने का है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) सिरेमिक उद्योग में लगे उत्पादकों की सभी सम्भव प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाएगा।

मोटर गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि

6398. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ी उद्योग की कुछ शाखाओं ने 'स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण' के बावजूद अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं;

(ख) क्या सरकार मोटर गाड़ी उद्योग के और विशेष रूप से सहायता उद्योग के स्वदेशीकरण की आवश्यकता के बारे में गम्भीर है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जिन निर्माताओं ने 1983-84 के दौरान अपनी गाड़ियों की कीमतों को रोके रखने के लिए स्वैच्छा से वचन दिया था उन्होंने अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं की है।

(ख) जी, हां।

(ग) निर्माताओं के लिए यह अपेक्षित है कि वे तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा स्वीकृत चरण बद्ध निर्माण कार्यक्रमों के अनुसार मोटरगाड़ियों और सहायक वस्तुओं के उत्पादन का स्वदेशीकरण करें। इसके साथ ही मोटरगाड़ियों तथा सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद् की 19 मार्च, 1984 को हुई बैठक में उद्योग मन्त्री द्वारा तेजी से स्वदेशीकरण करने के महत्व पर बल दिया गया है। संघों और निर्माताओं के साथ निरन्तर परस्पर सम्पर्क करके इन प्रयासों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां

6399. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चालू वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किए गये मदों के सम्बन्ध में मुख्य उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) केंद्र सरकार ने इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की है और राज्य सरकार ने कितनी धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उपलब्धियों और परिव्ययों/व्यय को दर्शाने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न है।

विवरण-एक

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धि हिमाचल प्रदेश

कार्यक्रम	यूनिट	1981-82	1982-83	1983-84 प्रत्याशित
1	2	3	4	5
ग्रामीण विद्युतीकरण	बिजली लगाए गए गांवों की संख्या	168	125	20
ग्रामीण सड़कें				
(क) 1500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव	जोड़े गए गांवों की संख्या	1	1	2
(ख) 1000 और 1500 के बीच की जनसंख्या वाले गांव	वही	3	1	3
प्रारंभिक शिक्षा	कक्षा 1 से 8 (000 तक) की कक्षाओं में अतिरिक्त नामांकन	40	47	20
प्रौढ़ शिक्षा	सम्मिलित किए गए व्यक्ति (000 व्यक्ति)	19	22	30
ग्रामीण जलपूर्ति	शामिल किए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या	1180	1070	800
ग्रामीण रहने के स्थान व निर्माण स्कीम	परिवार (संख्या)			
(क) आवंटित किए गए स्थान	वही	60	40	—

1	2	3	4	5
(ख) दी गई निर्माण सहायता	—	—	—	—
शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	गंदी बस्ती जनसंख्या (संख्या)	4000	4000	8914*
पोषाहार	लाभग्राहियों की संख्या			
(क) विशेष पोषाहार कार्यक्रम	—वही—	42480	50000 (प्रत्याशित)	64777
(ख) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	—वही—	17500	24000	20000
ग्रामीण स्वास्थ्य				
(क) उप-केन्द्र	संख्या	74	200	22
(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	संख्या	—	11	13
(ग) सहायक केंद्र	संख्या	—	9	13
(घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	संख्या	—	4	3

*फरवरी, 1984 तक ।

विवरण-दो

परिव्यय/व्यय-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—हिमाचल प्रदेश

(लाख रु०)

कार्यक्रम	1981-82		1982-83		1983-84	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6	7
ग्रामीण विद्युतीकरण	60	67	66	38	25	54
ग्रामीण सड़कें	640	840	640	635	650	640

1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिक शिक्षा	160	265	350	320	450	554
प्रौढ़ शिक्षा*	4	3	3	3	7	6
ग्रामीण स्वास्थ्य*	137	175	139	175	193	193
ग्रामीण जलपूर्ति*	717	1380	844	1076	1000	946
ग्रामीण भूमिहीनों के लिए आवास	5	एन०ई०जी	1	—	1	1
शहरी गंदी बस्तियों का सुधार	8	5	5	10	10	10
पोषाहार	27	53	42	65	60	62
जोड़	1758	2788	2090	2331	2396	2466

*केंद्रीय क्षेत्रक के अन्तर्गत व्यय शामिल नहीं है।

छठी योजना के दौरान राज्यों द्वारा संसाधन का जुटाया जाना

6400. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन जुटाने में सफल हुये हैं ये संसाधन किस किस्म के हैं और प्रत्येक राज्य और योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए इनकी मात्रा कितनी है;

(ख) क्या योजना आयोग ने इन उपलब्धियों का आंकलन किया है और वार्षिक योजना सीमा निर्धारित करने में संबंधित राज्यों को प्राथमिकता दी है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस प्रकार की प्राथमिकता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने को, उनके वार्षिक योजना के आकार का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

(करोड़ रु०)

राज्य	1980-81			1981-82			1982-83			1983-84		
	कर द्वारा	गैर-कर द्वारा	जोड़	कर द्वारा	गैर-कर द्वारा	जोड़	कर द्वारा	गैर-कर द्वारा	जोड़	कर द्वारा	गैर-कर द्वारा	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आन्ध्र प्रदेश	15.00	22.91	37.91	18.00	77.01	95.01	20.88	113.31	134.19	66.24	117.40	183.64
2. असम	—	2.59	2.59	10.62	14.79	25.41	17.88	17.67	35.55	21.38	38.22	59.64
3. बिहार	15.40	16.98	32.38	37.55	106.20	143.75	146.59	170.98	217.57	106.46	251.20	357.66
4. गुजरात	2.10	22.74	24.84	50.39	99.80	150.19	75.87	207.47	283.34	99.18	278.91	378.09
5. हरियाणा	4.15	7.86	12.01	8.35	22.61	30.96	17.02	44.18	61.20	35.27	108.27	143.54
6. हिमाचल प्रदेश	2.10	0.40	2.50	4.30	3.44	7.74	3.89	13.41	17.30	5.29	18.67	23.96
7. जम्मू और कश्मीर	3.17	1.93	5.10	6.11	12.02	18.13	11.03	21.06	32.09	12.82	26.32	39.14
8. कर्नाटक	10.23	37.26	47.49	31.68	77.71	109.39	63.75	87.78	151.53	75.47	135.23	210.70
9. केरल	—	9.63	9.63	0.25	25.40	25.65	1.88	52.08	53.96	33.93	82.39	116.32
10. मध्य प्रदेश	4.50	29.75	34.25	7.37	110.14	117.51	18.99	191.07	210.06	35.42	338.66	374.08
11. महाराष्ट्र	6.66	6.70	13.36	50.47	134.70	185.17	128.76	280.04	408.80	197.79	310.40	508.19
12. मणिपुर	—	0.05	0.05	0.40	0.24	0.64	0.59	0.86	1.45	1.19	1.69	2.88
13. मेघालय	0.32	0.07	0.39	0.83	0.94	1.77	0.93	7.32	8 25	1.06	7.48	8.54
14. नागालैंड	0.05	—	0.05	0.12	0.97	1.09	1.13	6.40	6.53	0.13	8.51	8.54
15. उड़ीसा	5.98	13.11	19.09	15.12	31.91	55.03	28.44	55.34	83.78	36.35	85.43	121.78
16. पंजाब	4.50	3.70	8.20	33.62	46.86	80.48	57.44	87.75	145.19	62.90	119.09	181.99
17. राजस्थान	—	17.69	17.69	16.78	49.10	65.88	43.40	143.61	187.01	57.70	192.21	249.91
18. सिक्किम	—	0.02	0.02	0.17	0.40	0.57	0.27	0.59	0.86	0.34	0.80	1.14
19. तमिलनाडु	0.27	10.91	10.64	125.13	44.39	169.52	198.95	69.99	268.94	234.85	221.59	456.44
20. त्रिपुरा	0.02	0 07	0.09	0.30	0.17	0.47	0.43	0.27	0.70	0.61	0.32	0.93
21. उत्तर प्रदेश	32.15	22.62	54.77	83.05	94.67	177.72	105.23	178.50	283.73	138.32	267.26	405.58
22. पश्चिम बंगाल	19.25	11.95	31.20	20.52	57.43	77.95	45.78	76.88	122.66	119.76	95.91	215.67
जोड़ :	125 31	238.94	364.25	521.13	1018.90	1540.03	888.13	1826.56	2714.69	1342.46	2705 96	4048.42

केंद्रीय पुलिस बलों में उप महानिरीक्षक स्तर पर आई० पी० एस० अधिकारियों का बदला जाना

श्री जैनुल बशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी केन्द्रीय पुलिस बलों में उप-महानिरीक्षक स्तर पर आई पी एस अधिकारियों को इन बलों के अधिकारियों से बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु सीमा सुरक्षा बल और के० रि० पु० बल में उप महानिरीक्षक के स्तर पर संवर्ग अधिकारियों को पदोन्नति के लिये विशेष कोटे निर्धारित किये गए हैं ।

भाषाई दंगे

6402. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में हो रहे भाषयी दंगों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने सरकारी सेवा के कुछ श्रेणियों में कन्नड़ को अनिवार्य बनाने की मांग से उत्पन्न कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में सूचित किया है । इन घटनाओं में 3 व्यक्ति मारे गए और 143 व्यक्ति जख्मी हुए । राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि उसने शांति बहाल करने के लिये अनेक उपाय किए हैं । संविधान के अन्तर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्राप्त विभिन्न संवैधानिक रक्षोपाय और भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के संगठन के अभिकरणों के माध्यम के और अल्पसंख्यक आयोग के अतिरिक्त केन्द्र सरकार, शान्ति और सौधर्दता कोबढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क रखती है ।

देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचार

6403. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं;

(ग) क्या कुछ स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन आंदोलनों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की समस्या के प्रति पूरी तरह सजग है और इस समस्या को समाप्त करने के लिये कृतसंकल्प है । केंद्रीय गृह मंत्री के 10 मार्च, 1980 और 8 दिसम्बर, 1980 के अ० शा० पत्र में राज्य सरकारों को व्यापक मार्ग दर्शी निदेश जिनमें अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए अपेक्षित एहतियाती, निरोधक,

दण्डात्मक, पुनर्वासात्मक और कार्मिक नीति सम्बन्धों उपाय शामिल है, भेजे गए हैं। सरकार राज्य सरकारों से उनके प्रभावकारी कार्यान्वियन के लिये आग्रह करती है।

(ग) और (घ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

चमड़ा उद्योग से लाभान्वित अनुसूचित जातियां

6404. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में चमड़ा उद्योग को सुधारने के लिये अनेक उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा और इस उद्योग से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी हां।

(ख) देश के पारम्परिक चर्म उद्योग में जो मुख्य रूप से कुटीर क्षेत्र का उद्योग है में लगभग 12 लाख अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं। चमड़ा उद्योग का खास तौर से प्रारंभिक स्तर पर सुधार करने के लिए अनेक राज्य सरकारों ने चमड़ा विकास निगमों की स्थापना की है। केन्द्रीय स्तर पर भी वर्ष 1976 में मेसर्स भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड को निगमित किया गया था चमड़ा उद्योग में लगे कर्मचारियों की सामाजिक, आर्थिक अवस्थाओं में सुधार करने के लिये चमड़ा विकास निगमों द्वारा बिचोलियों को समाप्त करने के लिए सामान्य सुविधा केन्दों, कच्ची सामग्री डिपो, तकनीकी सहायता एवं विपणन सहायता का संवर्द्धन किया जा रहा है।

झीलों में पानी का प्रदूषण

6405. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी की :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया हैं कि झीलों का स्वच्छ जल जनसंख्या वृद्धि, खेती के लिये इनसे पानी लेने, कीटनाशी अपशिष्टों को उनमें बहाए जाने, मल जल निकासी और औद्योगिक अपशिष्टों के कारण प्रदूषित हो रहा है और अब केवल कुछ झीलों का स्वच्छ पानी ही प्रदूषण रहित रह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पानी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) स्वच्छे जल की झीलों की पारिस्थितिकीय पर मानव असाधनों, मानवीय हस्तक्षेपों कीटनाशी अपशिष्टों का उनमें बहाए जाने, जलचर कीटों की वृद्धि, औद्योगिक अपशिष्ट और मल जल निकासी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। डल झील (कश्मीर) चिल्का झील (उड़ीसा), भीमताल और नैनीताल (उत्तर प्रदेश) भोपाल की निचली झील (मध्य प्रदेश), लोक तक झील (इम्फाल), हुस्सैन सागर (आंध्र प्रदेश) रेनुका और रेवलसार (हिमाचल प्रदेश) पर किएगए अध्ययनों से यह पता चला है कि झीलें बहुत अधिक दबाव में हैं और विभिन्न मानवीयगतिविधियों से गम्भीर रूप से दुष्प्रभावित हैं।

(ग) राज्य सरकारों से झीलों के संरक्षण और प्रबन्ध के लिए उनके विस्तृत छानबीनों से प्रकट हुई सिफारिशों का अनुसरण करने का अनुरोध किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली में कर्मचारियों की नियुक्ति

6406. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली में कलेंडर वर्ष 1982 और 1983 के दौरान पृथक पृथक श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं;

(ख) क्या ये नियुक्तियां समिति के प्रशासनिक निदेशकों के बोर्ड अथवा इसके निदेशों के अन्तर्गत अथवा महा प्रबन्धक और प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष/स्वयं निदेशकों द्वारा बिना परामर्श किये की गयी हैं ;

(ग) क्या समिति के उपनियमों में यह प्रावधान है कि सभी नियुक्तियां प्रशासनिक निदेशकों के बोर्ड द्वारा की जायें; और

(घ) समिति के उपनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए समिति के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : एक विवरण संलग्न है।

(ख) सभी नियुक्तियां परीक्षाओं/साक्षात्कारों, जहां कहीं आवश्यक हो, के आधार पर तथा निदेशक बोर्ड/प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। उच्चतर पदों पर नियुक्तियों की प्रशासन बोर्ड/निदेशक बोर्ड द्वारा अभिपुष्टि की गई थी।

(ग) उप नियमों की भावना का जिसमें नियुक्तियां बोर्ड द्वारा किए जाने की व्यवस्था है, सभी मामलों में अनुपालन किया गया है क्योंकि निदेशक बोर्ड/प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष के अनुदेशों के अधीन गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों के अतिरिक्त कोई भी नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

	1982	1983
पर्यवेक्षी कर्मचारी	2	3
लिपिक	5	9
जूनियर सेल्समैन/ जूनियर सेल्स गर्ल्स	15	10
चालक	2	1
इलेक्ट्रिशियन	—	1
हैल्पर्स	13	20
चपरासी	—	1
सफाई कर्मचारी	—	1

खादी उद्योग की कार्य निष्पति

6407. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का किस सीमा तक उपयोग कर रहा है और उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (आज की तारिख तक) के दौरान देश में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) इन उद्योगों में राज्यवार कितने लोग लगे हुए हैं; और

(घ) इन उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों जहां अभी तक यह उद्योग नहीं है, लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कताई पूर्व प्रक्रियाओं में बिजली के प्रयोग की अनुमति दी है जिससे पूनियों की किस्म में सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप मजबूत और बेहतर सूत का उत्पादन हुआ है। गई नए चरखों अर्थात् अंबर चरखा और 6 तथा 12 तकुओं वाले नये माडल के चरखे से सूत का अधिक उत्पादन दन हुआ है और इसके फल स्वरूप कताई करने वालों की आय बढ़ी है। कताई करने वालों की परम्परागत चरखे से 1/-रुपये प्रति दिन की आय नए माडल के चरखे से बढ़कर लगभग 5/-रुपये प्रतिदिन हो गई है। 12 तकुओं वाले चरखों से 8 घंटे में सूत की 40 लच्छिओं तक की कताई हो सकती है। आयोग ने बढ़िया सूत और ऊनी सूत के उत्पादन के लिए रिंग-फ्रेम कताई तकनीक भी शुरू की है। बुनाई के संबंध में आयोग ने "टेक-अप मोशन" अटैचमेंट और सेमी-आटोमेटिक पैर से चलने वाले सुधरी किस्म के करघे विकसित किए हैं जिनसे बुनकरों की उत्पादकता और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में खादी और ग्रामोद्योगों में राज्यवार उत्पादन, बिक्री और रोजगार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1983-84 के लिए आंकड़े अभी संकलित किए जाने हैं।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिये निम्न-लिखित कदम उठाए हैं :—

1. (क) खादी और ग्रामोद्योगों के कार्यकलापों सम्बन्धी समाचारों और विचारों सहित ग्रामीण पुनर्निर्माण सम्बन्धी एक पाक्षिक पत्रिका "जागृति" का प्रकाशन करना।

(ख) खादी और ग्रामोद्योगों के लिये सहायक जानकारी; ग्राम उद्योगों आदि संबंधी माडल योजनाओं वाली पुस्तिकाएं और फोल्डर तैयार करना।

(ग) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विशेष परिशिष्ट निकालना और क्षेत्रीय दौरे करना।

2. रेडियो टी० वी० वृत्तचित्रों, प्रदर्शनियों, परिसंवादों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि द्वारा प्रचार करना।

3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।

4. लोगों से सीधा सम्पर्क करना।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पहाड़ी, सीमावर्ती जनजातीय और कमजोर वर्गों वाले क्षेत्रों में कमजोर वर्गों क लिए वित्तीय सहायता की उदार बनाई गई प्रणाली से विभागीय एककों की स्थापना की है। 34.34 लाख के कुल रोजगार में से इस कार्यक्रम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या 9.23 लाख थी।

विवरण

वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए उत्पादन, बिक्री और रोजगार के राज्यवार आंकड़े

क्रम सं०	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	1981-82			1982-83		
		खादी और ग्रामोद्योग			खादी और ग्रामोद्योग		
		उत्पादन	बिक्री	रोजगार	उत्पादन	बिक्री	रोजगार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**राज्य**						
1.	आंध्र प्रदेश	3881.38	4078.61	2.98	4681.37	5345.84	3.40
2.	असम	490.13	481.88	0.71	547.98	525.33	0.76
3.	बिहार	4489.86	4682.44	2.75	5514.87	5469.83	2.88
4.	गुजरात	5091.98	4679.14	1.15	4916.99	4121.80	1.24
5.	हरियाणा	2177.68	2179.54	0.62	2663.03	2511.65	0.64
6.	हिमाचल प्रदेश	977.41	1147.08	0.39	1179.50	1393.66	0.47
7.	जम्मू और कश्मीर	822.91	729.29	0.32	1251.14	1158.26	0.41
8.	कर्नाटक	4238.70	3743.14	1.15	4996.82	4396.99	1.17
9.	केरल	2830.89	2895.92	1.62	3173.47	3134.65	1.67

(...जारी)

1 2	3	4	5	6	7	8
10. मध्य प्रदेश	1095.05	1432.43	0.97	1440.13	1848.25	0.70
11. महाराष्ट्र	6685.38	7959.36	1.97	7971.62	9784.95	1.98
12. मणिपुर	500.94	456.75	0.17	541.51	549.37	0.13
13. मेघालय	81.72	98.52	0 03	63.09	77.43	0.03
14. नागालैंड	36 62	59.93	0.01	19.17	37.69	0.02
15. उड़ीसा	1040.03	1097.86	1.25	1011.61	974.79	0.89
16. पंजाब	2495.36	2592.05	0.92	2950 44	3049.32	1.00
17. राजस्थान	4676.36	4743.93	1.91	5498.04	5676.47	2.28
18. सिक्किम	4.28	10.97	—	7.90	8.93	—
19. तमिलनाडु	10,947.73	10,986.94	5.66	11,610.60	11,671.93	5.82
20. त्रिपुरा	375.11	410.28	0.09	540.23	573.68	0.19
21. उत्तर प्रदेश	11,472.78	12,355.11	6.41	13,260.89	14,452.32	7.19
22. पश्चिम बंगाल	1662.40	1215.05	1.23	2019.54	1413.51	1.39
योग-1 :	66,074.70	68,036.22	32.31	75,59.894	78,176.65	34.26
2 संघ शासित प्रदेश						
1. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.26	0.31	—	0.49	0.57	—
3.	चंडीगढ़	193.09	204.61	—	175.63	182.59	—
4.	दादरा और नगर हवेली	0.48	—	—	0.48	—	—
5.	दिल्ली	136.10	578.01	0.07	237.70	668.86	0.07
6.	गोवा दमन और दिव	33.48	34.12	0.03	35.97	36.53	0.01
7.	मिजोरम	0.04	—	—	0.08	—	—
8.	पांडिचेरी	27.86	25.04	0.01	29.80	20.24	*
	योग-3	391.31	842.09	0.11	480.15	908.79	0.08
3.	विविध						
1.	विभागीय	110.66	546.73	—	60.21	279.73	
2.	अन्य योजनाएं	—	—	—	—	—	
	योग-3 :	110.66	546.73	—	60.21	279.93	

राज भाषा अधिनियम की क्रियान्विति

6408 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 को धारा 3 (3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को देश के क, ख और ग तीनों क्षेत्र के राज्यों के लिए द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो अन्तरिक्ष विभाग द्वारा क, ख, ग क्षेत्र में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में भारा 3(3) को क्रियान्विति को प्रतिशतता का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) तीनों क्षेत्रों के राज्यों में उक्त सभी चौदह मुद्दों संबंधी कार्य शत-प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाई हैं; और

(घ) सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सी कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग और इसके विविध केन्द्रों और यूनिटों द्वारा क, ख और ग क्षेत्रों में स्थिति राज्यों में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान धारा 3(3) की क्रियान्विति को प्रतिशतता के राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरे से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और इन्हें सदन के पटल परल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) तीनों क्षेत्रों के सभी राज्यों में 14 मुद्दों संबंधी कार्य शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में करने में किसी प्रकार की विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है; और

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) की क्रियान्विति

6409. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यहा सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को देश के क, ख और ग तीनों क्षेत्रों के राज्यों के लिए द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क, ख, और ग क्षेत्रों के राज्यों में स्थित संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में धारा (3) को क्रियान्विति की प्रतिशतता का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) तीनों श्रेणी के राज्यों में उक्त सभी चौदह मुद्दों संबन्धी कार्य को शत-प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाई है; और

(घ) सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सी कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मारुति लि० के अन्तर्गत पक्षों को विदेशी मुद्रा का प्रेषण

6410. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या उद्योग मन्त्री मारुति-सुजुकी सहयोग के बारे में 7 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1840 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त उल्लिखित प्रश्न के उत्तर में बताये गये अनुसार मारुति-सुजुकी सहयोग के अंतर्गत विभिन्न फर्मों को विदेशी मुद्रा भेजने के प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्ग निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एकमुश्त अदायगी, रायल्टी और उपकरणों के आयात के लिए समझौते के अन्तर्गत आज की तारीख तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्रेषित की गई है और प्रत्येक मद के अन्तर्गत 1984-85 में प्रेषित किये जाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा निर्धारित की गई है;

(ग) लाइसेंस करार की विशिष्ट शर्तों को संसद के समक्ष उद्घाटित करना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में न होने के क्या कारण हैं और क्या करार की एक प्रति संसद ग्रंथालय में उपलब्ध कराई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी संदर्भ संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) विदेशी सहयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त सरकारी प्रकाशन "गाइडलाइन्स फार इन्डस्ट्रीज" भाग एक के अध्याय-4 में संक्षेप में दिये गये हैं।

(ख) तथा (ग) लागत, खरीद मूल्यों, इत्यादि से सम्बधित मामलों की जानकारी दिये जाने से कम्पनी की प्रतियोगी स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इस प्रकार लाइसेंस-समझौते की एक प्रति को संसद की लायब्रेरी में रखे जाने का प्रस्ताव नहीं किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों में क्षमता का उपयोग न किया जाना

6411. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम की यूनिटवार क्षमता क्या है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है और उसके परिणामस्वरूप लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन में कमी आई है; और

(ख) इन उपक्रमों का कार्यनिष्पत्ति में सुधार विशेषकर उनकी तकनीकी कुशलता का अद्यतन बनाने, उनके पुराने संयंत्रों और मशीनों के नियमित योजनाबद्ध आधार पर नवीकरण और उन्हें बदलने और अद्यतन विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते करने, निर्माण के नए क्षेत्रों को और अग्रसर होने तथा कार्यकरण पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त धन के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 36 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, इनमें से 4 प्रवर्त्तक वाले एकक हैं और एक एकक अर्थात् टायर करपोरेशन आफ इंडिया हाल ही में स्थापित किया गया है। उत्पाद मिश्र और अन्य संबद्ध कारणों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उपक्रम के लिए प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता को उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 के लिए उत्पादन लक्ष्य और इसी अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की नियमित अवधि के बाद लगातार समीक्षा की जाती है और इन उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है, उपक्रमों/सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। सुधारात्मक उपाय प्रत्येक उपक्रम के लिए अलग-अलग होते हैं और इन सुधारात्मक उपायों का निर्णय एक विशेष समय में प्रचलित विभिन्न कारकों को ध्यान में रख कर किया जाता है। इन उपायों में पुराने संयंत्र और मशीनरी का नियमित तथा योजनाबद्ध आधार पर क्रमिक नवीकरण और बदला जाना, बिजली की कमी को दूर करने के लिए डी० जी० सेटों की स्थापना करना और राज्य विद्युत बोर्ड से अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए आग्रह करना, विनिर्माण के नये क्षेत्रों में विविधता करना, सरकार द्वारा संभव सीमा तक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन राशि की पर्याप्त व्यवस्था करना और कच्चे माल की निदिष्टियों को पूरा करने में सहायता देना सम्मिलित हैं।

विवरण

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	उत्पादन लक्ष्य (अप्रैल 83—फरवरी, 84)	वास्तविक उत्पादन (अप्रैल, 83-फरवरी, 84	लक्ष्य की प्रतिशत प्राप्ति
1	2	3	4	5
	औद्योगिक विकास विभाग			
1.	यूल एण्ड कं० लि०	3196.10	2992.17	93.62%
2.	भारत अपथलमीक ग्लास लि०	188.76	100.82	53.41%
3.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	9666.27	8666.22	89.36%
4.	साईकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	1402.00	1421.00	101.36%
5.	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	10075.65	9693.22	96.20%
6.	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	7033.83	4950.78	70.39%
7.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैंयु० कं लि०	7905.96	8031.72	101.59%
8.	इन्स्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड	3570.00	3624.61	101.53%
9.	नेशनल इन्स्ट्रूमैंट लि०	464.84	397.11	85.43%
10.	नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लि०	2919.30	2976.24	101.95%
11.	नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	517.43	336.60	65.05%

1	2	3	4	5
12.	टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	941.68	454.75	92.49%
	योग	47431.82	43645.24	92.02%
			अक्टूबर, 1983 फरवरी, 1984	
13*	(क) हिन्दुस्तान साल्ट लि०	6.22		
	(ख) साम्भर साल्ट लि०	20.57		
	* लेख वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर हैं।			
	भारी उद्योग विभाग			
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	116360	106611	92%
2.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०**	27799	26586	96%
3.	हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०	24642	13746	56%
4.	बन स्टेंडर्ड कं० लि०	7748	8027	104%
5.	जेसप एण्ड कं० लि०	5709	4831	85%
6.	भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०	4905	4589	94%
7.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	6308	4925	78%
8.	ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	4609	3838	83%
9.	निकल्सन एण्ड क्रडास लि०	3224	3915	121%
10.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	2154	2054	95%
11.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	3785	1559	41%
12.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि०	2979	3162	106%
13.	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्टस लि०	9952	7786	83%
14.	भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कं० लि०	1618	2108	103%
15.	लगन जूट मशीनरी कं० लि०	638	392	61%
16.	भारत ब्रेकर्स बाल्म्स लि०	544	439	81%
17.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियरिंग लि०*	685	777	113%
18.	मारूति उद्योग लि०	239	239	100%
	योग	214899	188584	89%

** एम० एम० टी० वियरिंगों को छोड़कर

* वेबर्ड इण्डिया लि० डब्ल्यू० आई० एल० को छोड़कर

कुछ बड़ी कम्पनियों के बहु प्रयोजनीय संयंत्र

6412. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (एक) श्रीराम फाइबर्स (दो) कलकत्ता के गोयनका तीन) बाटा इण्डिया लि०, कलकत्ता और (चार) बिड़ला की हिन्दुस्तान मोटर्स कम्पनियों के विभिन्न बहुप्रोजनीय संयंत्रों को जिन्हें हाल ही में केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : अनुमति योग्य उद्योगों में विद्यमान लाइसेंस क्षमता के भीतर विविधता लाने के लिए प्रस्ताव उस वस्तु के निर्माण से प्रशासनिक रूप से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं और निपटाये जाते हैं। विविधीकरण के प्रस्तावों की ठीक-ठीक जानकारी इस मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से न तो रखी जाती है और न मानीटर की जाती है।

सम्मान निधि द्वारा सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी

6413. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्मान निधि द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनों को सम्मानित किया गया है और मंत्रालय के पास और कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या शेष आवेदन पत्र कर्मचारियों की कमी के कारण निपटाये नहीं जा सके हैं; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों की कमी को पूर्ति हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं और कितने मामले लंबित पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 को एक अगस्त, 1980 से उदार बनाया गया था और इसको स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना नाम दिया गया था। इस वर्ष फरवरी के अन्त तक स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के अधीन प्राप्त 1,75,625 दावों में से 10,114 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन प्रदान कर दी गई है। पुरानी तथा नई योजनाओं के अन्तर्गत कुल 4,24,819 मामलों में से 1,39,178 दावे राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्टें और दावेदारों से मांगे गये अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं।

प्रत्येक योजना में प्रत्येक राज्य हेतु प्रति व्यक्ति आय

6414. **श्री ए० के० राय** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक योजना में प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय का योजना-वार और राज्य-वार पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या व्यय में क्षेत्र-वार कोई अन्तर है जिसके कारण असन्तोष है;

(ग) क्या व्यय का निर्णय करने के लिए कोई मार्गनिर्देश है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) यह आंकड़े नहीं रखे जाते हैं इसलिए इन्हें प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। किसी भी स्थिति में, केन्द्र द्वारा योजना निवेश में आधार संरचनात्मक तथा समाज कल्याण सेवाएं दोनों ही व्यापक रूप में तथा सरकारी क्षेत्रक की परियोजनाओं तथा इकाइयों में निवेश भी शामिल होता है। पहली सेवाओं का निर्णय राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर होता है जबकि परवर्ती (पिछली) का निर्णय तकनीकी आर्थिक तथा अन्य विचारों से किया जाता है। केन्द्रीय निवेशों के लिए आधार तथा मापदण्ड भिन्न-भिन्न होते हैं। इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न करना सम्भव नहीं है। इसके अलावा, जनसंख्या आधार योजना अवधि के भीतर भी परिवर्तित होता रहता है।

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय

6415. **श्री ए० के० राय** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के चालू और स्थिर मूल्य में राज्यवार पृथक-पृथक् ब्यौरा सहित अद्यतन प्रति व्यक्ति आय क्या है;

(ख) पिछले पन्द्रह वर्षों में क्या थी;

(ग) क्या आयोजना के कारण असमान विकास हुआ है और राज्यों के बीच अन्तर बढ़ा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यथा परिकलित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति आय (निवल देशीय उत्पादन) के वर्ष 1970-71 से, 1970-71 की सतत कीमतों, और वर्तमान कीमतों पर आंकड़े संलग्न विवरण 1 और 2 में दिए गए हैं। 1970-71 से पूर्व वर्षों के लिए तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं। यह कहना सही नहीं है कि योजना के परिणामस्वरूप कोई असमान विकास हुआ है अथवा यह भी कि योजना से राज्यों के बीच असमानता बढ़ी है। दूसरी ओर, योजना का उद्देश्य और अधिक समान विकास करना है।

(घ) क्षेत्रीय असंतुलनों/असमानताओं की समस्या का, छठी योजना में, विभिन्न उपायों के जरिए समाधान किया जाना है। केन्द्रीय स्तर पर, निम्नलिखित नीतियों तथा कार्यक्रमों को अपनाया गया है :—

(1) संसाधन अंतरण जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में है;

(2) विशिष्ट पिछड़े/समस्या क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम; और

(3) पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन उपाय।

विवरण-एक

प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद का अनुमान (वर्तमान मूल्यों पर)

(रुपए)

राज्य	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. आंध्र प्रदेश	586	627	657	857	1010	883	877	1002	1083	1167	1313	1536	—
2. असम	535	548	577	648	822	783	875	933	1007	1063	1221	1380	—
3. बिहार	402	415	480	575	687	661	697	741	773	806	927	995	—
4. गुजरात	829	827	761	1116	1037	1239	1404	1520	1548	1641	1828	2192	2182
5. हरियाणा	877	960	1015	1217	1300	1434	1646	1768	1895	1949	2331	2581	2798
6. हिमाचल प्रदेश	678	716	769	936	1048	1078	1029	1178	1295	1288	1523	1659	—
7. जम्मू और कश्मीर	548	588	610	716	830	928	909	1113	1222	1301	1496	1630	—
8. कर्नाटक	685	698	712	973	1077	1005	999	1132	1136	1208	1314	1541	1559
9. केरल	594	592	602	811	910	954	1009	1043	1121	1271	1379	1447	—
10. मध्य प्रदेश	484	534	575	733	837	781	778	926	889	855	1131	1241	1310
11. महाराष्ट्र	783	808	838	1087	1360	1388	1515	1663	1800	2034	2261	2496	2525
12. मणिपुर	377	446	550	663	778	776	752	780	792	945	1052	1045	—
13. मेघालय	—	—	—	598	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. उड़ीसा	478	473	575	699	715	729	690	845	873	847	1101	1308	—
15. पंजाब	1070	1121	1244	1513	1634	1749	2019	2231	2351	2611	2771	3164	3484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16. राजस्थान	620	560	597	827	849	863	948	1020	1150	1023	1277	1417	—
17. तमिलनाडु	581	648	669	749	826	83[illegible]	944	1018	1070	1210	1197	1373	—
18. त्रिपुरा	502	563	534	649	789	813	896	928	1019	1095	—	—	—
19. उत्तर प्रदेश	486	497	603	668	752	721	818	929	935	965	1280	1313	1439
20. पश्चिम बंगाल	722	779	781	935	1081	1109	1194	1266	6364	1413	1553	1595	—
21. दिल्ली	1199	1303	1384	1539	1863	2033	2174	2349	2401	2628	2872	3208	—
22. गोआ, दमन और दीव	916	993	1048	1284	1506	1615	1791	2000	2119	2527	2794	—	—
23. पाण्डिचेरी	832	969	1044	1360	1484	1580	1706	2007	2459	2905	2928	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	350	373	390	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. अखिल भारत (प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद)	613	660	712	871	1006	1024	1077	1191	1252	1333	1559	1758	1891

* त्वरित अनुमान

— उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : प्रयुक्त स्रोत विषय और वर्गीकरण में विभिन्नता के कारण आंकड़े पूरी तरह तुलनीय नहीं है ।

स्रोत : राज्य स्तर के अनुमानों के लिए राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो; अखिल भारत अनुमानों के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ।

विवरण-दो

प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद का अनुमान, स्थिर मूल्यों पर (1970-71 के मूल्यों पर)

(रुपए)

राज्य/संघ राज्य	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. आंध्र प्रदेश	586	592	534	624	628	625	556	616	659	631	649	718	—
2. असम	535	544	552	549	530	559	538	565	545	516	558	546	—
3. बिहार	402	406	397	382	394	413	423	437	438	406	447	448	—
4. गुजरात	829	832	650	775	652	818	851	882	911	852	861	948	861
5. हरियाणा	877	887	846	819	802	939	976	991	1064	965	1061	1078	1124
6. हिमाचल प्रदेश	678	680	669	693	678	738	686	729	742	646	694	719	—
7. जम्मू और काश्मीर	548	547	538	559	566	573	553	611	648	633	673	681	—
8. कर्नाटक	685	683	629	719	696	702	631	723	723	675	637	678	662
9. केरल	594	613	615	600	595	610	592	590	593	612	619	636	—
10. मध्य प्रदेश	484	507	474	477	467	497	449	507	400	392	493	512	500
11. महाराष्ट्र	783	786	729	799	855	878	914	964	1002	1000	980	1007	978
12. मणिपुर	377	390	375	444	470	469	464	488	444	430	462	462	—
13. उड़ीसा	478	427	462	483	410	475	435	503	527	428	529	564	—
14. पंजाब	1070	1084	1098	1107	1120	1192	1244	1320	1388	1365	1380	1443	1474
15. राजस्थान	620	536	498	541	499	572	584	600	642	534	555	585	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
16. तमिलनाडु	581	599	589	603	514	598	606	655	669	646	615	667	—
17. त्रिपुरा	502	540	461	553	512	518	563	580	592	590	—	—	—
18. उत्तर प्रदेश	486	450	467	436	446	474	477	506	514	432	518	520	529
19. पश्चिम बंगाल	722	738	701	708	715	747	753	794	761	716	761	720	—
20. दिल्ली	1199	1236	1216	1208	1207	1271	1313	1352	1382	1396	1367	1441	—
21. गोआ, दमन और दीव	916	1006	992	1016	1148	1224	1238	1293	1240	1296	1421	—	—
22. पांडिचेरी	832	918	898	974	848	913	966	1080	1324	1335	1138	—	—
23. अखिल भारत (प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद)	633	627	604	621	618	661	650	693	716	662	697	715	712

* त्वरित अनुमान

—उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : प्रयुक्त स्रोत विषय और वर्गीकरण में विभिन्नता के कारण आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

स्रोत : राज्य स्तर के अनुमानों के लिए राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो; अखिल भारत अनुमानों के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकता

6416. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को अण्डमान और निकोबार प्रशासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निर्माण कार्य के लिए, गत तीन वर्षों से कुल कितनी इस्पात संबंधी आवश्यकता प्राप्त हुई है;

(ख) उसमें से उसे कितना इस्पात भेजा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): (क) से (ग) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से प्राप्त हुई इस्पात की आवश्यकता तथा स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० द्वारा आफर की गई मात्रा की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(मात्रा टनों में)

वर्ष	अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से प्राप्त हुई इस्पात की आवश्यकताएं	"सेल" द्वारा की गई पेशकश
1981-82	221.175	251.175
1982-83	1779.500	1753.000
1983-84	2811.000	1971.000 (फरवरी, 84 तक)

वर्ष 1983-84 की बाकी आवश्यकता के लिए आफर भेजने के लिए "सेल" को कह दिया गया है ।

बिहार विधान सभा में एक कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

6417. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या गृह मंत्री बिहार विधान सभा के एक कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के बारे में दिनांक 3 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1835 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मामले को हल करने में केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा क्या प्रगति की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्दी ही अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है ।

आशय पत्रों की निगरानी

6418. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्य औद्योगिक विकास निगमों को मंजूर किए गए आशय पत्रों के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए हाल ही में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा है; और

(ख) सरकार का राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वियन पर किस प्रकार निगरानी रखने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव):(क) जी, हां। मुख्य मन्त्रियों को भेजे गये दिनांक 24 फरवरी, 1984 के एक पत्र में, आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वियन की प्रगति की मॉनीटरिंग करने की एक व्यापक प्रणाली तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की प्रगति की मॉनीटरिंग उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय, तकनीकी विकास का महानिदेशालय और संबंधित प्रशासनिक अनुभागों के माध्यम से की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय भी अपने से संबधित आशय-पत्रों और लाइसेंसों की प्रगति की निगरानी करते हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी

6419. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में नितांत गरीबी विद्यमान है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले आदिवासी लोगों की अनुमानित संख्या के बारे में किसी स्तर पर कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) उनकी स्थिति सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार के स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार को मालूम है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों सामान्यत: कमजोर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां विद्यमान हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों सहित देश में नियमित नियोजन प्रक्रिया के रूप में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, कृषि जनगणना, आर्थिक जनगणना, यूनिवर्सल बेंच मार्क सर्वेक्षण और तदर्थ सर्वेक्षण जैसे सर्वेक्षण और अध्ययन किए जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले आदिवासी लोगों का पता लगाने के लिए कोई विशेष विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन अनुमान है कि अधिकांश आदिवासी परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता के लिए गरीबी की दशा में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सर्वेक्षण भी किए गए हैं।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई आदिवासी उप-योजना परिकल्पना आदिवासी विकास के लिए मुख्य उपकरण के रूप में जारी है। केन्द्रीय सरकार आदिवासी विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है ताकि कृषि, बागवानी, पशुपालन, लघु उद्योगों आदि के क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर्त्ता परिवारों का उत्पादकता स्तर ऊंचा उठाकर परिवाराभिमुख लाभकारी कार्यक्रमों को चलाने के लिये उनके प्रयासों में वृद्धि हो सके।

दैनिक मजदूरी पर मजदूरों को नियमित किया जाना

6420. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के दौरान अथवा उससे पूर्व बड़ी संख्या में लगाए गए दैनिक मजूरी पर मजदूरों की सेवाएं अभी तक नियमित नहीं की गई हैं;

(ख) "नैमित्तिक मजदूर" और "दैनिक मजूरी पर मजदूर" की परिभाषा सहित नैमित्तिक और दैनिक मजूरी पर एक मजदूर को लगातार कितने दिन तक काम पर लगाया जा सकता है इसके लिए नियमों में न्यूनतम क्या अवधि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या रोक लगाए जाने के बावजूद विभिन्न मंत्रालय/विभाग अभी भी नैमित्तिक मजदूर लगा रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार 2 वर्ष में 240 दिनों से अधिक कार्य दिन पूरे कर लिये हैं;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि श्रेणीवार की कुछ रिक्तियों का दो महीने के लिए तदर्थ आधार पर भरा जा रहा है और कुछ दिनों के अन्तर के पश्चात् पुन: दो से तीन महीनों के लिए भरा जाता है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) नैमित्तिक मजदूरों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा अपनी शक्तियों के अधीन नियुक्त किया जा सकता है। वे रोजगार कार्यालय क्रियाविधि में ढील देकर उन्हें समूह "घ" पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त करने के लिए भी सक्षम हैं, बशर्ते कि वे उक्त विषय पर सामान्य अनुदेशों में निर्धारित कतिपय शर्तें पूरी करते हों। चूंकि नैमित्तिक मजदूरों की भर्ती तथा विनियमन किसी केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से नहीं किया जाता इसलिए ऐसे नैमित्तिक मजदूरों के ब्यौरे देना सम्भव नहीं है, जिन्हें 1980 में या इससे पहले भर्ती किया गया था किन्तु अभी तक नियमित नहीं किया गया है।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में भर्ती किए गए नैमित्तिक मजदूरों की सेवाएं कतिपय शर्तों के अध्याधीन ऊपर (क) पर उल्लिखित रीति से नियमित की जा सकती हैं, जबकि उन्होंने नियमित समूह घ पद पर नियुक्ति की तारीख को दो लगातार वर्षों में प्रतिवर्ष नैमित्तिक मजदूर के रूप में कम से कम 240 दिन की सेवा (सेवा विच्छेद की अवधियों सहित) कर ली हो।

नैमित्तिक/दिहाड़ी मजदूर का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे बिलकुल अस्थायी/आकस्मिक/सामयिक/आवधिक स्वरूप के कार्य के लिए भर्ती किया गया है और दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य कर रहा है।

(ग) यद्यपि नियमित स्वरूप के कार्य के लिए दैनिक मजदूरी के आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त करने के संबंध में 21-3-1979 से प्रतिबंध लगाया गया था तो भी बिलकुल अस्थायी/आकस्मिक/सामयिक/आवधिक स्वरूप के कार्य के लिए व्यक्तियों को दैनिक मजदूरों के रूप में अभी भी भर्ती किया जा सकता है, जबकि उनकी भर्ती किसी मंत्रालय/विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार न्यायसंगत हो।

(घ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के ऐसे कोई अनुदेश नहीं हैं जिनमें समूह "घ" पदों के लिए नैमित्तिक/दिहाड़ी मजदूर को तदर्थ आधार पर नियुक्त करना आवश्यक हो। इसके विपरीत, नियमित स्वरूप के कार्य के लिए दिहाड़ी पर मजदूरों के नियुक्त किए जाने पर प्रतिबन्ध है। चूंकि मन्त्रालयों/विभागों द्वारा की गई तदर्थ नियुक्तियों, यदि कोई है, के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप में मानीटर नहीं की जाती इसलिए इस विभाग को इस संबंध में जानकारी नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

लक्ष्मी सीमेंट कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या

6421. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थन के सिरोही जिले में जे० के० पुरम में लक्ष्मी सीमेंट कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को इस बीच स्थायी कर दिया गया है तथा उन्हें दैनिक या मासिक मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि सिरोही जिले की लक्ष्मी सीमेंट फैक्टरी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 540 है जिसमें से 408 स्थायी हैं; फैक्टरी द्वारा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सीमेंट मजदूरी बोर्ड के निर्णय के अनुसार किया जा रहा है; और नियमित कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 930/- प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है।

केंद्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी संवर्ग की चयन सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को शामिल किया जाना

6422. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी संवर्ग में वर्ष 1980 से 1983 तक के लिए चयन सूची बना रखी है; और

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी संवर्ग की चयन सूचा में शामिल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुबय्या) : (क) जी, हां।

(ख) प्रवर सूचियों में शामिल किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

ग्रेड	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
अवर सचिव (1980-1983)	105*	2*
अनुभाग अधिकारी (1980-1982)+	188	10

*वर्ष 1983 की प्रवर सूची में अनुसूचित जाति की 7 रिक्तियां तथा अनुसूचित जनजाति की 13 रिक्तियां खाली रह गई थीं जिसके लिए अप्रैल, 1984 में केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है।

+वर्ष 1983 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की प्रवर सूची अभी जारी नहीं की गई है।

294 डाउन पैसेंजर गाड़ी की रेल डाक सेवा डिब्बे से पार्सलों की चोरी

6423. **श्री राम लाल राही** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी-वाराणसी संभाग में 294 डाउन पैसेंजर गाड़ी को रेल डाक सेवा डिब्बे के एक लाख से अधिक पार्सल चोरी चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1980 से आज तक रेलों में कितनी डकैतियां और चोरियां हुई;

(ग) क्या चोरी और डकैती के सभी मामलों का पता लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो चोरों से कितनी मात्रा में सामान और धन बरामद किया गया है;

(ङ) क्या चोरों और डकैतों से बरामद धन सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) से (च) विवरण संलग्न है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार 12-2-1984 को उत्तर-पूर्वी रेलवे के भटनीवाराणसी स्टेशन पर 254 डाउन पेसेंजर गाड़ी न कि 294 डाउन पेसेंजर गाड़ी के रेल डाक सेवा डिब्बे से, लगभग 2,00,000 रु० (दो लाख रुपए केवल) मूल्य की लगभग 240 इंस्योर्ड वस्तुएं चोरी की गई हैं। वर्ष 1980 से ऐसे 11 मामले हुए। पुलिस द्वारा अब तक 3 मामले सुलझा लिए गए हैं। एक मामले में पुलिस द्वारा 15450/- रु० बरामद किए गए।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 1980 के बाद चलती हुई रेल गाड़ियों में डकैतियों और लूटपाट के मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	1980	1981	1982	1983	1984 (जनवरी तक)
(1) डकैतियों की संख्या	99	131	115	109	10
(2) लूटपाट की संख्या	252	239	276	219	16

चोरी तथा डकैतियों के मामलों के सम्बन्ध में ब्यौरे अखिल भारतीय आधार पर संकलित नहीं किए जाते क्योंकि अपराध सहित विधि व व्यवस्था राज्य का विषय है।

टायर के मूल्यों के संबंध में परिवहन संघों का अभ्यावेदन

6424. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में देश में राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए भारी वाहनों और अन्यों के टायरों के मूल्यों में 800 रुपए प्रति टायर वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को टायर कम्पनियों की इस सामूहिक कार्यवाही को रोकने के सम्बन्ध में परिवहन संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कुछ टायर निर्माताओं ने बातचीत से तय की गई कीमतों में प्रति टायर 800 रुपये की समान वृद्धि कर दी है और सरकार से अनुरोध किया है कि वह टायर निर्माताओं को तय की गई कीमतें वापस लाने के लिए उन पर जोर डालें और निर्माताओं द्वारा सामूहिक कार्रवाई को रोकें। जिन टायर कंपनियों ने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों से टायरों की आपूर्ति के लिए बातचीत की थी उन्होंने इससे इन्कार किया है कि उन्होंने 800 रुपये प्रति टायर कीमतें बढ़ाई हैं।

(ग) टायरों पर कोई मूल्य या वितरण नियंत्रण नहीं है।

राष्ट्रीयकरण द्वारा अभ्रक (माइका) उद्योग को बचाने की योजना

6425. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अभ्रक की अधिकतर खानें निजी क्षेत्र में हैं और खानों की संख्या अभ्रक उत्पादन और उनमें नियोजन में लगातार कमी आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उद्योग को बचाने के लिए अभ्रक की खानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां। जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का निर्णय केवल तब ही लिया जाता है जब समुचित औचित्य मौजूद हो तथा सभी जटिलताओं की जांच कर ली गई हो।

विवरण

देश में अभ्रक खानें अधिकतर निजी क्षेत्र में हैं। भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त जानकारी से यह दृष्टव्य है कि कुछ समय से उल्लिखित खानों की संख्या में कमी हुई है। इसी प्रकार अभ्रक के उत्पादन में भी कमी हुई है। रोजगाररत कामगारों की दैनिक औसत में भी कमी हुई है। ब्यौरा निम्नलिखित है।

वर्ष	उल्लिखित खानें	औसत रोजगार	उत्पादन टनों में	
			अपरिष्कृत अभ्रक	रद्दी छीजन
1974	378	10158	13804	5060
1975	387	10235	11501	4222
1976	333	7962	9494	4306
1977	297	7366	9352	5310
1978	231	6848	9593	4681
1979	281	5911	9073	5107
1980	274	6662	7934	4393
1981	258	6735	8534	4456
1982	244	6599	8776	4574
1983	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7284	3700

गरीबी रेखा से नीचे लोग

6426. श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत क्या था;

(ख) 1977 में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत क्या था;

(ग) 1980 में उनका प्रतिशत क्या था;

(घ) आज कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं;

(ङ) लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए सरकार ने पिछले चार वर्षों में क्या कदम उठाये हैं; और

(च) इस अवधि के दौरान यदि लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया गया है तो उनका प्रतिशत क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में वर्ष 1966 के लिए कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) वर्ष 1977-78 के लिए अनुमानित प्रतिशत 48.1% है ।

(ग) वर्ष 1979-80 के लिए अनुमानित प्रतिशत 51.1 है ।

(घ) वर्ष 1983-84 के लिए अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) और (च) अर्थव्यवस्था की सामान्य संवृद्धि के लिए उपायों के अलावा, सरकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए०ग्रा०वि०का०) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा० ग्रा० रो० का०), और स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (स्व० रो० ग्रा० यु० प्र०) जैसे गरीबी दूर करने के लिए अनेक विशिष्ट पुनर्वितरणात्मक कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है । इसके अतिरिक्त, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य भी गरीबी दूर करना ही है । अगस्त, 1983 से एक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है । ऐसा अनुमान है कि छठी योजना के पहले दो वर्षों में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 51.1 से कम होकर 41 रह गया है ।

लाटरी योजना से प्राप्त राजस्व

6427. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1983-84 के दौरान लाटरी योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1983-84 के दौरान लाटरी से प्राप्त राजस्व
1.	जम्मू व कश्मीर	कोई राज्य लाटरी नहीं है ।
2.	कर्नाटक	3,22,00,000 रु०
3.	केरल	8,88,20,071 रु०
4.	महाराष्ट्र	6,51,00,000 रु०
5.	मणिपुर	18,25,002 रु०
6.	मेघालय	50,02,000 रु०
7.	नागालैण्ड	40,00,000 रु०
8.	उड़ीसा	37,50,000 रु०
9.	सिक्किम	45,00,000 रु०
10.	उत्तर प्रदेश	4,00,00,000 रु०
11.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	कोई राज्य लाटरी नहीं है ।
12.	अरुणाचल प्रदेश	66,23,000 रु०
13.	चंडीगढ़	कोई राज्य लाटरी नहीं है ।
14.	दादरा तथा नगर हवेली	कोई राज्य लाटरी नहीं है ।
15.	गोआ, दमन दीव	कोई राज्य लाटरी नहीं हैं ।
16.	लक्षद्वीप	कोई राज्य लाटरी नहीं है ।
17.	मिजोरम	कोई राज्य लाटरी नहीं है ।
18.	पांडिचेरी	कोई राज्य लाटरी नहीं है ।

गुजरात राज्य में मंजूर औद्योगिक लाइसेंस

6428. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 और 1983 के दौरान गुजरात राज्य में बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों में निजी उद्यमियों को कितने औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (गुजरात राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योग) विकास तथा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के अधीन वर्ष 1982 और 1983 के दौरान निजी उद्यमियों को 170 औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे।

देश में परमाणु खनिजों का सर्वेक्षण

6429. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान देश में परमाणु खनिजों का एक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के दौरान पाए गए खनिजों के नाम क्या हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में यूरेनिनाइट के आक्साइड, कोफिनाइट यूरेनियम सिलिकेट, ब्रेनराइटों यूरेनियम-कैल्सियम-टाईटेनियम युक्त आक्साइड) जैसे अनेक प्राथमिक यूरेनियम खनिजों तथा ट्यूएमुनाइट (कैल्सियम-यूरेनियम-वैनडेट), बैक्वेरेलाइट (हैदराबाद में पाए जाने वाले कैल्सियम-यूरेनियम-युक्त आक्साइड) और यूरेनोफेन (कैल्सियम-यूरेनियम सिलिकेट) जैसे अनेक द्वितीयक यूरेनियम खनिजों का पता लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग राज्यों में विद्यमान विभिन्न शैल प्रारुपों में कोलम्बाइट-टैन्टेलाइट (लोहा-मैंगनीज-नायोबियम टैंटेलम युक्त आक्साइड), पाइरोक्लोर माइक्रोलाइट (सोडियम-कैल्सियम-नायोबियम-टैंटेलम युक्त आक्साइड), बेटाफाइट यूरेनियम-कैल्सियम-नायोबियम-टैंटेलम-टाइटेनियम युक्त आक्साइड) और समरस्काइट (यूरेनियम-रेअर अर्थ्स-नायोबियम-टैंटेलम युक्त आक्साइड) जैसे नायोबियम और टैंटेलम से युक्त अनेक खनिजों का भी पता लगाया गया है।

लक्ष्मी सीमेंट फैक्टरी, राजस्थान की चिमनी में अवक्षेपक (प्रीसीपीटेटर) को लगाना

6430. **श्री विरदा राम फुलवरिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मी सीमेंट फैक्टरी, बनास (राजस्थान) की चिमनी में अभी तक कोई अवक्षेपक (प्रीसीपीटेटर) नहीं लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सीमेंट फैक्टरी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है सीमेंट कंपनी ने फैक्टरी के विभिन्न खण्डों में बैग टाइप और साइक्लोन टाइप डस्ट कलेक्टरों, इलेक्ट्रो-स्टैटिक प्रिसिपिटेटरों आदि जैसे विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए हैं। उसने यह भी सूचित किया है कि रुकावटों के होने और बिजली में वोल्टता में बहुत

अधिक उतार-चढ़ाव के कारण फैक्टरी के क्लिन इलेक्ट्रो-स्टैटिक प्रसिपिरेटर को नुकसान पहुंचा है और कम्पनी ने मरम्मत के बाद इसे अप्रैल, 1984 में फिर से चालू करने का वचन दिया है।

पंजाब में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की बटालियन तैनात करना

6431. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आज की तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की कुल कितनी बटालियनें तैनात की गई हैं;

(ख) क्या इन बलों का संचालन सभी मामलों में राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है;

(ग) क्या वे वास्तविक हत्यारे या हत्या का प्रयास करने वाले को गिरफ्तार करने और अवैध हथियार पकड़ने में समर्थ हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) पंजाब में तैनात-बलों की संख्या बताना लोकहित में नहीं है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) इन बलों द्वारा वास्तविक हत्या अथवा हत्या का प्रयास के मामलों में अन्तर्ग्रस्त 76 व्यक्ति पकड़े गये। इन बलों द्वारा 65 हथियार और गोलाबारूद के 682 राउंड/कारतूस बरामद किये गये पकड़े गये।

देश में बम विस्फोट

6432. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान पंजाब और असम को छोड़कर मास-वार, राज्य-वार कितने बम विस्फोट हुए हैं;

(ख) इन विस्फोटों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ऐसे विस्फोटों से बचने के लिए जनता का उनके मंत्रालय द्वारा क्या चेतावनी/अनुदेश दिए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरना

6433. **श्री भीखा भाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) इन आरक्षित खाली स्थानों को भरने संबंधी सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है—

कर्मचारियों की (1-1-1983 को) श्रेणी-वार संख्या इस प्रकार थी—

श्रेणी	उद्योग मंत्रालय-संबद्ध एवम् अधीनस्थ कार्यालयों सहित	उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
श्रेणी "क"	864	31270
श्रेणी "ख"	1221	16522
श्रेणी "ग"	3861	126160
श्रेणी "घ"	1990	76391
(अवर्गीकृत औद्योगिक कर्मचारी)	—	801

(ख) यद्यपि अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों निर्धारित प्रतिनिधित्व देने के लिए बराबर प्रयास किये जाते हैं, फिर भी, इन जातियों के अपेक्षित योग्यता, अनुभव, सेवा अवधि आदि पूरा करने वाले उम्मीदवारों, के उपलब्ध न होने के कारण कुछ श्रेणियों में इनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाता है।

(ग) संविधान की धारा 16 (4) तथा 335 के अधीन सभी सीधी भर्ती तथा पदोन्नतियां केवल चयन द्वारा की जाने वाली पदोन्नति जिसमें आरक्षण को श्रेणी "क" को निम्नतर स्तर पर रखा गया है, में क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 15% और 7½% आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं। इस प्रतिशत की पूर्ति को सुनिश्चित करने के विचार से प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में सरकार ने विभिन्न सुविधाएं जैसे आयु में छूट, शुल्क में रिआयत, उपयुक्तता के मानक में रिआयत तथा "अनुभव और योग्यता" में छूट भी प्रदान की है। आरक्षित रिक्त स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विज्ञापन की व्यापक व्यवस्था भी की है जिसके अन्तर्गत आरक्षित रिक्त स्थानों को (प्रत्यक्ष भर्ती) अखबारों में विज्ञापन देकर, आकाशवाणी के विविध केन्द्रों द्वारा प्रसारित करके रोजगार कार्यालयों में परिचालित करके अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जन-जातियों के स्वैच्छिक संगठनों एवम् राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण निदेशालयों को अधिसूचना भेजने की व्यवस्था है। यदि आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। तो इन पदों को अनरक्षित कर दिया जाता है किन्तु आरक्षण को केवल श्रेणी "ग" से "ख" में चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में श्रेणी "ख" के अन्तर्गत तथा श्रेणी "ख" से श्रेणी "क" में पदोन्नति के मामले में जिसमें आरक्षण को आगे ले जाने का प्रावधान नहीं है, अन्य सभी मामलों में अगले तीन भर्ती वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। आरक्षित पदों को आगे ले जाये गये तीसरे वर्ष पहले वर्ष इस बात को ध्यान में रख कर कि अमुक मामले में आगे ले जाने का लाभ है अथवा नहीं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बीच आदान-प्रदान की भी व्यवस्था है। सरकार ने मंत्रालयों तथा विभागों को आरक्षण संबंधी आदेशों का अनुपालन करने का तथा

जानबूझ कर आरक्षण संबंधी आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये समय-समय पर आदेश जारी किये हैं । इस बात का सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण आदेशों का उचित रीति से पालन किया जा रहा है मंत्रालयों में सम्पर्क अधिकारी कार्य कर रहे हैं तथा इनकी सहायता के लिए विशेष प्रकोष्ठ हैं, जो सूचना के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं, इसके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की कल्याण संबंधी संसदीय समिति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आयोग जैसे संविधिक निकाय हैं । विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनेक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं । अनुसूचित जाति बहुल वाले क्षेत्रों में परीक्षाएं लेने के लिए कई केन्द्र भी खोले गये हैं ताकि अनुसूचित जाति के और अधिक उम्मीदवार मिल सकें । सरकार की ही भांति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण देने के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए आदेश जारी किये गये थे ।

आदिवासी उपयोजना प्रारूप पुनः बनाने का प्रस्ताव

6434. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी उपयोजना का प्रारूप संघटक योजना की तरह पुनः बनाने का है ?

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में आदिवासी उपयोजनाओं को अपने उद्देश्यों की प्रगति में सफलता प्राप्त में सफलता प्राप्त नहीं हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में जनजाति उपयोजनाओं ने निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति की है—

(1) फरवरी 1984 तक 29 लाख जनजाति परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता की गयी ।

(2) भूमि हस्तान्तरण, महाजनी, ऋण बंधकता, वन आदि क्षेत्रों से जनजातियों को मुक्त करने के लिए प्रत्यन किये जा रहे हैं ।

(3) शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसूचित जनजाति के लड़कों का शिक्षा-प्रशिक्षण और विशेष अनुशिक्षण के माध्यम से मानवीय स्रोत विकास प्रगति पर है ।

(4) मूल संरचना विकास, विशेष रूप से सड़कों का निर्माण, संचार सुविधाएं, सिचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

मारुति कारों की मांग

6435. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति बुकिंग के लिए जमा राशि के रूप में 130 करोड़ रु० जमा किए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल 90% आवेदकों ने मारुति कार के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारों की अत्याधिक मांग को देखते हुए उत्पादन अनुसूची में परिवर्तन किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मारुति उद्योग लि० ने वाहनों की बुकिंग के लिए 134.36 करोड़ रु० की जमा राशि प्राप्त की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) बुकिंगों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुये उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा

6436. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसाय प्रशिक्षण सुविधाओं और व्यवसाय मार्ग दर्शन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें कितने आदिवासी लड़के और लड़कियां लाभ उठा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राष्ट्रीय रोजगार सेवा कार्यक्रम के जरिए 1957 में शुरू किए गए व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के तहत, देश में 264 रोजगार कार्यालयों तथा 74 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरो में व्यावसायिक मार्गदर्शन यूनिटों का जाल सा बिछा दिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्रों के जरिए भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को मार्ग दर्शन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अनु० जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में है। उपयुक्त केन्द्रों के माध्यम से स्कूलों और कालेजों में कैरियर प्रदर्शनियों और सम्मेलनों आदि के द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) 1982 में उपर्युक्त केन्द्रों के माध्यम से 20271 उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से तथा 19080 उम्मीदवारों को सामूहिक रूप से मार्ग-दर्शन दिया गया। इसके अतिरिक्त 17,000 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्रों के जरिए व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। दिसम्बर 1982 के अन्त में, 5763 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पा रहे थे और 3074 उम्मीदवार अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (अनु० जाति/अनु० जनजाति) के लिए शिक्षा-व-मार्ग दर्शन केन्द्रों की सूची।

1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए
   शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र 14, दरियागंज, नई दिल्ली।
2. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए
   शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र, 33, अन्ना सलाई, नदनम, मद्रास।

3. उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी,
अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र
क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, जी० टी० रोड,
कानपुर (उ० प्र०)

4. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए
शिक्षण-व-मार्ग दर्शन केन्द्र,
21 पैनियर टाउन, जबलपुर।

5. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र,
क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, मुशीराबाद,
हैदराबाद।

6. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र,
मण्डलीय रोजगार कार्यालय, त्रिवेन्द्रम।

7. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र,
पुरटो भवन, साल्ट लेक, कलकत्ता।

8. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए
शिक्षण-व-मार्ग दर्शन केन्द्र, जलेबी चौक,
जयपुर।

9. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र, सी-5, गवर्नमेंट
एम० एस० बिल्डिंग, नानपुरा। सूरत।

10. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए,
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र,
कार्मशियल भान, मेन रोड रांची।

11. अनु जातियों/अनु० जनजातियों के लिए
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र,
इम्फाल (मणिपुर)

12. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र, आइजोल।

13. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए,
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र,
22/1, होसर रोड, बंगलौर।

14. अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए,
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र,
मंडलीय रोजगार कार्यालय,
मैन स्ट्रीट, हिसार।

15. अनु० जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए
शिक्षण-व-मार्गदर्शन केन्द्र,
द्वारा, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय,
राउरकेला।

आदिम जनजाति समुदायों का पता लगाने के लिए मार्ग निर्देश

6437. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जनजाति समुदायों का पता लगाने के लिए मार्ग निर्देश उनकी मुख्य समस्याओं, उनके लिए तैयार की गई परियोजनाएं और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : आदिम जनजाति समुदायों की पहचान के लिए अपनाए गए विस्तृत मानदण्ड (क) तकनीकी का कृषि पूर्व स्तर (ख) साक्षरता का निम्न स्तर और (ग) गतिहीन जनसंख्या और (घ) सामान्य पिछड़ापन है। एक कठिनाई उन उचित कार्मिकों को प्राप्त करने की है इन लोगों के साथ कार्यकर सके तथा जिनमें व्यवहार कुशलता से निपटने की क्षमता हो। कई मामलों में इन समुदायों की पारिस्थितिक सन्तुलन बिगड़ गया है और विकसित समुदायों जिनमें जनजाति और गैर जनजाति दोनों शामिल हैं, के और छिजते हुए बन स्रोतों के मध्य दबे हुए हैं। उनमें से कुछ विशेष स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। अब तक 72 आदिम जनजातियों का पता लगाया गया है। सभी समुदायों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। प्रत्येक जनजाति समुदाय की विशिष्ठ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 40 समुदायों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है। आवश्कयतानुसार अगल संगठनात्मक संरचना सृजित की जाती है और समुदायों की पारम्परिक कुशलता और सक्षमता को ध्यान में रखते हुए परिवारोन्मुख योजनाओं पर अधिक बल दिया जाता है। उनके लिए कार्यान्वित किए गए विकास कार्यक्रम मुख्यत: कृषि, बागवानी, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, लघु उद्योग, और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। गृह मंत्रालय ने छठी योजना के दौरान आदिम जनजाति समुदायों के विकास कार्यक्रमों के लिए 18.50 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता निर्धारित की है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी चिन्ह वाले हथियारों का पकड़ा जाना

6438. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मार्च, 1984 को जम्मू और कश्मीर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान में बने 129 छोटे हथियार और 9 ग्रेनेड पकड़े गए हैं;

(ख) क्या पकड़े गए हथियारों में 123 रिवाल्वर, 3 पिस्तौल, 2 छोटी बन्दूक और राईफल हैं और इनमें से अधिकांश पाकिस्तान में दरगाम फैक्टरी में बने हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए है;

(घ) यदि हां, तो चोरी छिपे हथियार लाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ड़) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इस्पात उत्पादकों के विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए धनराशि

6439. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उत्पादकों के विस्तार और आधुनिकीकरण में वित्तीय सहायता देने के लिये इस्पात विकास कोष (एस० डी० एफ०) में उनके अंशदान को कम करने और उनको मंजूर किये गये ऋण पर ब्याज की दर में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण पर ब्याज की दर में कितनी कमी की गई है;

(ग) क्या इस निर्णय के बाद प्रमुख इस्पात उत्पादकों ने आधुनिकीकरण कार्यक्रम का विस्तार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन इस्पात उत्पादकों ने इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कितना पूरा किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) पिछले वर्ष कुछ राहत दी गई थी। 1 अक्तूबर, 1983 से लेकर इस्पात विकास कोष से मंजूर किए गए ऋणों पर लागू ब्याज की दरें नीचे दी गई हैं—

परियोजना की श्रेणी		ब्याज की वार्षिक दर
उत्पादन से सीधे सम्बन्धित		8%
अवस्थापना सम्बन्धी	निवेश/सेवाएं	5%
समाज कल्याण की योजनाएं		2%

इस राहत का उद्देश्य सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों में पूंजी-निवेश के लिए प्रोत्साहन देना है। आशा है कि इससे उनके आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी दृष्टि से सुधार करने के काम में तेजी आएगी। इस्पात कारखाने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं।

छठी योजना में राष्ट्रीय सकल उत्पादन में वृद्धि

6440. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि को सफल बनाने के प्रयास में योजना आयोग ने राष्ट्रीय सकल उत्पाद में सात प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या छठी योजना में राष्ट्रीय सकल उत्पाद की 5.5 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य था;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने सातवीं योजना का परिव्यय तैयार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजना के ढांचे के बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सातवीं योजना के लिए सकल देशीय उत्पाद संवृद्धि के किसी अनुमान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) छठी योजना के पहले तीन वर्षों में सकल देशीय उत्पाद संवृद्धि प्रतिवर्ष 5.4% होने की संभावना है।

(ग) और (घ) योजना आयोग इस समय सातवीं योजना के लिए नीति पत्र तैयार करने में लगा हुआ है। यह नीति, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने पर, केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना तैयार करने के विस्तृत कार्य को आरम्भ करने का आधार होगा। यह कहना अभी संभव नहीं है कि सातवीं योजना किस समय तक तैयार हो जाएगी।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में पूंजी निवेश

6442. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किये गये पूंजी निवेश का प्रतिफल उसके अनुरूप नहीं है जैसा कि विभिन्न उपलब्धियों से पता चलता है (स्टेट्समैन, 12 फरवरी, 1984); और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) थोड़े से ही समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किये गये निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हुआ है। देश ने अन्य चीजों के अलावा, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जन्य से आशान्वित जीवन में वृद्धि, मुख्य संक्रामक रोगों को घटनाओं में कमी और चेचक का पूर्णतया उन्मूलन, उपभोक्ता वस्तुओं मे आत्मनिर्भरता और पूंजीगत सामान के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि, सिंचाई के विभव में वृद्धि, सड़कों का बड़े पैमाने पर जाल, विद्युत निर्माण करने और वितरण में महत्वपूर्ण प्रगति, संचार सुविधाओं में यथेष्ठ वृद्धि, स्वदेशीय परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को प्रतिष्ठापित व चालू करना, अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और तेल की खोज और उत्पादन में प्रभावशाली परिणामों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति वचनबद्ध संसाधनों के उपयोग की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

इस्पात उद्योग की दशा

6443. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग की दशा से पता चलता है कि देश में किये गये अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग नहीं किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1972 में अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की स्थापना की थी। इस केन्द्र में 300 से अधिक वैज्ञानिक तथा शिल्पविज्ञानी काम करते हैं।

केन्द्र द्वारा कारखानों में अनुसंधान की 19 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी है, ये हैं—

क्र० सं०	परियोजना	सम्बन्धित कारखाना
1.	हाई बेसिक सिन्टर तथा बर्डन में चूना-पत्थर का इस्तेमाल किए बिना घमन भट्टी की परिचालन-क्षमता में वृद्धि करना	भिलाई इस्पात कारखाना
2.	भिलाई इस्पात कारखाने की खुले मुंह की भट्टी में तापीय तथा ऑक्सीजन लैन्सिंग रीजीम का इष्टतम उपयोग करने की पद्धति का विकास	भिलाई इस्पात कारखाना
3.	वायर राड मिल में स्केल लास रिडक्शन	भिलाई इस्पात कारखाना
4.	सिक्तन गर्त की तापन-परिचालन से सम्बन्धित समन्वेषण कार्य तथा इसमें सुधार।	भिलाई इस्पात कारखाना
5.	अंशहत इस्पात से रेलवे सामग्री का उत्पादन करने से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के बारे में समन्वेषण तथा सुधार।	भिलाई इस्पात कारखाना
6.	सिक्तन गर्त की तापन परिचालन से सम्बन्धित समन्वेषण कार्य तथा सुधार।	राउरकेला इस्पात कारखाना
7.	घमन-भट्टी के बाहर तप्त धातु का विगंधकीकरण	कलिंग आयरन वर्क्स, उड़ीसा
8.	घमन-भट्टी में लाइम डस्ट इन्जेक्शन लगाना।	कलिंग आयरन वर्क्स, उड़ीसा
9.	घमन-भट्टी से बाहर तप्त धातु से सिलिकन निकालना।	दुर्गापुर इस्पात कारखाना
10.	सिक्तन गर्तों तथा पुनस्तापन भट्टियों की ईंधन दहन-क्षमता में सुधार करना।	दुर्गापुर इस्पात कारखाना
11.	तप्त क्रकचन ब्लेडों के कार्यकरण में सुधार।	दुर्गापुर इस्पात कारखाना
12.	मर्चेन्ट मिल की एन्ट्री गाइड के कार्यकरण में सुधार।	दुर्गापुर इस्पात कारखाना
13.	विद्युत चाप भट्टी में गलन कार्य में ऑक्सीजन का प्रयोग।	मिश्र इस्पात संयंत्र
14.	एल० डी० कन्वर्टरों के लिए क्षारीय उष्मसहों का विकास।	बोकारो इस्पात लि०
15.	हाट स्ट्रिप मिल में बेलनों का स्नेहन।	बोकारो इस्पात लिमिटेड
16.	प्रत्येक कारखाने में सिन्टरिंग के प्रक्रिया प्राचलों को इष्टतम तथा गुणधर्म का मूल्यांकन।	बोकारो इस्पात लिमिटेड/राउरकेला

17.	हैमर क्रेशरों में कोयले को पीसने की कार्य-क्षमता में सुधार ।	राउरकेला इस्पात कारखाना
18.	जिंक ड्रोस वेस्ट से जस्तीकरण द्वारा मेटिलिक जिंक निकालना ।	राउरकेला इस्पात कारखाना
19.	कोक ओवन गैस की मात्रा की जांच ।	राउरकेला इस्पात कारखाना

इस समय अनुसंधान तथा विकास केन्द्र 300 से अधिक परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

अनुसंधान परियोजनाओं को समय पर पूरा करने तथा परिचालन सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए अनुसंधान तथा विकास केन्द्र ने विभिन्न इस्पात कारखानों में इस समय कार्यकर रहे शिल्प-विज्ञानियों के साथ काम करने के लिए उप-केन्द्र स्थापित किए हैं ।

अनुसंधान तथा विकास केन्द्र इस्पात बनाने के क्षेत्र में अनुसंधान करने हेतु भारतीय संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थानों से निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं । 15.10 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक अनुसंधान प्रयोगशाला कम्पलैक्स लगाया जा रहा है ।

देश में औद्योगिक विकास

6444. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कम औद्योगिक विकास के लिए सूखा केवल नाममात्र का एक कारण है, जैसा कि उद्योगपतियों ने आरोप लगाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सूखे के दावों के बावजूद सारे देश में उत्पादकता सहित कृषि और दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या भारी फसल के बावजूद वनस्पति तेलों, दालों, गेहूं और चावल का आयात आई० एम० एफ०/ई० ई० सी० आदि को दिये गये आश्वासनों के अनुरूप हैं?

योजना मंत्री (श्री बी० एस० चव्हाण) : (क) यह सदस्य द्वारा व्यक्त किया गया मत प्रतीत होता है ।

(ख) कृषि और दुग्ध उत्पादन के आंकड़े देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इन आयातों के संबंध में सरकार की ओर से कोई आश्वासन देने का प्रश्न नहीं है । आयात, मांग और देशीय उपलब्धता और विशेष रूप से खाद्यान्नों के मामले में बफर स्टाक की आवश्यकता को, ध्यान में रखकर किए जाते हैं जिससे कि उपभोक्ताओं की कठिनाई न हों ।

विवरण

	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1. कृषीय उत्पादन का सूचकांक (1969-70 = 100)	116.9	135.2	142.7	137.0
2. कृषीय उपज का सूचकांक (1969—70)	107.6	122.7	125.6	123.8
3. खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	109.7	129.6	133.3	128.3
4. दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन)	30.33	31.57	33.50	35.00

कोटा परमाणु बिजली संयंत्र का बंद होना

6445. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत**
श्री मूल चन्द डागा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी और क्या निर्माण के समय भारत तथा कनाडा सरकारों ने संयंत्र में खराबी आने पर उसकी मरम्मत के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे;

(ख) क्या संयंत्र की एक "यूनिट" "भारी जल" चूने की वजह से स्थायी रूप से बन्द हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो 220 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले इस संयंत्र के बन्द होने पर राजस्थान की बिजली समस्या का किस प्रकार समाधान करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कनाडा के साथ सन् 1963 में हुए एक सहकार करार के अनुसार राजस्थान परमाणु बिजलीघर कनाडा की सहायता से लगाया गया था। इस करार में बिजलीघर की मरम्मत के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों का पृथक-पृथक ब्यौरा

6446. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 में पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए 317 औद्योगिक लाइसेंसों का पृथक-पृथक राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1983 में जारी किए गए 649 आशय पत्रों का पृथक-पृथक राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1983 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों की जारी किए गए आशय-पत्रों/ औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

राज्य	जारी किए गए आशय-पत्रों की की संख्या	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	50	25
2. अंडमान एण्ड निकोबार	—	—
3. अरुणाचल प्रदेश	7	2
4. आसाम	3	22

1 2	3	4
5. बिहार	18	6
6. दादर एण्ड नगर हवेली	3	—
7. गुजरात	64	36
8. गोवा, दमन एण्ड ड्यू	12	3
9. हरियाणा	46	12
10. हिमाचल प्रदेश	20	5
11. जम्मू और कश्मीर	18	10
12. कर्नाटक	48	27
13. केरल	25	16
14. मध्य प्रदेश	45	19
15. महाराष्ट्र	61	23
16. मनीपुर	1	—
17. मेघालय	4	—
18. नागालैंड	3	2
19. उड़ीसा	12	5
20. पांडीचेरी	10	3
21. पंजाब	18	11
22. राजस्थान	24	11
23. तमिलनाडू	32	35
24. सिक्किम	—	—
25. त्रिपुरा	1	—
26. उत्तर प्रदेश	94	33
27. वेस्ट बंगाल	25	11
28. राज्य नहीं बताया गया/ एक से अधिक राज्य	5	—
	——	——
	649	317
	——	——

सवाई माधोपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करना

6447. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री राम कुमार मीणा } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र से कुछ दिन पहले अनुरोध किया था कि सवाई माधोपुर जिले सहित कुछ जिलों को पिछड़े जिले घोषित किये गये;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने विशेषकर सवाई माधोपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने पर विचार किया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) सवाई माधोपुर जिले को कब तक पिछड़ा जिला घोषित कर दिया जाएगा; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान राज्य के पिछड़े जिलों के उत्थान के लिए कोई धन-राशि निर्धारित की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) सवाई माधोपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है; राज्य सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्रों को विशेष क्षत्र के रूप में स्वीकार किए जाने और श्रेणी "क" में शामिल करने का अनुरोध किया था ।

(घ) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए किसी निधियों का राज्यवार या जिला-वार आवंटन नहीं किया जाता ।

दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में खनिज

6448. **श्री सुबोध सेन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में खनिजों का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) जी, हां ।

(ख) दार्जिलिंग जिले के गोरुबाथान क्षेत्र में 3.25 मि० टन सीसा-जस्ता अयस्क भंडारों, जिनमें 3·80% सीसा तथा 3.83 प्रतिशत जस्ता है, का अनुमान लगाया गया है । जलपाईगुड़ी जिले के जैनति क्षेत्र में लगभग 745.00 मि० टन डोलोमाइट के भंडारों का अनुमान लगाया गया है । दार्जिलिंग जिले के पेडोंग क्षेत्र में आधार धातु खनिजीकरण के छुटपुट स्थलों का पता लगाने हेतु खोज चल रही हैं । दार्जिलिंग जिले की तलहटी क्षेत्र गोंडवाना कोयला पट्टी पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्रीय खोज कार्य किया गया है । पश्चिमी बंगाल सरकार के खान और खनिज निदेशालय ने भी इस क्षेत्र में कोयले के लिए पूर्वेक्षण/खोज कार्य शुरू किया है ।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना

6449. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी को उसके जिले में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण-पत्र देने का कोई नियम है;

(ख) यदि हां, तो नियम का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने व्यक्तियों को उक्त कारण से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने से इन्कार किया गया है; और

(घ) यदि यह नियमानुसार नहीं है तो क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने इस आधार पर स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने से इन्कार किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन फरार होने/नजरबंद होने/निष्काषित होने की यातना के आधार पर किए गए दावों के मामलों, किसी जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी के साथ 5 साल की जेल की यातना सहने के मामलों पर सम्मान पेंशन के लिए विचार किया जाता है, यदि प्रमाणकर्त्ता संगत समय में उसी प्रशासनिक यूनिट अर्थात् जिले का हो जिस जिले का आवेदन है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा न करने के आधार पर जिन आवेदकों के मामलों को अस्वीकार कर दिया गया है उनका अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटी माचिस बनाने वाले एकक

6450. **श्री एस० ए० दौराई सेबस्त्यिन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लकड़ी की माचिसों के लिए प्रति ग्रुस उत्पादन शुल्क में 1.60 रुपये की छूट पाने वाले कुटीर माचिस बनाने वाले छोटे एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में लकड़ी की माचिसों के लिए प्रति ग्रुस उत्पादन शुल्क में 4.50 रुपये की छूट पाने वाले माचिसों के लघु एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन कुटीर और छोटी माचिसें बनाने वाले तथा लघु एककों में कार्ड बोर्ड की माचिसें भी बनती हैं और यदि हां, तो उनमें इनका कितना उत्पादन होता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) विवरण एक और दो संलग्न हैं।

(ग) लघु क्षेत्र के कुछ एकक गत्ते की माचिस की डिब्बियों का विनिर्माण भी कर रहे हैं और वर्ष 1982 के दौरान उनका उत्पादन 9,76,000 ग्रुस माचिस की डिब्बियां है। ऐसी सूचना मिली है कि कोई भी कुटीर क्षेत्र का एकक गत्ते की माचिस की डिब्बियां नहीं बना रहा है।

विवरण-एक

बहुत छोटे और कुटीर माचिस एकक लकड़ी की माचिस बनाने के लिए प्रति ग्रुस उत्पादन शुल्क में 1.60 रुपये की छूट प्राप्त कर रहे हैं

क्रम सं०	राज्य/संघ प्रशासन	कार्य कर रहे एककों की सं०		
		खादी ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत (सहकारी समितियों सहित)	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	120	183	303
2.	असम	3	—	3
3.	बिहार	7	—	7
4.	दिल्ली	3	—	3
5.	गुजरात	4	—	4

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	2	—	2
7.	हरियाणा	31	3	34
8.	कर्नाटक	64	82	146
9.	केरल	230	—	230
10.	मध्य प्रदेश	3	5	8
11.	महाराष्ट्र	15	1	16
12.	मणिपुर	1	—	1
13.	उड़ीसा	9	—	9
14.	पंजाब	1	—	1
15.	राजस्थान	7	2	9
16.	तमिलनाडु	3306	5657	8963
17.	त्रिपुरा	7	2	9
18.	उत्तर प्रदेश	51	19	70
19.	पश्चिम बगाल	6	3	9
	कुल	3870	5957	9827

विवरण-दो

लघु माचिस एकक लकड़ी की माचिस बनाने के लिए 4.50 रु० प्रति ग्रुस के उत्पादन कर की छूट प्राप्त कर रहे हैं

क्र० सं०	राज्य	कार्य कर रहे एककों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	1
4.	हरियाणा	1
5.	कर्नाटक	5
6.	केरल	6
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	उड़ीसा	3
9.	पंजाब	1
10.	तमिलनाडु	981
11.	उत्तर प्रदेश	2
12.	पश्चिम बंगाल	1
		1,008

शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एकक नहीं है ।

परियोजनाओं को सातवीं योजना में ले जाना

6451: **श्री हमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना की अनेक सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तीय तथा तकनीकी पहलुओं को अन्तिम रूप देने में हुए असाधारण विलंब के कारण बहुत सी परियोजनाओं को सातवीं योजना में ले जाया जाएगा और यदि हां, तो इस प्रकार की परियोजनाओं का पूरा विवरण क्या है (फाइनेंशियल एक्सप्रेस 23 फरवरी, 1984);

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार के विलम्बों तथा असफलता के कारण सातवीं योजना पर भी भार पड़ेगा और वह भी पंगु हो जाएगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि विलंब ज्यादातर दफ्तरशाही के कारण हुए हैं और न कि संसाधनों की कमी के कारण और क्या इसके फलस्वरूप आयातों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा; और

(घ) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा को दफ्तरशाही तथा अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार विभिन्न तकनीकी मन्त्रालयों का पूरी तरह से व्यवसायीकरण करेगी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बिजली, कोयला तथा यातायात जैसे मूलभूत ढांचे का दोहन

6452. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान } : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 1984 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें एक बैठक में योजना आयोग के सचिव द्वारा दी गई टिप्पणियों के बारे में बताया गया है कि कोयला, बिजली तथा यातायात जैसे मूलभूत सुविधाओं के ढांचे में भारी निवेश किया गया है लेकिन इन क्षेत्रों की यात्रा का पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक क्षेत्रों में कुल कितना निवेश किया गया तथा इनमें से प्रत्येक क्षेत्रों की कितनी अनुमानित क्षमता थी और उसमें से कितनी का दोहन किया गया; और

(ग) क्या निवेशों से उचित लाभ प्राप्त हो रहा है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) **विद्युत्** :

छठी योजना के पहले तीन वर्षों में विद्युत् क्षेत्रक में कुल निवेश 8862 करोड़ रु० था। लोक उपयोगिताओं की वर्ष 1979-80 में प्रतिष्ठापित क्षमता 28490 मे० वा० थी। छठी योजना के पहले तीन वर्षों में वृद्धियां 7058 मे० वा० थी जिससे कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 35,548 मे० वा० हो गई। किसी विद्युत् केंद्र की अन्त: शक्ति, इसका प्राप्य संयंत्र भार उपादान

होता है। विद्युत् सम्बन्धी समिति के अनुसार यह लगभग 58% होना चाहिए। छठी योजना में उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

1980-81	44.6%
1981-82	46.8%
1982-83	49.8%

कोयला :

छठी योजना के पहले तीन वर्षों में कोयला क्षेत्रक में कुल निवेश 1660 करोड़ रु० था। छठी योजना में, वार्षिक योजना के उत्पादन लक्ष्यों को मांग की संभावित पूर्ति और कोयले के एकत्र बड़े गर्त केंद्र स्टाक (पिट हैड स्टाक) के सम्बन्ध में नियमित किया गया था। यद्यपि कोयले की उपलब्धता कोई गंभीर बाध्यकारिता नहीं थी, तथापि उत्पादकता के प्राप्त स्तर कम थे। छठी योजना में परिकल्पित प्रति मानव पारी उत्पादन और संभावित उत्पादन निम्नलिखित है :

टन

	1984-85	
	छठी योजना के लक्ष्य	संभावित
कोल इण्डिया लिमिटेड	1.01	0.86
सिंगरेनी कोयलरी कंपनी लिमिटेड	0.83	0.79

परिवहन :

छठी योजना के पहले तीन वर्षों में रेलवे के लिए 3515 करोड़ रु० का निवेश किया गया है जिससे ऐसी अपेक्षित आधार संरचना सृजित हुई है जिसके अधिक अच्छे उपयोग से परिवहन उत्पादन की अधिक संभाव्यता होगी। उदाहरण के लिए उन्नत प्रचालनात्मक तकनीकों तथा अनुरक्षण की अधिक अच्छी कार्य-प्रणालियों से रेलवे वर्ष 1980-81 में 985 के स्तर के मुकाबले प्रति वैगन दिन 1125 निवल टन कि० मी० (एन० टी० केम्स) का वैगन उपयोग प्राप्त कर सकता है। यह हिसाब लगाया गया है कि रेलवे की प्रति वैगन दिन 1175 निवल टन कि० मी० (एन० टी० केम्स) उपयोग स्तर प्राप्त करने की क्षमता है।

पत्तनों के सम्बन्ध में, छठी योजना के पहले तीन वर्षों में 297 करोड़ रु० का निवेश किया गया है जिससे 1982-83 के अन्त तक 113.86 मिलियन टन की क्षमता सृजित हुई है। वर्ष 1982-83 में केवल 96 मिलियन टन यातायात उत्पादन रहा।

(ग) समग्र आधार पर, सरकार के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के संदर्भ में निवेशों पर प्रतिलाभों को उचित माना जा सकता है। फिर भी सम्बन्धित निकायों की प्रचलनात्मक तथा वित्तीय दक्षता में और सुधार की गुंजाइश है।

छठी पचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी उप-योजना के विकास के लिए निर्धारित की गई धनराशि

6453. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में आदिवासी उप-योजना के विकास के लिए कुछ धनराशि निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विशेषत: आदिवासी उपयोजना के कार्यान्वियन के लिए निर्धारित की गई तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में कार्यान्वियन अधीन योजनाओं में हुई प्रगति के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1980-85 के दौरान 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में आदिवासी उप-योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये 3980-50 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमान है। आदिवासी उप-योजना उड़ीसा को कार्यान्वित करने में निर्धारित और व्यय की गई राशि इस प्रकार हैं :

वर्ष	राज्य योजना से धन	विशेष केन्द्रीय सहायता
	(रुपये करोड़ों में)	
1980-85	536.31	56.51
	जोड़	592.82 करोड़ रु०

(ग) कृषि, बागवानी, भू-संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, उद्योग, सड़क, पेय जल आपूर्ति, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, सहकारिता और स्वास्थ्य आदि में परिवारों के लिये अनेक लाभकारी योजनाएं और मूल संरचना विकास की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। फरवरी, 1984 तक देश में लगभग 29 लाख आदिवासी परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता की गई है जिसमें 3.10 लाख परिवारों की उड़ीसा राज्य में सहायता की गई है ।

जिला उद्योग केंद्रों में तकनीकी दृष्टि से सक्षम कर्मचारी

6454. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या क्या है जिनमें तकनीकी क्षमता वाले कर्मचारियों को आवश्यक संख्या में नियुक्त किया गया है तथा राज्य-वार उन जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या क्या है जिनमें इस प्रकार के कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) उस कमी के क्या कारण हैं तथा इस प्रकार की कमी को समाप्त करने के लिये मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) देश के जिला उद्योग केन्द्रों में महाप्रबन्धकों/कार्यशील (फंक्शनल) प्रबन्धकों की स्वीकृत संख्या सम्बन्धी राज्य-वार सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। महा-प्रबन्धकों/कार्यशील (फंक्शनल) प्रबंधकों में से बहुत से तकनीकी अर्हताप्राप्त व्यक्ति हैं। फिर भी, जिला उद्योग केन्द्रों की तकनीकी क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार और राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के बीच जिला उद्योग केन्द्रों की पुन: संरचना करने के लिए उसमें कार्यशील प्रबन्धकों की संख्या 4 तक

घटाकर और प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में उस जिले से सम्बन्धित तकनीकी विषयों में 3 तक परियोजना प्रबन्धक नियुक्त करके अन्त: सम्बद्ध कार्य किये गए हैं ।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जिला केन्द्रों की संख्या		महाप्रबन्धक	क्रियाशील प्रबन्धक	दिनांक को
		स्वीकृत	के बारे में सूचना	स्वीकृत	कार्य करने वालों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	22	22	110	97	31-12-83
2.	असम	10	9	44	38	,,
3.	बिहार	33	31	166	97	31-12-82
4.	गुजरात	17	17	120	120	31-12-83
5.	हिमाचल प्रदेश	12	12	51	26	,,
6.	हरियाणा	12	12	43	27	,,
7.	जम्मू और काश्मीर	14	12	78	63	,,
8.	कर्नाटक	19	19	86	52	,,
9.	केरल	12	12	92	43	31-12-82
10.	मध्य प्रदेश	45	43	352	268	31-12-83
11.	महाराष्ट्र	29	27	101	99	,,
12.	मणिपुर	6	6	48	30	,,
13.	मेघालय	5	3	16	5	,,
14.	नागालैंड	7	7	40	38	,,
15.	उड़ीसा	13	13	52	51	,,
16.	पंजाब	12	12	55	29	,,
17.	राजस्थान	26	24	62	58	31-12-82
18.	सिक्किम	1	1	4	4	31-12-83
19.	तमिलनाडु	14	14	112	112	31-12-82
20.	त्रिपुरा	3	3	18	5	31-12-83
21.	उत्तर प्रदेश	56	50	285	220	31-12-82
22.	पश्चिम बंगाल	15	15	117	94	31-12-83
23.	अरुणाचल प्रदेश	5	5	20	20	,,
24.	मिजोरम	2	2	6	3	,,
25.	पांडिचेरी	1	1	5	5	,,

(...जारी)

1	2	3	4	5	6	7
26.	गोआ, दमन और दीव	1	जिला उद्योग केन्द्र अभी शुरू नहीं हुआ है।			
27.	दादर और नगर हवेली	1	1	5	1	31-12-83
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	5	3	,,
29.	चण्डीगढ़	1	1	4	2	,,
	कुल	395	375	2097	1600	

स्रोत : *राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से प्राप्त सूचना।*

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामले

6455. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राज्य सरकार और मंत्रालय के पास विचाराधीन उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी मामलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ मामले एक वर्ष से अधिक अवधि से विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों की संख्या क्या है और वे कब से विचाराधीन हैं; और

(घ) इन विचाराधीन मामलों के शीघ्र निपटान के लिये मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) ऐसे मामलों की संख्या 141 है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) एक वर्ष से अधिक 139 मामले लम्बित हैं। ब्यौरा इस प्रकार है :—

1980 से	28
1981 से	61
1982 से	35

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 के अधीन-15 इन 15 मामलों में से अधिकांश में पेंशन स्वीकृत की गई थी किन्तु बाद में इसको स्थगित कर दिया गया/रोक दिया गया। इन मामलों की समीक्षा की जा रही है।

(घ) सम्मान पेंशन के दावेदारों की पात्रता के बारे में सत्यापन रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य सरकारों को बार-बार अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वीकृत की गई धनराशि

6456. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के लिये अलग-अलग कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (घ) पिछले चार वर्षों की अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय ने, समय-समय पर, राज्य सरकारों को जोर देकर यह कहा है कि विशेष कम्पोनेन्ट योजना के अधीन स्कीमों के कार्यान्वयन को तेज किया जाए और आशा है कि राज्य सरकारें धनराशियों का पूरा उपयोग कर सकेंगी ।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के वास्ते उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई गई केंद्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

स्कीम का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्र-वृत्तियां	186.22	533.572	503.52	342.62
2. मैडिकल/इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	0.30	—	—	—
3. अनुसूचित जातियों के लिए बालिका छात्रावास	6.00	100.00	—	—

(...जारी)

1	2	3	4	5
अनुसूचित जनजातियों के लिए बालिका छात्रावास	0.50	1·60	2.00	2·00
4. कोचिंग तथा सहायक स्कीमें	2·04	1·25	1.97	शून्य
5. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन	21.89	30·35	5.04	—
6. अनुसूचित जाति विकास निगम	97.00	152·00	9·15	—
7. आदिवासी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	0·75	0.90	0·71	1.76
जोड़ :	324.70	839.67	522.39	346.38
अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की विशेष कम्पोनेंट योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता	2206·00	2821·66	2956.63	3042·80
जनजाति उप-योजनाएं	19·07	14·81	17.81	24.39
कुल जोड़ :	2549.77	3676·14	3496.83	3413·57

आदिवासियों पर अत्याचार रोकने के लिए राज्यों को मार्ग निर्देश

6457. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों पर अत्याचार रोकने के लिये उनके मंत्रालयों द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी किये गये विस्तृत मार्ग निर्देश क्या हैं ;

(ख) मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य-वार क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या आदिवासियों पर अत्याचार रोकने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों का लोगों को जानकारी देने के लिये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने उपाय किये है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से कारगर ढंग से निपटने के लिए 1980 में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गए थे जिनमें एहतियाती, निवारक, दण्डात्मक, पुनर्वासात्मक और कार्मिक नीति उपाय शामिल हैं । जनजातीय व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाने और अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए उचित परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों विशेष तौर से पुलिस पर बल देने के लिए भी राज्यों को कहा गया है । गृह मंत्री ने पहले जारी किए गए दिशा निर्देशों की ओर जनजातीय उप-योजना राज्यों और सघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करते हुए उनको सितम्बर, 1983 में पुन: पत्र लिखे थे । राज्य सरकारों का ऐसे क्षेत्रों का

पता लगाने जहां अनुसूचित जनजातीय व्यक्तियों पर अत्याचारों की अधिक घटनाएं होती हैं और भूमि जैसे विवादों के कारण, बंधक मजदूरों, वन ठेकेदारों द्वारा घोषणा आदि का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया था। राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियां पर ऐसे अत्याचारों जो जघन्य और विभत्स किस्म के हों और जिनके बाद में गम्भीर साम्प्रदायिक परिणाम होते हैं की विशेष रिपोर्ट भेजने के लिए भी अनुरोध किया गया था जिनसे जनता की भावनाएं और भाव भड़के हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण संलग्न है।

विवरण

1. अधिकांश राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों और अनुदेशों का अनुसरण करने के लिए संबंधित विभागों/क्षेत्र अधिकारियों को आवश्यक निदेश जारी कर दिए हैं।

2. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों को शीघ्रता से निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

3. गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने अनुसूचित जातियों के पीड़ितों के लिए राहत/क्षतिपूर्ति की बढ़ी हुई मात्रा को अपना लिया है जैसी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा सिफारिश की गई थी। आन्ध्र प्रदेश बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान की राज्य सरकारों ने भी क्षतिपूर्ति की अलग-अलग दरें निर्धारित करते हुए योजनाएं तैयार की हैं। शेष कुछ राज्यों को राहत की वह मात्रा स्वीकार करने के लिए आग्रह किया जा रहा है जिसका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया था।

4. यह निश्चित करने के लिए कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति किए गए अपराधों को उचित रूप से दर्ज किया जाए, उनकी तुरन्त और उचित रूप से जांच की जाए तथा उनका शीघ्रता से अभियोजन किया जाए। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में विशेष कक्ष कार्य कर रहे हैं।

5. अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित सभी पहलुओं की देखभाल करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर की समितियां स्थापित की गई हैं।

6. मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए समाहर्ताओं और पुलिस आयुक्तों को उत्तरदायी बनाया गया है। यदि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अभित्रस्त करने के लिए आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया जाता है तो लाइसेंस रद्द करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की एक सूची भी तैयार कर रही है जो अत्याचार प्रणव क्षेत्र हैं।

7. बिहार और महाराष्ट्र सरकारों ने उन क्षेत्रों का पता लगा लिया है जहां अपराध की घटनाओं की दर अधिक है।

8. बिहार सरकार ने सूचित किया है कि महत्वपूर्ण मामलों में सीधी कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए उड़न दस्ते स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पटना सहित 10 प्रभावित जिलों में हरिजन और अनुसूचित जनजाति थानें स्थापित किए गए हैं। अत्याचारों को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को उत्तरदायी बनाया गया है और इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि कोई व्यक्ति यदि अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के विरुद्ध आग्नेयास्त्र इस्तेमाल करता है तो उसके आग्नेयास्त्र को हिरासत में ले लिया जाए।

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिमी घाटों को सम्मिलित करने का मानदण्ड

6458. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम घाट को पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए क्या मानदण्ड है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशियां संबंधित राज्यों अथवा भारत सरकार के सामान्य विकास निधियों से अधिक हैं अथवा यह एक निवारक कार्यक्रम है;

(ग) पश्चिम घाटों का पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि, आदिवासी उपयोजना की संकल्पना को केन्द्रीय मंत्रालयों के विभाज्य कार्यक्रमों और योजनाओं से जनजाति क्षेत्रों को धनराशि देने की स्वीकृति दे दी जाती है, तो परियोजना रिपोर्ट बनाने और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी उपयोजना के विकास के लिए अपेक्षित धनराशि निर्धारित करने में उनके मंत्रालय को क्या कठिनाई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पश्चिमी घाटों को उनके पारिस्थितिकी महत्व के कारण हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ पहाड़ी क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोनों ही पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और उनके पहाड़ी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी व्यवस्थाएं बहुत ही नाजुक हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के किसी कटाव और वनों के जल निमग्न होने से अंततः देश के व्यष्टि (माइक्रो) जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी घाटों को पहाड़ी क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख) राज्यों को कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और यह सामान्य राज्य योजना धनराशियों के अलावा होती है। यह कार्यक्रम पूरी तरह पश्चिमी घाट क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र अर्थात् चार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र गोवा में फैले हुए 162 तालुकों के लिए है।

(ग) पांचवीं योजना में जब यह विचार किया गया कि पूर्वी घाट अन्य दो पहाड़ी क्षेत्रों के बराबर महत्वपूर्ण नहीं हैं तब पूर्वी घाटों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के बारे में विचार नहीं किया गया।

(घ) पश्चिमी घाट क्षेत्रों को छोड़कर नामित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयोजना नीति का पालन किया जा रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नामितपहाड़ी क्षेत्रों में शामिल जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई अलग जनजातीय उपयोजना नहीं है। भविष्य में यदि किसी समय किसी जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है तो पहाड़ी क्षेत्र विकास के लिए स्वयं जनजातीय उपयोजना के वास्ते विशेष सहायता में वृद्धि करने के प्रयोजन के लिए धनराशियों के पृथक आवंटन करने के प्रश्न पर विचार करना होगा। इस समय यह प्रश्न इस लिए उत्पन्न नहीं होता क्योंकि एक बृहत् जनजातीय क्षेत्र के भाग के रूप में निर्धारित कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है।

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देना

6459. श्री गिरिधर गोमांगो
श्री के० प्रधानी } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ दामनजोड़ी तथा अंगुल में लोगों को रोजगार देते समय नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड भुननेश्वर, उड़ीसा को अनुसरण करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय तथा सरकारी उद्यम कार्यालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा अब तक दामनजोड़ी तथा अंगुल में स्थानीय लोगों को रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराये गये हैं;

(घ) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा क्षेत्र के स्थानीय तथा योग्य व्यक्तियों को अब तक प्रशिक्षण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती पद्धति से संबंधित लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी मार्गदर्शी नियमों के अनुसरण हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नालको) के ध्यान में लाया गया था। लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी मार्गदर्शी नियमों के अनुसार कम्पनी द्वारा उन पदों पर भर्ती जिनका अधिकतम वेतनमान 800/प्रतिमाह से अधिक नहीं होता स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती हैं यदि रोजगार कार्यालय द्वारा किसी श्रेणी के पद के संबंध में "उपलब्ध नहीं प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है, तो रिक्तियां स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचित की जाती हैं। अधिकारी तथा पर्यवेक्षी श्रेणियों में कार्मिकों की भर्ती के लिए पदों को स्थानीय तथा अखिल भारतीय स्तर के दोनों समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अखिल भारतीय आधार पर भरा जाता है। परियोजना हेतु अधिग्रहीत क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों को भर्ती के मामले में उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) नालको में अब तक 629 स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

(घ) अंगुल में 152 विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा उनके प्रशिक्षण की लागत नालको द्वारा वहन की जा रही है। दामनजोड़ी में 17 अकुशल व्यक्ति नालको के विभिन्न ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के माध्यम से प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा नालको द्वारा सीधे भर्ती किए गए 32 अकुशल व्यक्ति नालको के अधीन विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

हिंदुस्तान फोटो फिल्म कम्पनी का विस्तार

6460. **श्री आर० प्रभु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन फिल्मों को निर्मित करने की प्रस्तावित परियोजना का परित्याग कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार रंगीन फिल्मों के निर्माण क्षेत्र में ऊंटी में स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के विस्तार पर विचार करेगी;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) रंगीन फिल्मों के उत्पादन/विनिर्माण के लिए परियोजना स्थापित करने पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

टेलीविजन सेटों का देश में निर्माण

6461. **श्री आर० प्रभु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 31 दिसम्बर, 1983 को कार्य कर रहे ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन तथा रंगीन टेलीविजन सेटों की संख्या क्या है;

(ख) अगले पांच वर्षों में इन उत्पादों की अनुमानित मांग क्या है; और

(ग) इस मांग को पूरा करने के लिए देश में निर्माण क्षमता के प्रस्तावित विकास का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अगले पांच वर्षों की अवधि में (1984 से 1988), में दूरदर्शन की कुल मांग लगभग 120 लाख होने का अनुमान है।

(ग) ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं।

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के लिए दिया गया महत्व

6462. **श्री आर० प्रभु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के सम्बन्ध में दिया गया महत्व अब अप्रयुक्त हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान सूचकांक लघु क्षेत्र उद्योग के उत्पादन के सूचकांक को प्रतिलक्षित नहीं करता है; और

(ग) यदि हां, तो सूचकांक का संशोधन करने के लिए मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन के चालू (1970 आधार) सूचकांक में पुनरीक्षण के लिए योजना मन्त्रालय के सांख्यिकी विभाग द्वारा एक कार्य दल बनाया गया है। इस कार्य दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:—

(1) औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक के आधार वर्ष को बदल कर अगला वर्ष आधार वर्ष करने पर विचार करना और इसके परिणाम स्वरूप अंश दर्शाने वाले रेखाचित्र में संशोधन की सिफारिश करना।

(2) औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में लघु उद्योगों के उत्पादन को शामिल करने की क्रियाविधि और इस प्रयोजन के लिए लघु प्रतिष्ठानों को समावेश किये जाने की सीमा की समीक्षा करना।

(3) लघु क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन का अलग सूचकांक बनाने की संभावना की जांच करना।

(4) संशोधित सूचकांक के लिए आंकड़ों के संकलन की पद्धति और उत्तरदायित्व की सिफारिश करना।

कार्य दल ने अभी तक तीन विचार विमर्श किए हैं।

दिल्ली में पुलिस आयुक्त व्यवस्था के कार्यकरण की समीक्षा

6463. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस आयुक्त की व्यवस्था के बारे में कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इसमें क्या विभिन्न त्रुटियां पाई गईं और क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पुलिस द्वारा विशेषत: सहायक पुलिस आयुक्त के पद के अधिकारी द्वारा जमानत करने से शक्ति के दुरुपयोग करने के इस व्यवस्था में बहुत से प्रावधान मौजूद हैं; और

(ङ) यदि हां, तो व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ग) इस समय पुलिस आयुक्त व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(घ) और (ङ) किसी व्यवस्था में शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। सहायक आयुक्त द्वारा जमानत स्वीकार करने की शक्ति के दुरुपयोग की कोई विशिष्ट घटनाएं ध्यान में नहीं आई हैं।

उड़ीसा में उद्योगों के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय पत्र

6464. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान (1 मार्च, 1984 तक) उड़ीसा में विशेषत: इसके पिछड़े "उद्योग हीन" जिलों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस आशय पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्योगों से इन जिलों में कितने पिछड़े आदिवासी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा; और

(ग) क्या सरकार के इस प्रकार के लाइसेंसों को जारी करते समय आदिवासी लोगों की दु:खद गरीबी को ध्यान में रखा है तथा उद्योगपतियों द्वारा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उड़ीसा राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 25 औद्योगिक लाइसेंस और 69 आशय पत्र स्वीकार किए गए थे । इनमें से 7 औद्योगिक लाइसेंस और 38 आशय-पत्र राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने के लिए थे । पिछड़े क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 38 आशय-पत्रों में से 23 आशय-पत्र विशिष्ट रूप से राज्य के "उद्योग रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापना करने के लिए थे । जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा अर्थात् उपक्रम का नाम और पता, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थापना स्थल, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है ।

(ख) और (ग) उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करते समय ऐसे उद्योगों से उत्पन्न होने वाले रोजगार को भी ध्यान में रखा जाता है । यद्यपि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में लाइसेंस धारी के लिए केवल स्थानीय जनजातीय लोगों को ही रोजगार देना अनिवार्य बनाने की व्यवस्था नहीं है । फिर भी इस प्रकार लगाये गए उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने वालों में जनजातीय लोगों सहित यदि कोई हो, अधिकांश रूप से स्थानीय लोग ही होते हैं ।

रंगीन टी० वी० सेटों के पंजीकरण के लिए एकत्रित की गई धनराशि

6465. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री चिंता मणि जेना
श्री राम सिंह शाक्य } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की टी० वी० निर्माण कम्पनियों अर्थात् इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड तथा अपट्रॉन द्वारा रंगीन टी० वी० सेटों के पंजीकरण के लिए जनता से धनराशि एकत्रित की गई थी;

(ख) यहि हां, तो उसमें से प्रत्येक द्वारा इसके लिए कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ग) इच्छुक खरीददारों द्वारा जमा राशियों को शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या रंगीन टी० वी० सेटों के भावी खरीददारों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें पंजीकरण की तिथि से तीन महीनों के भीतर रंगीन टी० वी० सेटों की डिलीवरी दे दी जायेगी;

(ङ) क्या इस वचन का पालन किया जा रहा है;

(च) क्या यह भी सच है कि यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति अपने पंजीकरण को रद्द कराना चाहता है और जमा राशि को वापस लेना चाहते हैं तो उसे 50 रुपये रद्दकरण शुल्क के रूप में भुगतान करना पड़ता है; और

(छ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि बुकिंग का देश के विभिन्न स्थानों में विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है अत: उनका ठीक-ठीक ब्यौरा देना इस समय कठिन है।

(ग) रंगीन दूरदर्शनों की बुकिंग के संबंध में भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद तथा "अपट्रान" लखनऊ द्वारा उल्लिखित शर्तों तथा निबंधों के ब्यौरे क्रमश: विवरण-एक तथा दो में दिए गए हैं।

(घ) तथा (ङ) किसी भी कम्पनी ने उपभोक्ताओं को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। किन्तु "अपट्रान" ने यह संकेत दिया है कि वे 3-4 महीनों के अन्दर अपने रंगीन दूरदर्शन सेटों की आपूर्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

(च) तथा (छ) बुकिंग रद्द करने के लिए "अपट्रान" कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लेता है। भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) उपभोक्ताओं से श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के सम्बन्ध में भी बुकिंग रद्द करने के लिए 50 रुपये शुल्क भारित करता था ताकि पंजीकरण और उसके बाद बुकिंग रद्द कराने के लिए जो लिपिकीय एवं अन्य प्रयास किए जाते हैं, उनका मुआवजा प्राप्त हो सके। रंगीन दूरदर्शन सेटों की बुकिंग के सम्बन्ध में भी ऐसी ही पद्धति जारी रखी गई है। किन्तु जिन रंगीन दूरदर्शन सेटों की बुकिंग बुक करने की तारीख से तीन महीने के बाद रद्द की जाती है, उनके सम्बन्ध में भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड द्वारा इस शुल्क से छूट दी गई है।

विवरण एक

रंगीन ई० सी० टी० वी० की बुकिंग के संबंध में भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम की शर्तों तथा निबंधनों का ब्यौरा

1. भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड द्वारा प्राथमिकता के आधार पर एक नम्बर दिया जाएगा तथा ग्राहक एवं विक्रेता को सूचित कर दिया जाएगा।

2. रंगीन दूरदर्शन सेटों की सुपुर्दगी ई० सी० टी० वी० शो—रूम तथा भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड के अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से की जाएगी।

3. कम्पनी की बिक्री, उत्पाद विषयक विशिष्टियां, कीमत, कर, शुल्क आदि से सम्बन्धित शर्तें सुपुर्दगी के समय प्रचलित दरों के यथा आधार पर लागू होंगी।

4. अग्रिम राशि को बिना किसी ब्याज के साथ उस स्थिति में लौटाया जा सकेगा जब राशि जमा करने की तारीख से पूरे तीनों केलेण्डर महीनों की समाप्ति के बाद शाखा-प्रबन्धक/प्रभारी अधिकारी को आवेदन-पत्र दिया जाएगा।

5. 1000 रुपये की अग्रिम राशि में प्रतिवर्ष 7/ की दर से साधारण ब्याज दिया जाएगा जिसके लिए राशि जमा करने के महीने के बाद से प्रत्येक पूरे कैलण्डर महीने की ब्याज की राशि संगठित की जाएगी। यदि बुक करने के महीने से 6 कैलेण्डर महीनों के अन्त में रंगीन दूरदर्शन सैट की सुपुर्दगी कर दी जाती है अथवा आवेदक द्वारा राशि वापस मांगी जाती है तो उस स्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

6. यदि छः महीनों के बाद अग्रिम राशि की वापसी की जाती है अथवा दूरदर्शन सैट की सुपुर्दगी की जाती है तो ब्याज की राशि की संगणना अग्रिम राशि जमा कराने के अगले महीने से अग्रिम राशि की वापसी के महीने अथवा रंगीन दूर-दर्शन सैट की सुपुर्दगी के महीने, जैसी भी परिस्थिति हो, के पिछले महीने तक की अवधि के लिए की जाएगी ।

7. अग्रिम-राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो तो उसे प्राधिकृत विक्रेता/संबंधित ई० सी० टी० वी० बुकिंग कार्यालय द्वारा सेट की सुपुर्दगी के समय प्रभावरित किए जाने वाले बिक्री-मूल्य के बीजक में समायोजित कर दिया जाएगा ।

8. भविष्य में किसी भी पत्राचार में प्राथमिकता नंबर तथा ई० सी० बुकिंग कार्यालय/विक्रेता के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा ऐसे पत्राचार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अवश्य ही सम्बोधित किए जाने चाहिए ।

9. रंगीन दूरदर्शन सेट की सुपुर्दगी के समय अथवा अग्रिम राशि की वापसी के समय आवेदक को अग्रिम राशि जमा करने के समय दी गई पावती-स्लिप को वापस करना होगा ।

10. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना ई० सी० बुकिंग कार्यालय/विक्रेता को दी जानी चाहिए ।

11. किसी भी विवाद के उठने पर उसका निराकरण अनन्यत कम्पनी के मण्डल अथवा क्षेत्रीय कार्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हों उनके परिक्षेत्र में आने वाले न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

12. भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड केवल उन स्थानों में मरम्मत आदि करेगा जहां उसके ऐसे केन्द्र स्थापित हों ।

विवरण-दो

'अपट्रॉन' रंगीन दूरदर्शन सैटों की बुकिंग के लिए 'अपट्रॉन' की शर्तें तथा अनुबन्धों का ब्यौरा

1. इच्छुक खरीदार 1000 रु० की अग्रिम राशि जमा करके रंगीन दूरदर्शन सैटें बुक करा सकता है ।

2. यदि दूरदर्शन सैट की 6 महीनों के अन्दर सुपुर्दगी नहीं की जाती है तो 'अपट्रान' द्वारा 7% की दर से ब्याज दिया जाएगा ।

3. उपभोक्ता 3 महीने के बाद किसी भी समय यह राशि वापस लेने के लिए स्वतंत्र है ।

4. अनपेक्षित परिस्थितियों को छोड़कर, 'अपट्रॉन' के लिए 3 महीनों के अन्दर रंगीन दूरदर्शन सैट सुपुर्द कर देना संभव हो सकेगा ।

पश्चिम बंगाल से उद्योगों का बाहर ले जाया जाना

6466. **श्री सनत कुमार मण्डल** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा स्वतंत्रता से लेकर नये निवेशों के मामलों में राज्य को पश्चिम बंगाल के गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग तथा केन्द्र का ध्यान स्पष्ट रूप से

आकर्षित किया है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक अपने पहले पूंजी निवेशों से लाभ अर्जित कर रहे हैं तथा अन्य राज्यों में पुन: पूंजी निवेश कर रहे हैं तथा उनको अन्य राज्यों में नए एककों के लिए लाइसेंस मंजूर करके केन्द्र द्वारा इस प्रक्रिया में उनकी मदद की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा स्थिति को ठीक करने तथा पूंजी और उद्योगों के पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने पर रोक लगाने का क्या प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव कार्य करना केन्द्र सरकार का सतत प्रयास है। किन्तु राज्य में निरंतर औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करना और बनाए रखना राज्य सरकार का कार्य है।

रुग्ण एकक

6467. **श्री ए० के० राय** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 को देश में राज्य-वार रुग्ण, बड़े मध्यम तथा लघु उद्योगों में बिना उपयोग किये हुए कुल कितनी पूंजी परिसम्पत्ति पड़ी हुई है; तथा कितने कर्मचारी बेरोजगार हैं

(ख) उनमें कितने बैंक ऋण तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया ऋण रुका पड़ा है;

(ग) श्रमिकों की कितनी धनराशि बकाया पड़ी हुई है;

(घ) क्या श्रमिकों की बकाया धनराशि को शेयर पूंजी में परिवर्तित करके श्रमिक सहकारी समिति के रूप में रुग्ण उद्योग को चलाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है

(ख) पहली जनवरी, 1984 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए गए नवीनतम आंकड़ों (अनन्तिम) के अनुसार 31-12-1982 को इन एककों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को देय राशियां निम्नलिखित थीं :—

	(करोड़ रुपये)
बड़े एकक	1804
मंझोले एकक	207
	567
कुल	2578

दिसम्बर, 1982 के अन्त में प्रत्यक्ष सहायता निवेश सूची के रूप में रुग्ण एककों पर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों का बकाया कर्ज 554 करोड़ रुपये का था।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत संबंधी नीति

6468. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिजली की कमी से विकास संबंधी कार्यक्रमों को नुकसान न हो, कोई व्यापक नीति अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो मौजूदा बिजली क्षमता कितनी है और इस क्षमता से विद्युत में कुछ वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग, इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीति पत्र तैयार करने में लगा हुआ है। यह नीति पत्र, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित होने पर, केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना तैयार करने से संबंधित विस्तृत कार्य आरम्भ करने का आधार होगा। योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए विद्युत से संबंधित कार्यकारी दल का भी गठन किया है।

आशा की जाती है कि यह दल सातवीं योजना के लिए विद्युत विकास कार्यनीति से संबंधित सभी संगत पहलुओं की जांच करेगा।

(ख) मार्च, 83 के अंत तक उपयोगिता प्रणाली में कुल स्थापित क्षमता 35548 मेगावाट थी। विद्युत उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त क्षमता को त्वरित गति से चालू करने तथा विद्यमान तापीय संयंत्रों से सृजन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

लेवी तथा गैर-लेवी सीमेंट का मूल्य

6469. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में अलग-अलग विद्यमान लेवी तथा गैर-लेवी सीमेंट का मूल्य क्या है;

(ख) मूल्यों को निर्धारित करते समय क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ग) क्या सरकार को मूल्यों में वृद्धि करने के लिए किसी राज्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सारे देश में रेल के भाड़े से मुक्त लेवी सीमेंट का मूल्य एक जैसा है अर्थात् साधारण पोर्टलैंड सीमेंट/पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट 805.45 रुपये प्रति मी० टन तथा पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट 790.43 रुपये प्रति मी० टन है इसमें उत्पादन शुल्क तथा पैकिंग प्रभार शामिल है। गैर-लैवी सीमेंट के मूल्य और वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है। फिर भी, सीमेंट उत्पादक संघ ने बताया है कि स्थानीय कर तथा लेवी के अलावा देश के विभिन्न भागों में 50 किलोग्राम सीमेंट का अधिकतम खुदरा मूल्य निम्न प्रकार होगा :—

महाराष्ट्र, गोआ, केरल जम्मू तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में	—	64 रुपया
देश के अन्य सभी भागों में	—	60 रुपया

(ख) सीमेंट उद्योग की मूल्य नीति इस बात को ध्यान में रख कर तैयार की गई है जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य तथा उत्पादकों को उचित लाभ सुनिश्चित हो सके।

(ग) और (घ) यद्यपि राज्य सरकारों की इस प्रकार की कोई मांग नहीं है फिर भी उद्योग लेवी सीमेंट के संधारण मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध करता रहा है। इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वेश्यावृत्ति में वृद्धि

6470. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस के अनुसंधान तथा विकास विभाग द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार वेश्यावृत्ति के अपराध में 90% वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम का उल्लंघन करने पर कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और दण्डित किया गया है; और

(घ) क्या यह सच है कि वेश्याओं तथा दलालों को ही जो अवप्रेरक होते हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अधिनियम का संशोधन करने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ताकि वेश्याओं के ग्राहकों को भी, जो इस अपराध के लिये वास्तविक रूप से जिम्मेदार होते हैं इसके अन्तर्गत लाया जा सके ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न भागों में 1982 में महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अन्तर्गत 20,138 मामले सूचित किए गए जबकि 1981 में 15,185 मामले सूचित किए गए थे, इस प्रकार से 32.62% वृद्धि हुई है। तथापि जहां तक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का संबंध है, 1982 में इस प्रकार के 84 मामलों की तुलना में 1983 में 77 मामले सूचित किए गए थे। वेश्यावृत्ति के कारण सामाजिक और आर्थिक दोनों ही हैं।

(ग) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	सूचित किए गए मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	अब तक निर्णित मामलों में दोषसिद्ध व्यक्ति
1981	88	212	30
1982	84	218	42
1983	77	191	46

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) कोई ऐसा संशोधन करने का विचार नहीं है।

अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में समुद्री विकास और अनुसंधान कार्यक्रम का प्रस्ताव

6471. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जो कि बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है और काफी लम्बा तट क्षेत्र है समुद्री विकास और अनुसंधान कार्यक्रम चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री विकास और अनुसंधान कार्यक्रम केन्द्र स्थापित करना चाहेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमन्। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में, समुद्र वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के अधीन सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों का एक दल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा पहले ही कर चुका है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात का आयात

6472. श्री चिन्तामणि जेना
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ किस्म के इस्पात का आयात किया जा रहा है, यदि हां, तो 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में ऐसे कौन-कौन से इस्पात उत्पादों का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस्पात के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई और यह आयात किन-किन देशों से किया गया;

(ग) क्या आयातित किस्म का इस्पात भारत में तैयार नहीं किया जा सकता, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा भविष्य में इसे भारत में ही बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 1984-85 में इस्पात के लिए भारत सरकार की आयात-निर्यात संबंधी नीति क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में माध्यम अभिकरण "सेल" द्वारा किए गये इस्पात के आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

मात्रा लाख टनों में, मूल्य करोड़ रुपयों में है

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1981-82	10.5	363.56
1982-83	13.2	501.16
1983-84 (अप्रैल, 83—फरवरी, 84)	5.1	222.78

सामान्यत: निम्नलिखित मदों और क्वालिटियों का आयात किया गया था :—

मद	क्वालिटी जिसका सामान्यत: आयात किया गया था
वायर राड	कोल्ड हैडिंग क्वालिटी, हाई कार्बन क्वालिटी (कार्ड क्लोडिंग/आटो टायर बीड/प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्वालिटी।
स्ट्रकचरल्स	वाइड-फ्लैन्जड बीम, असामान्य एन्गल और लायड/ए० बी० एस० ग्रेड में स्ट्रकचरल्स।
प्लेटें	हाई टैनसाइल, आई० एस० 2062 जहाज बनाने के काम में आने वाली प्लेटें और पिक्कल्ड/आयल्ड कन्डीशन में प्लेटें।
ठंडी बेलित क्वायल/चादरें	डी० डी०/ई० डी० डी० क्वालिटी
गर्म बेलित चादरें/क्वायल	पिक्कल्ड और आयल्ड कंडीशन में डी० डी०/ई० डी० डी०, मीडियम कार्बन/हाई कार्बन चादरें।
्टन प्लेटें	ओ० टी० एस० सी० क्वालिटी।

इस अवधि में इस्पात के कुल आयात के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) विभिन्न पदों/क्वालिटियों की मांग और उनकी देशीय उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए 'सेल' ने आयात किया था। 1983-84 में 'सेल' की मार्फत किये जाने वाले आयात में कमी आई है। प्रॉडक्ट-मिक्स में इस प्रकार समायोजन किया गया है जिससे आयात की जाने वाली मदों का अधिकाधिक देश में ही उत्पादन किया जा सके।

(घ) आयात और निर्यात नीति की घोषणा शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है।

कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी सहयोग

6473. श्री ए० नीला लोहित दासन नाडार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसी दूसरे देश से बात-चीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के संबंध में सरकार किसी भी दूसरे देश के साथ समझौता-वार्ता नहीं कर रही है। किन्तु, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा मार्च, 1983 में मुख्य ढांचे के मध्यम आकार वाले कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी की खरीद के-सम्बन्ध में एक विश्वव्यापी स्तर पर टेंडर आमन्त्रित किया गया था। उक्त टेंडर के उत्तर में पांच बोलियां प्राप्त हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने इन पांच प्रस्तावों में से दो प्रस्तावों को चुना है, जो टेंडर की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन दो पार्टियों के साथ समझौता-वार्ता जारी है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा

6474. **अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अण्डमान और निकोबार द्वीप को राज्य का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के सहायक एकक

6475. **श्री राम विलास पासवान** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो औद्योगिक क्षेत्र सभी एककों को अभी तक उसके सहायक एकक घोषित नहीं किया गया है जबकि इनको जमीन देते समय स्क्रीनिंग कमेटी (अब प्लांट लेबल कमेटी) द्वारा यह स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई थी कि ये उद्योग बी० एस० एल० की जरूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन उद्योगों के उत्पादों की बी० एस० एल० को आवश्यकता नहीं होती उन्हें गैर-सहायक (नान एंसीलियरी) कहा जाता है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे एककों को जिन्हें जमीन देते समय बी० एस० एल० से जोड़ा गया उसके सहायक एकक घोषित करेगी; और

(घ) क्या 17 मशीन शापों को 1975 से पहले ठेके दिए गए थे तथा बाकी के तत्सम्बन्धी आवेदनों को रद्द कर दिया गया था परन्तु इन 17 शापों को भी अभी तक सहायक घोषित नहीं किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में भूमि आवंटित हो जाने से ही कोई इकाई सहायक इकाई का दर्जा प्राप्त करने की पात्र नहीं हो जाती है । यह दर्जा उन्हीं इकाइयों को दिया जाता है जो इस्पात कारखानों द्वारा नियमित रूप से उपयोग में लाई जा रही मदों का उत्पादन करती है । सहायक इकाई का दर्जा प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों की त्रि-पक्षीय समिति द्वारा जांच की जाती है और संयंत्र स्तर की समिति द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है । इन दोनों समितियों में बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा बिहार राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं । सहायक इकाई का दर्जा करने की प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । 30 सितम्बर, 1983 की स्थिति के अनुसार बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 159 लघु इकाइयां उत्पादन कर रही थीं जिनमें से 128 इकाइयां बोकारो इस्पात संयंत्र के सम्भारकों के रूप में पंजीकृत थीं (इनमें 44 इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें सहायक इकाइयों का दर्जा दिया गया है) ।

1980-81	5.10 करोड़ रुपए
1981-82	6.35 करोड़ रुपए
1982-83	7.55 करोड़ रुपए
1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक 9 महीने)	5.99 करोड़ रुपए

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलेगा कि बोकरो इस्पात कारखाने ने बोकारो औद्योगिक विकास क्षेत्र में स्थित उद्योगों को अधिक आर्डर दिए हैं। बोकारो इस्पात कारखाना इन उद्योगों को अधिक से अधिक आर्डर देता रहेगा बशर्ते माल की सुपुर्दगी समय पर की जाए तथा उत्पादों की क्वालिटी संतोषजनक हो। इसके अतिरिक्त इस काम में सहायता करने के लिए निविदा कागजात मुफ्त देने, जमानत तथा पेशगी की राशि देने से छूट, खरीद तथा मूल्य में प्राथमिकता देने, तकनीकी सलाह तथा परीक्षण की सुविधाओं जैसी विशेष रियायतें दी जाती हैं। इन इकाइयों को आर्डर देने के काम पर प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित की गई संयंत्र स्तर की एक समिति द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है।

(घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बोकरो औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत चल रहे औद्योगिक एककों की उत्पादन क्षमता

6476. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत चल रहे औद्योगिक एककों की उत्पादन क्षमता का निर्धारण बी० एस० एल० द्वारा किया जाता है तथा वह उनकी क्षमता जानबूझकर वास्तविक क्षमता से कम बताता है ताकि स्थानीय उद्यमियों को इस क्षमता के आधार पर कम आर्डर प्राप्त हों;

(ख) क्या जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स, बोकारो द्वारा लगभग 4 लाख रुपए मूल्य की मशीनें लगाई गई हैं तथा अन्य सामानों और भवनों की खरीद पर 4 लाख रुपए खर्च किये गये हैं परन्तु बी० एस० एल० ने अपनी वार्षिक उत्पादक क्षमता केवल 10 हजार रुपये मूल्य की दिखाई है जबकि उनकी वार्षिक वास्तविक उत्पादन क्षमता 10 लाख रुपए मूल्य की है क्योंकि वे मैकेनिकल स्पेयर पार्टस (इन्जीनियरिंग उत्पाद) बनाते तथा जाब वर्क्स भी करते हैं; और

(ग) क्या सरकार इस बारे में जांच करवायेगी और सही क्षमता का निर्धारण करेगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) इकाइयों की क्षमता की सिफारिश 'प्रोजेक्ट क्लीयरेन्स कमेटी' करती है जिसके अध्यक्ष बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रबन्ध निदेशक हैं और इसमें बोकारो इस्पात कारखाने और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि होते हैं और अन्तिम रूप से इसका अनुमोदन "संयंत्र स्तर की समिति" करती है जिसके अध्यक्ष बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्ध निदेशक हैं और जिसमें बोकारो इस्पात कारखाने, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और लघु उद्योगों के प्रतिनिधि हैं। उद्यमियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वीकृति क्षमता के अनुसार इकाइयां स्थापित करें लेकिन जहां स्थापित क्षमता अनुमोदित क्षमता से कम होती है, वहां इकाइयों के पंजीकरण के समय उनकी कम क्षमता स्वीकार कर ली जाती है।

(ख) और (ग) जानकारी प्राप्त जी रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गृह मंत्रालय में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना

6477. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित अनेक पद पीछे से रिक्त चले आ रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित इन रिक्तपदों को भरने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पड़े रिक्त स्थानों को कितने समय में भर लिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान । गृह मंत्रालय सचिवालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और राजभाषा विभाग सहित) में 26.3.84 को आरक्षित रिक्तियों का पिछला बकाया श्रेणी-वार विवरण निम्न प्रकार से है :—

श्रेणी	सीधी भर्ती में		पदोन्नति में	
	अनु० जाति	अनु० ज० जाति	अनु०जाति	अनु० ज० जाति
ग्रुप क	1	—	1	1
ग्रुप ख	6	4	21	26
ग्रुप ग	19	37	25	25
ग्रुप घ	—	—	2	1
कुल	26	41	49	53

(ख) रिक्तियों का पिछला बकाया मुख्यत: पात्र अनु० जाति/अनु० जन जाति उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण है ।

(ग) पिछला बकाया के निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

1. भर्ती, पदोन्नत इत्यादि के समय पर आरक्षण आदेशों का प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन ।

2. अनु० जाति/अनु० जनजाति कार्मिक के लिए विशेष पदोन्नति परीक्षा आयोजित करना ।

3. जोन आफ कन्सिडरेशन को बढ़ाना ताकि अधिक संख्या में पात्र अनु० जाति/अनु० जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति के लिए सम्मिलित किया जा सके ।

4. प्राधिकारियों की नियुक्ति करके आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए गृह मंत्रालय में अनु० जाति/अनु० जनजाति एकक का सृजन करना ।

(घ) पिछला बकाया को निपटाने के लिए कोई निर्धारित तिथि बताना संभव नहीं है क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र (बिहार) के श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाना

6478. **श्री राम विलास पासवान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने 12 अगस्त, 1983 को बोकारो (बिहार) में बोकारो इस्पात संयंत्र के हड़ताल कर रहे श्रमिकों पर गोली चलायी थी;

(ख) यदि हां, तो गोली चलाने से कितने श्रमिक मारे गए तथा मरने वाले श्रमिकों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने श्रमिक मारे गए;

(ग) क्या यह सच है कि श्रमिक 10 नवम्बर, 1983 को प्रधान मंत्री से मिले थे तथा उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने उपरोक्त घटना के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा तुरन्त जांच कराने के आदेश दिए थे; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय बोकारो इस्पात कारखाने की भवनाथपुर की चूना-पत्थर की खानों की स्थिति से है।

8 जुलाई, 1983 को ठेकेदारों, श्रम ठेके का प्रतिनिधित्व करने वाली मान्यता-प्राप्त यूनियन तथा सहायक श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय) के बीच एक त्रि-पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में ठेकेदारों के कामगारों को दी जाने वाली मजूरी की दरों और मजूरी के अभिकलन के तरीके का भी उल्लेख किया गया है।

10 अगस्त, 1983 को कामगारों के एक वर्ग ने काम बन्द कर दिया और काम करने के इच्छुक कामगारों को काम पर जाने से रोका। इस झगड़े में ग्रुप के बीच गोली चली और दो कामगारों की मृत्यु हो गई। इनमें से एक कामगार अनुसूचित जाति का तथा दूसरा कामगार अनुसूचित जनजाति का था। चूंकि यह मामला स्थानीय कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के पास था इसलिए मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराने का आदेश नहीं दिया गया था। ठेकेदारों के 2698 कामगारों में से 933 कामगारों ने काम करना बन्द कर दिया। ठेकेदारों, बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों और सहायक श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा हड़ताल खत्म करवाने के लिए बार-बार कोशिश की गई है परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली है।

कामगारों का एक वर्ग 10 नवम्बर, 1983 को प्रधान मंत्री से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था। उनकी मुख्य मांगें थीं :—

1. न्यूनतम मजूरी दी जाए।
2. सभी कार्यों का विभागीयकरण किया जाए।
3. ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए रिहायशी मकानों की व्यवस्था की जाए।
4. भविष्य निधि की राशि का समय पर भुगतान किया जाए।

इन मामलों के बारे में स्थिति के बारे में पुनः पता लगाया गया। त्रि-पक्षीय समझौते में ठेका श्रमिकों की मजूरी के भुगतान की दर कानून के अंतर्गत निर्धारित दर से अधिक है। संयंत्र के अधिकारी राशि के भुगतान के बारे में नियमित रूप से जांच करते हैं कि राशि का भुगतान उसकी उपस्थिति में किया गया है। कम मजूरी देने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। कार्यों के विभागीयकरण के बारे में इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति के साथ हुए समझौते में स्थायी तथा वर्षानुवर्षी आधार पर किए जाने वाले कार्यों में श्रम-ठेके को समाप्त करने की व्यवस्था है।

सक्षम प्राधिकारि (खानों के बारे में श्रम मंत्रालय) स्थायी तथा वर्षानुवर्षी आधार पर चलने वाले कार्यों का पता लगता है और उन्हें अधिसूचित करता है। ऊपरिभार हटाने, ड्रिलिंग तथा ब्लास्टिंग के कार्यों को स्थायी तथा वर्षानुवर्षी आधार पर चलने वाले कार्य घोषित किए गए हैं और उनका विभागीयकरण कर दिया गया है। खान खोदने, माल के लदान तथा ढुलाई से सम्बन्धित कार्यों को स्थायी तथा वर्षानुवर्षी आधार पर चलने वाले कार्य घोषित नहीं किया गया है और उनका विभागीयकरण नहीं किया गया है। रिहायशी मकानों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में यह पता लगाया गया है कि ठेकेदार ठेका श्रमिकों को मकान बनाने के लिए सामग्री देते हैं और ठेकेदार कानून के अन्तर्गत अन्य आवश्यक सुविधाएं भी देते हैं।

भविष्य-निधि की राशि का शीघ्र भुगतान करने के बारे में यद्यपि देरी से भुगतान करने का कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है तथापि केन्द्रीय भविष्य-निधि के आयुक्त को राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों से भी कहा गया है कि अगर राशि का देरी से भुगतान करने का कोई मामला श्रमिकों के नेताओं अथवा यूनियन द्वारा उनके ध्यान में लाया जाए तो वे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से सम्पर्क करें।

27.1.1984 से पुनः शुरू हो गया है और इस समय 933 हड़ताली कामगारों में से 550 कामगर काम पर आ गए हैं।

बोकारो इस्पात कारखाने के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल ठेकेदारों के कामगारों को भुगतान, आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा ठेकेदारों के श्रमिकों के बारे में अन्य दायित्वों के कार्यान्वयन की पुनः समीक्षा कर रहा है। यह कदम सतत् समीक्षा और जांच से यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि ठेका श्रमिकों को देय राशि का पूरा-पूरा भुगतान किया जाए।

मुख्य श्रम आयुक्त ने 17 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ठेकेदारों के प्रतिनिधियों तथा बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों को बुलाया गया था। उन्होंने सही ढंग से भुगतान के बारे में अपनी संतुष्टि के लिए भवनाथपुर में काम कर रहे ठेकेदारों के सभी कामगारों के रिकार्डों की जांच करने का काम शुरू कर दिया है। "सेल" तथा बोकारो इस्पात कारखाना इस कार्य में सहायता दे रहे हैं।

राजस्थान की प्लाना लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देना

6479. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान की प्लाना लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट एक वर्ष से योजना आयोग के विचाराधीन पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए इस परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति मिल जाने की आशा है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) जी, हां। प्लाना लिग्नाइट विद्युत परियोजना (2 × 60 मे० वा०) के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा लिग्नाइट निचय के ज्ञान में अंतर पूरा करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाए जाने पर ही 67.38 करोड़ रु० की अनुमानित लागत को स्वीकृत दी गई थी। बाद में नवम्बर, 1983 में पर्याप्त खनन निचय स्थापित किया गया।

इस बीच उक्त विद्युत परियोजना की लागत 172 करोड़ रु० तक (अगस्त, 1982) परिशोधित की गई। राज्य को तदनुरूप केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा उस परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन करवाने का अनुरोध किया गया जो अभी तक नहीं किया गया है।

चल रही विद्युत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करने के बाद, उपलब्ध राज्य योजना संसाधनों के अंतर्गत इस स्कीम के लिए धनराशियों की व्यवस्था भी दिखाई नहीं देती है।

राजस्थान में रंगाई और छपाई उद्योगों के कारण जल-प्रदूषण

6480. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जोधपुर, गालोटरा और पाली शहरों के कौन-कौन से भागों की जनसंख्या, वहां रंगाई और छपाई कारखानों से निकलने वाले कचरे के कारण होने वाले जल प्रदूषण से प्रभावित है;

(ख) प्रदूषण की इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार और उद्योगपतियों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) प्रदूषण की समस्या का कितने समय में समाधान हो जाएगा ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जोधपुर के पास संगेरिया तथा सालावास गांव, बालोत्र तथा जोसोल गांव के आस-पास कालूनी नदी के आस-पास क्षेत्र, बून्द्री नदी और पाली शहर का भाग औद्योगिक अपशिष्ट जल द्वारा प्रभावित हुआ है।

(ख) राजस्थान राज्य बोर्ड ने रंगाई तथा छपाई उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण की समस्या के हल के लिए अनेक उपाय उठाए हैं। स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्रों की जांच करते समय राज्य बोर्ड बहिस्रावों के निस्सारण के बारे में उपयुक्त शर्तें लगा रहा है। दोषी उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। जोधपुर, पाली और बालोत्रा क्षेत्रों में रंगाई तथा छपाई यूनिटें स्थापित करने के लिए कोई नई स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

उद्योगों को कहा जा रहा है कि वे उन्हें स्वीकृति-अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मंजूरी से पहले बहिस्राव उपचार की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम को मनाया गया है कि वह जोधपुर, पाली तथा बालोत्रा के औद्योगिक क्षेत्रों में सामूहिक बहिस्राव उपचार संयंत्र की व्यवस्था करें।

(ग) राजस्थान राज्य बोर्ड इसमें शामिल अभिकरणों का समन्वय करके समस्या के हल के लिए ठोस कदम उठा रहा है। चूंकि प्रदूषण के नियंत्रण और प्रदूषण के सृजन में विभिन्न अभिकरण शामिल हैं और इसका नियंत्रण एक सतत् प्रक्रिया है अतः समस्या के हल के लिए निश्चित समय सूचित करना कठिन है।

कोटा परमाणु ऊर्जा केन्द्र का विस्तार

6481. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा परमाणु ऊर्जा केन्द्र का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार का विचार इस स्थान पर स्वदेशी संसाधनों और सामग्री से दो और एकक स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है तथा भविष्य में किये जाने वाले उपायों की क्या रूपरेखा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) विद्यमान परमाणु बिजलीघरों का विस्तार करने और देश में नए परमाणु बिजलीघर लगाने के बारे में निर्णय स्थल-चयन समिति की रिपोर्ट सरकार को मिलने और सरकार द्वारा उस पर विचार कर लिया जाने के बाद ही लिया जा सकता है।

गुजरात में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

6482. **अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार से प्राप्त हुये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी गई है और लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्वीकृत हुये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या कुछ प्रस्ताव अभी भी स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत गुजरात राज्य सराकर के निगमों से विभिन्न उद्योगों के लिए 35 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिनमें से 9 पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए थे।

(ख) उपर्युक्त 35 प्रस्तावों में से 21 प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये गये हैं और अपेक्षित आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं। जारी किये गये आशय-पत्रों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा नियमित रूप से उनके मन्थली न्यूज लेटर, में प्रकाशित किये जाते हैं। जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) शेष 14 प्रस्ताव अनेक तकनीकी-आर्थिक कारणों जैसे क्षमता और स्थापना-स्थल संबंधी बाधाओं से संबंधित योजनाओं की जीव्यता, मांग और आपूर्ति आदि के आधार पर अस्वीकृत कर दिये गये थे। अस्वीकृत किये जाने के कारण प्रत्येक आवेदक के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकार को भी सूचित कर दिये गये थे।

(घ) जी, नहीं।

भारी पानी की कमी और उसका उत्पादन

6483. **श्री अनन्त रामुलु मुल्लु** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारी पानी की कोई कमी अनुभव की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) इस समय भारी पानी का वार्षिक औसत उत्पादन कितना है; और

(घ) इसकी मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) इस समय भारी पानी की कोई कमी अनुभव नहीं की जा रही है।

(ग) तथा (घ) बड़ौदा और तूतीकोरिन स्थित भारी पानी संयंत्रों का क्षमता-गुणक हाल के महीनों में अच्छा रहा है। उत्पादन और क्षमता-गुणक की उच्चतम प्राप्य दर पाने के उद्देश्य से संयंत्र के उपस्करों में सुधार किए जा रहे हैं।

कोटा और तलचर स्थित भारी पानी संयंत्रों को चालू करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में थाल-वैशट नामक स्थान पर और आंध्र प्रदेश में मानुगुरु नामक स्थान पर भी भारी पानी संयंत्र लगाने का काम चल रहा है।

भारत-जापान संयुक्त उद्यम के अंतर्गत परियोजनाएं

6484. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-जापान संयुक्त उद्यम के अंतर्गत गत चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है तथा उन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उनमें कुल कितने निवेश का अनुमान है; और

(ग) इनमें से कितने उद्योगों ने इक्विटी भागीदारी की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) पिछले 4 वर्षों में जापानी फर्मों के साथ विदेशी सहयोग के 170 प्रस्तावों का सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) और (ग) स्वीकृतियों का ब्यौरा अर्थात् भारतीय और जापानी कंपनियों का नाम, विनिर्माण की वस्तु और सहयोग का प्रकार भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित तिमाही सूचियों में दिया जाता है जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। जापानी फर्मों के साथ मंजूर किए गए 170 प्रस्तावों में से इक्विटी साझेदारी वाली 21 स्वीकृतियां जारी की गई हैं। आशा है कि इन 21 परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जापानी कंपनियों द्वारा किया गया निवेश लगभग 4354.38 लाख हो जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए पत्र

6485. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में राजभाषा अधिनियय, 1963 के उपबंधों के अनुसार "क", "ख", और "ग" क्षेत्र में स्थित अपने संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों को क्रमश: कितने मूल पत्र लिखे;

(ख) उनमें से क्षेत्रवार और वर्षवार कितने-कितने मूल पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए;

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को उक्त "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित अपने सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से उक्त अवधि में प्रति वर्ष कुल कितनी मूल पत्र प्राप्त हुए; और

(घ) इन पत्रों में राज्य-वार कितने मूल पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में थे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भेजे गए मूल पत्रों और उत्तर में भेजे गए पत्रों का अलग-अलय रिकार्ड नहीं रखा गया है। दिन्दी और अंग्रेजी में विभिन्न राज्यों को भेजे गए पत्रों की संख्या और उनका जोड़ विवरण-एक में दिया गया है।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से हिन्दी और अंग्रेजी में प्राप्त हुए पत्रों और उत्तर में प्राप्त हुए पत्रों की संख्या और उनका जोड़ विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण-एक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों उपक्रमों को भेजे गए पत्र

राज्य का नाम	वर्ग	1981-82			1982-83			1983-84		
		अंग्रेजी	हिन्दी	जोड़	अंग्रेजी	हिन्दी	जोड़	अंग्रेजी	हिन्दी	जोड़
1. उत्तर प्रदेश	ए	2052	13	2065	2328	9	2337	1969	217	2186
2. पश्चिम बंगाल	सी	115	—	115	255	—	255	422	7	429
3. आंध्र प्रदेश	सी	100	—	100	95	—	95	66	6	72
4. असम	सी	3	—	3	—	—	0	1	—	1
5. बिहार	ए	6	2	8	2	1	3	3	—	3
6. कर्नाटक	सी	9	—	9	20	—	20	9	—	9
7. गुजरात	बी	—	—	0	2	—	2	3	—	3
8. उड़ीसा	सी	5	1	6	8	—	8	4	—	4
9. महाराष्ट्र	बी	1	—	1	10	—	10	10	—	10
10. मेघालय	सी	—	—	0	—	—	0	3	—	3
11. राजस्थान	ए	39	—	39	30	—	30	9	—	9
12. मध्य प्रदेश	ए	12	—	12	3	1	4	3	—	3
13. केरल	सी	—	—	0	—	—	0	2	1	3
14. चण्डीगढ़	बी	78	—	78	34	—	34	4	—	4
15. दिल्ली	ए	131	3	134	76	9	85	21	11	33

विवरण-दो

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से प्राप्त पत्र

राज्य का नाम	वर्ग	1981-82			1982-83			1983-84		
		अंग्रेजी	हिन्दी	जोड़	अंग्रेजी	हिन्दी	जोड़	अंग्रेजी	हिन्दी	जोड़
1. उत्तर प्रदेश	ए	3117	10	3127	2805	83	2888	2058	459	2517
2. आन्ध्र प्रदेश	सी	82	—	82	9	—	9	9	—	9
3. पश्चिम बंगाल	सी	611	—	611	531	—	531	568	—	568
4. बिहार	ए	1	—	1	—	—	1	—	—	0
5. कर्नाटक	सी	11	—	11	2	—	2	—	—	0
6. गुजरात	बी	1	—	1	—	—	0	—	—	0
7. उड़ीसा	सी	9	1	10	10	—	10	2	—	2
8. महाराष्ट्र	बी	4	—	4	1	—	1	3	—	3
9. मेघालय	सी	7	—	7	—	—	0	—	—	0
10. राजस्थान	ए	4	—	4	1	—	1	1	—	1
11. मध्य प्रदेश	ए	9	—	9	1	—	1	1	—	1
12. केरल	सी	—	—	0	1	—	1	—	—	0
13. चंडीगढ़	बी	58	—	58	12	—	12	7	—	7
14. दिल्ली	ए	21	—	21	30	—	30	24	2	26
15. हिमाचल प्रदेश	ए	—	1	1	—	—	0	—	—	0

राजभाषा अधिनियम, 1983 का कार्यान्वयन

6486. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार देश के, "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित अपने अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों को क्रमश: कुल कितने मूल पत्र लिखे;

(ख) इनमें से क्षेत्र-वार और वर्ष वार हिन्दी और अंग्रेजी में पृथक-पृथक कितने मूल पत्र लिखे गए;

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को उक्त "क" "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित अपने अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष कुल कितने मूल पत्र प्राप्त हुए; और

(घ) इन मूल पत्रों में से क्षेत्र-वार कुल कितने पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में थे ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति

6487. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1983 तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कितने लोग बन्दी बनाए गए;

(ख) क्या सरकार का ध्यान "एमनेस्टी इन्टरनेशनल" की 1980, 1981 और 1982 की रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ग) क्या एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने भारत में "केवल विपरित दृष्टिकोण अथवा राजनीतिक मत" के लिए बिना मुकदमा चलाए लोगों को बंदी बनाने और "मुठभेडों के दौरान" हत्याओं की रिपोर्टों, जेलों में उत्पीडन और भारत में अकारण "लुप्त हो जाने" के संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पर टिप्पणी की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वर्ष 1980, 1981, 1982 के लिए "एमनेस्टी इन्टरनेशनल" से प्राप्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) से (घ) सरकार ने उल्लिखित एमनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्टें देखी हैं। ये प्रकाशित दस्तावेज हैं। इन रिपोर्टों में गलत टिप्पणियां निहित हैं।

विवरण

31 दिसम्बर, 1983 को नजरबंद (भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन) व्यक्तियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदा०	31 दिसम्बर, 1983 को नजरबंद व्यक्तियों की सं०
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	13
3.	बिहार	23

1	2	3
4. मध्य प्रदेश		53
5. महाराष्ट्र		126
6. मणिपुर		18
7. उड़ीसा		9
8. पंजाब		11
9. राजस्थान		2
10. तमिलनाडु		4
11. उत्तर प्रदेश		75
जोड़		339

टिप्पणी—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जम्मू और काश्मीर में लागू नहीं है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना शून्य है।

गरीबी की रेखा परिभाषित करने के लिए कार्यदल

6488. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गरीबी की रेखा" की परिभाषा करने के लिए अगस्त, 1982 में नियुक्त किए गए कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने गरीबी की रेखा के नीचे की जनसंख्या का पता लगाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 20-सूत्री कार्यक्रम पर नए सिरे से जोर देने के लिए क्या आधार बनाया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार ने एक कार्यकारी दल का अगस्त, 1982 में गठन किया था जिसका उद्देश्य गरीब व्यक्तियों का पता लगाने के लिये समुचित रीतिविधान को विकसित करना था न कि "गरीबी की रेखा" को परिभाषित करना। इस दल की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

(घ) गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसमुदाय का पता लगाने के लिये, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उसी आधार पर ही संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम पूर्ववत् जारी रखा गया है।

मध्य प्रदेश में विदेशों से धन प्राप्त करने वाले संगठन

6489. **डा० वसन्त कुमार पंडित**
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य विदेशी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक और खेल संगठन भारत में इसी प्रकार के संगठनों को धन देते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में इसी प्रकार के संगठनों को धन दिया है;

(ग) दान देने वाले संगठनों के नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि दी गई और प्रत्येक दान की राशि देने का उद्देश्य या प्रयोजन क्या था; और

(घ) इस बात की निगरानी या देख-रेख करने के लिए कौन सी एजेंसी है कि जिस प्रयोजन के लिए दान दिया गया है उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया है गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) 1980, 1981 और 1982 के लिए आंकड़ों का संगणिकीकरण किया जा रहा है। तीन वर्षों की विवरणियों का संगणकीकरण होने के बाद ही सूचना उपलब्ध होगी।

(घ) गृह मंत्रालय में एक प्रबोधन एकक स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राप्तकर्ता संगठनों को प्रति वर्ष प्राप्त विदेशी अभिदान और प्रयोग किए गए धन की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भेजनी होती है।

मैंकेनिकल सील के उत्पादन में विदेशी तकनीकी का आयात

6490. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंकेनिकल सील के उत्पादन हेतु विदेशों से "नवीनतम तकनीक" आयात करने के लिए किसी पार्टी ने औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र या प्रस्ताव के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आवेदन-कर्ता, तत्संबंधी विदेशी सहयोग और अन्य शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधुनिकतम तकनीक देने के लिए विदेशी तकनीक का आयात करने के लिए मैसर्स जान क्रेन के साथ सहयोग करने का कोई आवेदन/प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इससे क्या विशेष लाभ होंगे, इनकी देश में कितनी मांग है तथा इस क्षेत्र में वर्तमान अनुसंधान और विकास अनुभागों की क्षमता कितनी है;

(ङ) क्या विभाग, भारत में औद्योगिक एककों की वर्तमान क्षमता में विदेशी तकनीक या बहुराष्ट्रीय सहयोग की अनुमति न देने सम्बन्धी प्रधान मंत्री के मार्ग-निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके गुण-दोषों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (च) मैसर्स बी० डी० के० इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, कुच्छी हाउस, जयचामराज नगर, हुबली, कर्नाटक ने मैंकेनिकल सीलों और सहायक सामान के निर्माण के लिए मैसर्स जान क्रेन हाउडैल इंक; यू० एस० ए० के साथ विदेशी सहयोग करने की स्वीकृति के लिए आवेदन दिया है। कम्पनी के आवेदन की जांच की जा रही है। इस मामले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है। निर्णय लेते समय प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन सहित प्रस्ताव के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा।

आयोजन प्रक्रियाओं की भूमिका के बारे में प्रकाशन

6491. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में आयोजन प्रक्रिया और इसकी भूमिका तथा लोगों के कल्याण सहित आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव के बारे में कोई प्रमाणित इतिहास प्रकाशित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रकाशन संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या आयोजन प्रक्रिया की भूमिका पर जोर देने तथा आर्थिक विकास में इसके महत्व का उल्लेख करने के लिए इस प्रकार का कोई प्रकाशन निकाला जाएगा ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) योजना आयोग आम जनता की सूचना के लिए 1964 और 1975 में पहले ही "योजना प्रक्रिया" नामक पुस्तिका का प्रकाशन कर चुका है। इस पुस्तिका में भारतीय योजनाओं को तैयार करने के ढंग और देश के आर्थिक विकास में योजना की भूमिका से संबंधित आवश्यक सूचना दी हुई है।

दार्जिलिंग में उद्योग स्थापित करने के लिए परिवहन सम्बन्धी राज-सहायता

6492. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से दार्जिलिंग, जो कि एक पिछड़ा पर्वतीय जिला है, विशेषकर इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र हैं, में औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए परिवहन संबंधी राज सहायता योजना की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दार्जिलिंग को यह सुविधा देने का निर्णय किया है और यह योजना कितनी जल्दी शुरू हो जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भट्टाभि राम राव) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान में एसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खादी और ग्राम उद्योग द्वारा पंचायतों के माध्यम से ऋण वितरण

6493. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्राम उद्योग आयोग के समक्ष ऋण और आर्थिक राज सहायता पंचायतों अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से वितरण की प्रणाली को विकेन्द्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है, जिससे कि ग्रामीण रोजगार पैदा करने का कार्यक्रम और आगे बढ़ सके;

(ख) यदि हां, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ऋण नियमों में आयोग द्वारा राज्य सरकार, राज्य के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत समिति, सहकारिता समिति, गांव अथवा ग्रामपंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका, जिला परिषद् अथवा निश्चित अवधि के लिए लागू राज्य की किसी भी कानून के अन्तर्गत स्थापित कोई भी समान निकाय, भूदान अथवा ग्रामदान संबंधी किसी भी कानून के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण, तथा धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यास को ऋणों का वितरण किए जाने की व्यवस्था है। इन एजेंसियों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग से उनके द्वारा प्राप्त धनराशि को निर्धारित शर्तों के अनुसार उनके कार्यक्षेत्र तथा फील्ड संबंधी

कार्यों के अंतर्गत आने वाले कारीगरों और संस्थानों को पुन: ऋण प्रदान करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज राजसहायता योजना निम्नलिखित पर भी लागू है :—

(1) संस्थानों, सहकारी समितियों तथा अलग-अलग कारीगरों को पूंजीगत निवेश तथा कार्यशील पूंजीगत ऋणों का वितरण करने के लिए अथवा अपने विभागीय कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा बढ़ाए गए ऋणों पर।

2. पंजीकृत संस्थानों तथा सहकारी समितियों द्वारा अपनी पूंजीगत निवेश और कार्यशील पूंजी विषयक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ाए गए ऋणों पर।

उड़ीसा में कागज मिल की स्थापना

6494. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ कागज मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर इस प्रकार की नई कागज मिलें स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उड़ीसा राज्य में कागज मिल की स्थापना करने के लिए सरकार के पास इस समय कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

मिनी इस्पात संयंत्रों की प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए उपाय

6495. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनी इस्पात संयंत्रों सम्बन्धी तकनीकी जानकारी को अद्यतन बनाने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) जी, हां। लघु इस्पात कारखानों की उत्पादन लागत में कमी करने, उनकी उत्पादिता में वृद्धि करने और उनके उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए लघु इस्पात कारखानों की प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया है, उनमें से कुछ क्षेत्र हैं :—"अल्ट्रा हाई पावर आपरेशन", "द्वितीयक शोधन", "आक्सी-फ्यूल बर्नर्स" "स्क्रैप प्री-हीटिंग", "जल शीतित पैनल" आदि। उद्योग को अपनी प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के कार्य में सहयोग देने के उद्देश्य से सरकार विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने, विकसित देशों में इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठित उत्पादकों से प्रक्रिया संबंधी तकनीकी जानकारी का आयात करने और हाल मे हुए प्रौद्योगिकीय विकासों से लाभ उठाने के लिए उपस्करों और/अथवा ड्राइंग और डिजाइनों का आयात करने की अनुमति दे रही है ताकि ऐसे उपस्कर देश में ही तैयार किए जा सकें।

परिष्कृत चर्म खालों के लिए अतिरिक्त क्षमता

6496. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े के सामान संबंधी विकास परिषद् ने परिष्कृत चर्म खालों के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो चमड़े के सामान संबंधी विकास परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) परिष्कृत चमड़े के सामान की कुल कितनी अतिरिक्त क्षमता पैदा की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) देश में उत्पादित की जा रही चमड़ा वस्तुओं में जूता प्रमुख है; जो लघु क्षेत्र के विकास के लिए आरक्षित है। किन्तु, लघु एककों के अतिरिक्त अन्य एककों में जूतों के उत्पादन की अनुमति उत्पादन के पर्याप्त अनुपात के निर्यात पर विचार विमर्श करने के पश्चात् दी जाती है। 223.70 लाख जूतों के जोड़ों की कुल क्षमता के ग्यारह एकक तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत हैं और 48.50 लाख जोड़े की क्षमता के छह एककों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया है।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सीमेंट संयंत्र

6497. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित ऐसे सीमेंट संयंत्रों की संख्या कितनी है जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक की सहायता से देश में और अधिक सीमेंट संयंत्र से देश में और अधिक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त इस प्रकार का कोई सीमेंट संयंत्र उड़ीसा के लिए मंजूर किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का विश्व बैंक सहायता प्राप्त सीमेंट संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा; और

(ङ) इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) देश में अभी तक विश्व बैंक ने किसी भी सीमेंट संयंत्र का वित्तीयन नहीं किया है। तथापि, विश्व बैंक की प्रतिक्रिया भारत में चुने हुए संयंत्रों में नम प्रक्रिया को शुष्क प्रक्रिया में बदलने वाले ऊर्जा बचाने वाले सीमेंट संयंत्रों के पक्ष में थी और उसने इस प्रकार के परिवर्तन हेतु बैंक सहायता के लिए पांच सीमेंट संयंत्रों को चुना है। बैंक से बातचीत अब भी जारी है।

(ग) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) तथा (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में बाक्साइट के भंडार

6498. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान अथवा खान तथा भूविज्ञान विभाग उड़ीसा ने उड़ीसा में बाक्साइट भंडारों का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान अथवा खान विभाग उड़ीसा ने उड़ीसा के विभिन्न जिलों में कुल कितने टन बाक्साइट भण्डारों का अनुमान लगाया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा खनन और भूतत्व निदेशालय, उड़ीसा सरकार ने कोरापुट, काला-हांडी, बोलगीर, फुलबानी, क्योंझर तथा संबलपुर जिलों में कुल 1570 मि० टन बौक्साइट भंडारों का अनुमान लगाया है। अधिकांश स्थानों पर बौक्साइट धातु ग्रेड का है।

पूर्वी घाटों में बाक्साइट भंडार

6499. श्री हरिहर सोरन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार पूर्वी घाटों में बाक्साइट भण्डारों की कुल कितनी मात्रा का पता चला है;

(ख) पूर्वी घाट में बाक्साइट के समुचित दोहन के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार पूर्वीघाट क्षेत्रों में लगभग 2160 मि० टन भण्डार हैं।

(ख) और (ग) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नाल्को), केन्द्रीय सरकारी उपक्रम, 1242.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उड़ीसा में एक एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्प्लैक्स स्थापित कर रहा है। कम्प्लैक्स में निम्नलिखित मुख्य घटक हैं : –

(i) पंचपटमाली में एक बौक्साइट खान तथा कोरापुट जिले में दामणजोड़ी में एक एल्यूमिना संयंत्र।

(ii) धेनकनाल जिले में अंगुल में एक एल्यूमिनियम प्रद्रावक तथा 600 मे० वा० क्षमता का एक ग्रहीत बिजलीघर।

आंध्र प्रदेश में पूर्वीघाट पर सापराला और जैराला के बौक्साइट भंडारों पर आधारित एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। इन दो भण्डारों के विदोहन का निर्णय परियोजना हेतु धन तथा एल्यूमिना के निपटान के प्रबंध हो जाने के बाद किया जायगा।

सांविधिक अनुदेशों को सम्मिलित करते हुए सेवा नियमों की पुनरीक्षा

6500. श्री राम सिंह शाक्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा संबंधी मामलों/अनुशासन के संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों में सांविधिक नियमों जैसी शक्ति नहीं होती और इसी से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा इनकी अवज्ञा कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सेवानियमों की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है ताकि सांविधिक अनुदेशों की अनुपूर्ति के लिये उनके मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों को सम्मिलित किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उनका मंत्रालय किस तरह यह सुनिश्चित करेगा कि उनके मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों को सांविधिक माना जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन कुछ सांविधिक नियम जारी किये गये हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के कुछ पहलुओं तथा उनकी भर्ती को भी नियंत्रित करते हैं फिर भी संविधान के अनुच्छेद 73 की शर्तों के अनुसार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्राय: कार्यकारी अनुदेश भी जारी किये जाते हैं। भारत सरकार कार्य के आवंटन नियमों के अधीन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को आवंटित किये गये विषयों पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और कार्यकारी अनुदेश दोनों ही ऐसे सभी मंत्रालयों/विभागों पर समान रूप से बाध्यकारी है जिनके मामलों में ऐसे नियम तथा अनुदेश लागू होते हैं।

(ख) ऊपर भाग (क) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यकारी अनुदेश सभी मंत्रालयों/विभागों पर उसी प्रकार से समान रूप से बाध्यकारी हैं, जैसे कि सांविधिक नियम। यह प्रत्येक मंत्रालय/विभाग पर निर्भर करता है कि वे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न नियमों तथा अनुदेशों को कार्यान्वित तथा लागू करे तथा किसी मामले में कठिनाई अथवा सन्देह होने की स्थिति में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श करें। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए सभी नियमों तथा अनुदेशों के बारे में उक्त विभाग मॉनिटरिंग की कोई भूमिका नहीं निभाता।

सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवाओं और केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में भिन्नता

6501. श्री मनोहर लाल सैनी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में सम्मिलित विभिन्न सेवाओं की तुलना करते समय पाया था कि जिन कार्यालयों के कार्य का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है उन्हें गलत ढंग से इसमें शामिल किया गया है और सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवाओं के कार्य का स्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के समान होते हुए यह इन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है;

(ख) सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवाओं को सहभागी कार्यालयों में शामिल करने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवाओं की विभिन्न सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया, अर्हताओं का स्तर केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के समान है; और

(घ) यदि हां, तो सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवाओं को केंद्रीय सचिवालय सेवाओं से भिन्न रखने के विशिष्ट कारण/शर्तें क्या हैं और सशस्त्र सेना सेवाओं को सहभागी कार्यालय के रूप में शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) इस संबंध में तृतीय वेतन आयोग के अभिमत संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि तृतीय वेतन आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी।

(ग) जी, नहीं। कुछ असमानताएं हैं।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय जैसे संवेदनशील संगठन की सुरक्षा, कार्यकुशलता और संगठनात्मक अपेक्षाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

विवरण

तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय—10, पैराग्राफ 3 में दिए गए अभिमत

"...हमारे विश्लेषण से भी ज्ञात होता है कि किसी कार्यालय को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में सम्मिलित किए जाने का कोई प्रत्यक्ष संबंध उस कार्यालय के कार्यों में नहीं होता। उदाहरण के लिए, सशस्त्र सेना मुख्यालय, जिसके कार्य स्पष्टरूप से ऐसे हैं, जो संलग्न कार्यालयों के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं, परन्तु वह "सम्मिलित" कार्यालय नहीं है; जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक "सम्मिलित" कार्यालय है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण जैसे अन्य संगठन "गैर-सम्मिलित" कार्यालय हैं, और जहां राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी एक "सम्मिलित" कार्यालय है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी "सम्मिलित" कार्यालय नहीं है।"

सभी सरकारी उपक्रमों को स्थगित भुगतान सुविधा देना बन्द करने का प्रस्ताव

6502. **श्री कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी उपक्रमों को स्थगित भुगतान सुविधा देना बन्द करने का कोई प्रस्ताव स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब से लागू किया जायेगा;

(ग) इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा क्या वैकल्पिक कार्यविधि अपनाई जाएगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं। लेकिन स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० अपनी नकदी की स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी भुगतान की शर्तों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में मिनी इस्पात संयंत्र

6503. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में कितने मिनी इस्पात संयंत्र हैं;

(ख) क्या कुछ मिनी इस्पात संयंत्र दोषपूर्ण बिजली-सप्लाई के कारण बन्द होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र ने इन इस्पात संयंत्रों को बन्द होने से बचाने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) मध्य प्रदेश में 12 लघु इस्पात कारखाने हैं (जिन इकाइयों को लाइसेंस/आशय-पत्र दिए गए हैं।)

(ख) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि केवल बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण कोई लघु इस्पात संयंत्र बन्द होने के कगार पर है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बजाज और प्रिया स्कूटरों का उत्पादन तथा इनकी मांग

6504. श्री निहाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बजाज और प्रिया स्कूटरों की बड़ी मांग है;

(ख) यदि हां, तो 15 मार्च, 1984 तक देश में इन स्कूटरों की बुकिंग का क्या ब्योरा है;

(ग) 31 जनवरी, 1984 तक प्रत्येक डीलर ने कितने स्कूटरों की डिलीवरी दी है;

(घ) दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कूटरों का कितना उत्पादन हुआ है; और

(ङ) इन स्कूटरों की संस्थापित लाइसेंस शुदा क्षमता के अनुसार इनकी आसान डिलीवरी हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) 31-1-84 को बकाया क्रयादेश इस प्रकार थे :—

बजाज सुपर स्कूटर—लगभग 8 लाख

प्रिया स्कूटर —लगभग 16 लाख

(ग) 31-1-84 तक डीलरों को दिए गये स्कूटरों का ब्योरा निर्माताओं से प्राप्त कर लिया गया है और संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में बजाज और प्रिया स्कूटरों का उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	बजाज सुपर	प्रिया
1981	40,728	24,546
1982	69,275	32,597
1983	82,834	53,482

(ङ) बजाज आटो लि० की स्कूटरों और मोटर साइकिलों की अधिष्ठापित क्षमता 1.6 लाख प्रतिवर्ष है। इन स्कूटरों की भारी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 3 लाख प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता के लिए दी गई स्वीकृति को कार्यान्वित करने के लिए बजाज आटो लि० औरंगाबाद में एक नया संयंत्र स्थापित कर रहा है।

विवरण

क्रमांक	डीलर का नाम	बजाज आटो लिमिटेड 1-4-1983 से 31-1-1984 तक डीलरों को सप्लाई किये गये वाहन (समस्त डीलरों के लिए)	महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड 1-4-1983 से 31-1-1984 तक डीलरों को सप्लाई किये गये वाहन (समस्त डीलरों के लिए)
1	2	3	4
1.	आटोमोटिव मैन्युफैक्चर्स लि०, सिकन्दराबाद	22773	6591
2.	चौधरी ब्रादर्स, हैदराबाद		703
3.	आटोमोटिव मैन्यु० लि०, विजयवाड़ा	188	—
4.	आटोमोटिव मैन्यु०, विशाखापत्तनम	92	2874
5.	श्री आटोमोबाइल्स, गौहाटी	3020	1
6.	फेयरडील आटो प्रा०लि०, जमशेदपुर	5504	108
7.	आटो सिन्डीकेट, पटना	13758	4717
8.	बिहार आटो एजेन्सीज, दुमका	65	—
9.	इनर इण्डस्ट्रियल इन्ट० प्रा० लि०, बोकारो	102	—
10.	जे०जे० इण्डस० कारपो०, रांची	7919	300
11.	हिन्द मोटर्स (स्कूटर्स डिवीजन) चण्डीगढ़	20383	11475
12.	सिकन्द एण्ड कं० (स्कूटर्स डिवीजन) नई दिल्ली	17024	—
13.	बजाज आटो लि०, नई दिल्ली	95641	—
14.	युनाइटेड आटोमोबाइल्स, नई दिल्ली	—	—
15.	न्यू युनाइटेड आटोमोबाइल्स, नई दिल्ली	63588	38984
16.	बग्गा लिंक सर्विस, नई दिल्ली	—	—
17.	आटो सर्विसेज, गोआ	1494	4018
18.	ए० एस० मोटर्स, बड़ौदा	30526	9853
19.	रणजीत आटोमोबाइल्स, अहमदाबाद	30269	—
20.	आटोमोटिव मैन्यु० लि०, राजकोट	7747	4990
21.	नाना आटोमोबाइल्स, सूरत	1604	4717
22.	अमीन आटोमोबाइल्स, अहमदाबाद	6950	3869
23.	आटो कार्स, हिसार	11061	2565

(...जारी)

1 2	3	4
24. नार्टन मोटर्स, अम्बाला कैन्ट	3730	8496
25. हिमाचल मोटर्स, शिमला	6236	396
26. न्यू स्टाइल फैब० प्रा०लि०, जम्मू कैंट	1480	118
27. कश्मीर मोटर कारपो०, श्रीनगर	40	—
28. दि बंगलौर कम्पनी, बंगलौर	4681	—
29. खिवराज मोटर्स, बंगलौर	13117	5010
30. सुप्रीम मोटर्स, मंगलोर	3497	78
31. ग्रीनलाइन मोटर्स, बेलगांव	5065	78
32. देवानन्द आटोमोबाइल्स, गुलबर्ग	88	—
33. श्रीराम आटोमोबाइल्स, दावनगीर	48	—
34. बागी आटोज, हुबली	—	—
35. मैसूर आटो एजेन्सीज, मैसूर	86	—
36. नाना आटोमोबाइल्स, कोचीन	2205	600
37. हिन्दुस्तान बिजनेस कारपो०, कालीकट	72	—
38. नेशनल कारपोरेशन, जबलपुर	6573	222
39. प्रोजेक्ट आटोमोबाइल्स, भिलाई	13095	1503
40. राजपूताना मोटर्स, इन्दौर	9611	6419
41. —वही— भोपाल	4506	1604
42. एम०पी० आटो हाउस, भोपाल	2570	—
43. ग्वालियर मोटर हाउस, ग्वालियर	2614	—
44. गुप्ता एण्ड सन्स (मोटर्स) प्रा०लि०	6847	312
45. शाह एण्ड संघी आटो एजेन्सीज प्रा० लि०, बम्बई	32659	7660
46. बजाज आटो लि०, पूना	29450	7699
47. आटो कार्स, औरंगाबाद	10879	5356
48. इण्डिया आटोमोबाइल्स, कोल्हापुर	2727	116
49. आटो इण्डिया, सांगली	4026	3968
50. मोहन इण्टरप्राइजिज, थाना	—	—
51. वसन एण्ड सन्स, नासिक	176	1298
52. पटनी आटोमोबाइल्स, नागपुर	3826	2234
53. प्रोजेक्ट आटोमोबाइल्स, बम्बई	—	—
54. अलसी एसोसिएट्स, अकोला	104	—
55. अरुण आटोमोबाइल्स, नागपुर	2410	—
56. धूले आटोमोबाइल्स प्रा०लि०, धूले	102	—
57. मणिपुर डीजल्स, इम्फाल	1290	76
58. गोइंका इंजी० वर्क्स, शिलांग	1319	40
59. बकलीवाल मोटर्स, दीमापुर	1900	40

1 2	3	4
60. उत्कल आटो सिन्डीकेट, राउरकेला	8371	156
61. उत्कल आटो, कटक	5815	154
62. एस०मो० हसन कुथूस मेरीकार प्रा० लि० पांडिचेरी	85	—
63. दोआबा आटोमोबाइल्स, अमृतसर	13243	5283
64. पी० एस० जैन मोटर कं० (प्रा०) लि०, जालंधर सिटी	197	9212
65. नार्टन मोटर्स, भटिंडा	168	—
66. दादा मोटर्स, लुधियाना	202	—
67. पटियाला आटो इण्टरप्राइजिज, पटियाला	160	—
68. कमल एण्ड कम्पनी, जयपुर	7980	7558
69. राजस्थान मोटर्स, जयपुर	5135	—
70. मेवाड़ मोटर्स, उदयपुर	5674	478
71. कमल आटो इण्डस्ट्रीज, कोटा	5822	320
72. इण्डिया मोटर्स, अजमेर	52	—
73. बम्बई मोटर कं०, जोधपुर	76	—
74. स्टैण्डर्ड मोटर्स, बीकानेर	48	—
75. गंगटोक आटो वर्क्स प्रा०लि०, गंगटोक	5208	80
76. प्रवीण आटो इण्टरप्राइज, कोयम्बटूर	5011	711
77. खिवराज आटोमोबाइल्स, मद्रास	13173	2890
78. सूसी आटो, मदुरै	2429	752
79. सूसी आटो, मद्रास	146	—
80. नीतू आटोज, तिरूचि	142	—
81. दि कार्मशियल मोटर्स लि०, लखनऊ	12869	794
82. आटो सेल्स, इलाहाबाद	10462	358
83. कैलाश मोटर्स कम्पनी, कानपुर	7818	10145
84. स्कूटर्स एण्ड आटोरिक्शाज प्रा० लि०, आगरा	8785	2306
85. आटो सैन्टर, झांसी	148	1648
86. फ्रैन्ड्स इण्टरप्राइजिज, वाराणसी	118	2846
87. मेटनहेलिया ब्रादर्स, ब्रादर्स आटो वर्कशाप, गोरखपुर	88	—
88. मयूर आटो प्रा० लि०, देहरादून	248	—
89. आटो वेज, बरेली	200	—
90. आटो सैन्टर, कलकत्ता	14405	—
91. आटो एजेन्ट्स, आसनसोल	10113	4465
92. सिलीगुड़ी आटो वर्क्स, सिलीगुड़ी	72	—

जेसप एंड कम्पनी में घाटा

6505. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लि० को 1977 से निरन्तर घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1983 में उक्त कम्पनी का कुल घाटा कितना था;

(ग) इस घाटे के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस घाटे के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) (क) जी, हां, ।

(ख) 31-3-1983 को कम्पनी की संचित हानि 5950 लाख रुपये थी ।

(ग) तथा (घ) क्रमादेशों में कमी या असंतुलन, प्रत्येक कर्मचारी कम उत्पादकता, सामयिक धन की कमी, बिजली की लगातार कमी तथा कुछ विशेष कच्चे माल की प्राप्ति में देरी, हानियां होने के कुछ कारण हैं । ये हानियां ऐसी परिस्थितियों तथा कारणों से हुई जो कम्पनी के काबू से बाहर थे इसलिये किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । अतः इन हानियों के लिये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय सीमेंट निगम को हुआ घाटा

6506. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले आठ महिनों से सीमेंट की बिक्री में गिरावट आई, है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय सीमेंट निगम को पिछले आठ महीनों के दौरान प्रतिमास कितनी धनराशि का घाटा हुआ है;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान सीमेंट के उत्पादन में कोई गिरावट आयी, यदि हां तो किस सीमा तक; और

(ङ) निगम द्वारा सीमेंट के उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिछले आठ महीनों में भारतीय सीमेंट निगम को कोई भी हानियां नहीं हुई हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सीमेंट के उत्पादन तथा बिक्री को बढ़ाने के लिए भारतीय सीमेंट निगम द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) निविष्टियों को समय से उपलब्ध कराने का प्रबंध करना ।

(2) कैप्टिव पावर जेनरेटिंग सैटो की व्यवस्था करना ।

(3) विपणन संगठन और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाना ।

दिल्ली में पुलिस थानों में यातनाओं से मरे व्यक्ति

6507. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च 1984 के 'इण्यिन एक्सप्रेस' में "यूथ डाईज आफ टार्चर इन पुलिस कस्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कि या गया है;

(ख) यदि हां, तो उस युवक को दी गई यातना तथा उसकी मृत्यु के बारे में पूरे तथ्य क्या हैं और उसके दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के थानों पर इस प्रकार की और कितनी मौतें हुई हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मृत्यु के कारण निश्चित करने के लिए सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट नई दिल्ली द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अधीन अपमृत्यु विचारणा कार्रवाइयां की जा रही हैं और अप-मृत्यु विचारणा कार्रवाइयों के निष्कर्ष प्राप्त होने पर अन्तर्ग्रस्त पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी । इसी दौरान एस एच ओ बदरपुर, ओखला औद्योगिक सम्पदा (फेज-1) की पुलिस चौकी का अन्वेषण अधिकारी और डिफैंस कालोनी थाने के एक पुलिस कर्मचारी को सड़क दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल न ले जाने के लिए ड्यूटी के प्रति पूरी लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित कर दिया गया है ।

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1981 से 1983 तक के दौरान दिल्ली के थानों में मृत्यु की 12 घटनाएं हुई हैं ।

दक्षिण अफ्रीकी (श्वेत) राष्ट्रिक को वीजा दिया जाना

6508. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1984 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में 'साउथ अफ्रीकन हायट ग्रान्टेड वीजा फार वन ईयर, शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण अफ्रीकी जातिभेद वाले शासन के प्रति सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ग) क्या कारण है कि वीजा तथा भारत में रहने की अनुमति एक पृथक कागज पर पृष्ठांकित की गई तथा पासपोर्ट में इसका कोई उल्लेख क्यों नहीं है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान । उक्त दक्षिण अफ्रिकी महिला को यह घोषणा करने के बाद कि वह जातिगत भेदभाव को नहीं मानती, वीजा मंजूर किया गया, ताकि वह थाई एयरवेज इन्टरनेशनल के लिए भारत में काम कर रहे अपने पति के साथ रह सके ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) कार्यविधि के अनुसार वीजा एक अलग कागज पर पृष्ठांकित किया गया, क्योंकि भारत सरकार दक्षिणी अफ्रीकी पासपोर्टों को मान्यता प्रदान नहीं करती ।

उड़ीसा में एल्यूमिनियम रोलिंग तथा बर्तन बनाने वाले एकक

6509. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एल्यूमीनियम रोलिंग तथा बर्तन बनाने वाले एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के एकक स्थापित करने के लिए किन-किन स्थलों का चयन किया गया है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): (क) से (ग) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नाल्को) ने हाल में ही राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० एन० आई० डी० सी०) से बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त की है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। इस बीच एल्यूमिनियम के परवर्ती माल जैसे रोल्ड, उत्पाद, एक्सट्रुजन और फोइल्स के निर्माण के लिए एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस साध्यता रिपोर्ट की जांच के आधार पर सरकार परवर्ती उत्पाद निर्माता एकक समापति किए जाने और उनके स्थलों के बारे में निर्णय करेगी।

संयुक्त सचिव के पद पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारी

6510. **श्री त्रिलोक चन्द :** या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिवों तथा उनके समकक्ष अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) गृह मन्त्रालय में 22 संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव के बराबर के अन्य अधिकारी हैं और इनमें से एक अधिकारी अनुसूचित जाति का है।

दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या

6511. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजधानी में कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति पर ध्यान दिलाया गया है जिसका 15 मार्च, 1984 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार से पता चलता है जिसके अनुसार दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की हत्या कर दी गई है;

(ख) यदि हां तो स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, उठाये जाने का विचार है; और

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही न किये जाने के कारण स्थिति और गम्भीर हो गई है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंटसुब्बय्या) : (क) सरकार ने समाचार देखा है।

(ख) और (ग) हालांकि छुट-पुट घटनाएं हुई हैं, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं समझा जा सकता कि राजधानी में विधि व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है।

सरकार ने लघु अवधि और दीर्घावधि अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर विधि व व्यवस्था तंत्र में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान संबंधी योजनाओं का ब्यौरा

6512. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने राज्यों में ये योजनायें कार्यान्वित करने के लिए कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक की क्या उपलब्धि है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र विशेष कम्पोनेन्ट योजनाओं (एस० सी० पी०) और जनजाति उप योजनाओं (टी० एस० पी०) के तहत, क्रमश: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्ते हर वर्ष अनेक संगत योजनाएं तैयार करते हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान। ये निर्देश छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में हैं और प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा बाद के वर्षों में भेजे गए पत्रों में भी हैं।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय द्वारा विशेष कम्पोनेन्ट योजनाओं और जनजाति उप-योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस० सी० ए०) उपलब्ध कराई जाती है, जिसका उपयोग विशेष कम्पोनेन्ट योजना तथा जनजाति उप योजना परिव्ययों के संयोग से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आय पैदा करने वाली स्कीमों पर किया जाना होता है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में छठी योजना में निर्धारित कुल धनराशि 600 करोड़ रु० है जिसमें से 460 करोड़ रुपए की धनराशि राज्यों को दी जा चुकी है। जनजाति विकास के लिए छठी योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल धनराशि 487 करोड़ रुपए है जिसमें से 359.5 करोड़ रुपए की धनराशि राज्यों को दी जा चुकी है।

सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा का पुनरीक्षण

6513. **श्री डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा कम करके 28 वर्ष से 26 वर्ष करने के परिणाम स्वरूप इस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग को आवेदन पत्र भेजने वालों की रिकार्ड संख्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने तथा अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष तक ही रहने देने का है; और

(ग) विभिन्न विभागों/कार्यालयों श्रेणियों/ग्रुप-वार में सफल उम्मीदवारों का नामांकन करने के लिए निर्धारित मानदण्ड/मार्ग निदेश क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां। सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1984 में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कुल 1,30,000 उम्मीदवारों ने संघ लोक सेवा आयोग जो आवेदन पत्र भेजे हैं, और यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विभिन्न सेवाओं/पदो में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए उम्मीदवारों का आवंटन, उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में, प्राप्त रैंकों तथा विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए उनके द्वारा व्यक्त की गई तरजीह के क्रम में किया जाता है।

संयुक्त राज्य अमरीका की अन्तरिक्ष में स्थाई मानव स्टेशन स्थापित करने की योजना

6514. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका अंतरिक्ष में एक स्थाई मानव स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने से भारत सहित सभी विकासशील देशों के हितों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। अमरीकी अन्तरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका एक अन्तरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है।

फिलहाल संयुक्त राज्य अमरीका में अन्तरिक्ष स्टेशन के आकार, प्रकार और कार्य के संबंध में विविध अध्ययन किए जा रहे हैं। तथापि इस बारे में सही ब्यौरे का अभी पता नहीं चला है।

(ख) अन्तरिक्ष स्टेशन की स्थापना करने से भारत और विकासशील देशों पर पड़ने वाला वास्तविक प्रभाव केवल तभी स्पष्ट होगा, जबकि अन्तरिक्ष स्टेशन की प्रकृति के बारे में तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इसके नियोजित प्रयोग के संबंध में अधिक आंकड़े उपलब्ध हों जायं। यह आशा की जाती है कि नासा और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच दीर्घकालीन सहयोग के कारण भारतीय वैज्ञानिक ठोस अध्ययनों और मूल्यांकन कार्यों के लिए अन्तरिक्ष स्टेशन के बारे में आवश्यक तकनीकी सूचना प्राप्त करेंगे।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए नए सिरे से जांच

6515. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय कार्यवाही में नए सिरे से जांच का कोई प्रावधान अनुशासनात्मक नियमों में है;

(ख) क्या अपीलीय अधिकारी अनुशासनात्मक मामले को नए सिरे से जांच के लिए मूल कार्यवाही और चार्ज शीट को माफ कर सकता है और मूल आरोपों के अलावा या उनके स्थान पर किन्हीं दूसरे आरोपों को लगा सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस विषय पर क्या आदेश हैं और क्या उनकी प्रतिलिपि सदन के सभा पटल पर रखी जायेगी और वे परिस्थितियां कौन सी हैं जिनके अन्तर्गत नए सिरे से जांच के आदेश दिए जा सकते हैं और नई चार्ज-शीट जारी की जाती है; और

(घ) क्या सरकारी कर्मचारी के हित में नए सिरे से जांच हानिकर है और यदि हां, तो नियमों के अन्तर्गत उसके लिए क्या सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) अनुशासनिक नियमों में यह व्यवस्था है कि यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच अधिकारी नहीं हैं तो वह लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारण देकर मामले को और आगे जांच किए जाने तथा रिपोर्ट देने के लिए जांच प्राधिकारी को भेज सकता है। इसी प्रकार, अपीलीय तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी भी मामले को आरोप पत्र जारी किए जाने की अवस्था सहित, किसी भी चरण पर आगे जांच के लिए भेज सकते हैं जबकि वे प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं किया तो निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया गया है अथवा पहले की गई जांच न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं की गई है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशिष्ट मामले में अनुशासनिक/अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा नए सिरे से जांच का आदेश दिया जाना सरकारी कर्मचारी के हित में हानिकर है। इसके विपरीत, किसी मामले को आगे जांच के लिए भेजे जाने का उद्देश्य प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि जांच सही ढंग से की जाय।

बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में उद्योगों की स्थापना

6516. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में सरकारी सहायता अथवा बैंक ऋणों से छोटे तथा मध्यम दर्जे के कितने उद्योग लगाये गये हैं; और

(ख) क्या छोटे तथा मध्यम दर्जे के इन उद्योगों के उद्यमशील व्यक्ति के सामने आ रही कच्चे माल की कमी, लाल फीता शाही कार्य पूंजी की अनुपलब्धता और उपयुक्त बाजार के अभाव जैसी समस्याओं की पुनरीक्षा की जा रही है और उनका समाधान किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1982-83 के दौरान पूर्वी चम्पारण में स्थापित किए गए 118 लघु एककों और 3 मझौले एककों में से 30 लघु एककों को वर्ष 1982-83 में 4.82 लाख रुपये के ऋण प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार वर्ष 1983-84 के दौरान पूर्वी चम्पारण में स्थापित किए गए 80 लघु औद्योगिक एककों और 3 सझौले एककों में से 21 लघु औद्योगिक एककों को वर्ष 1983-84 में 6.42 लाख रुपये के ऋण प्राप्त हुए थे।

(ख) लघु और मझौले उद्यमियों द्वारा महसूस की जा रही दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

इन्सेट 1-बी से कार्यक्रमों को सीधे प्राप्त करने के लिए टी० वी० सेटों के लिए अमरीकी प्रौद्योगिकी

(10517)

6571. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने टी० वी० सेटों के लिए इन्सेट 1-बी से सीधे कार्यक्रमों को प्राप्त कर सकने वाली प्रौद्योगिकी का ट्रांसफर करने के लिए पेशकश की है, जिसकी हजारों भारतीय गांवों के लिए आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने की गई पेशकश को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम से कितने गांवों को लाभ पहुंचने की संभावना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) उपग्रह से सीधे प्रसारण प्राप्त करने वाले दूरदर्शन सेट (डी० आर० एस०) जो 'इनसेट-1 बी' के माध्यम से सीधे प्रसारण संकेतों को ग्रहण कर सकते हैं, के विनिर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकी जानकारी बेचने के संबंध में कुछ अमरीकी कम्पनियों ने प्रस्ताव भेजे थे।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग ने उपग्रह से सीधे प्रसारण प्राप्त करने वाले दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारी का विकास पहले ही कर लिया है। अतः ऐसी प्रौद्योगिकी के आयात की आवश्यकता नहीं है।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) दूरदर्शन की विशेष विस्तार योजना के अन्तर्गत 'इनसेट-1 बी०' के माध्यम से सीधे अभिग्रहण के लिए ग्रामों में लगभग 2000 दूरदर्शन सेट प्रतिष्ठापित किए जाने की संभावना है।

औद्योगिक प्रगति के लिए गुजरात और राजस्थान में आदिवासियों को सुविधायें प्रदान करना

6518. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1983 की अवधि के दौरान गुजरात और राजस्थान राज्यों में औद्योगिक प्रगति के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को कौन सी विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी गईं;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु क्षेत्र और सहकारी क्षेत्रों के औद्योगिक ढांचों के तैयार माल के विपणन को कोई संरक्षण प्रदान किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय के संपूर्ण मार्गदर्शन के अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग तथा जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों का पता लगाते हैं और इनका विकास करते हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में निर्दिष्ट 25 ग्रामोद्योगों और खादी के विकास को देखता है। जनजातीय संस्थाओं को मशीनों, औजारों और उपकरणों के लिए 100% अनुदान मिलता है और अलग-अलग व्यक्तियों को 75% अनुदान और 25% ऋण मिलता है। ग्रामोद्योगों के मामले में 4% ब्याज पर ऋण दिए जाते हैं।

इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासन अधीन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संघटकों में से एक संघटक "उद्योग, सेवाएं और व्यवसाय" हैं। जनजातीय क्षेत्र पूंजीगत लागत के 50% की राजसहायता के हकदार हैं जो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5000/रु० से अधिक नहीं होगी।

लघु उद्योगों के उत्पादों को सरकारी खरीद के मामले में 15% तक की मूल्य प्राथमिकता दी जाती है।

कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए भारतीय कम्पनियों को लाइसेंस देना

6519. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पीढ़ी के "मेन फ्रेम" कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के चयन की इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सरकार द्वारा मार्च, 1982 में मांगी गई अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं के जवाब में निविदायें देने वाली चार कम्पनियों में से 2 कम्पनियों तक सीमित कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए निर्णय की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा ये चार कम्पनियां कौन-कौन सी हैं और उनमें से कौन सी दो कम्पनियों का चयन किया गया है तथा परियोजना को किस प्रकार आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) उन भारतीय कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने स्वदेशी तौर पर या विदेशी सहयोग से कम्प्यूटर बनाने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदन किया था तथा विदेशी सहभागियों के क्या नाम हैं; और

(घ) इनमें से कौन-कौन सी कम्पनियों को लाइसेंस या आशय पत्र जारी किए गए थे ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) मार्च, 1983 में कम्प्यूटर प्रणालियों के मुख्य ढांचे के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी की खरीद के संबंध में आमंत्रित विश्वव्यापी टेंडर के उत्तर में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के पास निम्नलिखित विदेशी कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए—

1. कन्ट्रोल डेटा कारपोरेशन (सी० डी० सी०), संयुक्त राज्य अमेरिका
2. डेटा जनरल, (डी० जी०), संयुक्त राज्य अमेरिका
3. सी-2 हनीवेल बुल, फ्रांस
4. कम्प्यूटर टेकनोलोजी लिमिटेड (सी० टी० एल०), ग्रेट ब्रिटेन
5. 'निक्सडॉर्फ', पश्चिम जर्मनी

'निक्सडार्फ के मामले में केवल एक पत्र प्राप्त हुआ है कि वे इस विषय पर चर्चा के लिए इच्छुक हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा गठित एक मूल्यांकन समिति ने इन प्रस्तावों की जांच की तथा मैसर्स कन्ट्रोल डेटा कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका एवं मैसर्स सी-II हनीवेल बुल, फ्रांस के प्रस्तावों को चुना, जिनके प्रस्ताव टेंडर की आवश्यकताओं के अनुरूप पाए गए तथा इस दृष्टि से उनका और आगे मूल्यांकन किया जा सकता है। इन दो कम्पनियों के साथ समझौता-वार्ता जारी है।

उपर्युक्त विदेशी-प्रौद्योगिकी की खरीद के अन्तर्गत जो कप्प्यूटर बनाए जाएंगे। उनका विनिर्माण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है। किन्तु, इस परियोजना पर आरम्भत: भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) नामक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक कुछ मूल-संरचात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1983 के दौरान जिन कम्पनियों ने लघु (मिनी) कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित प्रणालियों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक-अनुमादन के संबंध में आवेदन किया था, उनके नाम नीचे दिए गए हैं—

1. मैसर्स उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर।
2. मैसर्स नीको (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता।
3. मैसर्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड, लखनऊ।
4. मैसर्स कंवर बी० नारायण, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोलन।
5. मैसर्स सिगमा इंजीनियर्स, पूना।
6. मैसर्स सन्दुर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर लिमिटेड, कर्नाटक।
7. मैसर्स इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स इण्डियन मैंयूफैक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली।
8. मैसर्स अडवानी ओलिकोन लिमिटेड, पुणे।
9. मैसर्स अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राइसिज लिमिटेड, बड़ौदा (भारी विस्तार के लिए)।

उपर्युक्त किसी भी कम्पनी ने विदेशी सहयोग के साथ आवेदन नहीं किया था।

इन 9 कम्पनियों में से निम्नलिखित तीन कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं—

1. मैसर्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड, लखनऊ।
2. मैसर्स कंवर बी० नारायण, यू० एस० ए०, सोलन।
3. मैसर्स इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स इण्डियन मैन्यूफैक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली।

चम्पारन, बारचिकिया, मोतीहार और महेस में उद्योग की स्थापना

6520. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस आशय की घोषणा के अनुसार कि बिहार के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जायेगी, बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी नये उद्योग की स्थापना की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की इस नीति का पालन किया जायेगा अथवा नहीं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या कोई उद्यमशील व्यक्ति बारचकिया, मोतीहारी, महेसी में गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग लगाना चाहता है, सरकार उक्त उद्योग को लगाने और उसके विकास तथा उसे चलाने के लिए क्या सहायता देगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ख) सरकार ने हमेशा ही पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। वर्ष 1981-83 के दौरान बिहार के पिछड़े जिलों को 36 आशय-पत्र जारी किये गये थे इनमें से 26 आशय-पत्र पूर्वी चम्पारन से बाहर उद्योग स्थापित करने के लिए हैं। शेष 10 एककों की स्थापना पूर्वी चम्पारन सहित किसी भी पिछड़े जिले में की जा सकती है। जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 से 1981-82 की अवधि में पूर्वी चम्पारन में 1919 लघु उद्योग/कारीगर एकक स्थापित किए गए थे। वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है—

	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
लघु उद्योग	109	111	115	123
कारीगर एकक	400	335	366	360
कुल	509	446	481	483

(ङ) चम्पारन जिला श्रेणी "ख" का एक पिछड़ा जिला है। जिले में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को उपलब्ध सुविधाएं और प्रोत्साहन दिनांक 7-9-1983 के समसंख्यक प्रेस टिप्पण के साथ पठित दिनांक 27-4-1983 के प्रेस टिप्पण संख्या 4-1-81-बी० ए० डी० (खण्ड-3) में दिए गए हैं (इन प्रेस टिप्पणों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है)।

पश्चिमी और पूर्वी चम्पारन में उद्योग स्थापित करना

6521. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बिहार के पश्चिमी और पूर्वी चम्पारन जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में शामित किया गया है;

(ख) क्या सरकार इन जिलों में विशेषकर पूर्वी चम्पारन में स्वतंत्रता के बाद से एक भी उद्योग स्थापित नहीं कर सकी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इन जिलों का औद्योगिक पिछड़ापन दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाने का विचार है, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) प्रेस टिप्पण सं० 4-1-81-बी० ए० डी० (खंड-III) दिनांक 7-9-83 (प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध) के साथ पठित इसी संख्या के 27-4-83 के प्रेस टिप्पण में घोषित पिछड़े क्षेत्रों के पुन : वर्गीकरण के अनुसार चम्पारन जिले को, जैसा कि यह 1-10-1970 को था, श्रेणी "ख" का जिला माना गया है जो 15 लाख रुपये की अधिकतम सीमा में 15% तक केन्द्रीय निवेश राजसहायता का पात्र है। अन्य ब्यौरे उपर्युक्त प्रेस टिप्पण में दिए गए हैं।

बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक निम्नलिखित उद्योग स्थापित किये गए हैं—

(1) बेतिया (पश्चिमी चम्पारन) में तैयार चमड़ा बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक मंझोले आकार का एकक।

(2) नार्थ बिहार शुगर मिल्स द्वारा बाघा (पश्चिमी चम्पारन) में एक कागज संयंत्र।

(3) कास्ट आयरन सामग्री बनाने वाला एक एकक मोतीहारी (पूर्वी चम्पारन) में मैसर्स रामा कास्ट लिमिटेड को जो पहले एक लघु उद्योग एकक था, 1975 में इसका दर्जा बढ़ाकर इसे एक मंझोले आकार के उद्योग में परिवर्तित कर दिया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से दिसम्बर 1982 तक पूर्वी चम्पारन में 716 और पश्चिमी चम्पारन में 568 लघु-छोटे-कुटीर उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। बड़े तथा मंझोले उद्योगों का विकास करने के लिए बिहार की राज्य सरकार ने रक्सौल (पूर्वी चम्पारन) और कुमार बाग (पश्चिमी चम्पारन) में भूमि अभिग्रहीत कर ली है।

राजस्थान में कन्डोमों का उत्पादन

6522. श्री राजेश पाइलट : क्या उद्योग मंत्री देश में कन्डोमों की मांग और उत्पादन के बारे में 15 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3801 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (आर० आई० आई० सी० ओ०) को अपनी 1200 लाख की उत्पादन क्षमता को 2000 लाख तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) इस परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति क्या है और यह कब तैयार होगी; और

(ग) परियोजना के निरोध (कन्डोम) का शीघ्र वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) निगम को प्रतिवर्ष 12 करोड़ कंडोम बनाने के लिए भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में नए उपक्रम की स्थापना करने के लिए 31-12-1980 को आशय-पत्र मंजूर किया गया है। सूचित किया गया है कि इस परियोजना के संयुक्त क्षेत्र में कार्यान्वियन के लिए एक नई कम्पनी निर्मित की गई है। बताया गया है कि इसके लिये आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली गई है। पूंजीगत माल के आयात और विदेशी सहयोग की स्वीकृति सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है। सूचित किया गया है कि इस परियोजना के कार्यान्वियन हेतु वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को ऋण आवेदन-पत्र भी दे दिये गये हैं। कम्पनी ने अब 12 करोड़ कंडोम प्रतिवर्ष की स्वीकृत क्षमता को बढ़ाकर 20 करोड़ कंडोम प्रतिवर्ष कर देने के लिए आवेदन दिया है। आवश्यक मंजूरी अभी नहीं दी गई है।

वर्ष 1984-85 के दौरान इस्पात का निर्यात

6523. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार वर्ष पूर्व इस्पात के जिस निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था, वह फिर शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनको फिर से इस्पात का निर्यात किया जाने लगा है;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक देश को वर्ष 1984-85 में कुल कितने टन इस्पात निर्यात करने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) समय-समय पर घोषित निर्यात नीति के अन्तर्गत इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के निर्यात की अनुमति दी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी स्पर्धा तथा देशीय मांग को देखते हुए इस्पात का थोड़ी मात्रा में निर्यात किया गया है।

वर्ष 1983-84 के दौरान "सेल" ने 1,20,000 टन इस्पात के निर्यात के लिए आर्डर बुक किए और 14,612 टन गर्म बेलित क्वायल जापान को तथा 9,776 टन तार छड़ें मिस्र को निर्यात कीं। 20,000 टन इस्पात मिस्र को निर्यात करने के लिए हैं और शेष मात्रा के निर्यात के बारे में देश का पता पोत-लदान के समय पर ही चल सकेगा।

(ग) और (घ) वर्ष 1984-85 के दौरान कितना इस्पात निर्यात किया जाएगा, इसका पता वर्ष 1984-85 के लिए निर्यात नीति की घोषणा के पश्चात् ही चल सकेगा।

यू० के० के सहयोग से परियोजनाओं की स्थापना

6524. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० के० के सहयोग से देश में कुछ परियोजनाएं स्थापित की गई हैं अथवा स्थापित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किन-किन परियोजनाओं में यू० के० का सहयोग प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या यू० के० कुछ और परियोजनाओं की स्थापना में भारत का सहयोग करने का इच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो यू० के० के सहयोग से स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान ब्रिटेन की फर्मों से विदेशी सहयोग के क्रमशः 79, 106 और 119 प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे। स्वीकृतियों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय और ब्रिटेन की पार्टियों का नाम, उत्पादन की वस्तु और सहयोग की प्रकृति को भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा त्रैमासिक रूप से प्रकाशित की जाने वाली सूची में दिखाया जाता है जो संसद के पुस्तकालय में भी उपलब्ध है।

(ग) तथा (घ) विदेशी सहयोगकर्ता के चयन का कार्य भारतीय पार्टियों द्वारा किया जाता है। भारतीय पार्टियों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच सरकार द्वारा सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभिन्न प्राधिकारियों के परामर्श से गुणावगुण के आधार पर की जाती है।

1984-85 के दौरान विशिष्ट श्रेणियों के इस्पात का आयात

6525. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान कुछ विशिष्ट श्रेणियों के इस्पात को आयात करने के लिए चुना है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1984-85 में आयात किए जाने वाले इस्पात की ऐसी विशिष्ट श्रेणियां कौन सी हैं;

(ग) इन विशिष्ट श्रेणियों के इस्पात का कुल कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) इस्पात की उन्हीं श्रेणियों का आयात किया जाएगा जो वर्ष 1984-85 की आयात नीति में शामिल होंगी। आयात की मात्रा का पता आयात नीति की घोषणा के पश्चात् ही चल सकेगा।

छठी योजना में वाणिज्यिक उधारी और संसाधन जुटाना

6526. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में वाणिज्यिक उधारी और ससाधन जुटाने के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) वर्तमान योजना में बाजार उधारी कार्यक्रम और संसाधन जुटाने की वर्षवार वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(करोड़ रु०)

	बाजार उधारी			अतिरिक्त ससाधन जुटाना		
	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र*	राज्य	कुल
छठी योजना (1980-85) मूल अनुमान	15000	4500	19500	12290	9012	21302
1980-81 (वास्तविक)	2579	582	3161	562	364	926
1981-82 (वास्तविक)	2913	796	3709	2614	1540	4154
1982-83 (प्रारम्भिक वास्तविक)	3771	912	4683	4029	2715	6744
1983-84 (नवीनतम अनुमान)	4000	1108	3108	5927	4048	9875

*राज्यों के शेयर सहित

यमुना जल का प्रदूषण

6527. **श्री विलास मुत्तेमुदार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की अनेक नदियों के पानी में जिन स्थानों पर शहरों की गंदगी आकर मिलती है वहां पानी साफ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या दिल्ली शहर की गन्दगी यमुना के पानी को इतना गंदा कर देती है कि इसे तभी साफ किया जा सकता है जबकि यह पानी मथुरा पहुंच जाता है तथा उसके बाद मथुरा से पानी में जो गंदगी मिश्रित होती है वह इसे इटावा तक प्रदूषित रखती है जिसके परिणामस्वरूप रास्ते में इसके पानी का उपयोग संभव नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार का विचार कोई प्रयास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या रूप रेखा है और यदि, कोई प्रयास का विचार नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) चूंकि शहर के अपशिष्टों के लिए मल व्यवस्था, गन्दी नाली के पानी के संग्रह तथा उपचार प्रदान करने की लागत बहुत अधिक होती है, अत: केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड ने गंदी नाली के पानी को रोकने तथा इसका सिंचाई के उद्देश्यों हेतु पम्पिंग के लिए सुझाव दिया है।

(ख) दिल्ली शहर के अपशिष्ट यमुना नदी को प्रदूषित करते हैं तथा मथुरा तथा आगरा तक जल गुणवत्ता खराब रहती है। मथुरा तथा आगरा में शहर का गन्दा पानी फिर मिल जाता है तथा इटावा तक जल गुणवत्ता नहीं सुधरती है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। केन्द्रीय तथा राज्य बोर्ड, व्यापारिक निस्सारों को उनके नदी में प्रवाहित करने से पूर्व उपचार के लिए कारखानों को निर्देश दे रहे हैं। नगरीय निकायों को भी शहरी उपशिष्टों के नदी में प्रवाहित करने से पूर्व मल-व्यवस्था तथा उपचार की सुविधाएं प्रदान/वृद्धि करने हेतु समझाया बुझाया जा रहा है।

अनिवासी भारतीयों को औद्योगिक प्रस्तावों की मंजूरी

6528. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गठित की गई विशेष मंजूरी समिति द्वारा अनिवासी भारतीयों के छ: औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूर किया है; जिनमें कुल पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपए का होगा;

(ख) यदि हां, तो मंजूर किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन में कितने गैर-निवासी भारतीय सम्बद्ध होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) लगभग 212 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश वाले 9 प्रस्तावों को आशय-पत्र जारी करके स्वीकृति प्रदान की गई है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) फिलहाल स्वीकृत परियोजनाओं से 15 अनिवासी भारतीय संबद्ध होंगे। परियोजनाओं को कार्यन्वित करने वाली कम्पनियों के निदेशक मंडल का गठन हो जाने पर कुछ और अनिवासी भारतीयों के संबद्ध किये जाने की संभावना है।

विवरण

सरकार द्वारा स्वीकृत अनिवासी भारतीयों से प्राप्त औद्योगिक प्रस्तावों की सूची

क्रमांक	आवेदक का नाम	विनिर्माण की वस्तु
1.	श्री पी० बी० भारद्वाज	माइल्ड तथा अलाव स्टील रोल्ड उत्पादन
2.	डा० डी० के० मिश्र	अखबारी कागज, लिखाई और छपाई का कागज ।
3.	श्री एल० एन० मित्तल	पी० वी० सी० चढ़ी चद्दरें ।
4.	श्री वी० एस० सी० कोथा	सूती, संश्लिष्ट एवं अन्य ब्लेंडेड धागा ।
5.	श्री एस० एल० चेलाराम	टी० वी० पिक्चर ट्यूबें ।
6.	श्री डी० वी० गुप्त	सैलिसिलिक एसिड इत्यादि ।
7.	मैसर्स मद्रास हाइड्रोलिक प्रा० लि०	हाई और सुपर हाई प्रेशर हाइड्रोलिक होजज ।
8.	श्री के० एस० भुल्लर	टी० वी० पिक्चर ट्यूबें ।
9.	श्री के० टी० थॉमस	टैक्सचर्ड कोटिंग्स ।

6529

सरकारी क्षेत्र के एककों में निवेश में कमी

6526. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में 50% की कमी किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसका विकास दर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो किस सीमा तक और यदि नहीं, तो इसका क्या प्रभाव होगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सोने और चांदी के जेवरातों की गढ़ाई

6530. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जिला उद्योग केन्द्रों को यह सूचित किया है कि सोने और चांदी के आभूषणों को गढ़ाई को लघु उद्योग क्षेत्र में शामिल किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोने और चांदी के जेवरात गढ़ने के लिए, जिला उद्योग केन्द्रों को 20 लाख रुपये तक की धनराशि स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना किस तारीख से लागू की जाएगी तथा इस योजना के अंतर्गत आभूषण बनाने वाले समुदाय से सम्बन्धित शिल्पियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दहेज के कारण हुई मौतों के बारे में 14-3-1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 3006 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : लोकसभा में 14 मार्च, 1984 को दहेज के कारण हुई मौतों के बारे में सर्वश्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, वृद्धि चन्द्र जैन और विरदा राम लवारिया द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या : 3006 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान दहेज के कारण हुई मृत्युओं के संबंध में उपलब्ध सूचना विवरण के परिशिष्ट में दी गई थी। उक्त परिशिष्ट के स्थान पर संलग्न परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाए।

परिशिष्ट

राज्य सरकार	1981	1982	1983	
1. असम	1	शून्य	शून्य	
2. आंध्र प्रदेश	2	4	2	(जुलाई, से अक्तूर, 1983 तक)
3. बिहार	9	12	15	
4. गुजरात	2	1	2	
5. हरियाणा	28	42	71	
6. हिमाचल प्रदेश	1	3	2	
7. जम्मू कश्मीर	1	शून्य	1	(30-9-83 तक)
8. केरल	शून्य	शून्य	शून्य	
9. कर्नाटक	7	8	31	
10. मध्य प्रदेश	7	26	32	(30-9-83 तक)
11. महाराष्ट्र	19	25	21	(30-9-83 तक)
12. मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	
13. मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	
14. नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	
15. उड़ीसा	1	4	5	
16. पंजाब	35	40	40	
17. राजस्थान	5	24	24	
18. सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	
19. तमिलनाडु	2	5	5	
20. त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	
21. उत्तर प्रदेश	30	151	54	(जनवरी से 1-5-83 तक)
22. पश्चिम बंगाल	2	7	9	(जुलाई से दिसम्बर 83 तक)

1	2	3	4
23. अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
24. अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
25. चण्डीगढ़	शून्य	2	2
26. दादर वा नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
27. दिल्ली	24	40	42
28. गोवा, दमन व द्वीव	शून्य	शून्य	शून्य
29. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
30. मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
31. पांडीचेरी	शून्य	शून्य	शून्य

12.00 म०प०

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : श्रीमान्, हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कल मंत्री महोदय ने श्रीलंका की स्थिति पर एक वक्तव्य दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यान दूंगा।

श्री के० मायातेवर : हम लंका की स्थिति पर चर्चा करें। पहले पंजाब की स्थिति पर वाद-विवाद किया जाये, बाद में श्री लंका पर। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मेरा एक निवेदन है, मुझे प्रसन्नता है कि आप स्वदेश की बात कर रहे हैं। श्रीमान्, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का सहयोग महत्त्वपूर्ण है। परन्तु कल कृषि, ग्रामीण विकास सिचाई आदि की अनुदानों की मांगें पारित कर दी गईं। नियम 377 के अधीन मामलों की भी अनुमति नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : हम उनको लेंगे। (व्यवधान)

मैं आपको बता चुका हूं कि हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे। जब मुझे श्री चटर्जी का पत्र मिला था मैंने उन्हें यही बताया था।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : परन्तु मैं इसे सभा में उठाना चाहता हूं। महोदय, विपक्ष के सहयोग की अत्यावश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो है ही। आप कृपया बैठ जाइए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, नियम 193 की अधीन चर्चा के कारण—

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : ईरान की गोलाबारी के समाचार मिले हैं। इस पर विदेश मंत्री जी को एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। एक-एक करके मैं इन मामलों को लूंगा। मैं इन पर विचार करूंगा।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर होम मिनिस्टर···

अध्यक्ष महोदय : वह मैं पहले ही कर चुका हूं। रोज-रोज क्या कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में हमने होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रिवलेज मोशन दिया है। पहले इन्होंने कहा है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर अनुशंसा को लागू करने के बारे में पुन: विचार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर रखा है। मेरे से बाद में बात कर लेना।

श्री राम विलास पासवान : मंडल आयोग रिपोर्ट का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : उसे मैंने पहले ही ले लिया है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के मामले का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही गृह मंत्री को लिख दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हमने इस विशेषाधिकार के मामले का नोटिस दो दिन पहले दिया था। मंडल आयोग रिपोर्ट पर गृह मंत्री का नवीनतम वक्तव्य वस्तुत: उसे अस्वीकार करता है। अत: हमने विशेषाधिकार के उल्लंघन किये जाने के विरुद्ध नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी मुझे मालूम है; आप पटना का मामला उठाना चाहते हैं। यह मामला आप मुझे 377 में दे दीजिए। यदि ठीक हुआ तो एलाउ कर दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कन्टोनमेंट बोर्ड तो भारत सरकार का है।

···(व्यवधान)···

श्री राम विलास पासवान : मंडल आयोग की इस रिपोर्ट पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मुझसे बात करें। तब हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, मैं आपको तथा माननीय सदस्यों को केवल यही बताना चाहूंगा कि मैंने कोई वचन भंग नहीं किया। महोदय, मंडल आयोग की रिपोर्ट अभी भी विचाराधीन है।

श्री के० मायातेवर : कितने समय तक, श्रीमान् ?

श्री अजित कुमार साह (विष्णुपुर) : महोदय कल मेरा नियम 377 का मामला स्वीकार नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर विचार करेंगे।

···(व्यवधान)···

श्री राम स्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट आ गई है···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, फिर ?

श्री राम स्वरूप राम : यह रिपोर्ट 1981-82 को सदन के सभा पटल पर रखी गई है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ दीजिए, मैं करवाने के लिए तैयार बैठा हूं।

···(व्यवधान)···

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार): अध्यक्ष जी, मैंने नियम 377 के अधीन "टपरी जाति संघ" का एक मजमून पढ़ा था। उनकी 193 जातियों को विमुक्त जातियों में शामिल किया गया। लेकिन रेडियो ने घोषणा की है कि उनको हरिजनों में शामिल किया जाय···

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका पत्र मिल गया है, मैंने उसे मिनिस्टर को भेज दिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं—चाहे रेडियो हो, दूरदर्शन हो या प्रेस हो, मेरी सबसे विनती है कि वे कार्यवाही को ध्यान से सुनें और जो हाउस में कहा जाय, वही रिपोर्ट करें। इस काम में हमें और उनको साथ मिलकर चलना चाहिये।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में गार्डन रीच क्षेत्र में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी की हत्या के मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। अखिल भारतीय स्तर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उत्तेजित हैं—तथा वास्तविक अपराधी पकड़ लिया गया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे गये पत्र लिए जाएंगे। श्री शिवराज वी० पाटिल।

12.06 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8084/84]

सेन्ट्रल टूल रूम लुधियाना का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8085/84]

12.07 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

73वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मनन् (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 73वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.07½ म०प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

79वाँ प्रतिवेदन

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 79वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० मायातेवर : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार भी श्रीलंका की स्थिति अधिक गम्भीर है। मैं उस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपको आश्वासन दे चुका हूं कि हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर, आप अनावश्यक रूप से उत्तेजित हैं। मैं पहले ही आपको वचन दे चुका हूं कि हम इस पर चर्चा करेंगे। कृपया बैठ जाइए।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आप यह बात मुझ पर लाद नहीं सकते। कृपया अब बैठ जाइए।

अब नियम 193 के अधीन चर्चा की जाएगी। प्रो० मधु दण्डवते।

12.08 म०प०

संविधान के अनुच्छेद 25 से सम्बन्धित अकालियों की मांगों तथा आनुषंगिक मामलों के बारे में गृह मंत्री द्वारा 2 अप्रैल, 1984 को सभा में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं एक बार फिर पंजाब की स्थिति तथा संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में अकालियों की मांग पर गृह मंत्री महोदय के 2 अप्रैल के वक्तव्य के बारे में वहां पर हो रही हिंसा की घटनाओं के बारे में चर्चा आरम्भ करता हूं।

श्रीमान्, जैसे-जैसे लोक सभा के वाद-विवाद का संग्रह बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे मारे गये व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

इस बारे में सरकार उपेक्षा, लापरवाही तथा कार्यवाही न करने की दोषी है। कभी-कभी मेरे मन में विचार आता है कि इस सभा में मामले उठाना व्यर्थ का प्रयास है, परन्तु उसके बावजूद हम उम्मीद नहीं त्यागते। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि आम राय के दबाव तथा संसद में उठाई गई आवाज से सरकार अपनी हठपूर्ण नीति त्यागने को विवश हो जायेगी तथा पंजाब में तथा अन्यत्र भी अधिक सुरक्षा दे सकेगी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पंजाब तथा हरियाणा के लोगों के साथ न्याय किया जा सके।

प्राय: जब इस सभा में इस मामले पर रोष व्यक्त किया जाता है, कई सदस्य विचलित हो उठते हैं। कभी-कभी पीठासीन अधिकारी भी परेशान हो उठते हैं। परन्तु मैं आपको स्पष्टत: बताना चाहता हूं कि जब भी सभा में इस मामले पर रोष व्यक्त किया जाता है तब उन वक्तव्यों में शालीन वाणी का प्रयोग नहीं होता। परन्तु आप समस्या की जड़ में जाने की चेष्टा करें, रोष के कारणों को जानने की चेष्टा करें तो आप पायेंगे कि क्यों कभी-कभी संसद या जनता द्वारा जबर्दस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है।

इस संदर्भ में हमें यह भी निर्णय लेना है कि जलते हुए पंजाब की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या नीति अपनाई जाये ताकि पंजाब में तथा अन्यत्र भी जन-जीवन सामान्य हो सके और उसके साथ ही, जहां तक उनकी मांगों का सम्बन्ध है, पंजाब तथा हरियाणा के लोगों को न्याय मिल सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी को सदन में होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आ रही हैं।

श्री के० मायातेवर (डिंडिगल) : इसी कारण हमने प्रश्नकाल के स्थगित किये जाने की मांग की है··· (व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने पहले ही पूछा था और मुझे बताया गया था कि वह वाद-विवाद में हिस्सा लेंगी। इसीलिए मैंने शुरू में नहीं कहा था।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : गृह मंत्री सभा में हैं···(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : कल हमने कार्यवाही का बहिष्कार किया था···(व्यवधान) यह कोई मामूली बात नहीं अपितु एक गम्भीर मामला है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपके घर के मंत्री प्रधान मंत्री इसीलिए उन्हें यहां पर होना चाहिए।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : माननीय सदस्यों को तभी बोलना चाहिए जब वह यहां पर हों। यह आवश्यक है कि वह सभी तर्कों को सुनें···

अध्यक्ष महोदय : वह जानते हैं—मैं जानता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान्, मैं वाद-विवाद शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं, कि मैंने पहले ही पूछ लिया था। दूसरी सभा बैठी नहीं हुई जहां कि वह जा सकती हों। मेरा अभिप्राय राज्य सभा से है।

एक माननीय सदस्य : इसे राजनीतिक मसला न बनायें।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे निवेदन करने दें। यदि समस्या का बुद्धिमत्ता से समाधान करना है तो आज यह आवश्यक है कि नरमी के साथ-साथ दृढ़ता अपनायी जाये। सरकार को इस समस्या पर अवश्य ही दृढ़ रुख अपनाना चाहिए, जहां तक कि कानून और व्यवस्था का प्रश्न है तथा देश के लोगों की सुरक्षा का मामला है। उसके ही सरकार को इस पर कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए ताकि पंजाब एवं हरियाणा के लोगों को न्याय मिल सके। अकाली मांगों पर पूरे संदर्भ में विचार किया जा सकता है ताकि हरियाणा भी यह न समझे कि पंजाब की मांगें मानी जा रही हैं, तथा हरियाणा के साथ अन्याय किया जा रहा है। यह प्रमुख बात है कि किस तरह से पंजाब तथा हरियाणा से बरता जाये तथा मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही किया जायेगा।

श्रीमान्, आज का वाद-विवाद अकालियों द्वारा संविधान की धारा 25 के विरोध के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से प्रेरित है, इसे मैं स्वीकार करता हूं, पंजाब में हाल में जो हत्याएं हुई हैं, निरंकारियों की सभा पर हमला किया गया जिसमें तीन महिलाएं एवं एक बालक की मृत्यु हुई तथा पिछले दिन एक संसद सदस्य की हत्या कर दी गई इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, आप देश में नहीं थे। कैसा दर्दनाक दृश्य था। प्रातः छः बजे उग्रवादियों ने दरवाजा खटखटाया। प्रो० तिवारी की पत्नी ने द्वार खोला, दो उग्रवादियों ने कहा हम प्रो० तिवारी से मिलना चाहते हैं, प्रो० तिवारी द्वार पर आते हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं तथा अस्पताल में आपरेशन टेबल पर उनकी मृत्यु हो जाती है। यह अत्यन्त दुःखद ढंग है, इस शर्मनाक तथा भीरुतापूर्ण तरीके से लोगों की हत्याएं की जा रही हैं।

ये कानून और व्यवस्था की समस्याएं हैं, अतः मैं यह बात मानता हूं कि आज का वाद-विवाद संविधान के अनुच्छेद 25 पर अकालियों के रुख तथा सरकार के उस पर रवैये तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सम्बन्ध पंजाब में उत्पन्न हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति से भी है। मैं

आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि पंजाब की कानून और व्यवस्था की स्थिति अब कोई पंजाब का स्थानीय मामला नहीं रह गया। यह अब पंजाब की सीमा तक ही सीमित नहीं है। तथा इससे देश के अन्य भागों में भी सुरक्षा को चुनौती मिल रही है। अतः इन दोनों पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

मुझे पंजाब में उग्रवादियों के आज के क्रियाकलापों का विश्लेषण करने दें। उनका एक तरीका है। आप पंजाब में अब तक हुई सभी हत्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो आप पायेंगे कि उनकी कार्यवाही "मारो और भाग जाओ" की है। उग्रवादी मोटरसाइकिलों पर आते हैं पीछे से गोली चलाते हैं तथा भाग जाते हैं, जैसा कि मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगा और आपको यह जानकर आश्चर्य तथा शोक होगा कि कितनी हत्याएं की गईं।

आपको यह और जानकर दुख और आश्चर्य होगा कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कितने मामलों में मुकदमें दायर किए गए हैं। फरवरी के अन्त तक 19 महीनों की अवधि मे कत्ल के 220 मामले हुए और सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि ये सभी लोग किसी एक विशेष धर्म के अनुयायी हैं। मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से हूं जिसमें अधिकांश गांव हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोगों में यह धारणा है कि उग्रवादी और भिण्डरांवाले के समर्थक केवल हिन्दुओं पर आक्रमण करते हैं। आपको यह जानकर दुख होगा कि 8 फरवरी को समाप्त हुई 19 महीने की अवधि में 220 व्यक्तियों की हत्या की गई जिसमें से 190 सिख हैं। आपको यह जानकर भी दुख होगा कि 220 मामलों में हत्या की गई हैं लेकिन एक दर्जन से भी कम लोग गिरफ्तार किये गये। इस सम्बन्ध में कितने मामलों में मुकदमें दायर किए गए और कितने अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया। ऐसा एक भी मामला नहीं है। 220 कत्ल हुए 12 से कम व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए, और एक पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया। इस तरीके से ये लोग पजाब में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की समस्या को हल कर रहे हैं।

जब आपके पास सत्ता आती है तो सत्ता के साथ-साथ आप पर कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यदि आप यह समझते हैं कि लोगों ने आपके हाथों में जो सत्ता दी है,उसके अनुसार कार्य करने में आप असमर्थ हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहिए, कि वास्तव में हम यह दायित्व पूरा नहीं कर सकते और इसलिए हम सत्ता छोड़ते हैं तथा पुनः लोगों के सामने जाते हैं। आपको ऐसा कहने की हिम्मत होनी चाहिए।

ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा अपनी ओर से कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि चूंकि आप सत्ताधारी कांग्रेस दल के हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, बल्कि आज आम आदमी में यह धारणा बन गई है। चाहे आप बाजार में जायें या किसी स्थानीय गाड़ी में यात्रा करें या किसी मिल या फैक्टरी में जायें, आम आदमी यह कहता हुआ मिलेगा, "हमें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात छोड़ दीजिए हमें तो आप असुरक्षा की रेखा से ऊपर उठा दीजिए।" आज आम आदमी को अपनी सुरक्षा के बारे में जरूरत चिंता है। श्रमिकों के लिए बोनस का मामला बाद में आता है, किसानों के लिए लाभप्रद मूल्यों का मामला बाद में आता है, महिलाओं के लिए समानत और न्याय का मामला बाद में आता है, हरिजनों के लिए सामाजिक न्याय का मामला बाद में आता है, सबसे पहले सबके सामने प्रश्न यह होता है कि वे जिन्दा रहें। आज आम आदमी यह कहता है कि "इस

सभ्य समाज में और लोकतांत्रिक प्रशासन में हम कोई और सुविधा नहीं मांगते बल्कि जिंदा रहने के अपने अधिकार को मांगते है।" आज देश में गिरोहवादी और उग्रवादी गतिविधियों के कारण आम आदमी का जिन्दा रहने का अधिकार भी छिन गया है।

ये उग्रवादी एक विशेष तरीका अपनाते हैं। आतंकवाद के घटाघोप में भी आशा की एक किरण है और वह यह है कि पंजाब में अभी तक विभाजन के दिनों की स्थिति पैदा नहीं हुई है। विभाजन के समय में हिंसा भड़की थी आज पंजाब में भी हिंसक घटनायें हो रही हैं। परन्तु विभाजन पूर्व और विभाजन के पश्चात् की स्थिति में एक विशेष अन्तर है। उस समय बड़े पैमाने पर हमले होते थे; सामूहिक रूप से हिंसा की जाती थी, हिंसा में साम्प्रदायिकता थी। मैं इन बातों को उचित नहीं बता रहा हूं। कानून और व्यवस्था के उल्लंघन को कभी भी उचित नहीं बताया जा सकता प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। परन्तु ये लोग तो डरपोक हैं। जो पीछे की ओर से मोटर साइकिल आदि पर आते हैं और जो आदमी उनकी "हिट लिस्ट" में होता है उसको गोली मार देते हैं और फिर भाग जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि 220 हत्यायें हो चुकी हैं लेकिन एक भी व्यक्ति पर अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है परन्तु इस सम्बन्ध में वह कुछ भी नहीं कह रही है। इतनी अधिक संख्या में हत्यायें की गई हैं और सरकार द्वारा मुकदमा एक भी व्यक्ति पर नहीं चलाया गया। इसका क्या कारण है।

आप संसद् के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली में उत्तरदायित्व की बात बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कही जाती है। यदि हममें से कुछ राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तुलना में ससदीय शासन प्रणाली को तरजीह देते हैं तो वह इसी कारण से देते हैं कि संसदीय प्रणाली में सरकार लोगों के प्रतिनिधि अर्थात् संसद् के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सत्ताधारी दल लोगों के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाना चाहता तो उसे सत्ता से अलग हो जाना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस पहलू पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वर्ण मन्दिर के बाहर श्री अटवाल की हत्या, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के प्रेजीडेंट श्री हरबंस मनचंदा की गोली मारकर हत्या, निरंकारी सभा पर गोली चलाकर श्री हरबंस लाल खन्ना और बच्चे सहित तीन महिलाओं की हत्या, इसके बाद प्रोफेसर तिवारी की जघन्य हत्या, इन सब घटनाओं से पता चलता है कि ये हत्याएं एक योजनाबद्ध ढंग से की जा रही हैं। इसी को समाप्त करना है और इसके लिए कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। आज सामूहिक हिंसा नहीं है। ये व्यक्तिगत आधार पर आतंकवादियों और कुछ गिरोहों की गतिविधियां हैं। यह सौभाग्य की बात है कि पंजाब में अभी तक सामूहिक और बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक हिंसा की घटनायें नहीं हो रही हैं जैसाकि विभाजन पूर्व और विभाजन पश्चात के दिनों में हुई थी। परन्तु यदि यह सरकार अब भी चुप्पी साधे रही तो आतंकवाद की व्यक्तिगत स्तर पर हुई ये घटनायें और आगे बढ़ेगी और ये सामूहिक हिंसा का रूप धारण कर लेंगी। धर्म निरपेक्षता की वेदी पर अपनी बलि चढ़ाने वाले राष्ट्रपिता के देश में एक दुर्भाग्य का दिन होगा। इसलिए सरकार को इसके प्रति कठोर रूप अपनाना चाहिए और हिंसा को प्रारम्भ में ही समाप्त कर देना चाहिए ताकि यह हिंसा या समूह हिंसा का रूप धारण न कर सके यदि ऐसा हुआ तो यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी।

अब मैं इस पर जो क्रियायें और प्रतिक्रियायें होंगी उन पर आता हूं। मैं अमृतसर गया था और वहां की स्थिति देखी। मैं जालंधर भी गया, मैं पानीपत गया और वहा जो हुआ वह भी देखा। यहां तक कि विभाजन के बाद भी गुरुद्वारे नहीं जलाये गये थे। मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीज वहां पर थे। श्री बीजू पटनायक भी वहां पर थे। हम सब वहां पर गए और हमने अपनी आंखों से देखा कि वहां पर 4 गुरुद्वारों को जला कर भस्म कर दिया गया था। मैंने वहां पर जो कुछ देखा उस सबका विवरण नहीं देना चाहता। वहां पर 8 मजहबी सिख मारे गए। इस देश में दुर्भाग्य की बात यह है कि जब किसी को अपना गुस्सा उतारना होता है तब दुर्बल वर्ग के लोगों को उसका शिकार बनाया जाता है। इन आठ सिखों को गोली से नहीं मारा गया था। हम उनके परिवार के सदस्यों के पास गए। प्रभारी अधिकारी ने बताया उनको पहचाना भी नहीं जा सका था। लेकिन हम आम नागरिक के नाते उनके पास गए और यह पता लगाया कि मृत व्यक्ति कौन हैं? हम उनके परिवार के सदस्यों के पास गए और हमने पता लगाया कि वे लोग कहां काम करते थे। हमें बताया गया कि गुरुद्वारे से लोगों को बाहर निकाला गया केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने उनसे कहा था कि वे गुरुद्वारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जब उन सिखों को वहां से हटा दिया गया तो अन्य लोगों ने उनपर सामूहिक रूप से हिंसा की उन मजहबी सिखों को गोली से नहीं बल्कि पत्थर मार के जान से मार दिया गया। पानीपत में इस प्रकार की हिंसक घटना हुई। यदि इस प्रकार की सामूहिक हिंसा पंजाब और हरियाणा में होने लगेंगी तो यह विभाजन के बाद देश में एक दुर्भाग्य की बात होगी और ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए।

मैं एक और खतरे की ओर इशारा करना चाहता हूं और वह यह है कि यदि पंजाब और हरियाणा में व्यक्तिगत स्तर पर हो रही ये आतंक की घटनायें सामूहिक हिंसा का रूप धारण कर लेती हैं तो इसके परिणामस्वरूप अन्य बुराइयां भी होंगी। उनमें से एक यह है कि विभिन्न जातियों और समुदायों में से किसी एक के लोग वहां से बाहर जाने लगेंगे। यदि पंजाब और हरियाणा में जहां हिन्दू और सिख साथ-साथ रहते हैं, यदि आम आदमी के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है तो जिन्दा रहने की उसकी लालसा ही उसे उस राज्य से बाहर ले जायेगी और वह उस राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में चला जायेगा। महात्मा गांधी के देश के लिए यह शर्म और दुर्भाग्य की बात होगी कि किसी व्यक्ति को अपना राज्य सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़े कि उसे वहां जिन्दा नहीं रहने दिया जायेगा। महात्मा गांधी के उन आदर्शों की यह कब्र खोदना है। जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं तो विभाजन के बाद भी लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के सिद्धांत का विरोधी था। जनसंख्या का आदान-प्रदान और धर्म निरपेक्ष राज्य का खात्मा हमारे शवों पर ही हो सकता है। हम धर्म-निरपेक्ष राज्य के प्रति वचनबद्ध हैं। विभाजन के बाद लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान गए थे। लेकिन गांधी जी के भारत के लिए यह गर्व की बात है कि लाखों मुसलमान इस देश में ठहरे रहे और उन्होंने इसे अपनी मातृभूमि समझा। इस प्रकार हम मुसलमान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गए। वे यहां पर अपनी मर्जी से ठहरे थे क्योंकि तब उनके पास पाकिस्तान जाने का विकल्प भी था। फिर भी लाखों मुसलमान इस देश मे ही ठहरे और उनका कहना था कि हम यहां पैदा हुए हैं और यहां ही मरेंगे। वे यहां ठहरे और उन्होंने इसे

अपना देश माना। हमारे देश का स्वरूप तो यह है। देश का तो विभाजन हो गया था परन्तु हमारे राष्ट्र ने धर्म पर आधारित द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को नहीं माना। यह हमारे लिए शान की बात है। हम आशा करते हैं कि धर्म-निरपेक्षता की यह भावना आगे भी बनी रहेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप कानून और व्यवस्था की स्थिति के प्रति इसी तरह से उदासीन बने रहेंगे तो लोग निराश होकर सामूहिक हिंसा पर उतर आयेंगे और बड़े पैमाने पर हिंसक घटनायें होंगी जिससे लोग बड़ी संख्या में एक राज्य छोड़कर दूसरों में जायेंगे। और इसका परिणाम यह होगा कि सिख एक ही स्थान पर बचे रहेंगे तथा वहां के हिन्दू दूसरे स्थानों पर जा बसेंगे तथा इस प्रकार महात्मा गांधी का स्वप्न नष्ट हो जायेगा। हम विश्वास करते हैं कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है हालांकि हमारा देश बहुत से धर्म वाला और बहु-भाषी है। यह एक संगठित और अखंड राष्ट्र है संगठित भारत और धर्म निरपेक्ष भारत का हमारा एक सपना है जिसे हमने संजोये रखना है। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो वैसा ही होगा जैसी आशंका है यह आंदोलनकारियों और सरकार दोनों के लिए चेतावनी है। सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और आंदोलनकारियों को भी आग से नहीं खेलना चाहिए। आर्थिक पहलुओं को लेकर संघर्ष करना तो आसान है परन्तु इससे देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। परन्तु जब लोग भाषा और धर्म के आधार पर लड़ते हैं तो इसका अनिवार्यत: परिणाम यह होता है कि विघटनकारी ताकतें जड़ पकड़ जाती हैं और पंजाब में तथा अन्य कई स्थानों पर ऐसा ही हो रहा है।

एक अन्य पहलू है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसाकि मैंने कहा, 220 मामलों में हत्यायें की गईं और उनमें से 190 सिख थे। इसका मतलब यह है कि भिंडरांवाला हिन्दू और सिख में कोई भेद नहीं करता था। जो भी उसके प्रभाव से बाहर रहता था वह उसी की हत्या करवा देता था। यदि कोई सिख निरंकारी है तो उसे कत्ल करवा दो। यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस (ई) का है तो उसे समाप्त करवा दो, यदि कोई व्यक्ति साम्यवादी दल का है तो उसे मारो, यदि कोई व्यक्ति लोकदल का है तो उसका पत्ता साफ करदो, उसका सिद्धांत तो यह था। वह इस बात की चिंता नहीं करता था कि कोई व्यक्ति हिन्दू है या सिख है। वह तो केवल व्यक्तिगत पूजा में विश्वास करता है। एक विचारधारा अतिवादी भिंडरावाला समर्थक है और दूसरी विचारधारा भिंडरावाला विरोधी है। ऐसी स्थिति में हम अपराधियों को धार्मिक स्थलों पर शरण लेने दे रहे हैं। एक ओर हम उनेको वहां शरण दे रहे हैं और दूसरी ओर हम कहते हैं कि हम मजबूर हैं। 26 जून, 1975 को जब इस देश में आपात स्थिति लागू की गई थी तो हमारे नेताओं को कुछ सैकिंडों में ही इधर उधर कर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह को प्रात: ही पकड़ लिया गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहीं अन्यत्र ले जाया गया और उनको कई प्रकार के रोग भी लगे तथा आपात स्थिति से छूटने के बाद वह उन रोगों के शिकार हो गये। श्री मोरार जी भाई तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी आदि लोगों को कुछ सैकिंडों में इधर उधर कर दिया गया और सरकार ने तब क्षण भर के लिए भी यह नहीं सोचा कि इन बृद्ध नेताओं पर क्या गुजरेगी। सरकार ने इन सबको गिरफ्तार किया और इधर उधर भेज दिया। लेकिन जो लोग अब हिंसा और आतंकवाद के जिम्मेदार हैं। उन लोगों के साथ ऐसा करने में सरकार क्यों

हिचक रही है उन्हें अब कपकपी क्यों छूट रही है। ऐसे डरपोक आदमी तो शासन कर ही नहीं सकते। यदि आप शासन करना चाहते हैं तो मजबूत होकर शासन करो। यदि आप शासन नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। आपको इतना साहस तो होना ही चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप इस समस्या को भी न सुलझा सकेंगे।

बात कैसे आगे बढ़ती है इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमृतसर के शिवालय मन्दिर में एक ग्रिनेड का विस्फोट हुआ। यह ग्रिनेड मन्दिर के अन्दर नहीं फटा था परन्तु उन्मत्त लोगों ने स्वयं ही यह फैसला कर लिया कि इसके लिए तीन सिख जिम्मेदार हैं और वे उन्हें दबोचना चाहता थे। लेकिन सौभाग्य यह रहा कि इन लोगों को कुछ हिन्दुओं ने और कुछ सिख पुलिस अधिकारियों ने बचा लिया। फिर भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इन लोगों को वहां के उपायुक्त को, जो वहां घटनास्थल पर पहुंच गया था, सौंपने के लिए मना कर दिया और इस बात को लेकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा पंजाब पुलिस के बीच एक हल्की सी बन्दूकों से झड़प हो गई। यह शुभ लक्ष्य नहीं है। यदि पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बीच इस प्रकार संघर्ष होता है तो यह एक खतरनाक स्थिति की ओर संकेत करता है। यदि इस प्रकार की घटनायें होंगी तो कभी भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है और एसी स्थिति पैदा होती जा रही है। क्योंकि उग्रवादी कानून का उल्लंघन करते जा रहे हैं।

अब मैं अकालियों से कुछ कहना चाहता हूं। उनकी जो उचित मांगे हैं उनके बारे में तो बात समझ में आती है उन पर बैठ कर चर्चा की जा सकती है। मैं तो उन आदमियों में से हूं जो यह विश्वास करते हैं कि सरकार, अकाली दल और विपक्षी दलों के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप अन्तर कुछ कम हुआ है एक ओर तो हमने परस्पर बातचीत से मतभेदों को कुछ कम किया है लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी ओर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इस मामले को तय कर सकती थी। जिस बात पर सहमति हो गई है उसे लागू कर देना चाहिए। जहां आम राय बनती है उसे भी लागू कर देना चाहिए। मुझे तो संदेह यह है कि सरकार ही इस समस्या को लम्बे समय तक बनाये रखना चाहती है।

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : नहीं, नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे विचार से ऐसे विवादों को हल करने के लिए सरकार ने एक विशेष दृष्टिकोण अपना रखा है और वह यह है कि समस्या को लम्बे समय तक खींचते रहो।

प्रो० एन० जी० रंगा : जी नहीं, बात यह नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा करने से मामला और पेचीदा हो जाता है और लोगों का ध्यान उस समस्या की ओरसेहट जाता है। कई समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। लेकिन कई समस्यायें ऐसी हैं जिन्हें इस तरीके से हल नहीं किया जा सकता। आप दृढ़ कार्यवाही कीजिए। आप कोई पक्का निर्णय लीजिए। और यदि आवश्यक हो, तो एक पक्षीय आधार पर ही निर्णय ले लीजिए और उसे लागू कर दीजिए। और आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं। लेकिन आपके साथ तो समस्या यह है कि आप न तो किसी आम राय को लागू करना चाहते हैं और न अपने ही दृष्टिकोण को। आज तो सिर्फ एक ही बात हो रही है और वह है हत्याओं का होना। एक तरह से हत्याओं का कार्यक्रम ही

लागू किया जा रहा है। जब भी त्रिपक्षीय बैठक हुई और जब भी कोई आम राय बनी तभी हमने यह सुझाव दिया कि हमारे और अकाली दल के बीच जो भी मतभेद हैं उनपर ध्यान न देते हुए, जिस बात पर भी आम राय हुई है उसे लागू कर दीजिए और शेष सब दृष्टिकोणों को गलत मानकर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से सम्पूर्ण राष्ट्र आपके साथ होगा। आपको सर्वसम्मति से हुए फैसले को क्रियान्वित करने का साहस रखना चाहिये। एक गोलमेज सम्मेलन अथवा त्रिपक्षीय सम्मेलन में विभिन्न दलों को बुलाकर यह कहने का क्या लाभ है कि हमने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है: यह फैसला बहुत अच्छा है परन्तु इस पर अमल नहीं होगा। और इस प्रकार सभी बात खटाई में पड़ जाती है।

श्रीमन्, अकाली दल आज भिंडरावाले का कैदी है। जब तक वह अपने आपको भिंडरांवाले से मुक्त नहीं करेंगे तब तक वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सकेंगे और इस सरकार से न्याय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। केवल सरकार ही नहीं बल्कि उनकी मांगों के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग भी उनके खिलाफ हो जायेंगे और इसलिये उन्हें अपने आपको भिंडरावाले के चंगुल से छुड़ाना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो कुछ समस्या होगी (**व्यवधान**) श्री पटनायक, मेरे सहयोगी हमेशा ठीक ही हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने मुझे संपूर्ण इतिहास देखने के लिये कहा (**व्यवधान**) इतिहास ही नहीं बल्कि भिंडरावाले का भूगोल भी देखने को कहा है। यह भिंडरावाले कौन हैं ? भिंडरावाले को न तो अकाली दल ने बनाया है और न ही जनता पार्टी अथवा लोक दल अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया है। उसे तो सत्तारूढ़ दल ने विपक्षी दलों को नीचा दिखाने के लिये बनाया है। (**व्यवधान**) अब यह भिंडरावाले अपने बनाने वाले को ही निगलने की कोशिश कर रहा है अब उसे बनाने वाला बहुत दुःखी है। यह भिंडरावाला एक खतरा पैदा कर रहा है। सत्तारूढ़ दल को अब पता लगेगा कि उन्होंने कैसे भूत को बनाया है। इस बात को नोट किया जाना चाहिये।

इस संदर्भ में हम अनुच्छेद 25 को लेते हैं। मेरा बड़ा संतुलित दृष्टिकोण है। मेरे दल का हमारे संविधान के इस अनुच्छेद के बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण है। हमें इस बात में विश्वास करते हैं कि यदि कोई संविधान में परिवर्तन करना चाहता है तो यह हो सकता है। 1950 में जब संविधान बना था तब से अब तक बहुत से संशोधन किये गये हैं। यह सब विवाद संविधान के अनुच्छेद 25 के संशोधन के बारे में शुरू हुआ है। अकाली दल यह महसूस करता है कि उनके सिख धर्म को आहिस्ता आहिस्ता समाप्त किया जा रहा है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। परन्तु उनके दिमाग में यह भय है। 2 अप्रैल को एक बड़े आंदोलन के मौके पर आपने सभा के बाहर एक निष्कर्ष को प्रस्तुत किया था जो सभा में भी दोहराया गया है। आपकी अनुपस्थिति में उन्होंने एक अनुचित कार्य किया है। यदि आप होते तो ऐसा नहीं कर सकते थे। बाद में उन्होंने खेद व्यक्त किया। उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें डांटा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप उनसे कहिए कि वह आन्दोलन न करें। हम कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करके इस पर फिर विचार करेंगे। इसमें कोई खराबी नहीं है। यह सरकार गलत समय में ठीक काम करती है। वह किसी बात पर ठीक विचार करेगी परन्तु उस पर गलत समय में अमल करेगी। उन्होंने संविधान को जलाने का यह आन्दोलन बहुत पहले शुरू किया था। मेरे विचार में गृह मन्त्री और उनके मित्रों को अकाली दल को यह बताना चाहिये था कि संविधान में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। मैंने अनुच्छेद 25 के बारे में

संविधान सभा के वाद-विवाद को पढ़ा है। उस उसय अनुच्छेद 25 के सम्बन्ध में सभी तरह के विचार व्यक्त किये गये थे। उस समय यह अनुच्छेद 19 था। अनुच्छेद 25 में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान में सिख एक अलग समुदाय और धार्मिक वर्ग है सिखों को तो समाप्त नहीं किया जा रहा है। इसमें कुछ व्याख्यायें दी गई हैं। इस व्याख्या में यह कहा गया है कि अकाली के दल दिमाग में किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिये कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सिखों को अलग धार्मिक समुदाय के रूप में नहीं माना गया है। संविधान सभा के वाद-विवाद में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड (ख) (समाज कल्याण और सेवाएं) के प्रयोजन के लिये हिन्दुओं के उल्लेख में सिख धर्म को मानने वाले लोगों का उल्लेख भी शामिल माना जायेगा। इसलिये इन्हीं क्षेत्रों में उन्हें हिन्दुओं के बराबर ही माना जायेगा। सुधार समाज कल्याण के क्षेत्रों में उन्हें कुछ लाभ दिये जायेंगे और यह बहुत अच्छी बात है। डा.बी.आर. अम्बेडकर ने अपने भाषण में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। परन्तु अकाली दल के साथ परेशानी यह है कि जब भिंडरावाले ने अपना हिंसात्मक कार्यक्रम चलाया तो वह हिंसात्मक कार्यक्रम के लिये एक अहिंसात्मक समानार्थक शब्द चाहते थे और इसलिये वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि आप किसी आदमी की हत्या करते हैं तो आप संविधान की हत्या करते हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 को जलाना शुरू कर दिया। वैसे तो उन्होंने संविधान को नहीं जलाया है। उन्होंने अनुच्छेद 25 का एक स्टेंसिल कटवाया और उस साइक्लो स्टाइल्ड कागज को जला दिया। यह मामला अदालत में चल रहा है और इसलिये मैं इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु संविधान सभा के वाद-विवाद से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 और उसकी व्याख्या से सिखों का अलग अस्तित्व समाप्त नहीं होता। उनके आंदोलन में शुरू करने से पहले गृह मंत्री उनके साथ बैठकर उन्हें बता सकते थे कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सिखों को अलग समुदाय के रूप में स्वीकार किया गया है और यदि कोई शक है तो हम इस बात की एटार्नी जनरल से जांच करा सकते हैं। हम कानूनी विशेषज्ञों की भी सलाह ले सकते हैं। 25 फरवरी, 1984 को जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने लोंगोवाल को लिखे गये एक पत्र के साथ अपने विशेष दूत जार्ज फर्नान्डीस को भेजा था। (व्यवधान) रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा है कि आप किसी नाम को पसन्द नहीं करते तो उसे छोड़ दीजिये। यदि आपको जार्ज फर्नान्डीस का नाम पसन्द नहीं है तो जाने दीजिये। उस पत्र में चन्द्रशेखर ने क्या कहा? लोंगोवाल जी, उस अनुच्छेद में कोई खराबी नहीं है। उसमें सिखों के अलग अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। संविधान को जलाना कोई अच्छी बात नहीं है। आपका यह काम लोकतंत्र के विरुद्ध माना जायेगा और इस प्रकार आप मुख्यधारा से अलग हो जायेंगे। यदि आपको संविधान की कोई बात पसन्द नहीं है तो हम उसे कानूनी विशेषज्ञों के पास भेज सकते हैं और हम उस पर उच्चतम न्यायालय से भी जांच करा सकते हैं और यदि उच्चतम न्यायालय एक बार अपना फैसला दे देता है तो वह देश का कानून बन जाता है। यदि उच्चतम न्यायालय यह फैसला दे देता है कि इस अनुच्छेद में सिखों को एक पृथक धार्मिक समुदाय के रूप में माना गया है तो यह बिल्कुल ठीक होगा। यदि ऐसा न हो तो फिर आप संविधान में संशोधन करा सकते हैं। सरकार, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल इसके लिये सहमत हो जाते। परन्तु वह तरीका अपनाने के बजाय उन्होंने संविधान को जलाना शुरू कर दिया। वे चाहते हैं कि सारा वातावरण गरम हो जाये और तब वे एक सुझाव लेकर

आयेंगे। इसीलिये मैं कहता हूं कि वह गलत समय पर सही काम करते है। हम संविधान के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। मैं पांचवीं लोक सभा का सदस्य था। तब बहुत से संवैधानिक संशोधन पेश किये थे। उस समय यह विवाद खड़ा हुआ था। यह विवाद अनुच्छेद 13 (2) के बारे में था जिसमें कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनायेगा जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारी को समाप्त करेगा, सीमित करेगा अथवा उन्हें कम करेगा। सज्जन सिंह और सुखदेव प्रसाद के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 13 (2), अनुच्छेद 368 पर अंकुश नहीं लगाता। वे जिन अधिनियमों का उल्लेख करते हैं वे साधारण विधियां है और संवैधानिक विधियां नहीं हैं जिनके अन्तर्गत सरकार और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो। पहले अनुच्छेद 13 (2) का अनुच्छेद 368 पर कोई प्रभाव नहीं था, जिसके अन्तर्गत दो-तिहाई बहुमत से संविधान के किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है। परन्तु केशवानन्द भारती के मामले में भी उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और संविधान के केवल मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 13 (2) का निलम्बन नहीं किया गया। यह मामला अदालत में गया। परन्तु उससे पहले ही सरकार ने यह फैसला किया कि अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत एक और खण्ड होगा जिसमें यह कहा जायेगा कि अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत संविधान में संशोधन नहीं किया जायेगा। मेरे विचार में यह एक ठीक प्रक्रिया है। इसलिये गृह मंत्री को अकाली दल को यह बता देना चाहिये था, कि संविधान के निर्माताओं ने संविधान सभा की बहस में यह स्वीकार किया था कि अनुच्छेद 25 में सिखों के अलग अस्तित्व को माना गया है। परन्तु यदि व्याख्या 2 के बारे में आपको कोई शक है तो आप एक और खण्ड रख सकते हैं जिसमें यह स्पष्ट किया जाये। इसका मतलब यह नहीं है कि सिखों के एक धार्मिक वर्ग के रूप में अलग अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है। यह व्याख्या बदली जा सकती है। परन्तु ऐसा करने के बजाय उन्होंने संविधान को जलाना शुरू कर दिया। संविधान को जला कर वे संविधान को नष्ट नहीं कर सकते। सुधारकों को जलाने के बाद भी सुधारक समाप्त नहीं हुए। किंग मार्टिन लूथर को जिन्दा जला दिया गया। परन्तु उनका केवल मास ही जलाला जा सका। उनका संदेश अमर हो गया। यहां भी ऐसा ही होगा। इस लिये संविधान को जलाने से संविधान कभी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि संविधान के निर्माण में एक पीढ़ी का श्रम और विद्वत्ता निहित है। संविधान में समय-समय पर परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं। कि सरकार ने गलत समय में सही निर्णय लिया है। उनका तरीका हिंसा को बढ़ावा देता है। अकालियों ने कहा कि हम संविधान को जलायेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और बाद में उन्होंने कहा कि आपके विचार को स्वीकर करते हैं। इस संशोधन के बारे में कोई विवाद नहीं है। बल्कि यह बहुत पहले होना चाहिए था। परन्तु जैसा मैंने कहा, वे सही समय पर गलत काम करते हैं और वे गरिमा को त्यागकर काम करते हैं। इसलिये इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये और मेरा विश्वास है कि यदि ऐसा किया गया तो कानून और व्यवस्था ठीक हो जायेगी। हमारे कुछ लोगों ने कहा कि मार्शल ला लागू किया जाये। आपने मार्शल ला को नहीं देखा है। उन्होंने हिलटर के शासन को नहीं देखा है।

उन्होंने इस देश में मार्शल-ला लागू होता नहीं देखा। शोलापुर तथा जलियांवाला बाग में क्या हुआ ? हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। मार्शल-ला अत्यन्त सख्त कार्यवाही है। एक बार मार्शल-

ला की घोषणा होने पर बहुत से विनाशकारी परिणाम निकलेंगे। तब लोग यही कहेंगे कि निदान रोग से भी भयंकर है। किसी तरह के मार्शल-ला की जरूरत नहीं है। जो भी शक्तियां आपके पास हैं, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस है, आपके पास अर्ध सैनिक बल हैं, पुलिस विभाग है, बात केवल इतनी ही है कि प्राप्त शक्ति का उपयोग कैसे किया जाये। मार्शल-ला लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। उपलब्ध मशीनरी के सही उपयोग से निःसन्देह समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधन हो सकता है। मैं चाहूंगा कि गैर सामाजिक तत्वों को सभी पूजा-स्थलों का चाहे वे सिखों, हिन्दुओं अथवा मुसलमानों के हों, उपयोग करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे उसका उपयोग अन्य समुदायों के लोगों पर हमला करने क लिए कर सकते हैं। इसे सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

इस मामले पर अपनी बात समाप्त करते समय मैं प्रश्नकाल से पूर्व श्रीमती गांधी द्वारा कही गई बात को दोहराता है। उन्होंने बताया "हमारे अन्तरिक्ष यात्री अन्तरिक्ष में ऊंचाइयों पर पहुंचे है। महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब हमारे अंतरिक्ष यात्री आकाश में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं, पंजाब में हिंसा का वातावरण पनप रहा है। यह बात हमारे लिए अत्यन्त दुःखदायी है। अन्तरिक्ष यात्री तो ऊंचा उठते हैं परन्तु पंजाब साम्प्रदायिक आग तथा साम्प्रदायिक हिंसा में गिरता जा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि स्थिति को सम्भालें, क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं। कृपया ध्यान दें पंजाब पूरे देश के साथ किस खाई में गिर गया है। पंजाब को उस गड्ढे से उभारें। हम उत्तरदायित्व के अपने भाग से संकोच नहीं करेंगे। क्योंकि यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्र का संरक्षण हो सके। हम उम्मीद तथा विश्वास करते हैं कि सरकार इस तरह से कार्य करेगी कि हम जीवन काल में उस स्वर्णिम क्षण को देख सकें जिसमें हमारी राष्ट्रीयता की रक्षा हो सके तथा हम उन धर्म निरपेक्ष आदर्शों को प्राप्त कर सकें जिसके लिए गांधी जी जिए तथा जिसके लिए उन्होंने जान दी। हमें उम्मीद है कि वास्तविक गांधी व्यर्थ नहीं जिये तथा बिना कारण उन्होंने अपनी जान नहीं दी।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : महोदय, इस गम्भीर स्थिति पर शान्तिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मैं यथासंभव संगत विषय पर ही पूर्ण रूप से प्रकाश डालूंगा। अनिवार्यतः कुछ बातें दोहराई भी जायेंगी। चूंकि सभा में, वास्तव में दोनों सभाओं में समान कारण बताए गए हैं। अतः मैं समस्या के विभिन्न पहलुओं पर बल देना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि मैं इस विषय पर पहले ही काफी बोल चुका हू।

पंजाब में जो अराजकता एवं असद भावनापूर्ण स्थिति पैदा हो गई है, वह एक गम्भीर मामला है तथा देश के विघटन के खतरे से भरपूर है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए। पंजाब भारत का सीमा प्रान्त है जो कि इस समय अभूतपूर्व अशान्ति का सामना कर रहा है। दो सहोदर भाइयों के बीच ऐसा कभी नहीं हुआ। यह हम सब जानते हैं। हमारे इतिहास में भाइयों के बीच कभी भी ऐसी दुर्भावना नहीं आयी थी। पहले कभी भी ऐतिहासिक, जातीय, दार्शनिक भौतिक-शत्रुबद्धता और सांस्कृतिक दृष्टि से वे एक ही तने की शाखाएं थी और अभी भी है। पंजाब के बाहर के लोग नहीं जानते होंगे। परन्तु एक पंजाबी के नाते मैं पंजाब में रहने वाले प्रत्येक परिवार को जानता हूं। उनके पारस्परिक संबन्धों को समाप्त करना संभव नहीं है।

फिर बिगाड़ कहां पर आया है। यहीं से हमें अपनी खोज शुरू करनी है। विश्लेषणात्मक एवं भावनात्मक दृष्टि से हमें इस प्रश्न की पूरी तरह जांच करनी है।

हमें गम्भीरता पूर्वक इस बात की जांच करनी है कि हत्यारा कौन है। इस प्रश्न पर हमें गहराई से विचार करना है।

आइए, मेरे एक निष्कर्ष पर विचार करें। श्रीमान, आपने स्वयं अनुभव किया होगा। कि जब भी पंजाब में तनावपूर्ण स्थिति के स्थान पर कुछ शान्ति का वातावरण आने लगता है, जैसे कि सरकार द्वारा की गई एक घोषणा पर अकाली दल ने एक सप्ताह के लिए आन्दोलन स्थगित कर दिया था। आन्दोलन चलाने वाले पूरी तरह आयोजित ढंग ऐसे घृणित अपराध करते हैं, जिससे शान्ति स्थापना की संभावना को गहरी चोट लगती है। आप आन्दोलन के पूरे रिकार्ड में इस बात को देख सकते हैं। यही कार्य-प्रणाली रही है। ऐसा ही होता रहा है। अतः हमने बुराई की जड़ का पता लगा लिया है।

उदाहरण के तौर पर अभी हाल की हत्याओं में, जिनका मेरे मित्र प्रो० दंडवते ने उल्लेख किया था। महान व्यक्तियों की हत्या, जैसे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष श्री हरबंस-सिंह मनचन्दा, पजाब भा० ज० पा० के उपाध्यक्ष श्री हरबसलाल खन्ना, कांग्रेस (ई) के सांसद डा० वी० एन० तिवारी, पंजाबी भाषा के लोक प्रिय विद्वान। ये हत्याओं के कुछ उदाहरण हैं। फिर एक सिख पुलिस अधिकारी उप-महानिरीक्षक जिसके हाथ में मंदिर का पवित्र प्रसाद एवं पूजा के फूल थे और जो स्वर्ण मंदिर में पूजा के लिए गया था, की हत्या की गई। फिर और भी ऐसे भीरुतापूर्ण कत्लों की कहानी है जिसमें बिना सोचे समझे विभिन्न वर्गों के कानून का पालन करने वाले नागरिकों की हत्या की गई। इससे स्वभावतः हिन्दू-सिख भ्रातृत्व में दरार पैदा हो गई। मैं 12983 गांवों को पूरी तरह जानता हूं। मैं स्वयं ग्रामीण हूं। मेरा पालन-पोषण कस्बों और नगरों में हुआ। मैं पंजाब के गांव वालों की नब्ज पहचानता हूं, जो कि पंजाब की जनसख्या का बहुमत है। जो कुछ सिर फिरे लोग दुर्भाग्य से गलत कार्यवाहियां कर रहे हैं।

मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह के अपराध होते हैं जिसका हमें और अध्ययन करना है। जो मूल्यांकन हमने किया है वह इस प्रकार है। इन पूरी गलत कार्यवाहियों का मुख्य उद्देश्य इस नाजुक सीमा प्रान्त की शांति स्थिरता भंग करना है। महत्त्वपूर्ण भौगोलिक नीति, सैनिक तथा भौगोलिक-राजनीतिक दृष्टि से इसका मूल्यांकन करना बड़ा सरल है; ऐसी भयानक प्रणाली का विश्व के अन्य भागों में भी अनुसरण होता है। क्या मैं इसके जासूसों का भी उल्लेख करूं जो धन के लालच में इस पूरी तरह सुनियोजित कार्यवाही में सहायता कर रहे हैं। मेरे मित्र पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि ये घृणित अपराध विधिवत आयोजित है। इस विघटनकारी कृत्य में, राष्ट्र-द्रोही, स्वार्थी तत्वों, तस्करों, भाड़े के अपराधियों आतंकवादियों इन सभी ने जिनका कि कोई सिद्धान्त नहीं तथा जिनका मस्तिष्क गलत मार्ग पर चल रहा है, जो कि भावावेष आत्मघाती बलि-दानी प्रवृत्ति का रूप भी ले लेती है। इस प्रकार की वर्ग विभिन्नता है और पंजाब के लोगों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि उन लोगों का भूगोलिक राजनीतिक, सामरिक आंतरिक तथा बाह्य सहायता तथा शस्त्रों का प्रशिक्षण मिला है।

अन्यथा कैसे एक भाई दूसरे भाई को मार सकता है, ये लोग मोटर साईकिल पर सवार होकर बाजारों में जनता को स्टेन गनों से मारते हैं। उन्हें यह परवाह नहीं होती कि उनके हमलों

से कौन मरता है। और वे रेल गाड़ियों का तथा अन्य सभी उपकरणों को तोड़ने एवं विनष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। सम्भवत: उन्हें अपने प्रयत्नों में पूर्ण सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने कार्य करने की इस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं लेकिन इनके काम को देखने के लिए आपको थोड़ी योजना बनाने की जरूरत है। जिस ट्रेन की वे तोड़-फोड़ करते हैं उसमें उनका अपना भाई हो सकता है—यह न जानते हुए वे तोड़-फोड़ कर रहे हैं। इसलिए इसका क्या अभिप्राय है। इन्हें बर्बरता का प्रशिक्षण दिया गया है और यह लोग रूढ़ियों को लोभ देकर प्रशिक्षण देते हैं जो, यह नहीं जानते कि क्या हो रहा है और वे क्या कर रहे हैं। हम इन सबका सामना कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि गुरुओं का कोई भी सच्चा सिक्ख ऐसे काम नहीं कर सकता। इस प्रकार के कार्यों की हमारे गुरु अनुमति नहीं देते। उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारतवर्ष के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए तथा मातृ संस्कृति के लिए अपने बलिदान दिए हैं।

12.56 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हममें से कुछ इनका इतिहास नहीं जानते हैं। आप कृपया मेरी बात को सही मानें। यह सत्य है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं। जहां तक धर्म का सम्बन्ध है, धर्म विद्या को ठीक रूप से समझने के लिए मैंने उसमें डिग्री ली है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे गुरुओं में सेकोई भी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचता। हमारा पवित्र ग्रन्थ साहिब—जो कुछ मैं कह रहा हूं—उसकी पुष्टि करता है। उसमें मुसलमानों की और हिन्दू सन्तों को वाणी है इसमें फरीद, कबीर, वाल्मीकि तथा बहुत से अन्यों की भी वाणी हैं और नि:संदेह दस गुरुओं की भी वाणी है। फिर भी इतना पर्याप्त है। ऐसे कार्य करने वालों के हाथों में हम अपना राष्ट्र कैसे सौंप सकते हैं। यह दूसरी बात है। जैसा कि दूसरे पक्ष के हमारे मित्रों ने कहा है। हम जंगल का शासन चलने नहीं दे सकते। इस दृष्टिकोण से मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम सबका एक मत है और काफी सहनशीलता और दृढ़ता हमारे माननीय प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा गृह मंत्रालय द्वारा दिखाई गई हैं। ठीक प्रकार से न्याय करने के लिए जितनी शक्ति लगाई जानी चाहिए—उतनी ही लगाई गई है। यह प्रश्न था—और अभी भी बना हुआ है कि ये लोग अपना काम करते हैं और भाग जाते हैं। आपको बहुत ध्यानपूर्वक स्थिति का मूल्यांकन करना है। हमें वार्तालाप के पहलू पर ध्यान देना है और तब निर्णय लेना है। वहां कुछ गरम दिमाग के व्यक्ति थे जो एक रास्ता बताते थे और बाद में वे स्वयं ही महसूस करते थे कि उन्हें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। यह खेल बहुत ही नाजुक प्रकार का है और इसको उसी प्रकार से खेला जाना चाहिए।

मैं एक दूसरे मामले पर सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। इनका दिमाग किस प्रकार का है यह सब मैंने मोटे तौर पर बता दिया है। हमारे दस गुरुओं के वास्तविक सिख हमारे अद्-भुत राष्ट्र कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक हमारे समूचे राष्ट्र के साथ हैं। कृपा पूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से यह ठीक है। सिख भारत के हैं और भारत सिखों का हैं। क्या मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं मैं ऐतिहासिक रूप से या अन्यथा इसका प्रमाण दे सकता हूं। हमारे गुरुओं के जीवन से इसका प्रमाण मिलता है।

1.00 म०प०

उदाहरण के तौर पर, हमारे पवित्र पूजास्थलों को ही लें। वे कहां पर हैं ? आप कहीं भी जायें सिखों के पूजास्थलों को देख सकते हैं। किसी भी दिशा में जहां भी आप जाना चाहें, आप

उनको दिल्ली, पटना साहिब, मीठा रीथा साहिब, गोविन्द घाट, हेमकुंड, ग्वालियर, मनमाद हजूर साहिब, पटना साहिब, गोहाटी और बिदार में देख सकते हो। निःसंदेह नांदेड़ साहिब वहाँ है। इसलिए यह कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई विशेष स्थान ही सिखों का घर है।

मैंने पहले ही कहा है और मैं इसे फिर दोहराता हूं कि दसवें गुरु, गुरु गोविन्द सिंह जी ने अपने पंच प्यारे कैसे चुने थे। उस समय उन्होंने बलिदान की परीक्षा लेने के लिए उनमें से हरेक का सिर मांगा था। क्या उनमें बलिदान करने की शक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐतिहासिक रूप से यह सत्य है (व्यवधान) हाँ, एक आपके राज्य उड़ीसा का है। जो कि भारत की रक्षा के लिए तैयार हुआ था। आपकी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, वर्ग और जात-पात के भेदों को दूर करने वाला व्यक्ति कौन था। वह जगन्नाथ पुरी, उड़ीसा का रहने वाला था, उसका नाम ज्योति राम था बाद में उसको हिम्मत सिंह नाम दिया गया। दूसरा पश्चिमी तट द्वारिका का था उसका नाम मोकम चन्द था बाद में वह मोकम सिंह बन गया। तीसरा व्यक्ति दक्षिण में आन्ध्र प्रदेश का था। उसका नाम साहिब चन्द था वह बाद में साहिब सिंह बन गया। एक अन्य व्यक्ति मथुरा और दिल्ली के बीच हस्तिनापुर का था उसका नाम धर्मदास था वह धर्म सिंह बन गया। पाँचवा व्यक्ति दयाराम लाहौर का था जो कि दयासिंह बन गया।

अतः भारत के सभी भागों के वर्गों पर जात-पात पर विचार किए बिना ध्यान दें। यहाँ दिल्ली में हमारे बहुत से गुरुद्वारे हैं। जो कि इन लोगों के बलिदान के स्मारक हैं।

जहाँ तक सिख राष्ट्र का सम्बन्ध है, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि सिक्खों की तो बात छोड़िये, अकालियों का एक बहुत बड़ा भाग भी उग्रवादियों के कार्यों और पृथकतावाद के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा जो कि पृथक राष्ट्र का प्रचार कर रहे हैं। अभी पिछले दिन अकालियों द्वारा अपनाया गया रूख जो कि माननीय गृह मन्त्री के दृष्टिकोण के अनुकूल था मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने आंदोलन को वापिस ले लिया है और यह एक अच्छा संकेत है।

मैं अकालियों से सामयिक अपील करूंगा, क्योंकि यह प्रश्न समस्त भारत में और यहां तक कि विदेशों में भी सम्पूर्ण सिख समुदाय से सम्बन्धित है इसलिए देश में समरूपता की रक्षा के लिए एक अपील पूर्णनिष्ठा के साथ की जानी चाहिए।

पंजाब में सिख कितने हैं यह मैं आपको बताता हूं। पंजाब की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख है, इसमें से आधे सिख हैं और आधे-हिन्दू और अन्य सब। इनमें एक-दो लाख कम या अधिक हो सकते हैं। लगभग 70 लाख सिख हैं। जो पंजाब के छोटे से क्षेत्र में रहते हैं। उनकी यह संख्या दिल्ली की कुल जनसंख्या के बराबर है। मैं यह बात दृढ़ता से कह सकता हूं कि इनमें से अधिकतर यह सब नहीं चाहते। हमारे साथी पंजाब के गांवों में जा कर यह पता लगा सकते हैं, मैं कल ही पंजाब से आया हूं। वहां मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक स्थानों पर भाषण दिए। वहां इतनी वैमनस्य नहीं है जितना बताया जा रहा है। पर स्थिति खराब अवश्य है। ऐसी स्थिति पैदा करने वाले बहुत कम लोग हैं।

इस सम्बन्ध में मैं अनेक हाई कमान्ड और सरकार से भी कुछ सिफारिश करना चाहता हूं। परन्तु ऐसा करने से पहले, मैं एक-दो बातें आपकी मार्फत अकाली हाई कमान्ड तक विचार के लिए पहुंचाना चाहता हूं। उनसे मेरी अपील है कि वे अपराधियों की निन्दा करें, और ऐसा वे गोल-मोल ढंग से न करके स्पष्ट रूप से करें। हो सकता है कोई हिन्दू-सिख की हत्या करें और कोई सिख हिन्दू की, परन्तु निन्दा की जानी ही चाहिए। उन्हें उग्रवादियों की विशेष रूप से निन्दा करनी चाहिए। उन्हें यह भी पता होना चाहिए। बाहर के कुछ लोग ऐसा करने के लिए पैसा देते हैं।

दूसरे, गुरुद्वारों में अपराधियों को सरण नहीं दी जानी चाहिए। यदि वे अपने गुरुद्वारों की ही देख-भाल नहीं कर सकते फिर अनुच्छेद 25 में संशोधन करने का क्या लाभ। देश के अन्य सभी गुरुद्वारों को अपने अधिकार में दिए जाने की मांग करने का क्या लाभ, जबकि आप, उन्हीं गुरुद्वारों पर, नियंत्रण नहीं रख सकते जो आपके अधिकार में हैं। आप इस सीमा तक पहुंच गए हैं ? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने अपना समूचा जीवन अमृतसर में बिताया है। मैं प्रत्येक गांव और अमृतसर के कोने-कोने से परिचित हूं। हम प्रतिदिन प्रार्थना करने जाते थे। प्रार्थना करने जाने वालों में 80 या 70% हिन्दू होते थे। फूल और प्रसाद लिए बिना वे अपनी दुकान नहीं खोलते थे। और अब देखिए आपने स्थिति को कहां तक पहुंचा दिया है। हमारे भाई-चारे में कहीं कोई व्यवधान नहीं था। गुरुनानक से लेकर हमारे इतिहास में कभी हिन्दू सिख भेदभाव की सम्भावना ही पैदा नहीं हुई। अंग्रेजों ने भी इसका प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहे। परन्तु अब मेरे अकाली भाई अपने पर ही नियंत्रण नहीं रख पाए। अत: मेरी तीसरी अपील यह है कि स्वर्ण मन्दिर और गुरुद्वारों में कृपाण के अतिरिक्त और कोई घातक हथियार लाने की अनुमति न दें। पहले स्वर्ण मन्दिर में जाते समय यह पूछने की, प्रथा थी कि क्या कोई बन्दूक आदि तो नहीं है ? किसी के पास, ऐसा कोई हथियार होता था तो उसे बाहर रखकर रसीद दे दी जाती थी। अब उन्होंने हर मन्दिर साहिब को स्वचालित हथियारों से पाट दिया है।.....

श्री जो० एस० निहाल सिंहवाला (संगरूर) : यदि वे अपील न सुनें, तो आप क्या करेंगे ?

श्री आर० एस० स्पैरो : ऐसा न करने पर उन्हें अपना मार्ग ही अपनाना होगा।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : कौन जिम्मेदार है। सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बारी पर आप कह सकते हैं ?

श्री आर० एस० स्पैरो : मित्रवर कुछ देर संतोष करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बारी पर आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आये तब आप बोल सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं। इन सभी बातों के बारे में यदि आप सहमत नहीं हैं, और अगर सम्बन्धित सदस्य महोदय झुन जाते हैं तो, आप अपनी बात कह सकते हैं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा भली प्रकार चल रही है। कृपया उसमें विघ्न न डालें।

संसदीय कार्य, खेल, तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष पीठ की ओर, इस तरह चिल्लाना उचित नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनकी आदत है, उसे आप नहीं बदल सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बदलना नहीं चाहता। उसमें मैं असफल रहूंगा। इस सबका बुरा न मानें। कृपया बैठ जाएं।

श्री आर० एस० स्पैरो : किसी अन्य के विघ्न पैदा करने पर मुझसे नाराज न हों।

यदि वे मेरी अपील को नहीं मानने तो वे गलत रास्ते पर चलते हैं। मैं किसी के साथ जबर्दस्ती नहीं कर सकता।

मैं उनसे, एक बात यह और कहना चाहता हूं कि जब भी वे कोई आन्दोलन शुरू करते हैं, उसे अहिंसक रखने का वादा करते हैं, परन्तु बाद में वह उनके नियंत्रण में नहीं रहता। अत: क्या उनके पास उसे अहिंसक रूप में चलाने की क्षमता है। इसलिए वे उसे इस प्रकार आयोजित करें जिसमें वह हिंसक न हो उठे। क्या वे ऐसा कर सकते हैं ? अब मैं आपकी मार्फत अकाली भाइयों से कहना चाहता हूं कि सभी प्रकार के तनाव को समाप्त कर केन्द्र से बातचीत करें। मेरी यह बात वे मानेंगे !

अन्त में मेरी उनसे अपील है कि वे उग्रवादियों से अपने सम्बन्ध तोड़ ले। मेरी श्री लोंगोवाल से विशेष अपील है कि वे उग्रवादियों के प्रभाव से अपने को अगल करें।

मैंने अपनी ये पांच बाते उन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। सरकार से मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन सिफारिश करना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि जासूसी और गुप्तचरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

मुझे पूरा यकीन है। पहले ही बहुत कुछ हो रहा है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है। उस क्षेत्र में भी विशेषज्ञ हैं। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि कारिन्दे और जासूस हमारी आंखों में धूल झोंकने में अवश्य सफल हुए हैं। अत: हमें उस दिशा में और अधिक प्रयास करना होगा।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हमारी सरकार ने पंजाब की समस्या को हल करने के लिए बातचीत करने हेतु बहुत सोच समझ कर अपना दृष्टिकोण अपनाया तथा इसमें कोई कोताही नहीं की।

मेरा तीसरा प्रश्न कानून और व्यवस्था के बारे में है। में इस सम्बन्ध में भी सुझाव देना चाहता हूं हालांकि मैं समझता हूं कि इससे कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। इस दिशा में बहुत कुछ हो रहा है जिसका लोग इस समय अन्दाजा भी नहीं लगा सकते। अत: हमें कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करना होगा। इस के लिए हमें बहुत अच्छा प्रशिक्षण देना होगा तथा बढ़िया किस्म के उपकरण मुहैया करने होंगे। यह हमारे लिए सिरदर्दी का विषय बन रहा है जिसमें हमें सुधार करना होगा।

प्रो० मधु दंडवते ने एक बात का उल्लेख किया था। मुझे खेद है कि मुझे उस पर टिप्पणी करनी होगी। उन्होंने कानून और व्यवस्था के बारे में बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया है तथा वह ठीक भी था। वह सारा दोष सरकार पर और विशेषकर पुलिस पर मढ़ना चाहते थे। वह इस बात को भूल गये कि जब जनता पार्टी सत्ता में थी तब भी पुलिस ने कई बार ठीक काम नहीं किया था। यही नहीं, बहुत से राज्यो में तो पुलिस के लोग बागी भी हो गये थे। पंजाब में तो···

(व्यवधान)

मैं अपनी बात का खुलासा कर रहा हूं। उस समय भी यह एक गम्भीर समस्या बन गयी थी। उस दिशा में भी बहुत से प्रयास करने पड़े थे। मैं यह मानता हूं। (व्यवधान)। मुझे याद है कि पंजाब में 300 पुलिस कर्मियों को देशों की स्थिति उत्पन्न करने के लिए बहादुरगढ़ में रखना पड़ा था ताकि उनमें सुधार किया जा सके। वे तो बिल्कुल बागी हो गये थे। अत: हमें इन चीजों को सही संदर्भ में देखना चाहिए।

कुछ पुलिस कर्मियों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। पंजाब में तो उन्होंने निहायत अच्छा काम किया है। कुछ एक ने तो जी जान से काम किया।

प्रो० दण्डवते ने एक और बात कही है। मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा था कि आप को पद त्याग कर देना चाहिए तथा सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। परन्तु वह बात ठीक नहीं है। मान लो सरकार शात्ता छोड़ देती है, तो क्या वे सत्ता लेने को तैयार हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : पंजाब में ऐसी हालत थी क्या, जैसी अब है ?

श्री आर० एस० स्पैरो : आप स्पष्ट रूप से हां नहीं कह सकते, संविधान के अनुसार हां कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि जल्दी में यह कह देना सरकार से अलग हो जाओ ठीक नहीं है।

मैं समझता हूं कि कुछ विवादास्पद प्रश्न छोड़ दिए गए हैं किंतु इसकी कोई बात नहीं है। मैंने उनका उल्लेख कर दिया है।

अब मैं श्री चरण सिंह तथा अन्य नेताओं की फुर्ती से ले जाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आपका दल सत्ता में था तो माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरागांधी को कानून को जाने बिना ही अनौपचारिक रूप से फुर्ती से ले जाया गया था। छह घटे बाद मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि "आप वापस जा सकती हैं।" यह क्या बात हुई ? मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके ऐसी घटनाओं का हवाला न दें। यह मेरा सुझाव है, क्योंकि इस समय स्थिति बहुत नाजुक है। हमें इस समस्या का समाधान मिलकर करना है। प्रतिपक्ष से मेरा पुन: अनुरोध है कि यह ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जिससे किसी भी मामले को राजनीति का रंग न दिया जा सके।

हम सब को मिलकर समस्या का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। मैं इस लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि यह समस्या पंजाब की है। मैं पंजाब की खातिर तथा इस सुन्दर देश की एकरूपता की खातिर मैं यह सुझाव प्रतिपक्ष के सम्मुख रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठे- बैठे या मेरी अनुज्ञा के बिना कही गई बातों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये । यह मेरा सामान्य विनिर्णय है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को ताजा रखने के लिए इसे हर घंटे दोहराया जाना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : महोदय, आप भी इसमें सम्मिलित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, मैंने स्वयं यह कहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर प्रधान मन्त्री को यहां आने के लिए समय मिल ही गया । वास्तव में हमने कल ही चर्चा के लिए कहा था क्योंकि पंजाब को स्थिति बहुत ही गम्भीर है । मैं पंजाब में हो रही हिंसा तथा हत्याओं की निन्दा करता हूं । मेरे विचार में, इस देश में सभी देशभक्त भारतीयों को इसकी निन्दा करनी चाहिये । मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब में शासन आपका है ? क्या पंजाब में कोई सरकार है ?

एक माननीय सदस्य : भिंडरावाले ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरी समझ में नहीं आता कि एक दल, जिसका संसद में दो—तिहाई बहुमत हो और जिसे उस पर गर्व हो, यह कहे कि आन्दोलनकारी अपनी गतिविधियां बन्द कर दें जिससे स्थिति पर काबू पाया जा सके ? उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं, जब किसी सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को त्याग कर आंदोलनकारियों से कहा हो कि वे अपना आंदोलनकारियों से कहा हो कि वे अपना आन्दोलन बन्द कर दें, जिसमें वे देश पर शासन कर सकें ? क्या वे एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं ? परन्तु मेरे पास एक उदाहरण है । कांग्रेस दल ने अपनी जिम्मेवारी को त्याग दिया है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): नहीं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रति दिन हत्यायें हो रही हैं । लोगों को निर्दयतापूर्वक कत्ल किया जा रहा है । आप आज का समाचार पत्र देखें । पंजाब में अमृतसर में 10 व्यक्ति मारे गये हैं । सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? सत्ताधारी दल में अग्रणीय नेता, श्री स्पैरो ने क्या कहा है ? मुझे आशा थी कि समस्याओं के किसी हल या की जानेवाली कार्यवाही के बारे में प्रकाश डाला जायेगा ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : क्या आप कोई हल बतायेंगे ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हाँ, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिये । मैं आप को बताऊंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय गृह मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखें । यह बड़े दुख की बात है कि हमारे गृह मंत्री ने हिंसा और हत्याओं के बारे में यह वक्तव्य दिया है । वह अपने वक्तव्य के अन्त में यह कहते हैं, "जिन्होंने आंदोलन आरम्भ किया है उनको आतंकवादियों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयास करना चाहिये ।" शाबाश, इसे अभिलिखित किया जाना चाहिये । आप गृह मन्त्री हैं ।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हां यह अभिलिखित है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हां, इसे अभिलिखित किया जाये। इस देश के लोग जानते हैं कि आप की सरकार कैसे काम करती है। माननीय प्रधान मन्त्री जी, मेरे पास आपका निर्वाचन उद्देश्यपत्र है। "ऐसी सरकार बनाओ, जो कार्य करती हो"। सरकार पंजाब में कार्य कर रही है? क्या आप कार्य प्रधान मन्त्री हैं? क्या आपका दल कार्य कर रहा है जब संसद के एक ऐसे वर्तमान सदस्य की, जो आप के ही दल का है, हत्या की जा रही है?

आपकी अपील क्या है? अपील यह है कि स्थिति पर काबू पाने के लिए उन लोगों को आंदोलन बन्द करना चाहिये जिन्होंने उसे आरम्भ किया है। उन्हें बन्द करना चाहिये। परन्तु स्थिति पर काबू पाने तथा आतंक फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की मुख्य जिम्मेवारी तो आपकी है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो केवल उनसे अपील कर रहे हैं—किस से? अकाली नेताओं से। आप यह नहीं कह रहे हैं कि वहां पर उग्रवादी है और अकाली उग्रवादियों को अलग नहीं कर रहे हैं। यह करना आपका काम है। आपको यह करना चाहिये था।

श्री बूटा सिंह ने अभी कहा, क्या हमें संसदीय लोकतंत्र में विश्वास है अथवा नहीं। आप की जानकारी के लिए यह बता दिया जाये कि हमारा संसदीय लोकतंत्र में विश्वास है। उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उनको लोकतंत्र में विश्वास है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यह समाचार तो मुझे आप से मिला है। **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : खाने से चीज के स्वाद का पता चलता है। आपात की घोषणा हमने नहीं की थी। सौभाग्य से जो कुछ पंजाब में हो रहा है वह पश्चिमी बंगाल में नहीं हो रहा है। यह आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। उसका जिक्र कीजिये। आप पंजाब के बारे में सोचिये।

आप विवरण को पढ़ें, उसमें कहा गया है:

> "सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति और सिखों के अन्य प्रतिनिधियों तथा विधिक विशेषज्ञों से बातचीत करने तथा इस मामले के बारे में शंकाओं को दूर करने के लिए आवश्यक विधान बनाने के लिए तैयार है।"

मैं गृह मन्त्री से जानना चाहता हूं : क्या प्रतिपक्षी दल हैं भी कि नहीं? क्या प्रतिपक्ष के नेता मर गए हैं? आपका इस बारे में क्या विचार है? क्षेत्रीयमामलों चंडीगढ़ और जल विवाद को निपटने के लिए त्रिपक्षीय बैठकों में विपक्ष ने भी भाग लिया था। उन्होंने अपना सहयोग दिया और उद्देश्यपूर्ण बातचीत हुई। परन्तु जब आप संविधान के अनुच्छेद 25 का संशोधन करने के प्रश्न को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेते हैं, तो आप प्रतिपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाते और न ही संसद में आते हैं.....

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी): संशोधन तो सभा में ही पेश करना पड़ेगा और आप की राय भी जाननी पड़ेगी।,

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रतिपक्ष के साथ सलाह करने के बारे में स्थिति क्या है? एक संसदीय लोकतंत्र में आप पहले निश्चय कर लेते हैं और फिर सभा में आते हैं। या तो आप कहें कि आपको प्रतिपक्ष की सेवाओं की जरूरत नहीं है या आप कहें कि हम प्रतिपक्ष से तभी बातचीत

करेंगे जब ऐसा करना राजनैतिक तौर पर हमारे लिए फायदेमन्द होगा या जब हमें अपने संकुचित राजनैतिक उद्देश्यों के लिए प्रतिपक्ष से लाभ उठाना होगा। अन्यथा हम उन्हें नहीं बुलाएंगे।

मुझे यह स्वीकार करना चाहिये और राष्ट्र को भी यह जानना चाहिये कि हिंसा तथा उग्रवादियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सभी प्रतिपक्षी दलों ने सहयोग देने का प्रस्ताव किया। यद्यपि हमने पंजाब को एक उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने पर आपत्ति की है, तथापि हमने आप से अनेक बार कहा है कि आप उन से सख्ती से पेश आयें। प्रतिपक्ष के हम लोग आप को स्थिति पर काबू पाने और हिंसा को समाप्त करने के लिए पूरा सहयोग देंगे। क्योंकि सरकार तथा इस संसद् के सदस्यों का मुख्य कर्त्तव्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परन्तु आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में असफल रहे हैं। हमने आप को कहा था कि आप उग्रवादियों के साथ सख्ती बरतें। परन्तु आप ऐसा नहीं कर सके। तब क्या हुआ ? आप धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्री मांगों के मामले में 2 वर्ष का इतना लम्बा समय लेते हैं। जबकि धार्मिक मांगों के बारे में आप दो मिनट में अपना निर्णय दे देते हैं। प्रतिपक्ष वालों को पूछते तक नहीं। क्यों ? क्या आप नहीं समझते कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है ? संविधान के अनुच्छेद का संशोधन करने के मामले पर प्रतिपक्ष को भी विश्वास में लिया जाना चाहिये। यह विवरण में दिया गया है। आप को चाहिए था कि आप प्रतिपक्ष से सलाह करते। यदि प्रतिपक्ष के सलाह किये बिना ऐसा संशोधन कर दिया जाता है, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा ? मैं कानूनी बातों को नहीं ले रहा हूं। परन्तु मैं समूची सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान सभा में जब चर्चा हुई थी तब क्या हुआ था। संविधान की रचना करने वालों ने इन साम्प्रदायिक और धार्मिक मामलों पर पूरा विचार किया था। इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की गई थी और ये अनुच्छेद विशेषकर अनुच्छेद 25 से 30 संविधान में सम्मिलित किये गये थे। हमारा एक ऐसा समाज है जिस में कई धर्म हैं और इसलिए ये सभी मामले संविधान सभा में उठाये गये थे। आज आप को इस पर तथा इसके परिणामों पर विचार करना होगा। क्या इससे स्वीय विधि में भी परिवर्तन करना होगा ? हिन्दुओं ने शास्त्र सम्बन्धी विधि की मांग का, त्याग किया था आप जानते हैं। मैं इस की अच्छाई या बुराई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। यह आप जानें, क्योंकि आपने वचन दिया था। इन सभी बातों पर विचार किया जाये क्योंकि वे इससे कुछ समस्याएं जुड़ी हैं।

पंजाब में अब शासन केन्द्रीय सरकार का है। हमारी प्रधान मंत्री कहती रही हैं कि भारत में केन्द्र बहुत मजबूत होना चाहिये। यह सच है। जो उसे काम सौंपा गया है, उस मामले में केन्द्र मजबूत होना चाहिये। पंजाब इस समय एक मजबूत केन्द्र के अधीन है। आप को शासन की बागडोर सम्भाले छह मास हो गये हैं। क्या स्थिति में कोई सुधार हुआ है ? स्थिति बहुत ही अधिक बिगड़ गई है। आपने आश्वासन दिया है। परन्तु हो क्या रहा है ? हिंसा और हत्यायें हो रही हैं। आप का क्या करने का विचार है ? आप कृपया सभा को बतायें कि आप क्या करना चाहते हैं। आपने अपने विवरण में यह नहीं बताया कि आप क्या उपाय करने जा रहे हैं। या तो आप कहें कि यह हमारी जिम्मेदारी है।

(व्यवधान)

यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह आप की जिम्मेदारी है। यदि कलकत्ता में कोई पुलिस अधिकारी मरता है, तो पश्चिमी बंगाल की सरकार आप को रिपोर्ट भेजती है और आप उसकी मांग भी करते हैं।

इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य पंजाब में मर जाता है, तो आप क्या करेंगे ? यह किस की जिम्मेदारी है। आज प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। कृपया इस सभा को बताइये कि आप क्या करने वाले हैं। आप या तो यह बतायें "हम यह करने जा रहे हैं, ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं" अथवा आप कहें "हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। हम स्थिति पर नियंत्रण करने में अक्षम हैं।" आप सारे राष्ट्र को अपने विचार बतायें। आप इस मामले से बचने का प्रयास मत कीजिये। आप ने पहले ही दो वर्ष का समय लगा दिया है। लोग मर रहे हैं और सारी स्थिति साम्प्रदायिक रूप लेती जा रही है।

शुरू में सारा आन्दोलन कुछ लोकतांत्रिक मांगों, अर्थात चंडीगढ़ और तब फाजिल्का तथा जल से शुरू हुआ। आप ने पहले ही धार्मिक मांगों को स्वीकार कर लिया है। अब वहां कोई समस्या नहीं है। मैं आप से पूछता हूं : यदि आप चंडीगढ़ पंजाब को दे देते हैं जैसा कि आप ने वचन दिया हुआ है, तो क्या चंडीगढ़ भारत से बाहर कहीं और चला जायेगा ? क्या आप चंडीगढ़ किसी दूसरे देश को देने जा रहे हैं कि आप को इतने अधिक समय की आवश्यकता है ? क्या हरियाणा के लिए नई राजधानी का निर्माण नहीं कर सकते हैं ? क्या आप पंजाब को चंडीगढ़ नहीं दे सकते और इस मामले का समाधान नहीं कर सकते ? ऐसा लगता है जैसा कि आप किसी दूसरे देश को चंडीगढ़ देने जा रहे हैं और कि आप को इतनी अधिक बातचीत करने और इतना अधिक समय लेने की आवश्यकता है। वास्तव में चंडीगढ़ को पंजाब को दे देने की मांग पंजाब के लोगों हिन्दुओं तथा सिखों दोनों की हो। और आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। आप कहते हैं कि दूसरों से परामर्श करना है।

किन्तु जब आप धार्मिक मांग के बारे में कहते हैं, तो क्या आप ने इस बारे में दूसरे से परामर्श किया था ? आप आसानी से उस से सहमत हो गये थे।

मेरी राय में वास्तव में पंजाब में कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। आप चंडीगढ़ के सम्बन्ध में निर्णय लीजिये क्योंकि यह सारे पंजाब की मांग है और उसके पश्चात आप को पंजाब में उग्रवादियों के साथ दृढ़तापूर्वक निपटना चाहिए।

मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि आरम्भ में अकाली नेताओं ने लोकतांत्रिक मामलों के सम्बन्ध में आन्दोलन शुरू किया था किन्तु अब मुझे देखकर अत्यन्त आश्चर्य हो रहा है कि अब सारी बात एक ही बात पर अटक गयी है और वह है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 का संशोधन कर दिया जाये। क्यों ? इस के कारण क्या हैं ? उसकी ओर ध्यान देना होगा। उनकी मांग में परिवर्तन क्यों हुआ है ? मुख्य मांगें क्या थीं जिनके साथ उन्होंने अपना आन्दोलन शुरू किया था ? आरम्भ में उनकी मुख्य मांग संविधान के संशोधन की नहीं थी। शुरू में पंजाब की मुख्य मांग धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक थी और सभी विरोधी दलों ने उनकी मांगों का समर्थन किया था। किन्तु आज मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है। उदार अकाली नेता इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में इसे

एक मुख्य मामला बना करके धर्म को सब से आगे लाकर उग्रवादियों के हाथों में खेल रहे हैं। मैं अकाली नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे न केवल हिंसा की निन्दा करें बल्कि यह उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है क्योंकि उन्होंने इस आन्दोलन को शुरू किया, किन्तु वे उग्रवादियों द्वारा की जा रही इस हिंसा के विरुद्ध कार्य भी करें। अकाली चाहते हैं कि पुलिस गुरुद्वारों में प्रवेश न करे, यह अच्छी बात है। किन्तु उन्हें गुरुद्वारे में ऐसी परिस्थितियां भी पैदा करनी चाहिये जहां उनमें पुलिस के प्रवेश करने की आवश्यकता ही न रहे। यह उनकी जिम्मेदारी भी है। उन्हें हिन्दुओं और सिखों की एकता के लिये भी काम करना चाहिए न कि उनमें फूट डालने के लिए। आखिरकार हमारा संविधान क्या कहता है? यह देश के भ्रातृत्व, एकता और अखण्डता ही है जिसे हमारे संविधान के निर्माता सुरक्षित रखना चाहते थे। इसी कारण से सभी अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी थी। इसे सुरक्षित रखना है। हम वर्षों तक एक साथ लड़ते रहे। मेरा ध्यान जलियांवाला बाग की ओर जाता है जहां मुसलमान, हिन्दु, सिख तथा ईसाई मरे थे; वे हमारे देश की एकता तथा अखण्डता के लिए मरे थे। साम्प्रदायिक हिंसा की आग को भड़काने के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए राष्ट्र को हिन्दू, सिख, मुस्लिम मतों के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए।

हमारे धार्मिक मतभेद हैं, किन्तु एक राष्ट्र के रूप में हम एक हैं। इसी कारण से अकाली नेताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्री भिंडरावाले के हाथों में न खेलें। यह नोट करके प्रसन्नता होती है कि एक भेंट में श्री लोंगोवाल ने हिंसा की निन्दा की है और उन्होंने कहा है। कि वह इससे विरुद्ध हैं। किन्तु श्री भिंडरावाले ने, यह नोट किया जाये, उस भेंट में कहा है कि सिख धर्म प्रतिशोध पर निर्भर करता है। यह सर्वथा गलत बात है ऐसी बात नहीं है। श्री भिंडरवाला सिख धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं और वे सभी हिंसात्मक कार्यों को उचित कहते हैं। अतः, मैं उदार अकाली नेताओं, श्री लोंगोवाल तथा दूसरों से अनुरोध करूंगा कि वे हिंसा की निन्दा करें, हिंसा का विरोध करें तथा हिन्दू-सिख एकता के लिए कार्य करें। (व्यवधान) वे सुझाव चाहते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। जब तक उन्हें विवश ही न कर दिया जाये तब तक वे किसी कारण को नहीं देखते हैं।

मैं अपने दल की ओर से कह सकता हूं कि आपको चण्डीगढ़ पंजाब को दे देना चाहिए। आप अपने वक्त पर दृढ़ रहिये। आप हरियाणा अथवा किसी अन्य राज्य को इस मामले में मत लाइये। जब आपने बम्बई महाराष्ट्र को दिया था। आप ऐसा कैसे कर सके थे? (व्यवधान)। आपको अपने विचार का अधिकार है। मैं एक समाधान का सुझाव देना चाहता हूं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आपने महाराष्ट्र को बम्बई नहीं दिया था। वहां भी विवाद थे। विवाद तो होते ही हैं और इन्हें निपटाया जाना होता है। हरियाणा के लोगों को बता दिया जाना चाहिए। 'इसे पंजाब के लिए बनाया गया था, हम आपके लिए एक नई राजधानी का निर्माण करेंगे।' यह बेहतर होगा सारा भारत देश की एकता के लिए इस वित्तीय त्याग करेगा, ताकि ये दोनों राज्य न लड़े। यह सरल बात है। जब तक कि आपके और कुछ विचार न हों, तब तक कोई कठिनाई क्यों हो? मुझे माननीय प्रधान मंत्री को याद कराना चाहिए कि राजनीतिक सूझबूझ निर्णय लेने में निहित है। किन्तु ये निर्णय लेने ही पड़ते हैं। मैं कहूंगा कि वास्तव में मेरे मन में एक सन्देह है। उग्रवादी हिंसा में लगे हुए हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार का रवैया ऐसा है

जैसा कि वे दर्शक हैं। यह एक बहुत बड़े खेल का ही अंशमात्र ही है क्योंकि उग्रवादी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिनमें लोकतंत्र काम नहीं कर सकता है और कुछ ऐसे नेता भी हो सकते हैं जो यह देखने में रुचि रखते हों कि भारत में लोकतंत्र काम न करे। भिंडरावाला वही कुछ कर रहा है जो शासक दल चाहता है कि वह करे···

कुछ माननीय सदस्य : आप गलत कह रहे हैं।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, कुछ जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वे क्रुद्ध हो रहे हैं। यह ठीक है। किन्तु जब विरोधी पक्ष के हम सदस्य भिंडरावाले की ठीक-ठीक आलोचना करते हैं तब सरकारी पक्ष का कोई भी सदस्य भिंडरावाले की आलोचना क्यों नहीं करता है ?···(**व्यवधान**)···आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं···(**व्यवधान**) मुझे अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है···(**व्यवधान**) मैं अपनी बात अवश्य कहूंगा। आपको अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है।

शासक दल का लक्ष्य अकालियों को कुचलने का था। यही कारण था कि कुछ अधिक उग्र तथा धार्मिक नारों से भिंडरावाले ने राजनीतिक रूप से अकालियों की बदनामी हो गई क्योंकि शासक दल में अकाली दल को सबसे अधिक शक्तिशाली विरोधी दल मानता है। वहां शासक दल उन्हें चुनौती दे रहा है और इसलिए इसने इस भिंडरावाले को बढ़ावा दिया है। शासक दल उन्हें गतिविधियों को जारी रखने दे रहा है। वास्तव में वे वहां अपनी असमर्थता जता रहे हैं, किन्तु इसके पीछे एक उद्देश्य है। ऐसा चुनाव तक होता रहेगा। इसका उद्देश्य हिन्दुओं को आतंकित करना है ताकि सत्तारूढ़ दल को हिन्दुओं के वोट मिलें तथा इस प्रकार आप सिखों में फूट डालेंगे। आज सत्तारूढ़ दल ने फूट डालने और शासन करने की नीति को अपना लिया है। यही कुछ सत्तारूढ़ दल अन्यत्र भी कर रहा है। बंगाल में उन्होंने उत्तरखंड का समर्थन किया···(**व्यवधान**)। अभी उसी दिन ही आपके एक सदस्य ने मांग की थी···

उपाध्यक्ष महोदय : यह बेहतर होगा कि हम राजनीतिक तथा दलगत मामलों आदि से बचें। यह एक सामान्य चर्चा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्हें इस बात को अवश्य ही जानना चाहिए। अभी उस दिन आपके एक सदस्य ने···(**व्यवधान**)। कैसा समाधान ? जब तक हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। उन पर अवश्य ही राजनीतिक आक्रमण किया जाना चाहिए क्योंकि वे किसी प्रकार का समाधान नहीं चाहते हैं। किसी प्रकार टीका-टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। मुझे अपने विचार का व्यक्त करने का अधिकार है। मैं उनकी प्रशंसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यहां लोकतंत्र है। विरोधी पक्ष में होते हुए मुझे स्वतन्त्रता प्राप्त है कि मैं अपने दल के विचार प्रस्तुत करूं। कुछ इसे पसन्द कर सकते है और कुछ इसे पसन्द नहीं भी कर सकते।

अभी हाल ही में आपके एक सदस्य ने पश्चिम बंगाल से कुछ क्षेत्रों की मांग की थी। मैंने इसका विरोध किया था, किन्तु आपके दल से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया···(**व्यवधान**)। आप क्या कर रहे हैं ? आप देश का विभाजन करने जा रहे हैं। आप धर्म, भाषा तथा आदि-आदि के आधार पर देश का विभाजन करने जा रहे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आर्थिक मोर्चे पर आपकी असफलता के कारण···

आप अपनी असफलता के कारण अब देश का विभाजन करने तथा सत्ता में रहने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आपकी ओर से गम्भीरता का अभाव है···(**व्यवधान**)। मैं समझता हूं कि उनके लिए सच्चाई का सहना बहुत ही कठिन है···(**व्यवधान**)।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, यह प्रश्न काल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मान रहे हैं।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : माननीय सदस्य यह कह कर के कांग्रेस (ई) पर दोष लगा रहे हैं कि यह कांग्रेस (ई) ही है जो भिंडरावाले को महत्व दे रही है। किन्तु क्या यह सच नहीं है कि विरोधी पक्ष के नेता जाते रहे हैं और भिंडरावाले के साथ मेलजोल रखते रहे हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : भिंडरावाला यहां हथियार लेकर खुला फिरा था दिल्ली में, और उसे अरेस्ट नहीं किया गया।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमारा भिंडरावाले से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। उनकी सूचनार्थ हमारे दल के लोगों को भिंडरावाले के लोगों के द्वारा सताया जा रहा है—हम देश में साम्प्रदायिक शान्ति के लिए लड़ रहे हैं···(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उनके दल के लोगों पर भी आक्रमण किये जा रहे हैं। कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिये।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं सत्तारूढ़ दल से अनुरोध करूंगा कि चूंकि वे देश पर शासन कर रहे हैं; यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वे देश पर शासन कर रहे हैं, किन्तु मुझे इस तथ्य को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए—संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि वे लोगों की जान तथा माल की रक्षा करें। यह सबसे प्रथम बात है तथा दूसरी बात यह है कि वे इस समस्या के समाधान के लिए पग उठायें। इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया था कि उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे देश की एकता तथा अखण्डता खतरे में पड़ जाये। मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया था कि वे विरोधी पक्ष से बातचीत तथा चर्चा करें तथा उसके बाद कोई समाधान ढूंढ निकालें और यह सुनिश्चित करें कि उग्रवादी राजनीतिक रूप से अलग-थलग रह जायें। महोदय यह एक कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है। (**व्यवधान**)। आप लोग कोई भी समाधान ढूंढ निकालने में समर्थ नहीं रहे हैं। किन्तु महोदय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्हें उग्रवादियों को राजनीतिक रूप से अलग-थलग कर देना चाहिए और आप हर प्रकार से समाधान करने का प्रयास करें और हिंसा का दमन करें तथा लोगों को आश्वासन दें कि आप जान तथा माल की रक्षा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

प्रो० के० क० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं संसद में इस महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहा हूं। उग्रवादियों की हिंसा की घटनाओं तथा विपक्ष के सदस्यों के रूख से मेरे हृदय को भारी दुःख पहुंचा है।

महोदय, मुझे आशा थी कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जहां राष्ट्र की एकता खतरे में है और जिससे हमारी सम्पूर्ण राष्ट्रीय विचारधारा भी, जिस बारे में प्रो० दण्डवते ने बहुत अच्छे भाषण दिए हैं, आज खतरे में हैं। ये माननीय सदस्य जो राष्ट्रीय दलों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, कम से कम स्थिति के बारे में संगत बातें करेंगे और अन्ततः समस्या को हल करने में सहयोग देंगे। श्रीमान्, यह एक गम्भीर विषय है। मेरे दल और हमारे नेतृत्व पर श्री चक्रवर्ती द्वारा शुरू किए गए इन घातक अभियानों से मैं वस्तुतः उत्तेजित अनुभव कर रहा हूं। फिर भी मैंने अपने को रोके रखा है और मैंने प्रत्युत्तर में उन पर कोई आरोप नहीं लगाया क्योंकि मैं चर्चा को संगतबनाना चाहता हूं। मैं निःस्वार्थ रूप से अपनी बात कहूंगा। महोदय, उन्हें यह बात शोभा नहीं देती कि एक ओर तो वह स्वतन्त्रता के बारे में और देश की एकता के बारे में बात करें और दूसरी ओर यह कहे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का नेतृत्व तथा कांग्रेस (इ) इस वर्तमान आंदोलन के लिए उत्तरदायी हैं और इस देश के विभाजन के लिए भी योगदान दे रही हैं। क्या उनका यह कथन कि हम इस देश में भिंडरावाले उत्पन्न कर रहे हैं और हम इस देश के लोकतंत्रात्मक ढांचे को खतरे में डाल रहे हैं, कितना असत्य है?

महोदय, यदि मैं उनकी पार्टी द्वारा किये गये कृत्यों को एक-एक करके गिनाऊं तो वह कैसा अनुभव करेंगे। यह एक मामला है जिसे मैं कानून और व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं लूंगा। मैं इसे व्यापक रूप में लूंगा। भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा आज स्वतन्त्रता के बाद सबसे अधिक खतरे में हैं। श्रीमान्, क्या यह सच नहीं है कि जब हम स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए भारत के लोगों के लिए युद्ध कर रहे थे और जब हम साम्राज्यवादियों तथा उपनिवेशवादियों के विरुद्ध पूरे संसार में संघर्ष कर रहे थे, तब उनकी पार्टी**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय यह **संसदीय है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उनके दल की तरह हमारा कोई**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा। मैंने कहा है कि यदि कोई असंसदीय बात होगी तो हम उस पर विचार करेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : वे इस देश में ब्रिटिश शासन के दौरान उनके पूरे सहयोगी थे। महोदय, आपके माध्यम से तथा इस सम्मानित सदन के माध्यम से मैं भारत के लोगों से चौथे दशक के प्रथम चरण की याददाश्त ताजा करने को कहता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमान्, यह पंजाब के बारे में नहीं बोल रहे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : वह मान नहीं रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप कृपा करके उन्हें नियंत्रण में रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समय दिया जाएगा तब आप जो कुछ कहना चाहें, कहें।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमान्, उनका इतिहास संदेहास्पद है।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती जी जब आपको समय मिलेगा, तब आप अपनी बात कह सकते हैं। उनको अपना भाषण जारी रखने दें।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि वे हमारे दल पर, जिसका सदस्य होने का मुझे गर्व है, घातक हमला करते हैं, तो हम भी जवाबी हमला करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों से प्रश्न करूंगा कि क्या साम्यवादी दल ने ब्रिटिश शासन के दौरान मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं किया था ?

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : यह आपका दल था। हमारा नहीं। आप इतिहास नहीं जानते।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं केवल प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती से अनुरोध करूंगा कि वह एक प्रोफेसर हैं। और इन बातों को ध्यान में रखें। वह मेरे अच्छे मित्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी प्रोफेसर हैं। दोनों प्रोफेसर हैं। मैं प्रोफेसर के भाषण में गल्ती नहीं निकाल सकता, यही समस्या है।

प्रो० के० के० तिवारी : पंजाब की समस्या एक गंभीर समस्या है। मैं प्रो० दण्डवते से उम्मीद करता था कि वह श्रीमती गांधी पर दिन प्रतिदिन आरोप लगाने बंद करेंगे। उनके लिए मेरे हृदय में अत्यधिक सम्मान है। दुर्भाग्यवश उन्होंने ज्वलन्त बातों के उदाहरण दिए हैं, तथा गांधीजी की परम्परा के संरक्षण की बात की है तथा राष्ट्र की एकता को बनाए रखने की वांछनीयता का उल्लेख किया है। परन्तु उन्होंने श्रीमती गांधी और कांग्रेस (इ) पर आरोप लगाए हैं। उनके पूरे भाषण की यही बात है। व्याप्त समस्या, जो कि इस समय पूरे राष्ट्र की नींव को हिला रही है, का समाधान खोजने में योगदान देना उनका उद्देश्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले हुई एक चर्चा के विषय में याद दिलाना चाहूंगा। पहले की चर्चा में मैंने प्रोफेसर दण्डवते द्वारा लाये गए स्थगन प्रस्ताव पर भाग लेते समय कहा था। भारतीय साम्यवादी पार्टी तथा भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) जैसी पार्टियां, श्री वाजपेयी तथा देश के भीतर तथा बाहर उनके ग्रुप की दूषित योजनाओं की शिकार बन रही हैं। महोदय, प्रोफेसर चक्रवर्ती ने एक बात का उल्लेख किया है।

श्री मनीराम बागड़ी : श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। वह इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमान्, ये शक्तियां सक्रिय क्यों है ? हमें इनका विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए। इन बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम पंजाब के बारे में बातचीत करते हैं, जो कि एक बड़ी बीमारी का चिन्ह है, एक बड़ा खतरा हमें चुनौती दे रहा है। मैं प्रो० चक्रवर्ती और उनके मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा कांग्रेस (इ) के विरुद्ध एक घातक अभियान चला रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, हम फूट उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हिन्दू और सिखों में भेदभाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिन्दू मत हमें मिल सकें। इसलिए, राष्ट्र के हित में, कम से कम थोड़ी देर के लिए ईमानदारी से इस बात पर विचार करिए कि क्या इतने वर्षों से कांग्रेस (इ) हिन्दू मतों

पर निर्भर करती आ रही है ? 1952 से भारतीय जनता पार्टी को, जो इससे पहले जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठजोड़ थी को तथा उनके सभी मित्रों को हम धर्म निरपेक्षता तथा प्रगतिशील लोगों के समर्थन के आधार पर बार-बार हराते रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की महान् परम्परा, गांधी जी की महान् परम्परा, नेहरू जी की महान् परम्परा, तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी जो कि आज भारत की सबसे महान् नेता हैं, के नेतृत्व का समर्थन किया है। भारत को आज निन्दक अभियान की जरूरत नहीं है अपितु श्रीमती इन्दिरा गांधी का दृढ़ और महान् नेतृत्व की आवश्यकता है जिसे कि हमें बनाए रखना चाहिए और आज हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री हैं।

(व्यवधान)

इसलिये, पंजाब एक गंभीर समस्या है और श्री अग्रवाल आप इन महत्वपूर्ण मामलों पर मेरी बात स्वीकार करें। मैं केवल उस अफवाह का खण्डन करूंगा, विशेषत: इस अफवाह का जिसे कि विपक्ष में सभी महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा फैलाया जाता है अर्थात् श्रीमती इन्दिरा गांधी बढ़ावा देकर इसे पैदा कर रही हैं ताकि हिन्दू डरकर उनकी पार्टी को समर्थन दें। मेरा कहना है कि यह सर्वथा झूठ है, तथा मेरा आरोप है कि यह विघटनकारी तत्वों, फासिसवादी तत्वों, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी शक्तियों तथा नये उपनिवेशवादी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है, की शरारत है जो भारत को विघटित करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध वातावरण बना रहे हैं। ऐसी हालत में उनकी साधारण नीति है कि यदि श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिभा को समाप्त कर दिया जाता है तो पूरे भारत को खण्ड-खण्ड किया जा सकता है। वे लोग यह अनुभव करते हैं कि ऐसा श्रीमती इन्दिरा गांधी को कमजोर करके ही किया जा सकता है। अत: देश में जानबूझ कर ऐसी अफवायें फैलाई जाती है। इस तरह की मांग करने के लिए हमारी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाने के लिये इस सभा का उपयोग किया जाता है।

2.00 म०प०

मैंने शुरू में बताया था कि पंजाब एक बड़ी बीमारी का चिन्ह है। पंजाब में क्या हो रहा है। प्रोफेसर चक्रवर्ती और प्रोफेसर दण्डवते दोनों ही मेरे वरिष्ठ साथी हैं। हम सबका एक ही व्यवसाय है। मैं उनसे पूछता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तिवारी जी क्या एक ही व्यवसाय का अर्थ प्रोफेसरशिप है ?

प्रो० के० के० तिवारी: मैं सोद्देश्य ही, आरोपों से बच रहा हूं। प्रोफेसर दण्डवते लोकतन्त्र की बात कर रहे थे। प्रोफेसर सत्यसाधन भी लोकतन्त्र की बात कर रहे थे। लोकतन्त्र और सत्यसाधन, लोकतन्त्र और उसका दल एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तीसरे विश्व में हमने लोकतंत्र को उतना प्रोत्साहन दिया है जितना कहीं और नहीं दिया गया। यदि भारत की लोकतन्त्रात्मक संस्थाएं बनी रहती हैं और यदि सत्यसाधन की पार्टी बनी रहती है, तथा उन्नति कर रही है, और सत्ता का जिस तरह चाहें प्रयोग करने में स्वतन्त्र हैं, तथा जो उस प्रणाली को कुचल सकती है जिसने उसे स्वतन्त्रता की गारंटी दी है, तो इन सब बातों का श्रेय महान् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही है।

मैं एक बार फिर से श्री सत्यसाधन को लोकतन्त्र के प्रकार के बारे में जिसकी वे बात कर रहे हैं—का स्मरण दिलाना चाहता हूं। हमारा देश लोकतन्त्रात्मक है। इसी सदन में हमारे पास श्री बीजू पटनायक हैं।

इस लोकतन्त्र के द्वारा दी गई स्वतन्त्रता की सीमाओं को देखिए। समस्त संसार को इस बात को जानना चाहिए।

श्रीमान् बीजू पटनायक यहां आए। श्री जियाउल-हक के मजलिस-ए-सेराह के चंदेक लोग भी श्री जिया-उल-हक की ओर से भारतीय संसद की सभा का उपयोग करते हुये इस प्रकार का विषाधार प्रचार नहीं करती**

प्रतीत हुआ कि श्री जिया-उल-हक के अधिकार से सम्यक् रूप से अवगत एक** प्रतिविधि विपक्ष की ओर से बोल रहा था। यह प्रजातंत्र की सीमा है। हमें ऐसी स्वतन्त्रता प्राप्त है।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : यह क्या है? श्रीमान्!

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें स्वतन्त्रता है। इन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : वे इस प्रकार सदस्य का नाम कैसे ले सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कहते हैं, उस पर यदि आपको आपत्ति है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमान्, एक संसद सदस्य ऐसा कैसे कह सकते हैं?

श्री सतीश अग्रवाल : इस तरह के आरोप लगाने की आप कैसे अनुमति दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखकर पता लगाऊंगा कि क्या यह आपत्तिजनक है?

प्रो० अजित कुमार मेहता :**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं रिकार्ड देखूंगा। यदि यह अपमानजनक अथवा आपत्तिजनक हो तो हम इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : *** रिकार्ड को देखने का प्रश्न कहां है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है मैं रिकार्ड देखूंगा कि क्या उन्होंने यह कहा है?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं वह विषय से सम्बद्ध होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप विषय तक ही सीमित रहें। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए इसे पढ़ रहा हूं। यह चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत है। इसमें कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत "अकालियों की मांगों" से सम्बन्धित है। विषय यह है। तिवारी जी कृपा करके आप अपने विषय तक सीमित रहें।

प्रो० अजित कुमार मेहता : उस टिप्पणी के बारे में क्या स्थिति है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कार्यवाही मैं करने जा रहा हूं वह मैंने श्री वाजपेयी जी को बता दी है। मैंने उन्हें सूचित किया है। वे सन्तुष्ट हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि वह क्या विषय पढ़ाते हैं ? क्या वे असंगतता के प्रोफेसर हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रोफेसर दण्डवते ने मांगों का उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत टिप्पणियों और व्यक्तिगत आरोपों से बचना अच्छा होता है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं केवल भाषण का उल्लेख कर रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों से बचना अच्छा है। यह अच्छा है। मैं यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए कह रहा हूं। चाहे प्रोफेसर सत्यसाधन हो या प्रोफेसर तिवारी। मेरा तात्पर्य व्यक्तिगत उल्लेख से है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं विरोधी नेताओं से पूछना चाहूंगा कि आजकल अकालियों की ठीक-ठीक मांगें क्या हैं ? **(व्यवधान)**

उनके कहने पर वार्ताओं की व्यवस्था की गई जिसमें सभी तीनों पक्षों—विपक्ष के प्रतिनिधियों अकालियों के प्रतिनिधियों तथा सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और उससे पहले, प्रधान मंत्री, श्रीमती गांधी, कह रही थीं कि पहले हमें यह विश्वास होना चाहिए कि क्या अकाली अपनी मांगों के विषय में दृढ़ हैं, क्या वे अपनी मांगों को प्रस्तुत करने में स्वतन्त्र हैं तथा बिना किसी डर के सरकार को अपने सुझाव दे सकते हैं। विरोधी दलों के लोगों ने जोर डाला और वे कह रहे थे कि श्रीमती गांधी पंजाब के विषय को सुलझाने की इच्छुक नहीं है, इसलिए सरकार द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है। उन सभी ने भाग लिया है। अचानक, आर्थिक मांगों के स्थान पर सब कुछ बदल गया है। अकालियों के बीच कोई भी व्यक्ति अथवा अकाली नेता जल-विवाद के विषय में नहीं बोलते। किसी ने सीमा विवाद के बारे में नहीं कहा। किसी को याद नहीं है कि चंडीगढ़ कहां जाएगा अथवा चण्डीगढ़ कहां है ? अब हर व्यक्ति अनुच्छेद 25 के बारे में बात कर रहा है। योग्य व्यक्ति अनुच्छेद 25 की महत्ता को जानते हैं।

मैं विपक्ष पर आरोप लगाता हूं कि शिकारी कुत्ते के साथ हिरण का पीछा करने सम्बन्धी उनके दर्शन के फलस्वरूप ही यह अव्यवस्था पैदा हुई है। अब वे संविधान को जला रहे हैं। मैं केवल गम्भीरता से सोच रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि वे क्या मांग रहे हैं ? उनकी मांगें रखी गई मांगों से काफी अधिक हैं।

इसलिए, यह आपका उत्तरदायित्व है। यह विरोधी दल के लोगों का उत्तरदायित्व है जिन्होंने अकालियों पर बहुत अधिक विश्वास किया है। जब सरकार ने कहा कि अकालियों को अन्तिम रूप से, अपनी कम से कम मांगों को, तैयार करने दें, तब उन्होंने कहा कि सरकार पीछे हटने की कोशिश कर रही है। जब सरकार सहमत हो गई तब अकालियों ने बातचीत की। बाद में वे वापिस गए और दूसरी मांगों को अलग से लेकर आए। अब वे पूरी तरह से नई बात कहते हैं आनन्दपुर साहिब संकल्प की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, प्रोफेसर दण्डवते, आनन्दपुर साहिब संकल्प से आपको केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों के बारे में बातचीत करने

की प्रेरणा कैसे मिली। क्योंकि यह साधारण मांग नहीं है। वे केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के मामले को वे मौन रूप से उठा रहे थे। लेकिन आनन्दपुर साहिब संकल्प तथा अनुच्छेद 25—अब अकालियों की मूल मांगें हैं। मैं नहीं जानता। उन्होंने कई दिन और कई सप्ताह भिंडरावाले तथा श्री लोंगोवाल की कपटपूर्ण संगत में बिताए हैं। प्रो० दण्डवते जनता पार्टी के नेता हैं। उसके उप नेताओं में से एक भिण्डरावाले से मिलने के लिए स्वर्ण मन्दिर जा रहा है। कम से कम उन्हें अपनी पार्टी के रवैये को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे भिंडरावाले के साथ हैं, इसलिए यह विरोधी पक्ष का उत्तरदायित्व है कि वे अनुच्छेद 25 के जलाने के बाद अकाली नेताओं से मिले जिन्होंने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी है। हजारों लोगों की हत्याएं, उग्रवादियों द्वारा निर्ममता से की जा रही है। क्या यह विरोधी पक्ष का उत्तरदायित्व नहीं है? आप स्वर्ण मन्दिर में उनसे भेंट कर रहे हैं और बातचीत में भाग ले रहे हैं तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उन पर प्रभाव डालें और उन्हें मनायें।

श्री चक्रवर्ती अनुच्छेद 25 के सम्बन्ध में मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनके भाषण का यहां उल्लेख करने जा रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं सिख धर्म के एक बड़े विद्वान् डा० गोपाल सिंह के लेख से पढ़कर कुछ उद्धरण देना चाहता हूं। उस लेख में उन्होंने कहा है कि :—

> "यही एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता दी गई है और उन्हें किसी अन्य धर्म में शामिल नहीं किया गया। वास्तव में कृपाण रखने का अधिकार सिख धर्म के अंग के रूप में इसी अनुच्छेद में माना गया है।"

प्रो० मधु दंडवते : आपका कथन सत्य है।

प्रो० के० के० तिवारी : देश सभी वकीलों और विधिवेत्ताओं का यह एकमत से विचार है कि अनुच्छेद 25 ही एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो सिख धर्म को स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान करता है। परन्तु अकालियों ने सर्वथा भिन्न ही मार्ग अपनाया है। ऐसी स्थिति में क्या श्री दण्डवते हम सबका कुछ कर्तव्य नहीं हो जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप मुझे बीच में बोलने का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं तिहाड़ जेल में गया और वहां श्री प्रकाश सिंह बादल से मिलकर इस बात को समझाने का प्रयत्न किया कि जहां तक अनुच्छेद 25 का सम्बन्ध है वह उनके पक्ष में है। और यदि सम्भव हो तो इस सम्बन्ध में हम कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ले सकते हैं और इसे उच्चतम न्यायालय की राय के लिए भेज सकते हैं तथा मेरा विश्वास है कि उनका फैसला और उनकी व्याख्या वर्तमान अनुच्छेद के पक्ष में ही होगी, क्योंकि इसमें उन्हें स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया है। मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे कहने का काफी प्रभाव पड़ा है।

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री दण्डवते को विपक्षी दलों का प्रतिनिधि मानता हूं। क्योंकि उनका सम्बन्ध जनता पार्टी वाले संयुक्त मोर्चे से है तथा उन्होंने त्रिपक्षीय वार्ताओं में भाग लिया है। यह बेहतर होता यदि प्रो० दण्डवते अपने अन्य साथियों के साथ अमृतसर जाते और वहां सन्त लोंगोवाल और भिण्डरावाला और अन्य लोगों से मिलते (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मात्र एक अपील है ; आप इसे स्वीकार करें या न करें।

एक माननीय सदस्य : हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री स्वामी वहां जाकर मिल सकते हैं। परन्तु वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ? मेरा यह आरोप है कि विपक्षी दल किसी हल निकालने के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि वे चाहते हैं कि ये स्थिति बनी रहे और इसका लाभ लेते रहें और वर्तमान सरकार को तथा उसकी नेता श्रीमती गांधी को दोषी ठहराते रहें। मेरा कहना है कि कुछ शक्तियां—मैं किसी पर व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूं—उनसे साठगांठ किए हुए हैं अथवा वे बाहर की ऐसी शक्तियों से मिले हुए हैं जो इस प्रकार के पृथकतावादी तत्वों तथा हिंसावादी लोगों का उपयोग देश में गड़बड़ी पैदा करने और अंततः इसके टुकड़े करवाने के लिए करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय जो स्थिति है वह पर्याप्त रूप से खराब है। मेरा विपक्षी दलों से विनम्र निवेदन है कि इस समय उन्हें सभी प्रकार के विवादों को भूल जाना चाहिए तथा ऐसा करना हम सबके लिए अच्छा होगा। आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है जितनी कि सत्ताधारी दल की। क्योंकि यह देश समूचे राष्ट्र का है। आप सभी इस देश की राजनीतिक पद्धति का पालन करते आ रहे हैं। इसलिए मेरा पुनः नम्र निवेदन है कि यदि आप तनिक भी गंभीर हैं तो हमें अकालियों के मामले पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही साथ, जैसाकि गृह मंत्री महोदय ने कहा है और विपक्षी दलों ने जिसका स्वागत किया है, संविधान में संशोधन किया जा रहा है, जिससे अकालियों के विचारों का समावेश किया जा सके। इसके साथ ही साथ हम सबको एक जुट होकर यह प्रयत्न करना चाहिए जिससे यह सदन ऐसे मुश्किल समय में देश के लिए एक दिशानिर्देश कर सके। इसलिए आपको इस संशोधन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम यह मानते हैं कि यदि कोई दल धर्म का राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है अथवा धर्म को राजनीति में आगे रखना चाहता है तो संविधान में ऐसे राजनीतिक दलों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए तथा इन दलों को जो धर्म का उपयोग राजनीति में करते हैं मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे दलों को गैर कानूनी करार देकर उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। उन्हें संविधान के उदार उपबंधों का लाभ नहीं उठाने देना चाहिए और इस प्रकार देश और संविधान के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहिए। यह मेरा सुविचारित मत है। मैं पुनः विपक्षी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे लोंगोवाल और भिण्डरावाला के पास जायें—आप में से कुछ गए भी हैं और उन्हें यह आन्दोलन वापिस लेने के लिए कहें..... (व्यवधान)

लोकतांत्रिक राज्यों में कानून सख्ती से लागू नहीं होते। आपसी भेदभावों को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति में एक अपनी व्यवस्था होती है तथा ये मतभेद बातचीत के द्वारा और आपसी सद्भाव के द्वारा दूर किए जाते हैं। यद्यपि यूरोपीय देशों में स्थायी राजनीतिक पद्धति है परन्तु वहां क्या हो रहा है ? कितने ही वर्षों से वहां आतंकवाद फैलता आ रहा है। दुर्भाग्यवश बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप के कारण हमारी राजनीतक पद्धति पर भी आतंकवाद का हमला हो रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते आपातकाल का जिक्र कर रहे थे। मैं यहां उनका उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि आपातकाल एक बीमारी का आवश्यक इलाज है। यदि आपको पृथकतावादी शक्तियों को

दबाना है. गड़बड़ पैदा करने वाली और आतंक पैदा करने वाली शक्तियों से लोहा लेना है तो आप को राजनीतिक विचारों में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने होंगे तथा वे परिवर्तन संविधान में भी करने होंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि समूचा सदन इस दिशा में खुले दिमाग से सोचे । पंजाब को आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए और यह सोचिए कि हमें आगे क्या करना है । क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनेकों शक्तियां जन्म लेती हैं । हमें उनका उपयोग रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। यदि आप उसमें असफल रहते हैं तो संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, तथा देश में कानून कठोरता से लागू किए जाएं, ढिलाई से नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनुच्छेद, 25 के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर सरकार देगी, वह नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका नहीं है जब पिछले कुछ वर्षों में इस सदन में पंजाब की परिस्थिति के बारे में एक गंभीर पृष्ठभूमि में चर्चा हो रही है । पंजाब में हिंसा, हत्या, आतंकवाद, धर्म और राजनीति-राजनीति और धर्म को मिलाना —और उस परिस्थिति को काबू में लाने में सरकार की विफलता, अक्षमता और किंकर्तव्य-विमूढ़ता पर सदन में लगातार चर्चा होती रही है । लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे है, परिस्थिति बिगड़ रही है, काबू से बाहर होती जा रही है । प्रश्न राजनीतिक दलों का, राजनीतिक लाभ उठाने का नहीं है, कभी-कभी भारत की एकता और अखंडता के बारे में गंभीर चिन्ता पैदा होती है ।

28 फरवरी को हरयाणा और पंजाब की स्थिति के बारे में गृह-मंत्री महोदय ने एक बयान दिया था, मैं उसका एक अंश आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं—"मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार क्रूर हिंसा को समाप्त करने के लिये हर संभव कदम उठायेगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो ।"

यह 28 फरवरी का बयान है और 28 मार्च को इसी दिल्ली में, भारत की राजधानी में, रात के अंधेरे में नहीं, दिनदहाड़े, एकान्त में, कोने में नहीं, भीड़ भरे चौराहे में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष श्री मनचन्दा की हत्या कर दी गई ।

श्री मनचन्दा का नाम हिट लिस्ट में था, उन्हें रक्षक दिया गया था । हत्यारों की हिम्मत देखिये, वे मनचन्दा की हत्या करके चले गये, उन्हें पकड़ा नहीं जा सका । हत्यारे जरूर पहले से उनका पीछा कर रहे होंगे । सरकार क्या कर रही थी ?

पंजाब की आग राजधानी तक पहुंच गई है । मनचंदा सरकारी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे । सरकार उन्हें भी नहीं बचा सकी ।

1 अप्रैल को गृह-मंत्री महोदय ने धारा 25 के बारे में अकालियों के सामने घुटने टेक दिये । उन्होंने विरोधी दलों को, विश्वास में लेना तो अलग रहा, सूचना देने तक की जरूरत नहीं समझी । यह पहला मौका नहीं है, जब धार्मिक मांगें स्वीकार की गई थीं तब भी विरोधी दलों को ताक पर रख कर गुरुद्वारे में जाकर एलान कर दिया गया था ।

सेठी जी यह कह सकते हैं कि संसद् की बैठक नहीं हो रही थी, 2 अप्रैल से अकाली अपना आन्दोलन तेज करने वाले थे, मेरे सामने इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि मैं ऐलान करता । लेकिन विरोधी दल के नेताओं से टेलीफोन पर तो सम्पर्क हो सकता था ।

आजाद पन्थ मन सप्ताह मनाने का फैसला हुआ था। क्या धारा 25 के बारे में संशोधन करने की स्वीकृति देने से पहले आपने अकाली नेताओं से पूछा कि पन्थ को आजाद करने का क्या मतलब है ? पन्थ किससे आजाद होना चाहता है ? क्या पन्थ हिन्दुस्तान से आजाद होना चाहता है या पन्थ हिन्दुओं से आजाद होना चाहता है ? क्या पन्थ आज आजाद नहीं है ? पन्थ की रचना, पन्थ की स्थापना देश और धर्म की रक्षा के लिए हुई थी।

मैं नहीं जानता कि अकाली दल से क्या बातचीत हुई है। गृह मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा है कि 18 मार्च को अकाली दल का कोई पत्र सरकार को मिला। मैं जानना चाहता हूं कि उस पत्र में क्या लिखा है। क्या अकाली दल ने यह आश्वासन दिया है कि धारा 25 में संशोधन के बाद वे अलग पर्सनल ला की मांग नहीं उठायेंगे ? गृह मंत्री महोदय ने धारा 25 के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने की बात अकाली दल के सामने क्यों नहीं रखी ? धारा 25 एक ऐसी धारा है, जैसा कि कई मित्रों ने कहा है और सिख विद्वानों तथा सिख विधि-विशेषज्ञों की भी राय है, जिसके अन्तर्गत सिख धर्म की अलग सत्ता और पहचान स्वीकार की गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1965 का, जिसमें उसने लिखा है :—

"हिन्दू की परिभाषा अनुच्छेद 25 के खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) के विशेष उद्देश्य से विस्तृत की गई है, किसी अन्य के लिए नहीं"

धारा 25 के अन्तर्गत सिखों को अधिकार है कि वे कृपाण रख सकते हैं, कृपाण रख कर आ-जा सकते हैं।

2.26 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

उसमें सिख पंथ को अलग स्वीकार किया गया है। जो दलित था हरिजन सिख धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, आज वे सभी विशेष सुविधाओं के भागीदार हैं। क्या अकाली दल से यह भी पूछा गया है कि क्या वे चाहते हैं कि ये सुविधाएं उनसे वापिस ले ली जाएं ?

आखिर धारा 25 के मामले में इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी ? मगर सरकार घबरा गई कि पता नहीं 2 अप्रैल को क्या होगा और उसने समर्पण कर दिया।

सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन को अवैध घोषित कर दिया गया है। जरूर सरकार के पास उसे अवैध घोषित करने के कारण रहे होंगे। लेकिन फेडरेशन ने चुनौती दी कि हम मोगा की सारी सड़कें बन्द कर देंगे, किसी बस को आने या जाने नहीं देंगे। सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए। सारा काम-काज ठप्प हो गया। उन्होंने मांगें कीं कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको छोड़ दिया जाए। जो गिरफ्तार थे, वे उनको थाने से छुड़ा कर ले गए और जो बचे थे, वे जमानत पर छोड़ दिए गए। दिल्ली में घुटने टेकने से पहले सरकार ने पंजाब में घुटने टेक दिए। अगर किसी संगठन को अवैध घोषित किया जाता है, उसके सदस्य खुले-आम धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हैं और सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो उसे अवैध घोषित करने की क्या जरूरत थी ?

गृह मंत्री महोदय ने अकालियों से यह भी नहीं कहा कि आपने पहले यह मामला नहीं उठाया, त्रिपक्षीय वार्ता में धारा 25 का सवाल कभी नहीं उठा और अब आप यहां तक चले गए कि उसके लिये आप संविधान को जला रहे हैं, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन ऐसा करके उन्होंने उस

बात को स्वीकार कर लिया। उसका नतीजा क्या हुआ ? हमने अहमदाबाद में कहा था कि तुष्टीकरण की नीति से लाभ नहीं होगा। दूसरे ही दिन अमृतसर में भारतीय जनता पार्टी के नेता, श्री हरवंस लाल खन्ना, की हत्या कर दी गई। वह पहले से हत्यारों के निशाने थे। उनकी हत्या की कोशिश हो चुकी थी, मगर वह बच गए। उनको एक गनमैन दिया गया था। उस गनमैन के पास स्टेनगन थी। हत्यारे पिस्तौल ले कर आए, पहले गनमैन को मारा, स्टेनगन छीन ली और फिर स्टेनगन का उपयोग कर के उन्होंने श्री हरवंशलाल खन्ना की हत्या कर दी। इसका मतलब यह है कि हत्यारे स्टेनगन चलाना जानते थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : बहुत अच्छी ट्रेनिंग है उनकी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पंजाब में ऐसे कितने हत्यारे हैं ? उनको ट्रेनिंग कहां मिल रही है ? सरकार के सिक्योरिटी एडवाइजर, मि० काओ, क्या कर रहे हैं ? विरोधी दलों के पार्लियामेंट के मेम्बर जब विदेशों में जाते हैं, तो उनके पीछे रा के लोग लगा दिये जाते हैं। हम से क्या खतरा है इस सरकार को ? मैं अमेरिका गया था। मेरे पीछे एक रा का अफसर लगा दिया। वह मेरे ही जमाने में नियुक्त हुआ था। मैं उसको जानता था। जब मैंने प्रधान मंत्री से शिकायत की कि यह क्या हो रहा है तो प्रधान मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, वह आपके पीछे नहीं लगा था, वह तो देख रहा था कि आप की देखभाल ठीक तरह से होती है या नहीं ?

इस सरकार का गुप्तचर विभाग टूट गया है। सारा तंत्र बिखर रहा है सेवाओं का मनोबल टूट गया है। क्या हो रहा है पंजाब में ? हरवंस लाल खन्ना की वहां हत्या की गई। उनका हिन्दू सिख एकता में पूरा विश्वास था। मगर वह एक दिलेर आदमी थे। उनकी हत्या से उनकी आवाज दबने वाली नहीं है। हमारी आवाज भी नहीं दबेगी। मगर हत्यारों ने एक बार और किया। डा० तिवारी जैसा व्यक्ति मतान्धों द्वारा शिकार बनाया गया उनकी पत्नी सिख परिवार से आई है। इस हत्या के पीछे पागलपन है। जो देश को जोड़ेगा, जो समाज को मिलाने की कोशिश करेगा, जो हिन्दू और सिखों को एक साथ रखने का प्रयत्न करेगा, उसकी आवाज दबा दी जाएगी, उसे मिटा दिया जाएगा। डा० तिवारी के हत्यारे उनके शिष्य बन कर गए थे। इस देश में शिष्य कभी गुरु के लिए जान देते थे। आज जान लेने वाले शिष्य का रूप लेकर जाते हैं।

इस सदन में कल बहस होती रही कि इस सदन की बैठक स्थगित होगी या नहीं। नियमों का हवाला दिया जाता रहा। तिवारी जी दूसरे सदन के सदस्य हैं, इसलिए हम उन की हत्या पर शोक प्रकट नहीं कर सकते, सदन की बैठक स्थगित नहीं कर सकते ? वह तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने विश्व पंजाबी सम्मेलन का आयोजन किया था। पंजाबी भाषा के जानकार थे। यह हत्या सारी सरकार को चुनौती है। क्या सरकार में साहस है, सरकार में दृढ़ता है इस चुनौती का सामना करने के लिए ? यदि आपने घुटने टेकने का फैसला कर लिया है तो मामला इतना लटकाया क्यों ?

अभी भी सरकार ने पंजाब की समस्याओं का समाधान उसके दिमाग में क्या है, यह नहीं बताया।

सरकार के पास चार विकल्प हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। समय कम है। 1970 के एवार्ड को लागू करना, चंडीगढ़ के सहित सभी विवादों को एक नये कमीशन को सौंप देना, पंजाब और हरयाना के बीच चंडीगढ़ का विभाजन और शेष विवादों को एक कमीशन को सौंपना, और

चौथा यह कि हरयाना और पंजाब दोनों जो मान लें उसको लागू करना। यदि दोनों मान गये तो उसमें केन्द्र सरकार कहां आती है ?

शासन की बागडोर आपके हाथ में है। समस्याओं को हल करना आप की जिम्मेदारी है ? आप इस को हल क्यों नहीं करना चाहते ? पंजाब की समस्या के जिस हल को आप उचित समझते हैं उस का एलान करिए, उसको एकतरफा लागू करिए। मगर उसको एकतरफा लागू नहीं करेंगे। धार्मिक मांगें एकतरफा लागू करेंगे। धारा 25 का एलान एकतरफा करेंगे।

मुझे अकाली दल से भी शिकायत है उन्होंने भी धारा 25 के बारे में विरोधी दल की बातें नहीं सुनीं। भारतीय जनता पार्टी, लोक दल अकाली दल का पूरा समर्थन नहीं करते रहे हैं। लेकिन जो दल करते रहे हैं उन को भी अकाली दल ने विश्वास में नहीं लिया, सरकार के साथ समझौता कर लिया। आजाद पंथ सप्ताह वापस ले लिया। वह वापस गया, इस के लिए मुझे संतोष है, खुशी है। मगर क्या बात यहीं रुक जायेगी ? या इसके बाद दूसरी मांगें नहीं रखी जायेंगी ? मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या परसनल ला के बारे में बात हुई है ? जो परिगणित और दलित सिख धर्म स्वीकार करते हैं क्या उन की सुविधाओं के बारे में चर्चा हुई है ? हिंसा, हत्या और आतंकवाद का क्या होगा ? क्या वर्तमान सिलसिला चलता रहेगा ?

आज पंजाब में कत्ल और हिंसा की जो अन्धेरी रात है उसमें अभी तक मानवता और आत्मीयता के, हिन्दू-सिख भाईचारे के छोटे छोटे दिए टिमटिमा रहे हैं वे गांवों से जो हिन्दू डर से शहरों में चले आए थे उन्हें उन्हीं गांवों में सिख लोग वापिस ले गए। अभी भी गांवों में यह दुर्भाग्य पूरी तरह से फैला नहीं है। लेकिन अगर सरकार हर नागरिक की रक्षा करने के प्राथमिक दायित्व का पालन नहीं कर सकती तो यह हालत बिगड़ती जायेगी। पंजाब की जनता का पंजाब की पुलिस पर भरोसा नहीं है। जब श्री हरबंस लाल खन्ना की शव यात्रा निकल रही थी तो पंजाब पुलिस के सिपाही को देखते ही लोग गुस्से से भर जाते थे। सी० आर० पी० जहां जाती है वहां उसका स्वागत होता है। यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है। यह कोई स्वस्थ स्थिति नहीं है। लेकिन इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। पंजाब पुलिस को संकटपूर्ण क्षेत्रों से हटाना चाहिए और सी० आर० पी० की तादाद बढ़ानी चाहिए, यद्यपि सी० आर० पी० का भी मनोबल जितना होना चाहिए वैसा नहीं है। एक जगह बैंक लूटा जाता रहा और सी० आर० पी० के जवान खड़े रहे कि हम अपनी जान क्यों खतरे में डालें। यह सरकार हमें नहीं बचा सकती, अपने मेम्बर पार्लियामेंट को नहीं बचा सकती, विरोधी दल के नेता को नहीं बचा सकती तो कौन ऐसी सरकार के लिए अपनी जान देगा ? आपने देश को कहाँ से कहां ले जाकर खड़ा कर दिया है।

इसी सदन में गृह मन्त्री जी ने एलान किया था कि पंजाब के शांतिपूर्ण नागरिकों को, जिनके पास हथियार नहीं हैं, हम लाइसेंस देने में उदारता से काम लेंगे। आज हर जिले में लाइसेंस के लिए दरखास्तों के अम्बार लगे हैं लेकिन कौन अफसर लाइसेन्स देकर अपनी जान खतरे में डाले ? जरा गृह मन्त्री जी पता लगायें अब सरकार के लोग कह रहे हैं कि श्री भैरोंदत्त पाण्डे को बड़ा दृढ़ प्रशासक समझा गया था परन्तु वे बड़े कमजोर निकले (व्यवधान) अब उन्हें बलि का बकरा बनाया जायेगा। आप उन्हें वापिस बुला लीजिए। बंगाल के लोग उन्हें वापिस लेने के लिए तैयार हैं। शर्मा जी को बिहार भेज दीजिए लेकिन राज्यपाल के रूप में नहीं। (व्यवधान)

सभापति जी, पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, श्री भिण्डर को भी वापिस बुलाया जाना चाहिए, उनकी भी बहुत गम्भीर शिकायतें हैं। पंजाब में हमें ऐसे अफसर चाहिए—वे चाहे हिंदू हों सिख हों—जिनके मन में साम्प्रदायिकता का लेशमात्र भी न हो। आज चुनौती दी जा रही है सेक्युलरवाद को। पंजाब में अगर हम सेवाओं को साम्प्रदायिक विष से अलग नहीं रख सकते तो इस देश का सैक्युलर ढांचा नहीं बचेगा।

सभापति महोदय, प्रधान मन्त्री जी इस सदन में नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए आई थीं, उनका बड़ा अहसान था।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप एक महत्वपूर्ण मंत्री रह चुके हैं। आप जानते हैं सभा में हर समय उपस्थित रहना कितना कठिन होता है। वे अभी अभी हमारे बीच में थीं। आप उनकी उपस्थिति को इतना तूल क्यों दे रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : यहां उपस्थित रहना प्रधान मन्त्री का कर्तव्य है।

प्रो० मधु दंडवते : क्योंकि प्रो० रंगा ने इस विषय को उठाया है मैं स्पष्ट कहता हूं कि जब ऐसे संवेदनशील विषय पर चर्चा होता थी। श्री मोरारजी देसाई सारे समय सभा में उपस्थित रहते थे।

प्रो० एन० जी० रंगा : कुछ अन्य कार्यक्रम होते हैं.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभी कार्यक्रम रद्द कर दिये जाने चाहिए थे।

प्र० एन० जी० रंगा : आपने अपने भाषण के साथ की सूचना नहीं दी थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे केवल प्रधान मन्त्री ही नहीं अपितु सभा की नेता भी हैं (व्यवधान)।

प्रो० एन० जी० रंगा : गृह मन्त्री उपस्थित हैं। इसे आप एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं चेतावनी देना चाहता हूं पंजाब की स्थिति के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत कीजिए। आज अखबार में मैंने पढ़ा है कि सारे पंजाब को डेंजरसली डिस्टर्वड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है।

यह डेंजरसली डिसटर्ब क्या है ? पहले डिसटर्ब एरिया था, अब डेंजरसली डिसटर्ब है—कानून में इसका क्या मतलब है ? आपने जो बिल पेश किया है, वह है—पंजाब डिसटर्ब एरियाज बिल, 1983। क्या समाचार पत्रों ने अपनी तरफ से खतरनाक जोड़ दिया है या समाचार पत्रों को आपने बताया है।

प्रो० मधु दंडवते : यह एक महत्वपूर्ण गलती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इस सरकार के निकम्मेपन को उजागर करती हैं। मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। तिवारी जी को गोली लग गयी। तिवारी जी अस्पताल चले गए। श्री एडवानी, राज्य सभा के सदस्य, ने सेठी साहब को फोन किया कि तिवारी जी की हालत क्या है ? यह बात सवेरे 9.30 बजे की है। सेठी जी ने कहा कि तिवारी जी खतरे के बाहर हैं। एडवाणी जी अमृतसर जाने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो वहां पर खबर लगी थी कि तिवारी जी मर गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी को पूरी खबर

मिलती भी है या नहीं ? क्या यह सत्य नहीं है कि गृह मन्त्रालय को ताक पर रखकर कहीं और फैसले हो रहे हैं। ये फैसले करने वाले कौन हैं ? पंजाब की परिस्थिति सुलझी नहीं है, समस्या हल नहीं हुई है और गृह मंत्रालय के पुराने अफसरों को बदल दिया गया है। अगर उनके परिवर्तन से कोई सुधार हो जाता तो मैं शिकायत नहीं करता।

लेकिन ऐसा दीख रहा है कि सरकार की नीति है कि सवाल को लटकाओ। आपकी यह नीति असम में थोड़ी बहुत सफल हो गई, लेकिन पंजाब में नहीं होगी।

प्रो० एन जी रंगा : नहीं, यह सही नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, पंजाब की समस्या का राष्ट्रीय हल ढूंढने का प्रयत्न होना चाहिए। उसके लिए बातचीत जरूरी है, लेकिन उससे पहले पंजाब में शांति और व्यवस्था पूरी तरह से कायम की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि विरोधी दल से पूछा जाता है कि आपका हल क्या है ? शासन आपका है, कानून को लागू करने और बदलने का अधिकार आपका है, प्रशासन आपके इशारे पर चल रहा है, पुलिस फौज आपकी है, आपके निर्देश पर चलेगी-- हल हम से पूछा जा रहा है। मगर जब कभी हम हल बताते हैं, तो उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। भिंडरावाले के नाम से इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। कोई छिपी हुई बात नहीं है कि 1980 के चुनाव में भिंडरावाले ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था। कोई छिपी हुई बात नहीं है कि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव में भिंडरावाले के सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। सरकार में जो भी फैसले होते हैं उसकी खबर भिंडरावाले को कौन देता है ? भिंडरावाले दिल्ली आए, लेकिन पकड़े नहीं गए। प्रधान मंत्री जी बम्बई के एक साप्ताहिक को भेंट दी, लेकिन भिंडरावाले के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। दिल्ली के एक साप्ताहिक को भेंट दी, तो कहा कि हम दोनों संतों से मिलने के लिए तैयार हूं। लोगोंवाल से भी भिंडरावाले से भी मिलने के लिए तैयार हैं, अगर आप मिलने से रास्ता निकाल सकें, तो निकाल लीजिए। लेकिन भगवान के लिए पंजाब की समस्या को हल करिए। आने वाली पीढ़ी आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि आप इसको पार्टी का मामला मत बनाइए। विरोधी दल का रवैया रचनात्मक रहा है, सहयोग का रहा है। लेकिन जब आपको सहयोग चाहिए, आप सहयोग लेते हैं और जब आपको लाभ नहीं होता आप हमें एक तरफ रख कर फैसला कर लेते हैं। उन फैसलों से भी शांति हो जाएं, तो हमें शिकायत नहीं होगी। मगर पंजाब धधक रहा है। किसी भी क्षण कोई ऐसी घटना हो सकती है, जो सारे देश के अस्तित्व को और देश के भविष्य को दांव पर लगा दे, उससे पहले दिल्ली के शासको, थोड़ा चेतो। अपने कर्तव्य को पहचानो अगर अपनी जिम्मेवारी का पालन नहीं कर सकते तो प्रधान मन्त्री कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलायें उसमें अपना इस्तीफा दे दें और पार्टी का नया नेता चुनने के लिए कहें।

श्री जी० एस० निहाल सिंहवाला (संगरूर) : चेयरमैन साहब, इससे पहले भी कई दफा पंजाब पर अपने ख्यालात हाउस में लोगों ने रखे हैं। आज फिर पंजाब पर बहस हो रही है और खासतौर पर धारा 25 सामने रखी गई है। हम वह बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें पंजाब में भी खतरा है और पंजाब जाते हुए रास्ते में भी खतरा है। इस के लिये दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने सुझाव दिये ताकि कोई हल निकल सके। बावजूद सब कोशिशों के कोई हल आज तक नहीं

निकला और हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। जितने खतरनाक हालात पंजाब में आज हैं, शायद ही कभी किसी गवर्नमेंट के होते हुए किसी प्रांत में हुए हों। पोलिटीकल लोगों का कत्ल, एक्स-एम० एल० ए० का कत्ल, एम० पी० का कत्ल बहुत से अफसरान का कत्ल, बिला वजह सिटिजन्स का मारा जाना जारी है और मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इसका इलाज जल्दी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ? मैं वहां का रहने वाला हूं और आप भी वहां के रहने वाले हैं—मैं एक-दो मिसालें देना चाहता हूं। आप का इन्तजाम किस को करना है ? ला एण्ड आर्डर को किस ने सम्भालना है—यह काम पुलिस का है। पुलिस ओवर-नाइट खराब नहीं है। मैं पहले भी कई दफा हाउस के बाहर दोस्तों को अपनी राय देता रहा हूं—पंजाब एक बार्डर स्टेट है और हमारी बदकिस्मती रही है कि जब से पंजाब का पार्टीशन हुआ है, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बने हैं, पाकिस्तान से अफीम आती है और मेरे अन्दाजे के मुताबिक पंजाब में साल में कम से कम 500 क्विन्टल अफीम आती है और बिकती है और खाते हैं। मैं इस में तमाम सरकारों को, जो सन् 1947 से अब तक रही हैं, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा है, कांग्रेस का रहा है या अकालियों का रहा है, सब को जिम्मेदार ठहराता हूं। कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने अपने आई० जी० को बुलाकर नहीं पूछा कि तुम्हारी लिस्ट में कौन-कौन अफीम के स्मगलर हैं, कौन बड़े स्मगलर हैं, कौन छोटे स्मगलर हैं। मैं लिस्ट दे सकता हूं कि कौन-कौन स्मगलर हैं। सारे पंजाब के अन्दर डिस्ट्रिक्ट में जो भी एस०पी० लगता है उनका हिस्सा होता है। मैं साबित कर सकता हूं—पंजाब की पुलिस पिछले 30-40 सालों से स्मगलर्स के साथ ताल्लुक रखती आ रही है और आज हालात ये हैं कि पंजाब के स्मगलर्स हम पर राज करते हैं। न पुलिस अफसरान हमारी परवाह करते हैं और न पुलिस मदद करती है। सारी पुलिस उनके हाथ में चली गई है, उनका ईमान खत्म हो गया है और वे लोग आज गवर्नमेंट के फेथफुल नहीं रहे, उन को गवर्नमेंट से कोई हमदर्दी नहीं रह गई है, वरना हरबंसलाल खन्ना जैसे प्रामिनेन्ट आदमी का कत्ल हो सकता था ? अमृतसर के हर मोड़ पर पुलिस खड़ी है, 10-20 राइफलें भी उनके पास हैं—क्या वे घटना को रोक नहीं सकते थे, इस लिये क्यों न उनको सजा दी जाय, जिनके वहां मौजूद होते हुए इस तरह की घटनायें हो जाती हैं।

मैं एक और मिसाल देता हूं—पिछले दिनों, शायद ता० 12 को, मोगा पुलिस स्टेशन के नजदीक एक ए० एस० आई० को कत्ल कर दिया गया। वे कातिल एक्स्ट्रीमिस्ट्स थे। तीन अमृतसर के और एक होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का। वे वहां रहे। कहीं गए नहीं। मोगा में ठहरे। मोगा में सिक्ख स्टूडेंट्स फेडरेशन वालों ने उन्हें हारबर किया। अगले दिन 11 बजे पुलिस स्टेशन से 50 गज दूर एक कार रायफल प्वाइंट पर पकड़ ली तो वह ड्राइवर दौड़कर आया पुलिस स्टेशन में गया। कहने लगा कि मैं एक बात बताता हूं कि कार में पैट्रोल सिर्फ 20-25 मील का है। आप तमाम पेट्रोल पंपों पर खबर कर दें ताकि आप उनको पकड़ सकें। इत्तिफाक से वह कार मेरे गांव निहालसिंहवाला में जो वहां से 24-25 मील दूर है, वहां आ गई। अभी वह कार पैट्रोल पंप पर पहुंची नहीं थी कि पुलिस स्टेशन से वायरलैस आ चुका था। हर पैट्रोल को इत्तिला दे दी कि एंबेसडर 1991 सफेद रंग की आए तो सूचना देना। पैट्रोल मत डालना। यह टेलीफोन सुन रहा था कि इतने में गाड़ी आ गई। तो उसने घबराहट में कई दफा कह दिया कि आ गई है, आ गई है। और उसने पेट्रोल पम्प का स्विच काट दिया बिजली का। बाहर आया और कहा कि बिजली नहीं है मैं जेनरेटर चलाता हूं। कहने लगे कि हाथ से भर दो। उसने कहा नहीं हाथ से भरने से

हवा ले लेगा । क्योंकि वह टाइम लगाना चाहता था, मदद करना चाहता था बेचारा । उन्होंने कह दिया कि अच्छा चलाओ जेनरेटर । उसने जेनरेटर चलाने में जानबूझ कर वक्त लगा दिया । तब तक तीन पुलिस कर्मचारी रायफलें लेकर आ गए । तीन एक्स्ट्रीमिस्ट्स एक तरफ अपना असला लेकर दीवार की तरफ चले गए । एक जिसने स्टेनगन ले रखी थी वह पैट्रोल पम्प के पीछे चला गया । दीवार के पीछे जाना चाहता था, शराब पी हुई थी, दीवार को जंप करने लगा तो स्टेनगन इस तरफ गिर गई और वह दूसरी तरफ कूद गया । स्टेनगन पकड़ी गई । उसको पकड़ लिया । पकड़ कर उसको ले गए । तीन का पीछा नहीं किया । तीनों का पीछा किया लोगों ने । 12 बजे से 5 बजे तक एक रिवाल्वर से मुकाबला किया । तीन सिपाहियों को जख्मी किया । पुलिस पीछा नहीं करना चाहती थी, लोगों ने मजबूर किया पुलिस को कि वे जा रहे हैं, चलो । दो तो भागने में कामयाब हो गए । एक ने मुकाबला करते हुए जब आखिरी गोली रह गई तो उसने अपने में मार दी । तो सब इंस्पेक्टर पुलिस कहता है कि लोगो सुनो, हमने नहीं मारा, इसने खुदकशी की है । जो पुलिस बिलावजह क्रेडिट लिया करती थी किसी जमाने में, कोई मरा हुआ मिलता था तो कहती थी कि हमने मारा है । अब मारे जाने के बाद भी कहती है कि हमने नहीं मारा । यह करेज था जो पकड़ लिया गया था, उसको पुलिस स्टेशन ले गए, क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं, मुझे सब हकीकत पता है, हर लब्ज पता है । उसने दस गालियां तो पहले थानेदार को निकाली । कहने लगा कि यह हवालात मेरे लिए है । इसको साफ करो, धुलवाओ । पहले वह धुलवाई गई । फिर कहने लगा कि मैं बाजार का खाना नहीं खाऊंगा । थानेदार ने कहा कि मैं अपने घर पर से खाना भेजूंगा किसी ने उसका स्टेटमेंट रिकार्ड नहीं किया जिसके कंधे पर कुछ हो । कोई सब इंस्पेक्टर, हवलदार या सिपाही को पहचान न सके । इससे आप अन्दाजा लगाइए कि पुलिस कितनी जुर्रत रखती है । पुलिस कितनी ईमानदार है और उससे हम क्या उम्मीद रखतेहैं ।

आज अगर पंजाब को बचाना है तो सबसे पहले पंजाब पुलिस के मुत्तल्लिक सोचना पड़ेगा और पंजाब पुलिस से पूछना पड़ेगा कि आपकी पिछली हिस्ट्री क्या है । आप किन किन स्मगलरों से ताल्लुक रखते हैं । पंजाब में कितने स्मगलर हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : सेठी साहब नहीं हैं । मतलब की बात आ रही थी । उनको जवाब देना होगा । (व्यवधान)

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : अकालियों का फैसला कभी भी टेबल पर नहीं होगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : बहुत बढ़िया स्पीच है, सेठी जी को सुननी चाहिए ।

श्री जी० एस० निहाल सिंहवाला : यह फैसला टेबल पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आफिसियल ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप से कभी बात ही नहीं हुई । मास्टर तारा सिंह जब हड़ताल पर थे तो संत फतह सिंह ने उनसे अपील की कि कौम को आपकी जरूरत है । अपने हाथ से जूस का गिलास पिलाया और उनको हटाकर खुद प्रेजीडेन्ट बन गए । अकालियों की तीन मांगे हैं । वह हैं, पानी, चंडीगढ़ और कुछ पंजाबी बोलने वाले इलाकों की । श्री तलवंडी ने सोचा कि अगर यह मांगें पूरी हो गईं तो यह ग्रुप अकाली दल पर काबिज रहेगा । उन्होंने सोचा कि अनंतपुर साहब का रेजोल्युशन नहीं माना जाता तो हम फैसला नहीं करेंगे । एक बात भिंडरावाले की यह कही कि जो कत्ल करता है उस पर मुकदमा न चले । यह भी कभी भी नहीं माना जा सकता । आफिशियल ग्रुप की बात पूरी होने पर उन्होंने उनको गद्दार कहना है । इस बारे में सरकार को सोच लेना

चाहिए। यह भी सोचना चाहिए कि टेबल पर या खुद कोई फैसला करना है। बेशक आज अकाली दुखी हैं और बोल नहीं सकते। लेकिन भिंडरावाला गुरुद्वारे में अपनी फौज के जरिए अकालियों का राइफल पाइन्ट पर इस्तेमाल करता है। उसको एक आरगेनाइज्ड ग्रुप मिल गया है और वह है स्टूडेंट्स फैडरेशन। यह बड़े-बड़े शहरों में था लेकिन बदकिस्मती से गांवों तक पहुंच गया। अब इसको संभालने के लिए सरकार को कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह हरेक स्कूल और कालेज तक पहुंच चुका है। अब यह छोटी बात नहीं है। भिण्डरावाला अंदर बैठा हुआ कमाण्ड करता है हिंसा का प्रचार करता है और कहता है कि पैसे की जरूरत है, बैंकों को लूटो। यह काम वे लोग करते हैं जो आरगेनाइज्ड हैं और जो उसके पास प्रोटेक्शन लेते हैं। तथा अपने आपको टेरोरीस्ट कहते हैं। उनका सरकार से कोई खौफ नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि पंजाब के हालात सुधारने के लिए पंजाब के मेम्बरान से अलग-अलग जो हर दल से आते हैं, उनसे पूछा जाए कि वहां क्या तकलीफ है और कौन सा एलीमेंट अन-डिजायरेबल है और पुलिस के साथ किसके ताल्लुकात हैं तथा कौन से पुलिस वाले स्मगलर्स के साथ मिले हुए हैं ?

3.00 म० प०

अगर नीचे से कोई गलत इत्तिला दी जाए, तो गवर्नमेंट को वही माननी होती है। अगर नीचे के अफसर बेईमान हो जाएं और सरकार को हकीकत न बताएं, तो सरकार बेबस है। पिछले दिनों अब प्रैजिडेंट्स एवार्ड मिले, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। एक निहायत करप्ट डी० एस० पी० मोगा में लगा था मैंने उसको बर्दाश्त नहीं किया और उसको वहां से हटा दिया गया। वह हर स्मगलर से पैसा लेता था और अब भी लेता है। जब मैंने उसकी तस्वीर देखी, तो सोचा कि उसको प्रैजिडेंट्स एवार्ड किसने रिकमेंड कर दिया। (व्यवधान)

मैं पंजाब और हिन्दुस्तान की भलाई के लिए होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वह किसी कानून को लागू नहीं कर सकते, तो उन्हें ऐसा कानून बनाना नहीं चहिए। अगर वह चाहते हैं कि लोग अफीम न खाएं, तो ठेके बन्द कर देने चाहिए और किसी भी कीमत पर अफीम नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आज हालत यह है कि जहां पहले अफीम ठेकों पर मिलती थी, वहां आज पंजाब के हर गांवों में दस दस आदमी अफीम बेच रहे है। इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए ? पंजाब गवर्नमेंट और वहां के पुलिस अफसरान को मिलनी चाहिए। अगर वे इसको नहीं रोक सकते, तो वे ठेके खोल दें, इसमें मुल्क और लोगों का भला है, इसमें करप्शन नहीं होगा। आज पंजाब के सब बैंड एलिमैंट्स के पास कार और मोटर साइकिल है, लेकिन बेचारे किसानों के पास नहीं है। आज स्मगलर लखपति बन गए हैं। मैं सब के नामों की लिस्ट दे सकता हूं।

इस सिलसिले में मैं एक मिसाल दिए बगैर नहीं रह सकता। मैं नाम नहीं लूंगा। जब मैं पंजाब में ज्ञानीजी की मिनिस्ट्री में था, तो टूर के दौरान एक आदमी ने मुझे एक कहानी सुनाई। दो सब-इंस्पैक्टर में उनके नाम नहीं बताऊंगा-लुधियाना में तैनात थे। एक स्मलगर उनका दोस्त था। जब उन्होंने पैसा बनाने की बात कही, तो उस स्मगलर ने कहा कि फलां तारीख को अफीम का ट्रक आने वाला है, मुझे उसमें से कुछ माल लेना है. वह ट्रक सरहिंद कैनाल के फलां पुल पर से भलां वक्त गुजरेगा, उसको पकड़ फो और पैसा बना लो। वे दोनों अपनी जूरिसडिक्शन से बाहर जीप ले कर बगैर किसी सिपाही या गार्ड वहां चले गए। वे पुलिस की वर्दी में थे। उन्होंने

ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें एक क्विंटल अफीम थी। उन्होंने वह अफीम ले ली और ट्रक वाले को भगा दिया।

उसके बाद सब-इंस्पैक्टरों ने उस स्मगलर से पूछा कि बीस किलो अफीम कम है। उसने बताया कि मैं फलां गांव में एक आदमी को दे आया हूं। वे फौरन जीप ले कर वहां गए, उन्होंने उस आदमी से बीस हजार रुपए और अफीम ले ली। उस आदमी ने इस तरह अपनी जान छुड़ा ली।

चंडीगढ़ में मेरी कोठी के सामने एक आई. जी. रहते हैं। अब शायद वह रिटायर हो गए हैं। एक दिन वह मुझे मिले, तो मैंने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, चाहे मेरे यहाँ सुन लें और चाहे अपनी कोठी में। उन्होंने कहा कि इधर ही बैठ जाते हैं ही इज नोन टु मोस्ट आनेस्ट मैन। जब मैंने उसकी सारी बात सुनाई, तो उसने फौरन वायरलैस कर के उन सब-इंस्पैक्टरों के खिलाफ केस रजिस्टर करा दिया। वे एक्सकांड कर गए। फिर केसिज शुरू हो गए। उन्होंने दो लाख रुपए दे दिए। मैं यह नहीं बताऊंगा कि किसको दिए। लेकिन मुझे पता चल गया। मैं भागा भागा लुधियाना गया। मैंने एस. एस. पी. को कहा कि फलां आदमी ने रुपया ले लिया, वह केस के विदड्राल के लिए रीकमेंड करेगा, आप उस केस को वापिस न लेना। उसने कहा कि मैं केस को वापिस नहीं लूंगा। मैंने उसको बता दिया कि अगर वह केस को विदड्रा करेगा, तो में शोर मचा दूंगा। डी० सी० को भी मैंने कह दिया। मैंने डी० आई० जी०, पटियाला को भी रिक्वैस्ट की। उनसे भी रिक्वैस्ट की कि यह बात होगी, आप केस वापस मत लीजिएगा। खैर, मैंने केस वापस नहीं होने दिया। शहादतें भी खुद मेहनत कर के भुगतायीं मगर वह बरी हो गया। किस्मत की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पुलिस इस किस्म की वारदात करे, खुद वकील लोगों से लेकर बेचे, उस पुलिस पर आप कितनी देर उम्मीद रख सकते हैं और बदकिस्मती से एक आर्गेनाइज्ड ग्रुप मिल गया भिण्डरावाले को। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप जो भी फैसला पंजाब के मुताल्लिक करना है कर लें, जो कुछ देना है वह दे दें, मैं यह नहीं कहता कि आप क्या करें, लेकिन जो भी मुनासिब समझते हैं वह फैसला कर दें ताकि लोग कह सकें कि हमारी सरकार ने यह बिलकुल ठीक किया है और अब यह बिलकुल काफी है। उस के बाद आप गवर्नमेंट को भी ठीक करें और गवर्नमेंट के अफसरान को भी। लेकिन मैं यह कह देता हूं कि पंजाब की पुलिस नहीं ठीक कर सकती। आप को इस का हल निकालना है। यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

स्वामी इन्द्रवेश (रोहतक) : सभापति महोदय, अभी आदरणीय निहाल सिंहवाला ने जो पंजाब के बारे में सदन को सूचना दी उस से हम यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि पंजाब क्यों जल रहा है ? तीन साल से लगातार एक बड़े व्यापक षड़यंत्र के माध्यम से पंजाब में यह चक्कर चल रहा है और जहां से यह कार्य शुरू हुआ, वैसे तो शुरू से हम पंजाब के बारे में यह देख रहे हैं कि जब जब पजाब में कोई आंदोलन चला सरकार ने उस के सामने घुटने टेक दिए और उस का परिणाम यह निकला कि आन्दोलन और हिंसा के माध्यम से बात मनवाने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। अभी तीन साल से हम एक बात देख रहे हैं कि पंजाब की सरकार जब थी और केन्द्र की सरकार भी सैकड़ों बार यह कह चुकी है कि अपराधी जो हैं वह अपने विशेष स्थानों में जो पूजा के स्थान हैं, गुरुद्वारे हैं उन में जा कर छिप जाते हैं और इस बात का सरकार ने इन तीन सालों में किया है।

लेकिन साथ साथ यह भी लगातार आश्वासन देती रही कि हम प्रचार गुरुद्वारों में बिलकुल कार्यवाही नहीं करेंगे, पुलिस नहीं भेजेंगे। तो एक तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन सा वह कारण है, कौन सा वह कानून है जिस के कारण अपराधी लोग उस को किला बना कर बैठे हुए हैं, सैकड़ों हत्याएं करने के बाद भी वहां पर सरकार क्यों नहीं जाना चाहती ? क्यों नहीं कोई इंतजाम करना चाहती ? इस का परिणाम क्या निकलेगा ? मेरे विचार से और मैं देख रहा हूं कि और भी जो सम्प्रदाय देश में हैं वह भी ऐसे गैंग पैदा करें, वह भी अपने मंदिरों में और चीजों में इसी ढंग से उन को लैस करें और देश में एक नया ऐसा वातावरण पैदा हो। जब भी ऐसी बात कही जाती है तो आप के मन में शायद यह विचार आता होगा कि इस से तो झगड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं कि पंजाब में केवल इसलिए झगड़े बढ़ रहे हैं कि जो अपराध करने वाले लोग हैं उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी भिंडरावाले की बात चल रही है। भिण्डरावाले के ऊपर दर्जनों केसेज चल रहे हैं और सरकार को मालूम है कि भिण्डरावाले कहां बैठे हुए हैं, कहा रहते हैं ? हमारे देश की पुलिस चम्बल के बीहड़ों में डाकुओं को ढूंढती है लेकिन सरकार को मालूम होने के बाद भी कि भिण्डरावाले कहां बैठे हुए हैं, सरकार क्यों नहीं सोच रही है कि भिण्डरावाले को पकड़ लिया जाए ? बार बार इस सदन में यह आवाज उठाई गई है लेकिन सरकार के दिमाग पर यह बैठ गया है कि एक आदमी को गिरफ्तार करने से पता नहीं कितना रक्तपात हो जायेगा। परन्तु उसका परिणाम क्या निकल रहा है ? परिणाम यह है कि सारे देश में मजहब की भावना बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि हरियाणा में कितना दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण पैदा हो गया। हम ऐसा महसूस करते हैं कि अपराधियों को न पकड़ने की सरकारी नीति के कारण सारे देश में कानून और व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास खत्म हो रहा है यह ठीक ही कहा गया है कि जब पंजाब पुलिस अफीम की तस्करी का धंधा करती हो तो आप समझ सकते हैं पंजाब के लोगों की क्या स्थिति होगी। आज वहां पर जब लोग दफ्तर या बाजार जाते हैं तो उनके परिवार वाले हाथ जोड़ कर भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं रहता कि शाम को वे वापिस आयेंगे या नहीं। जब पुलिस की इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए तो आप बताइये वहां के लोग किसके रहम पर जिन्दा रहेंगे ? और किस तरह से वहां की स्थिति सुधर सकेगी ? आज तो स्थिति यह है कि रोज ही घटनायें घट रही हैं। अभी अभी वहां पर सैकड़ों निरंकारी सत्संग कर रहे थे, और अमृतसर जिले में आपने खतरनाक वातावरण घोषित कर रखा है, लेकिन लोग साइकिल पर आए और वहां बम फेंक कर चले गए। कोई मोटर साइकिल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, साइकिल पर सवार लोग बम फेंक कर चले गए और उनको कोई भी पकड़ने वाला नहीं है। इसका एक ही कारण है कि सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपना रखी है। उसे तो हाथ ही जोड़ना है चाहे कोई कितना ही गलत काम क्यों न करे। चाहे यह देश बर्बाद ही हो जाए आपके दिमाग में यह विचार ही नहीं आ रहा है कि इसका कोई इलाज होना चाहिए। वरना जो घोषित अपराधी हैं, जिनके खिलाफ वारन्ट है और जो हत्याओं के बाद में स्वीकार करते हैं कि हम इनाम देंगे, हमारी शरण में आ जाओ तुम्हारी रक्षा की जायेगी—वे आराम से बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं अपराधी कहीं पर भी हो—मन्दिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में—वहां उसका पीछा होना चाहिए। पहले आप कहा करते थे कि ये केवल 10-12 उग्रवादी ही हैं, फिर आपने कहा दो सौ

ढ़ाई सौ हो गए हैं और अब चार सौ पांच सौ बतायेंगे लेकिन जब आप 10-20 उग्रवादियों का मुकाबला नहीं कर पाए तो चार सौ पांच सौ का मुकाबला किस प्रकार से करेंगे ?

यह जो स्थिति चल रही है, हमारे साथी कह रहे थे कि यह सरकार के धैर्य की परीक्षा थी। एक तरफ लोग मारे जा रहे हैं, हत्यायें हो रही हैं और सरकार धैर्य की परीक्षा में पड़ी है। लेकिन सरकार का अर्थ धैर्य की परीक्षा नहीं होता है, सरकार का अर्थ है कि प्रबन्ध होना चाहिए।

बहुत पहले से यह सिद्धान्त चला आ रहा है कि हाथ जोड़ने से शासन नहीं चला करता है। लेकिन ऐसे लोगों के सामने आपने घुटने टेक दिए। आज आपने 25 वें अनुच्छेद को निकालने के लिए फैसला कर लिया और हो सकता है कल आप खालिस्तान के लिए भी तैयार हो जायें। जिस तरह का हिंसा का वातावरण देश में पैदा किया गया, हो सकता है आगे इसी तरह का मोर्चा लगे तो इसी ढंग से आप फिर कह देंगे कि हम इसको भी मान लेते हैं। जिस रास्ते पर उग्रवादी आपको खींच कर ले जा रहे हैं वह देश के विभाजन का रास्ता है। यह रास्ता देश को तोड़ने वाला है। देश को तोड़ने की यह नींव रखी जा रही है। इन विचारों से देश में अविश्वास पैदा हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर आपको गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। थोड़े से आदमी संविधान को जलाकर जो चाहें करवा लें, आप उसको मानकर बैठ जायें यह मैं समझता हूं सारे देश के साथ द्रोह है।

सदन में अभी हमारे साथी ने इधर से कहा कि चण्डीगढ पंजाब को दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए ? इसलिये कि वे आदमियों को मार रहे हैं, संविधान को जला रहे हैं, और किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए उनको राजी करने के लिए चण्डीगढ़ दे देना चाहिए। आपको मालूम है जिस समय शाह आयोग बना तो चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया गया था क्योंकि चंडीगढ़ में हिन्दी बोलने वाले 65 प्रतिशत लोग रहते हैं। इसलिए पूरी रोपड़ तहसील और चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया गया था। आज से 13 साल पहले प्रधान मंत्री ने एक एवार्ड दिया था जिसमें चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया और फाजिलका और अबोहर के लिए कहा कि वह इधर आए लेकिन पूरे 13 साल बीत गए, इधर भी झगड़ा, और उधर भी झगड़ा पूरे देश का नुकसान हो रहा है, सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है लेकिन हरियाणा और राजस्थान की धरती सूखी पड़ी हुई है। पानी की व्यवस्था करने के लिए नहरें बनकर तैयार हैं लेकिन पंजाब में चूंकि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है इसलिए टाइम बीत रहा है। नहरें बन गईं, सब कुछ हो गया लेकिन पंजाब के खेतों से नहरें नहीं बन पा रही हैं। तो यह जो सारी चीजें हैं इनका एक ही कारण कि केन्द्रीय सरकार अपने फैसले पर खड़ी नहीं होना चाही है। अभी वाजपेयी जी ने कहा कि सरकार को अपना फैसला देना चाहिए और जो फैसले सरकार ने किए हैं उनको लागू करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से लोग पिस्तौल बन्दूक लेकर सरकार के फैसले को नहीं चलने देंगे और टाइम बीतता रहेगा तो सारे देश में अव्यवस्था बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए मैं समझता हूं इस सारे वातावरण के पीछे सरकार की तुष्टीकरण की नीति ही जिम्मेदार है। सरकार हर चीज को लटकाने की नीति पर चल रही है। इस वातावरण को देखते हुए सरकार को कुछ फैसला करना चाहिए। और उसे लागू करना चाहिए। अभी अफीम की बात हमारे सामने आई लेकिन अफीम के साथ साथ अगर पंजाब में शराब के आंकड़े भी लिए जायें तो वह भी चौकाने वाले होंगे।

शराब और अफीम, साम्प्रदायिक भावना को मिलाकर फौज बनाई जाएगी, गैंग तैयार होंगे और सरकार कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होगी, तो यह स्वाभाविक बात है कि इस तरह के झगड़े होंगे और लोग मारे जायेंगे। तीन साल से यह सरकार काम कर रही है, लेकिन एक भी घटना ऐसी नहीं है कि सरकार ने किसी को मौके पर पकड़ा हो या किसी को गिरफ्तार किया हो। यह ठीक बात है कि वहां की पुलिस या जो भी प्रबन्धक हैं, इस समस्या को हल करना उनके बस की बात नहीं है। पंजाब की पुलिस किसी समय में, मैं समझता हूं कि सारे देश में बहादुर पुलिस समझी जाती थी। लेकिन आज पंजाब की हालत यह है कि वहां लोगों को पकड़ने से डर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार कोई फैसला नहीं कर रही है। तीन साल के बाद हम यह सोच रहे हैं कि पुलिस ऐसी हो गई है इन चीजों के लिए आपको फैसला लेना पड़ेगा। हथियार बाहर से आ रहे हैं। ट्रेनिंग दी जा रही है। लोग ट्रेनिंग लेकर लोगों को मार किले में घुस जाते हैं। आपने यह फैसला कर लिया है कि हम किले को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि यह कौन सा धर्म है, कौन सा कानून है कि अपराधी लोग गैंग बनाकर और किला बनाकर इकट्ठे हो जायें। निरअपराध लोग मरते जायें और सरकार आराम से बैठी रहे। मैं समझता हूं कि सरकार फिजूल के धर्म संकट में फंस गई है। यह गलत लाइन आपने शुरू से पकड़ी है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सारा पंजाब तबाह हो रहा है और पूरे देश में तबाही हो रही है। यदि आप इसके ऊपर फैसला नहीं करते हैं और टालने वाली बात करते हैं तो इसका परिणाम यह निकलेगा कि इस का असर पूरे देश पर पड़ेगा। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है।

मैं पंजाब में हर बीस दिन में जाता हूं। मैं वहां जाता हूं, तो लोग चिन्ता करते हैं कि स्वामी जी कोई गोली मार देगा। यह हालात वहां लोगों की हो रही है। कोई पंजाब में नहीं जा सकता है, काम नहीं हो सकता है। कोई भी व्यवस्था नाम की चीज वहां पर नहीं रह गई है। इसके लिए आपको हिम्मत करनी चाहिए। एक बार गृह मंत्री जी ने कहा कि हम सात दिन में एक्शन लेंगे। उसी दिन बयान आया कि सारे देश भर से लोग इकट्ठे हो जाओ और लड़ाई के लिए मोर्चा बनाओ और तैयार हो जाओ। सेठी साहब ने कहा कि हमने ऐसा नहीं सोचा और ऐसा नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरे देश के लिए खतरा बन गया है। इसके लिए आपको अपना मन बनाना पड़ेगा। जो अपराधी व्यक्ति हैं, वे ऐसे कामों में लगे हुए हैं और सी आर पी एफ व बी एस एफ के लोग कहते हैं कि हमें कोई आदेश नहीं है, हम क्या करें। हमें कोई काम ही करने नहीं दे रहा है। इस प्रकार की स्थिति वहां पर पैदा हो रही है। जनता सोच रही है। कि सरकार डरी हुई है। इसके लिए आपको फैसला लेना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हू कि 25 वें अनुच्छेद को आप बदलने की बात सोच रहे हैं, तो यह पूरे देश के लिए बहुत ही गलत चीज होगी। इसका परिणाम यह निकलेगा कि देश को तोड़ने की साजिश करने वाले लोग ज्यादा मजबूत होंगे। उधर पाकिस्तान फिर खालिस्तान इस प्रकार की चीजें हैं। इस प्रकार की नींव आप रखने जा रहे हैं, इस के लिए आपको पुनः विचार करना चाहिए। अपराधी लोगों को जहां भी वे हैं, किसी भी जगह पर हैं, उनको तुरन्त पकड़ना चाहिए। तब जाकर लोगों के अन्दर आत्म विश्वास पैदा होगा। आपने वारन्ट कर रखे हैं, फिर हम आपसे मांग करते हैं चाहे भिंडरावाला हो या चाहे कोई भी हो, जो-भी अपराधी है, उसको आपको पकड़ना चाहिए। यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। हर आदमी दुखी है। लोग कह रहे हैं कि हम को मर-

बाया जा रहा है। पंजाब के लोग मांग करते हैं कि हम को सुरक्षा मिलनी चाहिये। वहां 24 घंटे की भूख हड़ताल की गई, जिस में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, मैं भी उनके साथ बैठा। उनकी सिर्फ एक मांग थी कि हमको हथियारों के लाइसेंस दे दो, जब सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो हमारे पास हथियार होंगे तो हम खुद अपनी रक्षा कर सकेंगे। लेकिन सरकार न उन को हथियार देना चाहती है और न खुद रक्षा करना चाहती है, कोई फैसला नहीं करना चाहती है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा—पंजाब में दबाव में आकर यदि आप चण्डीगढ़ उस को दे देंगे, पानी का कोई फैसला नहीं होगा, यदि हरियाणा के साथ इस तरह का अन्याय करने की कोशिश की गई तो वह बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा·····

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) सभापति जी, आप घन्टी बजा रहे हैं, लोक दल सबसे बड़ी पार्टी है—उसको ज्यादा टाइम मिलना चाहिये।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : श्रीमन्, यह वाजिब बात नहीं है, आपको माननीय सदस्य को बोलने के लिये पूरा टाइम देना चाहिये।

सभापति महोदय : बहुत सारे साथियों को बोलना है, मुझे टाइम का ख्याल रखना होगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप मुझे बतलाइये—आप ने क्या समय निर्धारित किया है ?

श्री मनीराम बागडी : क्या आप समझते हैं कि लोक दल का टाइम सब से कम है ?

सभापति महोदय : आपने लोक दल की बाबत पूछा है—उनका टाइम 15 मिनट है और स्वामी जी 16 मिनट बोल चुके हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : 15 मिनट में काम नहीं चलने वाला है।

सभापति महोदय : मैंने फिर भी उनसे निवेदन किया है कि हो सके तो टाइम का ख्याल रखिये।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय वायदा किया था कि जितना समय लगेगा आपको दे देंगे और इस पर पूरा डिस्कशन होगा।

सभापति महोदय : आप हाउस में चाहे जो फैसला कर दें, लेकिन मेरे पास जो चीज है मैं उसी के हिसाब से चलूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मुझे आप पर कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इन को आधा घन्टा दे दो।

स्वामी इन्द्रवेश : मैं निवेदन कर रहा था कि पंजाब की आज जो स्थिति है, उसका मुख्य कारण यह है कि पंजाब की व्यवस्था गलत लोगों के हाथों में है। मैं समझता हूं—पुलिस के बजाय वहां पर बी० एस० एफ० के लोगों या फौज की टुकड़ियों के हाथों में वहां की व्यववस्था सौंपिये। आज बहुत से लोग पंजाब छोड़ कर इधर आ रहे हैं। सैंकड़ों व्यक्ति मुझ से मिले हैं—व्यास में, तरनतारण में, पट्टी में, लुधियाना में। लोग कहते हैं—स्वामी जी, पहले हम पाकिस्तान से लुट-पिट कर आये, अब हमें यहां से भागना पड़ेगा। आज जो वातावरण वहां बना है इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? इसकी भी एक लम्बी कहानी है। यह संयोग की बात है, प्रधान मन्त्री जी की नीयत के बारे में मैं क्या कहूं, 1966 में प्रधान मन्त्री जी सत्ता में आई और तभी पंजाब का बट-

वारा इन के हाथ से हुआ । इन्हीं के टाइम में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल अलग अलग राज्य बने । अलग हो जाने के बाद भी जो फैसले प्रधान मन्त्री जी ने किये, वे कभी भी लागू नहीं हुए । मुझे याद है जिस समय यह 70 का अवार्ड दिया, मुझे जेल में रहना पड़ा था । इस समय कितने ही लोगों को गोलियां लगीं, सबकुछ हुआ और जो कुछ लोगों ने अपनी बात कहनी थी विरोध की वह कही, लेकिन आज 13 साल हो गए, उसको लागू नहीं किया गया । न ही आज लागू करने का सोचा जारहा है । यही पानी की स्थिति है । सौ करोड़ रुपए लगाकर हरियाणा में पक्की नहर बनकर तैयार है । 40 करोड़ रुपया पंजाब को दिया जा चुका है, दो साल पहले प्रधान मन्त्री जी कपूरी गांव में उद्घाटन करने के लिए गई थीं हरियाणा में पानी आने के लिए पंजाब क्षेत्र में नहर बनाने का । आज दो साल पूरे हो गए पर एक कस्सी भी नहर बनाने के लिए नहीं चलाई गई । ढाई सौ इंजीनियर, ओवरसियर, हजारों मजदूर हरियाणा सरकार से तन्खवाह ले रहे हैं । अब क्या नहर निकालने के लिए हरियाणा के लोगों को जाना होगा । वहां पर जब भी ये लोग नहर बनाने के लिए जाते हैं तो इनका सामान छीन लिया जाता है । पाकिस्तान में पानी जा रहा है तो जाने दीजिए लेकिन राजस्थान और हरियाणा को पानी नहीं मिलना चाहिए ।

अकालियों ने, उग्रवादियों ने शोर पैदा कर दिया, लोगों को मार दिया तो कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ तो इनको दे ही देना चाहिए । मैं समझता हूं कि ये जो सारी चीजें आज हो रही हैं, यह अन्याय हो रहा है । अगर यह इस तरह से चलता रहेगा तो हरियाणा में भी झगड़े शुरू हो जाएंगी हरियाणा के लोग भी बेचारे जेलों की तरफ चलेंगे । इस स्थिति को बदलने के लिए आपको कुछ करना चाहिए ।

अपोजीशन की तरफ से कोई बात कही जाती है तो उनको दूसरा रूप दे दिया जाता है । आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने यह कहा था कि पुलिस और फौज को अपराधियों को पकड़ने के लिए हर जगह पर जाना चाहिए । प्रधानमन्त्री जी पंजाब गईं और वोट इकट्ठे करने के लिए यह कहा कि अपोजीशन वाले कह रहे हैं कि गुरुद्वारों में चले जाओ लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी । यह नहीं हो सकता । आखिर यह देश कैसे चलेगा । कल को और लोग भी अपनी गेंग बनाकर बैठ जाएंगे । आप उनको कैसे रोक सकेंगे । जब आप एक संप्रदाय के सामने घुटने टेक देंगे और हर बात उनकी मान लेंगे तो कैसे काम होगा । आज बिना लायसेंस के हथियार उनके पास हैं । वे अपराध करके चले जाते हैं । इस स्थिति को देखकर आज देश को आशंका हो रही है । आपको कोई न्यायोचित फैसला लेना चाहिए । देश को बचाने के लिए कोई फैसला लेना चाहिए ।

अभी हरियाणा में भी यही हुआ । विधान सभा के उपाध्यक्ष पर हमला हुआ । दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं । इन सारी चीजों को रोकने के लिए कोई फैसला आपको लेना चाहिए । मैं समझता हूं कि सबसे पहले आपको उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो गुरुद्वारों में बैठे हुए हैं । जो हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं । 25 वें आर्टिकल को बदलने की जो बात है, यह राष्ट्र को तोड़ने वाली बात है । इसके ऊपर आपको पुनरविचार करना चाहिए । हिंदू सिक्ख एकता के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए । थोड़े से उग्रवाद हैं, उनकी बात को रोज आप तूल देते हैं और जो आम आदमी गांव का है, किसान है, मजदूर है, सिक्ख है पंजाब का, जिसके मन में मजहब का जहर नहीं है, उनके प्रति सोचने वाला आज कोई नहीं है । पंजाब की आवाज़

आज उग्रवादियों की आवाज मानी जा रही है। यह सारा जो गलत प्रचार हो रहा है, इसको रोकने में सरकार फैल हो रही है। इसलिए या तो सरकार को छोड़कर कोई फैसला लेना चाहिए या जैसा कि प्रस्ताव आ रहा है, सरकार को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। धन्यवाद।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े गौर से अपने विरोधी पक्ष के नेताओं के भाषणों को सुना। मैं ऐसा मानती थी कि जिस कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं तो कुछ निश्चित सुझाव सरकार के सामने आयेंगे। लेकिन, जैसा कि पिछली बहसों में होता रहा है, केवल सरकार के ऊपर तथ्यों के बिना दोषारोपण हुआ।

उसी टोन में आज सब बातें कही गई हैं। आज, हम सबको चाहे इधर के या उधर के सदस्य हों, इस बात की फिक्र है कि कैसे पंजाब का मसला हल किया जाए ? यह पंजाब का ही नहीं बल्कि देश को किस तरह इकट्ठा रखा जा सकता है, इसका सवाल है। मैं यह मानती हूं कि पंजाब में जो विशेष परिस्थिति है उसका हल ढूढना पड़ेगा। इस के लिए क्या-रास्ता हो सकता है, अलग-अलग तरीके से सोचना पड़ेगा ? सवेरे जो हमने अखबार में पढ़ा, वह मैं आपको बताना चाहती हूं।

पंजाब को भयानक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

मैं समझती हूं, सरकार ने एक सही कदम उठाया है। इसमें जितनी सख्ती हो सकती है, कानून के अन्तर्गत, उसको सरकार को अवश्य करना चाहिए।

> "आदेशों के अनुसार सुरक्षा सेनाओं को बिना वारन्ट गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है कि किसी भी ऐसे परिसर में जिसका उपयोग चोरी के सामान, अस्त्रों-शस्त्रों एवं व्यक्तियों को छिपाने के लिये किया जाता, में प्रवेश करके उसकी बिना वारन्ट तलाशी ले सकें। उन्हें शक्ति दी गई है कि वे कुख्यात अपराधियों द्वारा प्रयोग की जा रही किसी भी गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं। उन्हें शक्ति दी गई है कि कुख्यात अपराधियों द्वारा प्रयुक्त किसी सन्देहशील गाड़ी को रोक सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं तथा उसे अधिकार में ले सकते हैं।"

मैं सरकार से बहुत जोरदार शब्दों में कहना चाहती हूं कि पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी पावर्स दी गई हैं तो फिर ऐसे विख्यात अपराधी को, जिसको सारा देश जानता है और एक-एक बच्चे की जुबान पर है और वह अपने आपको इतना बड़ा संत कहे, मैं यह मानती हूं कि वह कातिल के दर्जे में आते हैं। उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फोर्स को तैयार किया है। मैं ऐसा मानती हूं कि दूसरे देशों के लोगों के द्वारा भी प्रभावित होकर काम हो रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी ऐसे स्थान पर जाकर बैठे हुए हैं तो क्या करना चाहिए ? यह सारे राष्ट्र में बहस की चीज बनी हुई है। मैं समझती हूं राष्ट्र के जीवन में ऐसे मौके भी आते हैं जिनको हल करने के लिये रूथलैस तरीके से कानून लाना पड़ता है जब डी० आई० जी० अटवाल मारे गए थे तो सारे देश में एक आवाज आई थी कि गुरुद्वारे की तरफ से गोली आई है या अपराधी उधर गया है तो सरकार को हिचकना नहीं चाहिए। लेकिन, उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया। अब दोबारा दो दिनों के अन्दर ही श्री खन्ना और हमारे राज्य सभा के सदस्य श्री तिवारी जी की हत्या हुई। बहुत ही नृशंस तरीके से उनको मारा गया। आज फिर सारा देश यह अपेक्षा

करता है कि गृह मंत्री ऐसे कदम उठायेंगे, जिनसे जान पड़े, लोगों को लगे कि कानून का पालन हो रहा है। कानून का पालन करने के सम्बन्ध में अब हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि अपराधी किस स्थान में हैं। लोक सभा की सारे दिन की बहस सरकार को यह ताकत देती है, इस हाउस का कानसेन्सस है, इस हाउस के बाहर भी सारे देश का जनमत है कि सरकार यह कदम उठाए। पूरी पार्लियामेंट और देश की जनता उसके साथ होगी।

सवाल हिन्दुओं और सिखों का नहीं है। सवाल यह है कि हम किन सिद्धान्तों पर अपने देश को चलाना चाहते हैं। हमारे देश में केवल एक जाति और धर्म के लोग नहीं रहते हैं। यहां पर अनेक जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। उनके अलग अलग स्थान हैं। अगर आज कुछ उग्रवादी लोग एक स्थान में रहने लगें, तो इसके मानी ये होगे कि हम दूसरों को भी ऐसे तत्वों को पनाह देने की दावत देते है, इसका रास्ता दिखाते हैं। इसलिए अगर हमने इस प्रवृत्ति को यहीं पर रोक लिया, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं केन्द्रीय सरकार से दोबारा बहुत जोरदार शब्दों में कहना चाहती हूं कि इस समय पंजाब में केन्द्रीय शासन है और उसकी सीधी जिम्मेदारी है, इस लिये वह इस बारे में उपयुक्त कदम उठाए।

अब स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला है। आज भारत की जनता एक्शन चाहती है। भारत की जनता सोच रही है कि अब और कितनी जानें जाएंगी। मैंने अखबार में पढ़ा है कि जब श्री तिवारी की हत्या के बाद सी० आर० पी० के साथ मुठभेड़ में 9 लोग मारे गए, तो लोंगोवाल साहब ने उनके साथ सहानुभूति दिखाई। लेकिन एक्स्ट्रीमिस्ट जिन निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, उनके बारे में न लोंगोवाल, न भिंडरांवाले और न दूसरे अकाली नेता बोले हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं यह भी नहीं मानती कि भिंडरांवाला, लोंगोवाले, या दूसरे अकाली अलग अलग हैं। मैं समझती हूं कि ये सब मिल कर काम करते हैं। कोई किसी आवाज में बोलता है, कोई किसी आवाज में बोलता है। उनके साथ हमें अपराधी की तरह बात करनी चाहिए पहले तो यह देखना होगा कि अपराधियों के साथ टेबल पर बात होनी चाहिए या नहीं। बात पोलीटिकल पार्टीज के साथ होनी चाहिए। पहले हमें अपराधियों को अलग करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कौन राजनैतिक दल और लोग यह काम कर सकते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : क्या आपकी सरकार में ऐसी हिम्मत है, यह दम है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : हमारी सरकार को और इधर के लोगों को इस बारे में उतनी ही फिक्र है, जितनी कि माननीय सदस्य को। बल्कि हमें ज्यादा फिक्र है, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम शासन को चला रहे हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थिति एक दिन भी रहने पाए।

मैं मानती हूं कि आर्टिकल 25 को लेकर देश में आज बातें चल पड़ी हैं, लेकिन यह मान-इस्यु है। अकालियों के सामने यह इस्यु था ही नहीं। आप जानते हैं कि पहले 1973 से आनन्द-पुर साहब रेजोल्यूशन को ले कर बात चली। शुरू में लोंगोवाल साहब और दूसरे अकाली नेता अपने स्टेटमेंट्स में कहते थे कि खालिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई कैनेडा या बर्मिंघम में बैठा कोई स्टेटमेंट देता है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। धीरे-धीरे पता चला कि संघू साहब गुरुनानक निवास में हैं। बाद में उन्हें वहां से हटाया गया। भिंडरांवाले पहले गुरुनानक निवास में रहते थे। अब वे अकाल तख्त में पहुंच गए हैं, वह ऐसी जगह पहुंच गए हैं, जहां वह समझते हैं कि आदेश दे कर किसी को भी मरवा सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित अकालियों की मांगों तथा आनुषंगिक मामलों के बारे में गृह मंत्री द्वारा 2 अप्रैल, 1984 को सभा में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

कल 15 पन्द्रह बीस निहंग सिख मेरे पास आए। वे सब हथियारबंद थे। किसी के पास भाला था, किसी के पास कोई दूसरा हथियार था। हमारे साथ बैठ कर उन्होंने कहा कि हम गांवों के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहां हिन्दू और सिख के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग इसके साथ नहीं जाना चाहते हैं और वह बड़ी हिम्मत के साथ यह कह रहे थे कि हम लोग पंजाब में हिन्दू सिख एकता के लिए वातावरण बनाने के लिए आपके पास पूछने के लिये आये हैं कि हमें क्या करना है। हमने कहा कि यह जो आपने काम किया है हमारी पार्टी हमेशा ही कम्युनल हारमनी में विश्वास करती आई है, आप इस काम को करना चाहते हैं तो जरूर करिए। उनके लीडर ने कहा कि हमारे गांव में यह चीज नहीं है। जो थोड़े से लोग बदमाश किस्म के हैं, ये उसके लब्ज हैं कि जो थोड़े से बदमाश किस्म के लोग हैं वह इस तरह के काम कर रहे हैं। हम लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं है। यह न समझा जाय कि सारे सिख यह कर रहे हैं। जब उन का मुखिया इस बात को कह रहा था तो बाकी सब लोग जो उस के साथ आए थे, सब ने सिर हिलाया जिसका मतलब था कि जो उनका मुखिया कह रहा है वह ठीक कह रहा है। इससे आप अन्दाजा लगाएं कि थोड़े से लोग जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वह इस तरह की चीज कर रहे हैं। लेकिन उस आतंक के वातावरण में जो साधारण व्यक्ति हैं, जो निहत्थे लोग हैं वह तो रोज रोज उनसे लड़ाई नहीं ले सकते।

अभी भिंडरांवाले ने और संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल सब ने यह कहा कि यह जो सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन को बैन कर दिया गया है उस बैन को वापस लेना चाहिये और साथ साथ एक और धमकी आई है, यह दसमेश रेजिमेंट नाम की कोई एक नयी चीज और आ गई। कहा यह गया कि हम रोज एक न एक पोलिटिकल पार्टी के लोगों को मारा करेंगे। यह भी धमकी दी जा रही है। तो यह स्थिति ऐसी है कि जिसमें सरकार को अब पूरी तरह से ऐक्शन लेना है, वह ऐक्शन चाहे जिस रूप में भी हो और उसमें मैं समझती हूं कि इधर और उधर के सभी माननीय सदस्यों का समर्थन होगा। उस समर्थन के लिए हम आज इस बात को कह रहे हैं।

मैं श्री गिरिलाल जैन के एक आर्टिकल का उदाहरण देना चाहती हूं जो उन्होंने संविधान के आर्टिकल 25 के ऊपर लिखा है। उसका आखीरी पैराग्राफ बहुत ही विचारणीय है और मैं उस से सहमत भी हूं :

> "अन्ततः सिक्खों में से एक राजनीतिक समुदाय बनाने के यत्न के अन्तर्गत होगा··· एक पृथक राज्य क्षेत्र जिसमें बहुमत तथा सर्वोच्च अधिकार स्थायी रूप से निश्चित हैं। उसके परिणाम इतने भयंकर हैं कि वे बताये नहीं जा सकते, परन्तु वे हैं स्पष्ट।"

कुछ लोग जो ऐसी बातें कह रहे हैं वह एक बार कुछ कहते हैं दूसरी बार कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ वह कुछ ऐसी चीजों को करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जिससे ऐसा वातावरण वहां बन रहा है।

संविधान का जो आर्टिकल 25 है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह हमारा जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और अब हम सोशलिज्म को भी मानते हैं, इन तीन खम्भों के ऊपर हमारा इंडियन रिपब्लिक टिका है और यह सेकुलरिज्म उसका एक बहुत मजबूत खम्भा है जिसमें राइट टु फ्रीडम आफ रेलीजन फंडामेंटल राइट्स के अन्दर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि भारत

एक धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। सब धर्मों को यहां आजादी दी गई और उसके बारे में कहा गया है :

धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता तथा अन्तःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

इतना स्पष्ट लिखा हुआ है और इसके ही एक्सप्लेनेशन में यह दिया है जिस को लेकर झगड़ा मच रहा है :

'कृपाण धारण करना तथा उसे लेकर चलना सिख धर्म, के मानने का अंग समझा जायेगा।"

तो किसी भी जाति, धर्म या ऐसी किसी भी चीज के लिए हमारे कांस्टीच्यूशन में बड़े एलैबोरेट ढंग से, बड़े विस्तृत तरीके से वह सारी चीजें डाल दी गई हैं जिसकी आए दिन जरूरत है। साथ साथ जिन बातों से समस्या का हल हो सकता है या आगे कोई समस्या खड़ी हो सकती है, संविधान बनाने वाले लोगों ने उस को भी देखा था। सैक्यूलर इंडिया में, भारत में, हर धर्म के लोगों को आजादी दी जा रही है। उसमें जो शब्द हैं—

इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी जो—

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो;

सवाल यह उठता है कि जो हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं, वे आर्टिकल के बारे में जनता को बतायें कि देश को तोड़ने की स्थिति पैदा की जा रही है। पंजाब के अन्दर हिन्दू-सिख परिवार एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसको विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी साजिश है, इसके लिये जरूरी है कि इस आर्टिकल को बहुत अच्छी तरह से समझा जाए। सरकार ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे, मैं समझती हूं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी बात को मान ही लेंगे। बातचीत करना एक चीज है और किसी चीज को मान लेना दूसरी चीज होती है। डैमोक्रेसी में बातचीत के लिये रास्ता खुला होता है। यदि किसी चीज को लेकर कोई बात खड़ी होती है, हमारे संविधान की पुस्तक के खिलाफ कोई काम करता है, उसके आदर, उसके सम्मान के लिए कोई व्यक्ति काम करता है, चाहे जलाकर या फाड़कर या फिर कुचलकर, तो यह संविधान की अवहेलना करना है। जिसको हमने काफी सोच समझ कर बनाया है। हमने देश में स्टेट रिलीजन को नहीं माना है, भारत में मैजोरिटी हिन्दुओं की है, लेकिन हमने हिन्दू को भी अपने भारत का स्टेट रिलीजन नहीं माना है, इस देश में हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिक्ख भी रहते हैं, बौद्ध और जैन भी रहते हैं, तरह-तरह के लोग रहते हैं। हमारा यह पवित्र कान्स्टीचूशन हैं, हम इसको सर्वोपरि मानते हैं इसके अन्दर जनता के अधिकार निहित हैं। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और जिसको लेकर त्याग और बलिदान किया। हमने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और मैं भी फ्रीडमफाइटर हूं। उस वक्त हमने तिरंगे झंडे की रक्षा की और उसके बाद यह कान्स्टीचूशन बना है। इस संविधान से हमें प्यार है, मोहब्बत है, और यह भारत की एकता का प्रतीक है : यदि कोई संविधान के टुकड़े करना चाहता है या उसकी अवहेलना करना चाहता है तो उसको न तो इस देश की जनता बर्दास्त करेगी और न जनतन्त्र शक्ति इसको बर्दाश्त करेगी।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस प्रकार की स्थिति जनता के अन्दर पैदा करें, जिसमें कि जनमानस में विश्वास पैदा हो सके। जहां पर ऐसे कत्ल और अपराध होंगे, वहां पर आपको एक्शन लेना चाहिए। जो भी तरीका हो, यह मैं सरकार के ऊपर छोड़ती हूं, सरकार के पास हर तरह की शक्ति है। यह जो एक्स्ट्रीमिस्ट है, इनसे बात करने का सवाल नहीं उठता है, बात पोलिटिकल पार्टियों से हो सकती है। दूसरे एक्स्ट्रीमिस्ट के जो नेता हैं, उनको आपको अलग करना पड़ेगा और अलग करके उनको आजन्म कैद के अन्दर रखें और इस तरह की चीज आपको करनी चाहिए। ऐसे लोग जो राष्ट्रद्रोही हैं, उन से आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं है, बात करने के लिए हमेशा पोलिटिकल पार्टियों का रास्ता खुला है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, श्रीमान्, जैसे-जैसे समय व्यतीत हो रहा है तथा वाद-विवाद समाप्ति की ओर जा रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं कि प्रो० रंगा तथा कुछ अन्य सदस्य इस बात को दोहराते रहते हैं कि प्रधान मंत्री को अन्यत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। हम अनुभव कर रहे हैं कि हमें तथा देश को उनके द्वारा हस्तक्षेप का लाभ नहीं पहुंचेगा, तथा उनकी ओर से कोई नेतृत्व नहीं प्राप्त होगा। फिर भी मैं इस बात पर आग्रह नहीं करता क्योंकि उनके कार्य करने का तरीका यही है, वे ऐसा करने में स्वतंत्र हैं। परन्तु मेरी राय मे यह अत्यन्त दुःखद बात है क्योंकि सारा देश जानता है कि आज इस पर वाद-विवाद हो रहा है, वे इसे भली प्रकार जानते हैं, वे जानते हैं कि कल क्या हुआ तथा हर एक साधारण व्यक्ति उम्मीद करता है कि प्रधान मंत्री इस पर कुछ कहेंगी।

प्रो० मधु दंडवते : उसकी कोई परवाह नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर भी मैं उस पर ध्यान नहीं देता। परन्तु उनके पिताजी ने ऐसी स्थिति में कैसा व्यवहार किया होता। मुझे विश्वास है कि वह सभा में जरूर उपस्थित रहते। फिर भी मैं इन सभी बातों को नहीं लेता। मैं उनके वक्तव्य के लिए अधिक उत्सुक था क्योंकि कल बताया था कि परसों वह विदेश जाने वाली हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भी आज जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु दुर्भाग्य से आपने मुझे देश का प्रधान मन्त्री नहीं बनाया। उस स्थिति में मैं बाहर न जाता।

श्री बूटा सिंह : महोदय, यह अधिकार भारत की जनता के पास है। वह जानती है कि कौन व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार बूटा सिंह जिनको इस सदन में सभी भली प्रकार जानते हैं, ने अभी पिछले दिन मुझे सूचित किया—मुझे उम्मीद है कि मैं कोई गुप्त बात प्रकट नहीं कर रहा हूं, दूसरे लोग भी उपस्थित थे, लेकिन वे मुझे शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे और वस्तुतः मैं शिक्षित हुआ भी। उन्होंने मुझे बताया कि 11 वर्ष पहले अकाली दल ने 1973 में हुए सम्मेलन में दल के संविधान में मूलभूत परिवर्तन कर दिए। अकाली दल के संविधान में मौलिक परिवर्तन हो गया है। यदि मैंने उसे गलत समझा है, तो वह कृपया मुझे सही स्थिति बता दें, क्योंकि मैं इसे सही रूप में जानने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हूं। इन विषयों में मैं अनजान व्यक्ति हूं। इसलिए मैं उनसे सीख रहा था। उन्होंने बताया कि उनका संविधान 1973 में मूलतः बदल गया है और संविधान में कुछ विचार और सिद्धान्त सम्मिलित किये गये जिनका प्रतिबिम्ब

बाद में आनन्दपुर साहिब-संकल्प में पड़ा है। इसलिए उन्होंने बताया कि आज का अकाली दल कुछ वर्ष पहले वाला अकाली दल नहीं है, इसकी विशिष्टताएं बदल गई हैं और इसलिए मैं, श्रीमती वाजपेयी ने जो कुछ अभी बताया है, उससे सहमत हूं कि हमें कृत्रिम भेद नहीं करना चाहिए कि कौन उग्रवादी है और कौन नरमपंथी है, कौन तर्कपूर्ण बात को मानता है और कौन उग्रवादी बात को मानता है। ये अकाली दल के भीतर के विभिन्न पहलू हैं तथा विभिन्न चालें हैं जिन्हें हमें समस्या के समाधान के लिए समझना है। अब यह बात प्रतिदिन स्पष्ट होती जा रही है कि वे कहां जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि श्री लोंगोवाल ने निन्दा नहीं की है—यहां तक कि मैंने कोई ऐसा विवरण नहीं देखा है जिसमें उन्होंने सरदार मनचन्दा की हत्या की निन्दा की हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह कल ऐसा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां और अब हम अनुच्छेद 25 पर आते हैं। श्रीमान् पिछले सप्ताह के अन्त में, शनिवार और रविवार को मैंने पंजाब के कुछ स्थानों का दौरा किया। मैंने जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, खन्ना, गोविंदगढ़, चंडीगढ़ और हर जगह जहां भी हमने सभाओं का आयोजन किया, उनमें हिंदू और सिख दोनों ओर के श्रोताओं से पूछा था कि क्या बात है कि इन सब वर्षों में अकाली नेतृत्व ने अनुच्छेद 25 के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यहां तक कि जब वे दो बार मंत्रीमण्डल में थे और श्री प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमन्त्री थे, मंत्री पद की हैसियत से वे इस मामले पर आंदोलन कर सकते थे यदि वे इस विषय पर गंभीर होते, यदि वे इस विषय में सब कुछ समझते। उन्होंने तब इस विषय को नहीं उठाया, अब अचानक ही जब उन्हें अन्य मामलों की आवश्यकता है जिन पर कि वे जनता को उत्तेजित कर सकें। उन्होंने इस अनुच्छेद 25 को लिया है।

अब, हमारे गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में उन्हें एक प्रकार की सह दी है। सरकार क्या सोच रही है और सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है, इस बारे में उनको अवश्य एक वक्तव्य देना चाहिए। मैं सोचता हूं आज भी इस सभा में इस मद के प्रारम्भ होने से पूर्व अधिक दृढ़ एवं स्पष्ट वक्तव्य दिया जाना चाहिए था।

4.00 म०प०

जैसा कि श्री वाजपेयी जी ने पहले बताया है कि श्री सेठी द्वारा 2 अप्रैल को दिये गये वक्तव्य में कहा गया है—

> "अनुच्छेद 25 के सम्बन्ध में सरकार को 18 मार्च, 1984 से पूर्व इस बारे में उनसे कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।"

इसका मतलब है 18 मार्च को उन्हें कोई पत्र मिला है। किंतु गृह मंत्री ने सभा को विश्वास में नहीं लिया है। यह औपचारिक पत्र क्या है? उनकी मांग क्या है? वे इसकी परिभाषा कैसे करते हैं? वे क्या चाहते हैं? उन्होंने इसमें क्या लिखा है? मुझे आशा है वह हमें इन बातों को बतायेंगे। जब मैं पंजाब में था तो मैंने कुछ स्त्रोंतो से सुना कि सरकार और अकाली नेताओं के बीच गुप्त रूप से कुछ प्रस्तावों का आदान-प्रदान हुआ—कि यदि सरकार अनुच्छेद 25 का संशोधन करने एवं तदर्थ विचार-विमर्श करने के लिए सिद्धांतत: तैयार हैं तो श्री लोंगोवाल 2 अप्रैल से शुरू किये जाने वाले आंदोलन को स्थगित करने के लिए राजी हो जायेंगे। यह अच्छी

बात है कि उन्होंने हड़ताल स्थगित कर दी। लेकिन इसका महत्व क्या है ? उसी दिन, मध्याह्न पश्चात् रय्या में बम फेंके गये। अलबत्ता, क्या होने वाला है, इसका आभास किसी को नहीं था। हर एक व्यक्ति एक किस्म की राहत महसूस कर रहा था कि आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद सरकार को इस प्रश्न का उत्तर देना है। निरंकारियों का यह सम्मेलन हर सप्ताह रविवार को उस खास जगह पर होता था। यह सत्संग हर रविवार को होता है। इस बात को सरकार जानती है। इस समारोह की खास बात यह है कि काफी संख्या में बच्चे और औरतें उसमें हमेशा आती हैं। वे लोग वहां आये और उन्होंने बम फेंके जिसमें तीन औरतें और एक बच्चा मर गया। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी को पकड़ा नहीं जा सका। कुछ भी नहीं किया जा सका। पंजाब में राष्ट्रपति शासन एक भारी मजाक बन रहा है। इन अभिसूचनाओं के बावजूद जो आप अब जारी कर रहे हैं, यह गड़बड़ी ग्रस्त क्षेत्र अब खतरनाक तौर पर गड़बड़ी ग्रस्त क्षेत्र बन गया है और सेना, सैनिकों और सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियां दी गई हैं और यही सब कुछ हो रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

4.02 म०प०

(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)

जहां तक अनुच्छेद 25 का सम्बन्ध है, जैसा मैं समझता हूं, यदि इस अनुच्छेद को समूचा पढ़ा जाए और इसका उपशीर्षक है—अंतःकरण की तथा धर्म के अबेध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म की नहीं बल्कि सभी धर्मों की। यदि अनुच्छेद का अध्ययन करें तो साफ जाहिर है कि वह धार्मिक पृथकता पर बल नहीं दे रहा है। बल्कि इस अनुच्छेद में धार्मिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की कतिपय समानता पर जोर दिया गया है। मैं श्री सेठी को चेतावनी देना चाहूंगा कि यदि सरकार इस अनुच्छेद में किसी प्रकार का संशोधन करने का विचार कर रही है, तो वह संविधान तथा देश की एकता को भारी आघात पहुचायेगी, गृह मंत्री को हमें बताना चाहिए कि उन्होंने किस बात पर आपत्ति की है क्योंकि अब सरकार और उनके बीच पत्र व्यवहार चल रहा है।

जहां तक सार्वजनिक प्रकार के हिंदू-धर्म संस्थाओं के हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खुला रखने का सम्बन्ध है और यह कहना कि यह बात जैनियों तथा बौद्धों पर भी लागू होगी, कुछ सिखों ने मुझसे कहा, जहां तक सिख धर्म का सम्बन्ध है, यह असंगत है। जहां तक गुरुद्वारों का है, वहां हिंदू-मंदिरों की तरह प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है और उनमें समुदाय के किसी भी सदस्य के लिए प्रवेश करने में कोई प्रतिबध नहीं है। बहुत-से लोग हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें यह मालूम है। किंतु गुरुद्वारों में, मुझे पक्का मालूम है कि, हर व्यक्ति जिसमें महजबी सिख भी शामिल है, खुले आम जा सकते हैं और जाते हैं। सिखों में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके प्रवेश पर भी वहां कोई प्रतिबंध नहीं है।

यदि सिख यह कहते हैं कि इस खण्ड के इस विशेष भाग को जो हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म-संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलता है, सिखों पर लागू करने का कोई अर्थ ही नहीं है तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। क्या हमें पक्का मालूम है कि अकाली इस तरह का तकनीकी परिवर्तन चाहते हैं ? क्या यह केवल शब्दावली का प्रश्न है ? अपने वक्तव्य में श्री सेठी ने कहा है :

"शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों के बीच इस बारे में गलतफहमी प्रतीत होती है कि संविधान के अनुच्छेद 25(2)(ख) के स्पष्टीकरण की शब्दावली सिख समुदाय का भिन्न अस्तित्व प्रदर्शित नहीं करती।"

क्या वे केवल शब्दावली के बारे में ही चिन्तित हैं ? उस स्थिति में कुछ शब्दों को संभवत: इधर-उधर बदला जा सकता है और उसके सार या अर्थ को बदले बिना उस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि वे यह चाहते हैं कि हर एक को एक साथ एक ही वाक्य में न जोड़ा जाये तो उस वाक्य को तीन या चार उपवाक्यों या उपखण्डों में विभाजित किया जा सकता है। बात ऐसी नहीं है। क्या आप गंभीर रूप से विश्वास करते हैं कि अकाली नेता, जिस तरह से वे अब चल रहे हैं, केवल इस अनुच्छेद की शब्दावली से ही चिन्तित हैं ? आपने पहले ही इस सभा में कहा है :

"सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति तथा सिख समुदाय के अन्य प्रतिनिधियों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने तथा संशोधन के रूप में ऐसा विधान लाने के लिए, जो इस प्रश्न पर सन्देहों का निराकरण करने के लिए आवश्यक हो, तैयार है।"

इसलिए, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हमें नहीं पता कि सरकार किस तरह और क्या सोच रही है। क्योंकि यह साफ जाहिर है कि यदि श्री सेठी यह समझते हैं कि केवल एक शब्द को इधर-उधर करने से वे सन्तुष्ट हो जायेंगे, तो मैं नहीं समझता कि वे इससे संतुष्ट हो जायेंगे। यदि सारांश को बदलने का प्रश्न है तो जहां तक समाज-कल्याण एवं सुधार के लिए उपबन्ध करने का संबंध है, उसके लिए खण्ड 25(2)(ख) है। वैयक्तिक कानून भी है। इसलिए हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। पंजाब में यह आम बात है। हर आदमी इस बारे में बात कर रहा है। अकाली वस्तुत: यह चाहते हैं कि उन्हें हिंदू समुदाय से इस तरह अलग किया जाये जिससे उनके लिए पृथक् वैयक्तिक कानूनों का दावा करने के लिए दरवाजे खुल जायें। पृथक् वैयक्तिक कानून जिसे वे चाहते हैं, का सारत: अर्थ यह है कि स्त्रियों को पैत्रिक सम्पत्ति के अधिकार से वंचित किया जाए। मुख्य बात यह है। हमें पता है कि इस आंदोलन का, जो इस समय चल रहा है, मुखिया सिख समुदाय का कौन-सा वर्ग है। इसलिए मैं श्री सेठी से कहना चाहूंगा कि आप पूरी तरह सतर्क रहें क्योंकि आपकी प्रथम निष्ठा अकालियों के प्रति नहीं है। प्रथम निष्ठा संविधान तथा संसद् के प्रति होनी चाहिए। संसद का मतलब है, बहुमत तथा विचारों का मतैक्य जिन्हें यहां इस सभा में व्यक्त किया जा रहा है। उनकी प्रथम निष्ठा उसके प्रति होनी जरूरी है। यदि सत्तारूढ़ दल में ऐसा कोई वर्ग है जो यह सोच रहा है कि पंजाब में चुनाव होने से पहले कांग्रेस (आई) और अकाली दल से समझौता करके मिली-जुली सरकार बनाई जाए तो फिर इस मामले को हल करने का यह कोई तरीका नहीं है। यह केवल अवसरवादिता है और कुछ नहीं। वर्तमान स्थिति में न तो कांग्रेस दल और न ही अकाली दल पंजाब में स्थायी सरकार बना सकता है। राजनैतिक स्थिति ऐसी है जिसे आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस दल जिसका विधान सभा में बहुमत था, अपनी सरकार बनाये नहीं रख सका और उसे वहां राष्ट्रपति शासन लागू करवाना पड़ा। अकाली दल भी पंजाब में आज अकेले अपनी सरकार नहीं चला सकता। इसलिए, मुझे बताया गया है कि कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि अकाली दल और कांग्रेस (आई) के बीच

सुलह करके भविष्य में वहां एक संयुक्त सरकार बनाई जाये। यदि आपकी नीति यही है तो हमें बता दीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : वे आपको बतायेंगे नहीं। वे सिर्फ ऐसा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब मैं चाहता हूं कि वे इसका खण्डन करें। वह ऐसा कहें कि वह ऐसी कोई बात करने के विरुद्ध नहीं हैं।

श्री बूटा सिंह : मुझे खेद है। पंजाब में स्थिति बहुत गंभीर एवं खतरनाक है। हम ऐसी हल्की बातों के बारे में सोच तक नहीं सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या महत्वपूर्ण बात सोच रहे हैं ? हमें बताइए।

श्री बूटा सिंह : केवल वाजपेयी जी और आप जानते हैं जो अकालियों के साथ सत्तारूढ़ होते आ रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम जानते हैं आप किसके साथ बहुत से राज्यों में सत्तारूढ़ हुए हैं।

इस समय मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आपने अकाली दल को खुलेआम आश्वासन दिया है कि आप उनके नेताओं के साथ, कानूनी विशेषज्ञों और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के लोगों के साथ बैठकर संशोधन पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

इसलिए इस सभा को इस संबंध में आपने अवश्य बताना चाहिए क्योंकि संशोधन तो आप इस सभा में ही लायेंगे। अंततोगत्वा सभा की स्वीकृति के लिए वह संशोधन आपको इस सभा के सामने लाना ही पड़ेगा। आपको यह बताना चाहिए कि आप इस विषय पर किस प्रकार से सोच रहे हैं और आपको यह आश्वासन भी देना चाहिए कि इस सभा के सामने कोई ऐसा संशोधन नहीं लाया जायेगा जो लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित करने के लिए प्रेरणा दे क्योंकि अनुच्छेद 25 का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है।

सरदार लोंगोवाल ने जब "आजाद पंथ सप्ताह" आंदोलन वापिस लिया तब उसका कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया। जैसा कि आप जानते हैं अगले दिन ही हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसाकि मैंने पहले कहा तथाकथित उदारवादियों और उग्रवादियों में एक प्रकार से श्रम-विभाजन सा हो गया है। जब कोई सा एक वर्ग बातचीत करना चाहता है या उस विषय पर बैठकर चर्चा करना चाहता है या समझौता आदि करना चाहता है तब दूसरा वर्ग उस बातचीत का माहौल बिगाड़ने के लिए हत्याओं का सिलसिला शुरू कर देता है। आप जानते हैं कि पिछली बार जब त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हुई थी तब क्या हुआ था ? दुर्भाग्य से उस समय अन्य साम्प्रदायिक ताकतों ने मुख्य रूप से हिंदुओं ने ऐसा किया था। हम त्रिपक्षीय सम्मेलन में बातचीत करने जा ही रहे थे। बड़ी मुश्किलों के बाद यह त्रिपक्षीय वार्ता होने जा रही थी। जिस दिन यह बात शुरू होने वाली थी उसी दिन हरियाणा (पानीपत) में यह घटना घटी। बातचीत का वातावरण विषाक्त हो गया और इसके आधार पर अकाली उस बैठक से उठकर चले गए। इस घटना की योजना हिन्दू साम्प्रदायिक ताकतों ने बनाई। आप यह तो नहीं चाहेंगे कि ये लोग कौन थे मैं यह बताऊं। इस बारे में सभा में कई बार बहुत कुछ कहा जा चुका है।

मैं प्रो० दण्डवते से सहमत हूं कि यदि आप यह प्रस्ताव करने और उनसे बातचीत करना चाहते थे तो आपने ऐसा और पहले क्यों नहीं किया ? आंदोलन शुरू होने से कुछ घंटे पूर्व ही आप ऐसा क्यों करते हैं। इस आधार पर सरदार लोंगोवाल को इस आशय का एक सार्वजनिक वक्तव्य देने का मौका मिल गया कि यह हमारी जीत है और सरकार प्रस्तावित आंदोलन के सामने झुक गई है। श्री बूटा सिंह जी यह आपका कैसा दावपेच है क्या यह सस्ता है या महगा ? यह बहुत ही महंगा साबित हुआ क्योंकि वस्तुत: जो हो रहा है उसमें प्रतिदिन निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं।

4.12 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासन हुए)

प्रो० मधु दंडवते : यह अति आधुनिक किस्म की चाल है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इसका दूसरा पहलू यह है कि अब पंजाब के लोग यह महसूस करने लगे हैं कि पंजाब में आज जो भी कुछ हो रहा है उसका पंजाब की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से पंजाब में कृषि कार्यों के लिए कृषि मजदूर मुख्य रूप से बिहार से तथा कुछ उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों से आते रहे हैं। यदि पंजाब में ऐसी ही स्थिति बनी रही तो ये लोग पंजाब में काम करने के लिए नहीं आयेंगे। वे पंजाब में काम करने के लिए अपनी जीवन को जोखिम में डालकर क्यों आयेंगे ? अभी कुछ दिन बाद गेहूं की नई फसल की कटाई शुरू होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष गैर-पंजाबी खेतिहर मजदूरों की संख्या बहुत ही कम होगी। यदि पंजाब की स्थिति ऐसी ही रही या भविष्य में और अधिक बिगड़ गई तो पंजाब में अन्य राज्यों से कृषि मजदूर बिल्कुल नहीं आयेंगे। क्या इससे पंजाब में कृषि कार्यों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

दूसरी बात यह है कि मैंने अमृतसर में यह देखा कि बहुत से कारखानों, कपड़ा मिलों आदि के मालिक, जो हिन्दू हैं, पंजाब से अपने कारखाने उठाकर हरियाणा, दिल्ली या ऐसे अन्य स्थानों पर ले जाना चाहते हैं। ये लोग पंजाब में अपने मिल या कारखाने नहीं रखना चाहते। पंजाब में अनिश्चितता और असुरक्षा की स्थिति होने के कारण बैंक वहां पर और अधिक ऋण नहीं देना चाहते। वहां पर व्यापारिक समुदाय और दुकानदार आदि घाटा उठा रहे हैं। वहां सर्वत्र अस्त-व्यस्तता है। वहां परिवहन व्यवस्था भी हर समय अस्त-व्यस्त रहती है।

पंजाबियों ने कड़ी मेहनत और पसीने से पंजाब में जो भी कुछ बनाया, वहां जो प्रगति और खुशहाली हुई जिस पर पूरे देश को गर्व है, वह सब आज खतरे में पड़ा है। जो अकाली नेता आज वहां कर रहे हैं क्या उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाये ? अकालियों को यह महसूस कराया जाये कि वे अपने ही राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। हालांकि पंजाब के लोग यह समझते हैं और मेरा विश्वास है कि पंजाब की जनता एक दिन अकाली नेताओं को इसके लिए अवश्य ही दण्डित करेगी।

खेल स्पष्ट है। यदि पंजाब से हिन्दुओं को निकाला जाता है या उन्हें पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो उन लोगों को जो कभी पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थियों के रूप में आये थे उन्हें पुन: शरणार्थी बनना पड़ेगा। और ऐसी ही प्रतिक्रिया अन्यत्र होगी। अकाली स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि यदि हिन्दू यहां से बाहर चले जाते हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लेकिन इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि पूरे देश में विभिन्न राज्यों में जो लाखों सिख रह रहे हैं उन्हें भी पंजाब वापिस आने के लिए अन्य लोगों द्वारा बाध्य कर दिया जायेगा। यदि कुछ लोगों को पंजाब से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया तो पंजाब से बाहर जाने वाले ये लोग पूरे देश में यह प्रचार करेंगे कि पंजाब में उनके साथ क्या बीता। वे लोग यह प्रचार अन्य राज्यों में, पूरे देश में करेंगे। पंजाब में उग्रवादियों का ऐसा विचार है कि यदि अन्य राज्यों में सिखों पर दबाव पड़ता है या उन पर हमले किए जाते हैं या अन्य राज्यों में सिखों के लिए असुरक्षा का वातावरण बन जाता है तो वे लोग उन स्थानों को छोड़कर पंजाब वापिस चले आयेंगे और तब पंजाब एक सिख राज्य बन जायेगा और खालिस्तान का मतलब यही है। यदि हिन्दुओं को पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वे अन्य स्थानों पर जाकर पुनः शरणार्थी बन जायेंगे और फिर सिखों को भी अन्य राज्यों को छोड़कर पंजाब में दोबारा शरणार्थी बनाना पड़ेगा। पहली बार तो वे स्यालकोट, गुजरावाला, लाहौर तथा अन्य स्थानों से आकर देश के विभिन्न भागों में बस गए थे। अब इस आंदोलन के परिणामस्वरूप उन्हें अपने वर्तमान स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और अपनी जान बचाने के लिए पंजाब में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। क्या यह पागलपन नहीं है ? यह कौन सा खेल खेला जा रहा है। लोगों के सामने ये स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने पिछली बार यह कहा था कि आप सुरक्षा बलों के आधार पर इस समस्या को हल नहीं कर सकते। सुरक्षा बल इस समस्या का समाधान निकालने में असफल रहे हैं। हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा और पंजाब में चलाये जा रहे इस आन्दोलन के और इसके खतरनाक परिणामों के बारे में लोगों को समझाना होगा। उन्हें बताना होगा कि पंजाब के और पूरे देश के लोगों के लिए इस आन्दोलन के खतरनाक परिणाम होंगे।

सीमा के उस पार पाकिस्तान से धमकी की बात को मैं दोहराना नहीं चाहता, हालांकि सरकार इस बारे में हमें हर रोज बता रही है। वह कह रही है कि पाकिस्तान को अत्याधिक आधुनिक हथियार प्राप्त हो रहे हैं और पाकिस्तान इन शस्त्रों से लैस है, इसलिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। बात तो यह ठीक है। लेकिन जहां श्री जिया बैठे हैं और जहां बैठे वह अत्याधिक आधुनिक हथियार प्राप्त कर रहे हैं वहां से केवल 30 मील दूर सीमा पर क्या हो रहा है ? यदि सीमावर्ती राज्य को आप इस संकट से गुजरने देते हैं और वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है तो आप पाकिस्तानी सैनिक शासन और अमरीका की इससे बड़ी सहायता क्या कर सकते हैं ? यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए सरकार को इस समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए और इस समस्या को सुलझाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

मेरे विचार से इस आंदोलन के परिणामस्वरूप देश के अन्य भागों में साम्प्रदायिक दंगे होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली भी इसके प्रति संवेदनशील है, क्योंकि यहां की जनसंख्या मिश्रित है। अब दिल्ली में भी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है। हम यहां सभा में बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब में कानून और व्यवस्था कैसे बनाये रखी जाये। दूसरी ओर आप इस देश की राजधानी दिल्ली में भी कानून और व्यवस्था ठीक नहीं रख पा रहे हैं। यदि स्थिति ऐसी ही चलती रही तो आप लोगों को भड़काने से न रोक सकेंगे और लोग उत्तेजित होकर

कानून को अपने हाथ में ले लेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठेंगे, जिससे इस देश की सम्पूर्ण राष्ट्रीय ताना-बाना-छिन्न-भिन्न हो जायेगा।

अत: आप उठिए और उचित कार्यवाही कीजिए। आप यह बतायें कि पंजाब के संकट से उभरने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहते हैं। आपने अभी तक हमें यह नहीं बताया है कि पंजाब में सामान्य स्थिति पुन: लाने के लिए आप वहां क्या करने जा रहे हैं। आपके वक्तव्य में भी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि आप इस बारे में क्या ठोस उपाय करने जा रहे हैं। वहां तो केवल इतना भर उल्लेख है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन के बारे में बैठकर चर्चा की जायेगी।

पंजाब पुलिस के बारे में काफी कहा जा चुका है। श्री निहाल सिंह ने बहुत कुछ कहा है और उसमें और कुछ जोड़ने की गुंजाइश नहीं हैं। पंजाब की पुलिस न केवल अक्षम बल्कि वह भ्रष्ट और डरपोक भी है, उसकी अपराधियों के साथ सांठ गांठ है। पंजाब की स्थिति से निपटने में वह विफल रही है। मुझे मालूम नहीं कि आप इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं। आप पूरी पंजाब पुलिस को पंजाब राज्य से नहीं हटा सकते इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों के कम से कम उच्च, पदों पर ऐसे लोग लाये जाने चाहिए जिनके बारे में संदेह की कोई गुंजाइश न हो, जो वास्तव में साम्प्रदायिक न हों, जो धर्मनिरपेक्ष हों और जो कर्तव्य परायण हों।

यदि आवश्यक हो तो उन्हें अन्य राज्यों से भी लाया जाना चाहिए। ऐसे उच्च पदों से जुड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन वे तभी कर सकते हैं जब वे कुशल पेशेवर अधिकारी होंगे। आपको मालूम है कि आजकल क्या हो रहा है। आपके दल के ही लोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि वे अधिकारी अकुशल तथा निकम्मा साबित हुए हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : इस पहलू पर सम्यक रूप से विचार नहीं किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे नहीं मालूम है कि सिपाही वहां किस लिए खड़े रहते हैं। जब कोई हत्या तथा डकैती कर रहा होता है, वे कुछ भी नहीं करते। कृपया आप मुझे बतलाने का कष्ट करें कि क्या आपकी पुलिस का गठन इस प्रकार होगा ? क्या उनमें प्रतिबद्धता की भावना है ? उनका वेतन बहुत ही कम है और वे सोचते हैं कि "मैं अपने जीवन को खतरे में क्यों डालूं ? घर पर मेरे अपने बच्चे तथा पत्नी हैं। मुझे अपना जीवन खतरे में क्यों डालना चाहिए ?" जब तक उनमें प्रतिबद्धता की भावना नहीं होगी, वे कुछ भी नहीं करेंगे। इस उथल-पुथल की घड़ी में आप अपने पुलिस बल को पुन:प्रशिक्षण नहीं दे सकते। कम से कम पुलिस के ऊंचे पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो देश की एकता के प्रति प्रतिबद्ध हों तथा हर खतरे का सामना करते हुए साम्प्रदायिक तथा पृथकतावादी तत्वों के विरुद्ध जूझने के लिए तैयार हों इसे अवश्य किया जाना चाहिए। कम से कम ऊंचे पदों पर फेर-बदल अवश्य किया जाना चाहिए और यदि वे अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं करते है तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। जहां तक छात्रों का सम्बन्ध है, एक मन्त्री महोदय उस दिन बतला रहे थे कि "सभी सिख छात्रों को इस आधार पर गिरफ्तार करना संभव नहीं है कि वे

सिख हैं; हम सभी सिख छात्रों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।" स्पष्ट है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी आसूचना सेवा बिल्कुल असफल रही है। इस प्रकार की आतंकवादियों गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए पेशेवर तथा बहुत ही कुशल आसूचना अधिकारियों की जरूरत हैं हम इस समय उस तरीके को नहीं भूल सकते हैं जिस तरीके से सरकार ने पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी युवकों से निपटा था। वे गुमराह युवक थे। वे साम्प्रदायिक नहीं थे वे अपने विचारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से अधिकांश युवक अब महसूस कर रहे है कि उन्होंने उस समय गलत रास्ता अपनाया था। उनमें से कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे। लेकिन आपने उनको कैसे समाप्त किया ? मैं उन पुलिस अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने उनको समाप्त करने के लिए कुछ उपाय किए थे, जिसके द्वारा उनका सफाया किया जा सका। उनके मामले में आप उपाय करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस मामले में आप तैयार नहीं हैं। आपके पास कोई आसूचना सेवा नहीं है। आप सिख स्टुडेंट फेडरेशन में घुसपैठ कर पता नहीं लगा सकते। (व्यवधान) प्रो रंगा, मेरा कहने का अभिप्राय आपसे नहीं है आपको पुराने, पारंपरिक, नैमित्तिक तरीके से नहीं सोचना चाहिए। आप इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये लोग उच्च प्रशिक्षित लोग हैं। उनके प्रत्येक कार्य से पता चलता है कि वे बहुत ही प्रशिक्षित हैं। उनका निशाना अचूक होता है तथा वे पलभर की भी देरी नहीं करते। क्या आप समझते हैं कि क्या कोई छात्र ऐसा कर सकता है ? यदि आप किसी छात्र को बन्दूक देकर यह कहें कि जाकर किसी की हत्या कर दो तो क्या वह कर सकता है ? ये वो लोग हैं जो बहुत ही प्रशिक्षित है और यदि आप कारगर ढंग से उन पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको भी बहुत ही प्रशिक्षित तथा कुशल सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। अकाली नेतृत्व के खिलाफ लोगों को स्वयं उठना पड़ेगा क्योंकि अकालियों के कार्य का अभिप्राय है पंजाब का विनाश जो अन्ततः सिखों के लिए घातक प्रमाणित होगा। उन्हें यह समझाना होगा। कम से कम इस समय जब जालियांवाला हत्याकांड की वर्षगांठ समीप है, इस देश के लोगों को जागना चाहिए। जालियांवाला बाग में हिन्दुओं, सिखों तथा मुसलमानों का खून इकट्ठा बहा था, लेकिन इस समय कोशिश की जा रही है कि इतिहास की इन परम्पराओं को समाप्त कर दिया जाए और भाई भाई की हत्या करे।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह संकीर्ण राजनैतिक तथा दलीयहितों से ऊपर उठें यह दलीय मामला नहीं है। और न ही यह एक राज्य अथवा एक सम्प्रदाय पर प्रभाव डालने वाला मामला है। इसलिए, मैं सरकार तथा प्रधान मंत्री से आशा करता हूं कि वे देश को आश्वासन देंगी कि वे राजनैतिक तथा प्रशासनिक दोनों स्तरों पर कारगर उपाय करने जा रही हैं, जिनसे वास्तव में पंजाब में सामान्य स्थिति उत्पन्न होगी तथा जिससे अकाली उग्रवादियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तथा सरकार धार्मिक पृथकतावादियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी। इस तरह का विश्वास हमें सरकार से प्राप्त होना चाहिए।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिलचर) : पंजाब समस्या पर इस सभा में अतीत में भी चर्चा हो चुकी है और आज की चर्चा कल हुई घटना के सन्दर्भ में हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब में जो घटना हुई है, उसके लिए पूरा सदन बहुत ही क्षुब्ध है।

मेरे मित्र श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने अपने भाषण में एक प्रश्न पूछा है कि क्या विपक्ष मृत है। उन्होंने यह प्रश्न सभा के समक्ष रखा है। मैं नहीं समझता कि विपक्ष मृत है, लेकिन केवल

उनकी वस्तुगत स्थिति ही बच रही है क्योंकि उन्होंने आज अपने भाषणों में पंजाब समस्या का हल निकालने में किसी तरह योगदान नहीं दिया है।

प्रो० दण्डवते ने कतिपय प्रश्न पूछे हैं। उनका भाषण भावनात्मकपूर्ण था और उन्होंने सरकार को बीसोंबार चेतावनी दी थी। मैं उन्हें चुनौती नहीं दे रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश, उन्होंने एक बार भी पंजाब समस्या का समाधान नहीं दिया है। इससे ठीक पूर्व श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहस में भाग लेते हुए कतिपय चीजों का उल्लेख किया है और सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अकालियों के साथ मेल-मिलाप करने की कोशिश कर रही है। क्या मैं विपक्षी नेताओं से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? वे कौन सी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने कलकत्ता, काश्मीर, विजयवाड़ा तथा हैदराबाद में अकालियों के साथ सम्मेलन किया है ? वे कौन से राजनैतिक दल हैं जिन्होंने अकाली नेताओं से चर्चा की है ? उन्होंने अकाली नेताओं से न केवल चर्चा की है, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया है और उनका आन्दोलन जारी रखने के लिए उन्हें अपना समर्थन भी दिया है।.....

प्रो० एन० जी० रंगा : वे पुनः मिलने जा रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : वे मद्रास में भी मिलने जा रहे हैं। अब वे हम पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हम अकालियों से मैत्री करने की कोशिश कर रहे हैं तथा वहां मिली-जुली सरकार बनाने जा रहे हैं। यह मूल रूप से एक गलत आरोप है।

चर्चा के दौरान प्रो० दण्डवते ने उल्लेख किया है कि श्री चन्द्रशेखरजी ने श्री जार्ज फर्नांडीज के मार्फत भी लोंगोवाल को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने कतिपय चीजों को स्पष्ट करने को कहा है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। यह एक अच्छी चीज है। लेकिन जब सरकार ने अनुच्छेद 25 के बारे में कतिपय चीजों का उल्लेख किया और उन पर चर्चा के लिए अकाली नेताओं को आमन्त्रित किया तो उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन मुद्दा यह है कि उक्त घोषणा के बाद, हमने देखा है कि अकालियों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है इसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या अनुच्छेद 25 में संशोधन किया जाए अथवा नहीं। इस पर सभा में चर्चा की जाएगी। अतः इस पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है सरकारी प्रस्ताव के पीछे यह उद्देश्य था कि उचित समय पर ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि स्थिति और बदतर न होने पाये। मैं सरकारी प्रस्ताव की प्रशंसा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष यह महसूस नहीं करेगा कि उनकी बिल्कुल उपेक्षा की गई है, क्योंकि यदि संशोधन किया भी जाएगा तो उस पर सभा में चर्चा होगी और जाहिर है कि विपक्ष चर्चा में भाग लेगा और अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा।

पंजाब पुलिस के बारे में भी यहां बहुत सारी बातें कही गई हैं। असम के अपने अनुभव से मैं गृह मंत्री तथा गृह मन्त्रालय से अनुरोध करना चाहूंगा कि असम में भी आन्दोलन के दौरान ऐसे आरोप लगाए गए थे और ऐसी स्थिति व्याप्त थी और उस समय असम सरकार ने राष्ट्रपति शासन के दौरान धीरे-धीरे कतिपय उपाय किए थे जहां असम पुलिस को क्षेत्र में कार्य देने की अपेक्षा कार्यालय में काम पर लगाया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल को आतंकवादियों की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए लगाया गया था तथा उसे आन्दोलनकारियों की उन गतिविधियों को रोकने के लिए भी लगाया गया था जो देश के हित के विरुद्ध थी। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है, विशेषकर हमारे दल तथा विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा, चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों, उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, जिनमें पंजाब पुलिस के विरुद्ध

गंभीर आरोप लगाए गये हैं, सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। पुलिस वहां लोगों की भावनाओं से प्रेरित हो रही है। ऐसा असम में भी हुआ था। हमें खुशी है कि अब असम पुलिस नियमानुसार, काम कर रही है और वह वहां के लोगों का विश्वास अर्जित करने में सफल रही हैं। पंजाब में भी सरकार को उसी रास्ते पर चलना चाहिये जिसके अनुसार पंजाब पुलिस को कतिपय क्षेत्रों में ही तैनात किया जाना चाहिए। कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्र खास प्रचार कर रहे हैं और जहां तक मैं समझता हूं, उनमे से अधिकाश आधारहीन है, जैसा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस किसी सम्प्रदाय विशेष के विरुद्ध है। पंजाब पुलिस वहां किसी विशेष सम्प्रदाय के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जाती है। यह अच्छी बात नहीं है। मैं राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर अविश्वास नहीं कर सकता कि इसके सारे समाचार गलत हैं, क्योंकि उनमें कुछ तथ्य अवश्य होता है। इसे देखते हुए, पंजाब पुलिस के बारे में कतिपय सकारात्मक कदम सरकार द्वारा उठाये जाने चाहिए।

महोदय, प्रो० चक्रवर्ती ने सरकार से एक चीज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पूछा है कि वह चंडीगढ़ पंजाब को क्यों नहीं दे देती? लेकिन वह एक चीज का उल्लेख करना भूल गए। उन्होंने प्रधान मन्त्री पंचाट का उल्लेख किया है। लेकिन यह केवल चंडीगढ़ के लिए नहीं था, बल्कि यह अबोहर तथा फाजिल्का के बारें में भी था, जिसका उल्लेख करना वह भूल गए हैं। यहां बैठे एक सदस्य ने पूछा आप कलकत्ता बिहार को क्यों नहीं दे देते? इसकी प्रतिक्रिया आपको क्या होगी?

असम के कुछ लोग उत्तरी बंगाल का कुछ भाग मांग रहे हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन उनकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? संसद में यह कहना आसान है कि आप उन लोगों की मांगों पर क्यों नहीं विचार करते जो वस्तुत: आतंकवादी है। यदि आप कहते हैं कि चंडीगढ़ भारत का अंग है—चाहे वह पंजाब को दिया जाये अथवा हरियाणा को—यह भारत में ही रहेगा—यह कहना इतना आसान नहीं है। आपको पूरी स्थिति का मूल्यांकन समग्र रूप से करना होगा। यदि आप इसका मूल्यांकन समग्र दृष्टिकोण से करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। इस समस्या का तदर्थ समाधान निकालने से काम नहीं चलेगा। इसका स्थायी समाधान निकालना होगा। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जब दिल्ली में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तेली में एक घटना घटी थी। कतिपय राजनैतिक हल तथा ए० ए० एस० यू० तथा ए० जी० एस० पी० जो इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय मसला बनाना चाहते थे और अब हमारी प्रधान मंत्री गुटनिरपेक्ष देशों के अध्यक्ष के नाते अल्जीरिया तथा लीबिया का दौरा करने जा रही हैं तब कतिपय ताकतें पंजाब में ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश के बाहर प्रतीत हो कि पजाब तथा इस देश में स्थिति बहुत ही खराब है। वे ताकतें कौन हैं? मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह वाजपेयी द्वारा अपने भाषण में व्यक्त किए गए इन विचारों पर विचार करे कि इस आतंकवादी आन्दोलन में अन्तर्ग्रस्त युवक ही वे व्यक्ति हैं जो वस्तुत: अपने पिस्तौलों के साथ आये और उन्होंने सुरक्षा कार्मिकों से स्टेनगन छीने थे। इसका अभिप्राय है कि उनको अन्यत्र प्रशिक्षण मिला है। इस सभा में जब हमारे पक्ष के अनेक सदस्य उन सिख युवकों को प्रशिक्षण देने के लिये कश्मीर सरकार पर आरोप लगा रहे थे तब विपक्ष के सदस्य शोर गुल मचा रहे थे। गृह मंत्री द्वारा कहा गया था कि कतिपय

विदेशी लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। उस समय डा० स्वामी शोर गुल कर रहे थे और उन्होंने सरकार से पूछा था कि क्या उसके पास पाकिस्तान के बारे में कोई ठोस जानकारी है। प्रशिक्षण कहां से दिया जा रहा है ? क्या यह आकाश से दिया जा रहा है। ये सिख युवक हथियारों का प्रयोग करना चाहते थे। क्या वे जन्मजात प्रशिक्षित युवक हैं ? उन्हें कहीं अवश्य प्रशिक्षण दिया गया है। यह कहा जाता है कि उन्हें कश्मीर में प्रशिक्षण दिया गया है । यह कहा गया है कि उन्हें प्रशिक्षण कतिपय विदेशी ताकतों द्वारा दिया गया है। विपक्ष शोरपुल मचा रहा है और अब यह कह रहा है कि सरकार निष्क्रिय है और वह कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जब सरकार इस मामले पर बहस की कोशिश कर रही है और कल एक समाधान प्रस्तुत किया गया था, उसका नतीजा क्या हुआ। महोदय, कल आप उपस्थित नहीं थे। पूरी सभा में तीन बजे तक शोरगुल होता रहा। इसका क्या प्रयोजन था। महोदय, जब श्री मधु दण्डवते बोल रहे थे तब मैंने सदस्यों की संख्या की गणना की थी। विपक्ष के 53 सदस्य थे और हमारे पक्ष के 156 सदस्य सभा में मौजूद थे। इस समय, जब कि चर्चा पूरे जोर शोर पर है, आप उपस्थिति देख सकते हैं। कल वे 3 बजे तक शोर-गुल मचा रहे थे। आज वे क्या कर रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : इस समय आप कितने यहां उपस्थित हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : आप स्वयं गिन सकते हैं। आप सभा का मूल्यवान समय बर्बाद कर रहे हैं। वे लोग कहां हैं जो डेस्कों पर बैठकर शोर मचा रहे थे और उपाध्यक्ष का मजाक उड़ा रहे थे ? यह एक राष्ट्रीय मसला है। और जब इस पर चर्चा हो रही है तो उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिये था।

श्री आर० एन० राकेश : प्रधान मंत्री कहां हैं ?

श्री चन्द्र जीत यादव : मंत्रिमंडल स्तर का एक भी मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। आप यहां बोल रहे हैं, लेकिन मन्त्रिमंडल स्तर का एक भी मंत्री यहां मौजूद नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : यह बहुत ही गंभीर मामला है। मंत्रिमंडल स्तर का एक भी मंत्री मौजूद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पूरी सभा उत्तरदायी है। हम सभी जिम्मेवार व्यक्ति हैं। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। हम सभी जिम्मेवार हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मुझे खेद है कि मैंने इसका उल्लेख किया। मैं आपका सुझाव मानता हूं और अब इसका उल्लेख नहीं करूंगा।

पंजाब की स्थति के बारे में सभी दलों द्वारा चर्चायें की गई हैं। विपक्षी दलों द्वारा कतिपय सुझाव दिये गये हैं। मैं सभा तथा विशेषकर गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि मेरे विचार में इस सभा में चर्चा से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं आसाम से निर्वाचित सदस्य हूं आज जो चर्चा हुई है तथा विपक्ष के रवैये से पूर्वी क्षेत्र में आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिलेगा। सभा में यह कहा गया है कि सभी आतंकवादी छात्र हैं। यह गलत है। यह कहना गलत है कि आतंकवादी सिख छात्र हैं। उनकी संख्या थोड़ी हो सकती है। लेकिन सरकार को उनसे सख्ती से निपटना चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस सम्बन्ध में कतिपय सकारात्मक कदम उठायेगी ताकि आतकवादी गतिविधियों को समाप्त किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि

सरकार दृढ़ता से काम लेगी और ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे आतंकवादियों को और आगे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और आतंकवादी ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे जो पूरे देश के हितों के विरुद्ध हो।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, कुछ कहने से पहले पंजाब में जो हत्या का दौर चला है, उसकी कटुनिन्दा करता हूं। लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। इन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है और ये क्यों हो रही हैं, इस ओर विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक सुझाव देने का सवाल है, इससे पहले भी सदन में कई बार बहस हो चुकी है और सुझाव दिए गए हैं। यह कैसे समझा जाए कि सरकार इन सुझावों के प्रति गंभीर है? अगर, गंभीर होती तो पिछले जितने सुझाव दिए गए थे, उन पर सरकार ने क्या किया? इसका जवाब आज सरकार के पास नहीं है क्योंकि उनको छुआ ही नहीं। विजयवाड़ा से लेकर दिल्ली होते हुए काश्मीर तक और समुद्र से पहाड़ तक चले गए, लेकिन सरकार को विपक्षी दलों के सुझाव दिखाई नहीं दिए। सरकार के लिए यह कहना आसान हो जाता कि विपक्षी दल पंजाब की समस्या के लिए सुझाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो दिए गए, वे कब क्रियान्वित हुए? प्रधान मंत्री जी और उनकी सरकार विपक्षी दलों पर बराबर आरोप लगाती रही हैं। इसके बावजूद भी विपक्ष ने देश की महत्ता और पंजाब की कीमत को ज्यादा समझा है और सुझाव दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का दामन साफ है? त्रिपक्षीय वार्ता का क्या हुआ? एक तरफ तो दिल्ली में यह वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ हरियाणा में हिंसा की जाती है। मुख्य मंत्री से यह क्यों नहीं पूछा गया कि किसके इशारे पर हिंसा की गई? त्रिपक्षीय वार्ता करने के लिए सरकार की नीति तो थी लेकिन उसके द्वारा समस्या का हल निकालने की नीयत नहीं थी। समस्या सिर्फ पानी और क्षेत्र की है। सारे देश में यह शोर मचाया गया अखबारों, रेडियो और टी० वी० के द्वारा कि सिख खालिस्तान चाहते हैं। किसने क्या कहा, यह किसी ने नहीं सुना? लेकिन सरकार ने असली मुद्दे को पीछे धकेल दिया और नकली मुद्दे की ओर आगे बढ़ गई। प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने 1970 में यह फैसला किया था कि चण्डीगढ़ पंजाब को और फाजिलका तथा अबाहर हरियाणा को दे दिया जाए। यह भी कहा था कि पांच साल के अन्दर ही यह फैसला लगू हो जायेगा। आज 14 साल हो गए, क्यों नहीं इसको लागू किया गया? क्या प्रधान मंत्री के पास इसका जबाब है? तीन साल के लिए जब जनता सरकार आई तो उस समय कोई समस्या नहीं उठी। लेकिन, 1980 में इस सरकार के आने के बाद यह समस्या फिर उठने लगती है तो प्रधान मंत्री और सरकार की नजर कहां है? पंजाब की आग से सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है?

आपकी सरकार की नीयत क्या है? आपके कारनामे वह साफ बताते हैं। पंजाब के बारे में बदकिस्मती यह है कि पंजाब की समस्या के हल के लिए लोंगोवाल और प्रधान मत्री को सीध वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन भारत की प्रधान मंत्री सीधे वार्ता न कर के अपने कारिन्दों से वार्ता कराती हैं और इस तरह पंजाब की समस्या को हल करना चाहती हैं। श्री दरबारा सिंह के बारे में कहा गया कि वह समस्या को हल नहीं कर पाए और इस लिए कांग्रेस (आई) की सरकार होते हुए भी उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन, केन्द्रीय शासन,

लागू किया गया। वह भी इसमें नाकामयाब रहा है। पंजाब में 220 लोगों की हत्या हो गई है। इस स्थिति में केन्द्रीय सरकार को भी बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता ?

प्रधान मंत्री का कहना है कि वह पंजाब और देश के प्रति बहुत लायल हैं अगर वह देश के प्रति लायल है, तो क्यों नहीं वह अपनी कुर्सी को छोड़ देती और अपनी सरकार को बरखास्त कर देतीं ? वह इस लाइक नहीं हैं कि देश की समस्याओं को हल कर सकें।

सेठी साहब से मुझे कोई गिला नहीं है, क्योंकि वह तो गृह मंत्रालय की मुहर हैं। फैसले तो होते हैं भारत के प्रधान मंत्री के सचिवालय में। आप तो केवल वहां पर तैयार किए गए बयान को पढ़ देते हैं आप रीयल गृह मंत्री नहीं हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि भारत के प्रधान मंत्री के सचिवालय में जो उनका बहुत चहेता हो, जिस पर उनको बहुत विश्वास हो, उसको वह गृह मंत्री बना दें। लेकिन वह पंजाब की बर्बादी न होने दें। देश की हालत बदतर हो रही है। वह देश पर रहम करें और स्थिति को और बिगड़ने न दें।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री आर० एन० राकेश : हकीकत कड़वी लगती है, लेकिन मुझे दो मिनट और दे दीजिए। दूसरे सदस्यों को बहुत टाइम दिया गया है।

1980 से भारत की प्रधान मंत्री कुर्सी पर आई हैं। जब से वह कुर्सी पर आई हैं, तब से समस्याओं का निराकरण होने के बजाए समस्याओं की आंधी आ गई है और चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। आप कहती हैं कि आपके परिवार ने देश की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानी दी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि यदि सरकार उनसे चल नहीं पा रही है, तो, जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा है, आप अपनी सरकार का नेतृत्व अपने ही दल के किसी और व्यक्ति के सुपुर्द कर दें, लेकिन देश को बर्बाद न होने दीजिए। वह प्रधान मंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे दें, यह मेरी उनको नेक सलाह है। अगर इसके बावजूद उन्हें कुर्सी का लालच है, वह प्रधान मंत्री का पद छोड़ नहीं सकतीं और उन्होंने प्रधान मंत्री के पद पर बने ही रहना हैं, तो मेरा सुझाव है कि वह कारिन्दों से बात करने के बजाए स्वयं लोंगोवाल से बात कर के समस्या का समाधान करें और पानी के इस्यु को सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दें।

सरकार अपनी हठवादिता को छोड़े। देश आपकी हठवादिता से ज्यादा कीमत है। पंजाब की समस्या का राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए। मैं समस्याभाव के कारण अपनी बात समाप्त करता हूं, लेलिन मैं श्री सेठी से अनुरोध करता हूं कि आप आज कुर्सी पर हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आज जो पंजाब जल रहा है, उसका सब आरोप और कलंक आप पर लग रहा है। आप रीयल होम मिनिस्टर नहीं हैं, आप रबर स्टाम्प हैं, लेकिन फिर भी बदनाम आप हो रहे हैं। इस लिए आप से अनुरोध है कि आप इस्तीफा दे दीजिए या रीयल होम मिनिस्टर बन कर रहिए और पंजाब की समस्या का हल निकालिए।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कारिन्दा शब्द इस्तेमाल किया है, जो अनुचित और असंसदीय है। आप इसको रिकार्ड से हटा दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये; इसमें कोई गलती नहीं है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : अकालियों की मांगों ने नया रूप धारण कर लिया है। एक मांग का तो सरकार भी स्वागत कर रही है। मैं नहीं जानता, इसके कारण क्या

हैं। वे राजनैतिक तौर पर या अन्यथा कोई फार्मूला तैयार करने का प्रयत्न कर रहे होंगे। जब सरकार ने बहुसंख्यक वर्ग के निर्णय को स्वीकार कर लिया है, तब अल्पसंख्यक वर्ग के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। जहां तक अकालियों का संबंध है, वे भारत में न केवल धार्मिक अल्पवर्ग परन्तु भाषाई अल्पवर्ग भी हैं। अत: अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण करना चाहिए।

हत्याओं और अन्य अत्याचारों के बारे में उनकी हम पहले ही निन्दा कर चुके हैं। समूची सभा विशेषकर प्रतिपक्ष ने उग्रवादियों द्वारा की जा रही हत्याओं की निन्दा की है। उग्रवादियों की इन गतिविधियों के कारण क्या हैं ? वे कैसे आगे बढ़ें ? क्या वे अचानक ही आगे बढ़ गए या इसकी कोई भूमिका भी है ? सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करना है। सरकार का विचार है कि विलम्ब करने से समस्या अपने आप धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। यह सरकार के हथकण्डे हैं। असम के मामले पर सरकार सफल रही। पंजाब के बारे में मुझे शंका है कि उसे सफलता मिलेगी। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि लोग राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के सशस्त्र बलों का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यह समस्या न ही इतनी सुगम है और न ही इसे ऐसे हल किया जा सकेगा जैसाकि केंद्रीय सरकार सोच रही है।

राज्य की स्वायत्तता, विशेषकर आनन्दपुर साहिब संकल्प से सम्बन्ध में त्रिपक्षीय बैठकों में, जिसमें सरकार, प्रतिपक्षी दलों तथा अकालियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इस विषय पर विचार किया गया था। इस मामले की तुरन्त जांच करने की बजाए सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया। यह सोचा गया कि या तो मामला सुलझ जायेगा या अकाली इस मामले को फिर नहीं उठायेंगे। सरकार ने इस मामले को पूरी तरह नहीं सुलझाया। इसी प्रकार अकाली चाहते थे कि जल विवाद एक अधिकरण को सौंपा जाये। परन्तु ऐसा अभी तक नहीं किया गया। चंडीगढ़ संबंधी तथा अन्य मामलों के बारे में सरकार सोचती है कि इन मामलों को राजनैतिक प्रयोजनों के लिए जिंदा रखा जा सकता है। सरकार यह भी सोचती है कि यदि इन मामलों को हल कर दिया गया, तो अन्य मामले उठा दिये जायेंगे। राजनैतिक दृष्टि से तो वे ऐसा कर सकते हैं, परंतु आम आदमी इसे भिन्न दृष्टिकोण से देखेगा। यदि सरकार इन मामलों को सत्यनिष्ठा से सुलझाने का प्रयत्न करेगी, तो लोग अकालियों का साथ नहीं देंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे। लोग सरकार का समर्थन करेंगे। परन्तु सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है।

जहां तक अनुच्छेद 25 का संबंध है, सिख चाहते हैं कि उनका अलग स्वरूप हो। हिंदू संहिता, जो सिखों पर लागू है, के अनुच्छेद 2 के स्पष्टीकरण के अधीन··· (व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : स्वयं विधि के अधीन, स्वयं अधिनियम के अधीन, न कि इसके कारण।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : जी, हां, हिंदू संहिता सिखों पर लागू है। बहुसंख्यक सिख अपना अलग स्वरूप चाहते हैं। यह फैसला करना उनका काम है। अत: सरकार को संविधान में संशोधन करने तथा इस मामले में उनकी मांग को स्वीकार करने के लिए इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

जहां तक अन्य मामलों का संबंध है, उनका जिक्र मेरे मित्र पहले ही कर चुके हैं और मैं इन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। फिर भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी हत्याओं के बारे

में आरोप लगाए गये हैं कि इनके बारे में कौन जिम्मेवार है। क्या भिंडरावाले जिम्मेवार हैं या अकाली दल जिम्मेवार है ? मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें श्री लोंगोवाल ने 11 नवम्बर, 1983 को कहा था कि वे चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया जाए, जो इस बात का पता लगाये कि इन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेवार है। लाला जगतनारायण से लेकर अब तक जितनी हत्याएं हुई हैं, उनके बारे में छानबीन की जाए। परन्तु राज्य सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है। अत: मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेवार लोगों का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया जाए। तभी हमें वास्तविक अपराधियों का पता लग सकेगा। इस बारे में मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार आयोग के निष्कर्षों के आधार पर एक प्रतिवेदन पेश करे। अपेक्षित कार्य करने के लिए सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुन्दर सिंह।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : स्पीकर साहब, मैं क्या बोलूं ? उधर से दण्डवते साहब और दूसरे लोग बड़ा सुन्दर बोले हैं और सजेशन्स भी दिए हैं। लेकिन अपोजीशन को रगड़ने के चक्कर में हम जो असली बात है उसको भूल जाते हैं। **(व्यवधान)** अपोजीशन के लोग जो कह रहे हैं वह ठीक ही कह रहे हैं। अपोजीशन का भट्टा जो बैठा वह तो इसलिए बैठा कि वे स्ट्रांग नहीं है और उनके पास कोई लीडर नहीं है वरना आपका ही भट्टा बैठ जाता। प्रसन्न रहो और विश्वास करो कि हमें भगवान् ने बड़े-बड़े काम करने के लिए चुना है और हम उन्हें पूरा करेंगे। बड़े-बड़े काम करने के लिए डटे रहो। पवित्र बनो। प्यार के लिए निर्धन व्यक्तियों, अभागों और पद्दलितों से प्यार करो। भगवान् आपका भला करेंगे।

यह कोई बात है ? उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है और आपके हाथ में सब कुछ है लेकिन फिर भी आप अपना कुसूर नहीं मानते हैं। इससे तो बुराई और भी बढ़ती जाती है। सच का पालन करो, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। हर मामले की तह तक पहुंचो। कायर और पाखण्डी मत बनो, आपको अवश्य सफलता मिलेगी।

महात्मा गांधी ने कहा है कि अपनी गल्ती मान लेनी चाहिए। जो मानता है वही आगे बढ़ता है। जो नहीं मानता है वह निकम्मा है इसीलिए वह अपनी गल्ती से निलकने की कोशिश नहीं करता है।

5.00 म०प०

बात यह है कि आपने कहा है कि काम करो, तो काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो भाई मिसलीड हुए हैं, वे अपने भाई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो मारने के लिए जाता है वह बहादुर है। मैं आपको बताऊं कि उधर भी यूथ हैं और प्रैजीडेंट बन जाते हैं। आप कहते हैं कि यूथ पैदा किए और यूथ प्रैजीडेंट हैं, तो वे भी यूथ करने लगे हैं। यूथ वे हैं तो मारने लगता है, जो मार खा रहा है वह यूथ है। यूथ वे हैं जो मारते हैं। स्पीकर साहब, लगता है आपने कभी नहीं सुना है।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, 14 साल हो गए, सुनते-सुनते।

श्री सुन्दर सिंह : एक भी कतल होता है, तो सारे हिन्दुस्तान का कसूर है, सिर्फ सरकार का कसूर नहीं है। चाहे अपोजीशन हो या कोई भी हो। अपोजीशन स्ट्रांग होगी तो सरकार स्ट्रांग

होगी। जब अपोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो सरकार जो मरजी आता है, वह करती जाती है। फिर भी हमारे साथ लोग रहते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे में कोई नुक्स है। उन्हें पानी की फिक्र है, अबोहर और फाजिलका की फिक्र है, हमें हरिजनों की फिक्र है। मैं यह कहता हू कि खालिस्तान लेना है, तो लें, हमारी भी बीस करोड़ की आबादी है, तो हमें भी चार जिले पंजाब में और चार सूबे पूरे हिन्दुस्तान में दे दें, तो हम भी अपना डवेलपमेंट करें। हमारा धर्म यह है कि हम महात्मा गांधी को मानते हैं, हमारे साथ बेइनसाफी हो रही है। डा० अम्बेडकर को एक तरफ कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे साथ मिल कर लड़ाई करो। हमने कहा महात्मा गांधी का दिल साफ है, हम उसके साथ हैं और इसको नहीं माना। महात्मा गांधी हरिजनों के बगैर नहीं रह सकते थे, इसलिए हरिजन उनको मिल गए। मैं आपको बताना चाहता हूं जो लड़ाई कर सकता है, उसको लड़ाई करनी चाहिए। मैंने देखा है रोहतक में चार हजार आदमी मार दिए। उसको ठीक कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : वट कड दित्ते-सी।

श्री सुन्दर सिंह : चार-चार आदमी जाते हैं। पी० एम० को सलाह देने वाले अच्छे समझदार सलाहकार होने चाहिये।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं—आज कितनी अच्छी तकरीरें हुई हैं, उनको सुन कर नशा हो जाता है। इसलिये मैं ज्यादा तजावीज नहीं देना चाहता हूं। इसमें सरकार का कुसूर नहीं है, जो जुल्म सहता है उसका भी कुसूर है। यही बात महात्मा गांधी जी ने कही है। मुझे कांग्रेस वालों ने जम्मू-काश्मीर भेजा था, वहां पर हरिजन बिगड़े हुए थे। वे कहते थे कि हमें कांग्रेस को वोट नहीं डालना है, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है। लेकिन मैं वहां गया, मुझे अपने पर कान्फिडेंस था—जिसके पास विश्वास है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास विश्वास नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ईश्वर के नाम में विश्वास से अद्भुत कार्य सम्पन्न होते हैं क्योंकि विश्वास जीवन है और अविश्वास मृत्यु है।

मैंने उनको बुलाया और बातचीत की और कांग्रेस को वोट देने के लिये राजी कर लिया। वहां पर हमने दो सीटें जीतीं।

कांग्रेस वालों में भी सिख हैं—उनको खुद लोगों में जाकर लोगों को बतलाना चाहिये। अपनी बिरादरी को खुद ठीक करना चाहिए, अपने भाइयों को खुद सम्भालना चाहिये। हिन्दू गलती करें तो हिन्दू संभालें, हरिजन गलती करते हैं तो हम सम्भालते हैं। इसी तरह से सिख गलती कर रहे हैं तो सिख सम्भालें। इस मामले पर चाहे जितनी तकरीर कर लो, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, इसका हल सोचना चाहिये। मैं एक बात कहता हूं—आप अपोजीशन वाले सारे मिल कर तय कर लो कि इसका यह हल हो सकता है, मैं इनकी मिन्नत करूंगा और कहूंगा कि उस हल को मान लो। हिन्दुस्तान सबका है, इन बातों का दुख आपको भी है और हमको भी है। इससे तुम्हारा नाम हो जायगा, तुमको वोट मिल जायगी।

लेकिन एक बात बतला दूं, वोट फिर भी हमको ही मिलती है। मैं हमेशा जीतता रहा हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जब इलैक्शन के लिये जाता था तो पहली बात यह कहता था कि मैंने कभी आपका काम नहीं किया, मेरी समझ में नहीं आता, क्या आप इतने निकम्मे हो कि फिर भी मुझे ही वोट डालते हो। इसलिये कहने की बात यह है कि सच्चाई बड़ी चीज है। गांधी जी

ने कहा है कि सच बहुत ऊंची चीज है, यही परमात्मा है । हमात्मा गांधी कहते हैं, 'भगवान्' और 'सत्य' ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जा सकता है । यदि कोई व्यक्ति मुझे यह कहे कि भगवान् असत्य का देवता है या अत्याचार का देवता है, तो मैं उसकी पूजा करनी छोड़ दूंगा । अत: राजनीति में भी हमें स्वर्ग का राज्य स्थापित करना चाहिए।

इस तरह से आप भी संत बन जायेंगे । इसलिये मैं फिर यही कहना चाहता हूं—आपके पास कोई प्रपोजल हो तो ले आओ, हम गवर्नमेंट को उसे मानने के लिये कहेंगे और यह भी कहेंगे कि वह सारा काम अपोजीशन ने किया है । लेकिन वोटर फिर भी वोट हमें ही डालेगा । अब इसके लिये मैं क्या करूं ।

आपको अपनी गलती को ठीक करना चाहिए । जो अपने अपको ठीक करता है वही आगे बढ़ता है । मैंने महात्मा गांधी से यही सबक सीखा है और उसी पर चल रहा हूं ।

श्री के० पी उन्नीकृष्णन (वडागरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र श्री सुन्दर सिंह की बात हमेशा ध्यान से सुनता हूं और मैं उनकी वह बात मानता हूं जो उन्होंने अन्त में कही थी । यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उसे सुधार कर लेना चाहिए । मेरे विचार से अब यह उचित अवसर है जब कि इस सामरिक महत्व की समस्या पर उन्हें अपनी विचारधारा और नीति को ठीक कर लेना चाहिए ।

लगभग 1 महीने पूर्व इस प्रश्न पर चर्चा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों में और विशेष रूप से पिछले लगभग 10 दिनों में स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है । इस दिनों संकट और अधिक जटिल बन गया है और इस स्थिति में भारी परिवर्तन हो गया है । आज हम इस प्रश्न पर अपने एक सम्मानित साथी के निधन की पृष्ठभूमि में, अन्य बहुत से लोगों की बात तो जाने दीजिए जिनकी जानें गई हैं, चर्चा कर रहे हैं । समाचारों के अनुसार कल ही 16 से 18 लोगों को जान से मारा गया है जबकि सरकारी रूप से केवल 10 व्यक्तियों की मृत्यु बतायी गई है ।

आज न केवल कोई दल विशेष या यह सभा ही दुविधा की स्थिति में है बल्कि पूरा राष्ट्र दुविधा में है क्योंकि इसका प्रभाव न केवल पंजाब या उसके पड़ोसी राज्यों तक सीमित है बल्कि इससे पूरा राष्ट्र प्रभावित हो रहा है । पूरे राष्ट्र का भविष्य दाव पर लगा है । इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस समस्या पर विचार करते हुए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर और तत्संबंधी अन्य मूल मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए । इस पृष्ठभूमि के साथ ही हम इस प्रश्न पर ठीक से विचार कर सकते हैं ।

अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक बात जो मेरे मन में आती है वह यह है कि हमारी नीति मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है । और हम इस पर समझौता नहीं कर सकते क्यों कि यदि हम धर्मनिरपेक्षता को छोड़ देते हैं तो हमारे राष्ट्र का वर्तमान स्वरूप ही नहीं रहेगा । हमारे राष्ट्र का भविष्य इस बात से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हैं ।

भारत के लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति और उनके धार्मिक दृष्टिकोण की ओर विदेशियों का ध्यान आकर्षित होता रहा है और वे इस बारे में टिप्पणियां भी करते रहे हैं । इतिहासकारों और दर्शन शास्त्रियों तथा अन्य लोगों ने कहा है कि इस उपमहाद्वीप में धर्म में और धार्मिक प्रवृत्ति में निरंतर

वृद्धि होती जाती है। प्रसिद्ध इतिहासकार आरनोल्ड टोयम्बी ने कहा है कि भारत की सभ्यता मूल रूप से धर्म पर आधारित है। यह सच है कि हमारा पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे दृष्टिकोण में सदा ही एक धार्मिक प्रवृत्ति और धार्मिक दिशा समाहित रही है।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वतंत्रता आंदोलन ने इसमें आमूल परिवर्तन किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में हमारे दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हुआ और हमने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए विकल्प दिया। हालांकि महात्मा जी भी एक पूर्ण धार्मिक व्यक्ति थे और वह अपने आप को सनातन बताया करते थे महात्मा गांधी ने 1924 में 'यंग इण्डिया' में लिखा कि सिख धर्म एक पृथक धर्म नहीं है बल्कि यह तो हिन्दूत्व का एक मूल और अनिवार्य अंग है। अनेक सिख नेताओं ने इस कथन का विरोध किया। जब वह पंजाब गये तो उन्होंने कहा "मेरी बात गलत थी"। उन्होंने कहा 'मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगा। इस उपमहाद्वीप में आपके लिए स्थान के लिए लड़ूंगा।" महात्मा जी ने ऐसा कहा था।

महात्मा जी ने जो कुछ कहा था उसका अर्थ यह था कि सिखों का पृथक अस्तित्व है और हमें उनके पृथक अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए। वह पंजाबी के रूप में भी अपना पृथक अस्तित्व रखता है और इस नाते भी उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिख, सिख होते हुए भी वह एक भारतीय है। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का ऐसा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था और हमें भी इस पृथक अस्तित्व के इस पहलू और तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि एक का दूसरे के साथ विलय हो जाता है। यदि हम भारतीयों में से कोई एक समुदाय कमजोर होता है तो हम सभी अपने आपको कमजोर महसूस करेंगे।

सिखों का एक वर्ग ठीक या गलत यह अनुभव करता है कि उनका धार्मिक अस्तित्व खतरे में है। वह धर्मान्धता का युग है चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख धर्म हो या अन्य कोई पंथ हो। हम देखते कि इस देश के हिन्दुओं में भी अब धार्मिक चेतना पुनः जागती जा रही है।

महोदय, मैं बहुत दिनों से मन्दिर नहीं गया हूं और जाता भी हूं तो कुछ विशेष अवसरों पर। मैं देखता हूं कि आजकल मन्दिरों का प्रयोग विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत में भी ऐसी प्रथा है कि वहां मन्दिरों में शादियां संपन्न की जाती हैं। परन्तु यह सच है कि आजकल मन्दिरों में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि धार्मिक चेतना बढ़ती जा रही है। सवाल तो यह है कि क्या हम इसका आदर करते हैं या नहीं? वस्तुतः धर्मनिरपेक्ष युग में या धर्मनिरपेक्ष राज्य का कार्य यह नहीं है कि वह किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दे लेकिन साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सभी धर्मों के लोगों की शिकायतों, चाहे वे काल्पनिक ही क्यों न हों, पर ध्यान दिया जाये।

महोदय, भारतीय संविधान के निदेशक तत्वों के सिद्धान्त के रूप में इस बात को स्वीकार किया है कि सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। हमारे में से कुछ इस सिद्धान्त के प्रति वचनबद्ध हैं। यदि आप राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के रूप में इसे स्वीकार भी करते हैं तो भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसी संहिता बहुमत द्वारा अल्पमत पर या किसी पंथ विशेष पर जबरदस्ती लागू नहीं की जा सकती। हम में से कुछ इस पक्ष में हैं कि एक समान नागरिक सहिता

हानी चाहिए। हमारे विचार से भारतीय नागरिकता का यह एक विशेष गुण है, यदि हम एक समान नागरिक संहिता तैयार करने में समर्थ हो जाते हैं फिर भी हम उसको सब पर जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। हाल ही में केरल में श्री ई० एम०एस० नम्बूदरीपाद द्वारा इसलाम धर्म की कुछ प्रथाओं, शरियत के बारे में की गई टिप्पणियों पर बहुत ही शोर-शराबा हुआ था। इन प्रथाओं के साथ हस्तक्षेप करने का प्रश्न नहीं उठता चाहे हम एक समान नागरिक संहिता तैयार ही क्यों न कर लें। हां, यदि हम चाहते हैं कि सभी एक समान संहिता अपनायें, तो हम लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए राजी कर सकते हैं। इसलिए यदि सिखों का एक बड़ा वर्ग किसी बात के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है तो हमें उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए लेकिन साथ ही इस संसद और सरकार को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि इस देश में हिन्दू धर्म में ही अनेक मत और संप्रदाय हैं। हिन्दुत्व तो एक बहुत बड़ा छत्र है जिसके नीचे अनेक संप्रदाय और भिन्न-भिन्न विश्वास वाले लोग रहते हैं। अनेक लोग हो सकते हैं जो अपनी मांगें सामने रखेंगे और यह कहेंगे कि उनकी मांगें स्वीकार कर ली जानी चाहिए लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेना बिल्कुल उचित नहीं है।

महोदय संविधान का अनुच्छेद 25 अपने आप में पर्याप्त है और सिख लोगों के बड़ भाग की मांगों को इसके अन्तर्गत पूरा करने की काफी गुंजाइश है। किन्तु इस अनुच्छेद का अर्थ गलत लगाया गया और इसको गलत समझा गया। इसलिए हम में से कुछ ने यह सुझाव दिया था कि इस प्रश्न को विचारार्थ राष्ट्रपति को सौंप दिया जाये। लेकिन हमारी सरकार ने जिसके पास अपना मस्तिष्क नहीं है, ऐसा करने से मना कर दिया और संसद से बाहर ही इस बारे में समझौता कर लिया। मेरा यह आरोप है कि आपने संसद से बाहर ऐसी घोषणा कर दी कि सरकार इस अनुच्छेद में कुछ संशोधन करने पर विचार करने हेतु तैयार है। इसलिए मैं पूछता हूं कि क्या सरकार के पास अपना कोई दिमाग नहीं है ? क्या वही सरकार है जो शासन करती है ? क्या यह सरकार बहुमत या अल्पमत की राय की परवाह करती है ? यह सरकार एकदम 'उन्मत्त' हो गई है और अन्य समस्याओं को छोड़ दीजिए यह सरकार इस समस्या को हल करने में असमर्थ है।

पंजाब क्षेत्र में सम्प्रदायिक तनाव का बढ़ाना एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथ्य यह है कि कुछ शस्त्रधारी दादाओं और अपराधियों को अतिवादी कहा जाता है। मैं नहीं जानता कि वे किस प्रकार के अतिवादी हैं। अतिवादी कहने से आपका क्या तात्पर्य है ? हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह अकाली आंदोलन का एक अंग है। यदि आप यह कहना चाहते हैं । तो कुछ अकाली नेताओं ने इस बात का खंडन किया है लेकिन मैं चाहूंगा कि अकाली भी, इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें और विभिन्न तर्कों का सहारा न लें क्योंकि ऐसा करने से उनका अपना आंदोलन ही कमजोर पड़ेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, "उनमत्त" (बरसर्क) शब्द असंसदीय है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह शब्द ऐसा नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : जी हां, इस शब्द का प्रयोग करना ही गलत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। शांत रहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अकाली नेताओं से हमने अपील और अनुरोध किया था कि वे अतीवादियों को कस कर रखें या वे यह स्पष्ट कर दें कि उन लोगों से अकालियों का कोई संबंध नहीं है। इसका अकालियों ने कोई उचित उत्तर नहीं दिया।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब राज्य में इस हिंसक प्रवृत्ति और बढ़ते हुए साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? इससे पहले सरकार ने पंजाब की स्थिति पर जब चर्चा की थी तब मैंने अनुरोध किया था कि सरकार और सभा तथाकथित अतिवादियों की गतिविधियों और पंजाब में हो रही हिंसक घटनाओं का पूर्ण ब्योरा प्राप्त करे। सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया ? पंजाब में अतिवादियों की गतिविधियों के बारे में सरकार ने एक श्वेतपत्र क्यों नहीं निकाला ? लोगों को यह अधिकार है कि वे इस बात को जानें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग ऐसी बातों को केवल समाचार-पत्रों की खबरों के रूप में ही पढ़ें जो कि अपने आप में पर्याप्त नहीं होती हैं और जिनसे अतिवादियों की गतिविधियों का पूर्ण आभास नहीं मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में कुछ अलगाववादी संगठन हैं जो वहां पर हिंसा के अभिशाप को जानबूझकर भड़का रहे हैं। श्वेतपत्र के प्रकाशित होने पर इस तरह की कई बातों का स्पष्टीकरण मिल जाता। लेकिन आज कोई भी उस बारे में ठीक से नहीं जानता। आज पंजाब के लोग ज्वाला मुखी पर बैठे हैं और इस बात से आप भी सहमत होंगे। आज वे कुछ अपराधियों के गिरोहों की गतिविधियों के कारण आतंकित हैं हालांकि ऐसे अतिवादी सरकार या उसके प्रवक्ता के अनुसार संख्या में बहुत ही थोड़े हैं। मैं आज यह आरोप तो नहीं लगाना चाहता कि सरकार समय नष्ट कर रही है। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार लड़खड़ा रही है। महोदय, वह केवल स्वर्ण मन्दिर का ही प्रश्न नहीं है या गुरु नानक निवास में रहने वाले लोगों का ही प्रश्न नहीं है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है; यह पूरे राज्य में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और शान्ति प्रदान करने का प्रश्न है। यह, राजधानी में व्याप्त भय को भी समाप्त करने का प्रश्न है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या विशिष्ट उपाय करना चाहती है।

दरबारा सिंह की सरकार को बदलने के प्रश्न को मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि श्री दरबारा सिंह का एकमात्र अपराध यह था कि उसे राष्ट्र की ओर से सम्मान नहीं मिला। यही कारण है कि उसे एकदम हटा दिया गया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार का विचार था कि यदि वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जायेगा तो उस राज्य की समस्याएं आश्चर्यजनक रूप से हल होंगी। क्या ऐसा हुआ ? राज्यपाल के बारे में तो मैं क्या कहूं। मैं उनके प्रति असम्मान प्रदर्शित नहीं करना चाहता। वह पंजाब में गये, जहां केवल कुछ लोग हिंसा की घटनाएं कर रहे हैं और लोगों को मारने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वहां के राज्यपाल राज्य में औद्योगिक वातावरण में सुधार करने की बात एक बार नहीं, बार-बार कह रहे हैं। वहां पर हत्यारों को छोड़ दिया जाता है। अब वे अधिकारी कहां चले गये हैं, जो यहां से उस राज्य में स्थिति सुधारने के लिए भेजे गये थे। उनमें से कुछ तो वापस आ गये हैं तथा उनको पुरस्कृत भी किया गया है।

वर्तमान स्थिति के बारे में उनका क्या कहना है। अन्य शब्दों में प्रश्न यह है कि अब उस राज्य का प्रभारी अधिकारी कौन है ? इसका उत्तर सत्ताधारी दल को देना है क्योंकि अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू है।

महोदय, पंजाब राज्य में आज कोई भी व्यक्ति सरकार के अस्तित्व का अनुभव नहीं कर रहा है। इसलिए इस सरकार को वहां बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। वहां पर आज अपराधियों के गिरोह शहर-शहर में घूम रहे हैं और वे आजकल स्वर्ण मन्दिर तक ही सीमित नहीं हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। सचाई क्या है ? यह तो सरकार को बताना है क्योंकि उनकी अपनी गुप्तचर सेवा है जिसे वे इंटेलीजेंस ब्यूरो कहते हैं। पंजाब में जो भी गुप्तचर सेवा का कार्य करते हैं क्या वे इस कार्य को करने के योग्य हैं ? हम लोगों के टेलीफोनों को टेप करना ही पर्याप्त नहीं है। मुझे मालूम है कि हम में से अधिकांश के टेलीफोन टेप किये जाते हैं और हममें से दर्जनों पर निगरानी रखी जाती है। लेकिन वे पंजाब में क्या कर रहे हैं ? वे हरियाणा में क्या कर रहे हैं ? वे दिल्ली में क्या कर रहे हैं ? यह प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। महोदय, विश्व में यह पहला अवसर नहीं है जबकि इस प्रकार की हिंसा भड़की है। ब्रिटेन में आई० आर० ए० था, मलेशिया में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और कई अन्य लोकतंत्रात्मक देशों में भी इससे भी अधिक हिंसात्मक स्थिति पैदा हो गई थी लेकिन सबने अपने-अपने तरीके से उससे निबटा। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार में कुछ ऐसे लोग अवश्य होंगे जो ये बात जानते होंगे लेकिन अब सरकार ने इस मामले पर चुप्पी क्यों साध रखी है ? आज पंजाब की स्थिति इतनी विस्फोटक क्यों है ? मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी पंजाब की स्थिति के बारे में समय की चेतावनी को नहीं देख रहे हैं और न ही वे इस सम्बन्ध में राजनैतिक स्तर पर बातचीत करना चाहते हैं। जब भी अवसर आये, उन्होंने तथ्य स्वीकार नहीं किए। यह एक प्रयास है। यह उनका मत प्राप्त करने के लिए एक प्रयास है। ऐसी विकट स्थिति में भी वे ऐसा प्रयास कर रहे हैं। यदि यह सच है तो इस समस्या का समाधान राजनैतिक ही हो सकता है और यदि ऐसा हुआ तो सरकार का यह अनोखा तरीका होगा। यह सरकार की एक ऐसी विफलता होगी जो सदा याद की जाएगी। आज लोग सरकार पर अविश्वास नहीं करते हैं। उनके विचार से आज सरकार अस्तित्व में ही नहीं है। अब समय आ गया है जबकि हमें श्री सेठी को बता देना चाहिए—मैं न केवल उन्हें बल्कि प्रधान मंत्री को भी बताना चाहता हूं—"भगवान के लिए या तो आप कुछ कीजिए या गद्दी छोड़ दीजिए।" खतरा हममें कुछ पदों के ही धारण करने का नहीं है। हमारा पूरा भविष्य, धर्म-निरपेक्ष राज्य का भविष्य—हमारे देश की पूरी विश्वसनीयता—ही खतरे में है। अतः हमारा पूरा भविष्य खतरे में पड़ गया है।

श्री चित बसु (बारसाट) : हमने पंजाब की स्थिति पर पिछले कई अवसरों पर चर्चा की है। लेकिन मैं अपने को उस वक्तव्य तक ही सीमित रखूंगा, जो कि गृह मंत्री महोदय ने दिया है।

वक्तव्य की मुख्य बात यह है कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 25 का संशोधन करने को तैयार है। (व्यवधान) वक्तव्य में उन्होंने बताया है कि शिरोमणी दल में भ्रांतियां दिखाई देती हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि उनके द्वारा व्यक्त की गई भ्रांतियां कौन सी हैं। इन भ्रांतियों को पूरी तरह स्पष्ट किये बिना सरकार संशोधन का प्रस्ताव कैसे और किस प्रकार ला सकती है।

जहाँ तक अनुच्छेद 25 का सम्बन्ध है, मुझे इस पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है, भ्रांतियों के विषय में मामले निश्चित नहीं किए गए हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : संशोधन क्या है, इसका किसी को पता नहीं है।

श्री वित्त बसु : उसका आधार क्या है जहाँ तक संविधान के वर्तमान उपबन्ध का सम्बन्ध है, बहुत से सिख विधि वेत्ताओं और विधि विशेषज्ञों ने उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और तर्क दिए हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो संविधान में सिख धर्म के उचित अस्तित्व को न पहचाने। वास्तव में सिख धर्म का अलग अस्तित्व है, जैसा कि वर्तमान अनुच्छेद में है। चर्चा के दौरान, जैसा कि इस अनुच्छेद में पहले ही उल्लेख किया गया है, जो कि उस समय अनुच्छेद 19 था, और अब अनुच्छेद 25 हो गया है, इसमें कहा गया है कि सिखों का कोई प्रतिनिधि कोई आपत्ति नहीं करेगा और न ही सिख धर्म के वर्तमान स्वरूप के अलावा किसी अन्य स्वरूप की माँग करेगा। इस विषय में उन्होंने कोई संशोधन भी नहीं रखा। वास्तव में चर्चा के दौरान यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है कि संविधान सभा ने सिख धर्म के एक विशिष्ट स्वरूप को स्वीकार किया है। इस विषय में कोई शंका नहीं है। वास्तव में सिख धर्म का एक अलग स्वरूप है, जैसा कि संविधान के उपबन्धों द्वारा स्वीकार किया गया है कि वे कृपाण धारण कर सकते हैं। उनका एक अलग स्वरूप है जिसकी संविधान में गारंटी दी गई है, अथवा उपबंध किया गया है। जहां तक उपखण्ड का सम्बन्ध है यह सच है कि सार्वजनिक हिन्दु धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्धकों पर यह दायित्व सौंपा गया है कि वे ऐसे धर्म-स्थानों में प्रवेश वर्जित न करें, तथा हिन्दुओं में सिखों का सम्मिलित होना माना जाना इसी विशेष उपखण्ड के संदर्भ तक सीमित है। इतना होने के बावजूद जब इन बातों को स्पष्ट किया गया, यदि सिख समुदाय के मस्तिष्क में कुछ भ्रांति हैं, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा सरकार पर आरोप है कि क्या उन्हें भ्रान्तियों के बारे में स्पष्ट शब्दों में सूचित कर दिया गया है। यह सब इसलिए है, कि आखिर, हमें संशोधन पर विचार करना है। संशोधन तैयार करना तथा उसे पास कराना अकेले उनका कार्य नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उनके द्वारा व्यक्त की गई भ्रांतियाँ क्या हैं क्योंकि मंत्री महोदय कहते हैं कि 18 मार्च को उनके और शिरोमणी अकाली दल के बीच कोई बातचीत हुई थी। इसलिए, यह सदन यह जानने का हकदार है कि क्या सरकार और शिरोमणी अकाली दल के बीच कोई वार्ता हुई थी या नहीं। यदि प्रश्न कुछ भ्रान्तियों को हटाने का है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि कुछ अन्य जटिलताएं हैं, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया है, और यदि इन धर्मनिर्पेक्षता के विश्वास के प्रश्न पर इसकी अनुमति दी जाती है तो दूसरे धार्मिक समुदाय भी संविधान में अलग स्वरूप के लिए मांग उठा सकते हैं। इसलिए धर्म निपेक्षता का प्रश्न विचारणीय है। आप इस बात से सहमत होंगे कि आज पंजाब में साम्प्रदायिक आधार पर गुटबन्दी हो रही है। दुःख और चिन्ता का मामला है कि धर्म-निरपेक्षता के मूल्यों को समाप्त किया जा रहा है। हम सबकी चिन्ता का कारण है पृथकतावादी शक्तियों का बाहर की शक्तियों के साथ गठजोड़। आपको मालूम होगा कि हाल ही में, 7 मार्च को वाशिंगटन में श्री गंगा सरण ढिल्लो द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 200 सिख प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो कि भिन्न-भिन्न देशों से आए हुए थे। उसमें 6 सदस्य संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस के भी थे। मुझे बताया

गया है कि श्री ढिल्लो ने पंजाब की बगावत के बारे में बताया था। इस आजाद पंथ के मामले में सच्चाई क्या है ? यह खालिस्तान से किस प्रकार से भिन्न है। इसलिए, इस समय भी हमें अकाली दल नेताओं से स्पष्ट करना है कि उन्होंने बढ़ते हुए उग्रवादी क्रियाकलापों के संदर्भ में पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट नहीं किया कि वे इसके विरुद्ध हैं। उग्रवादियों तथा नरम पंथियों के बीच विभाजक रेखा दिन प्रति दिन क्षीण होती जा रही है, जहां तक कि इस भेद के समाप्त होने की संभावना है। मैं अकाली दल के नेतृत्व से अपील करूंगा कि पूरे सिख सम्प्रदाय के हित में और देश की आम जनता के हित में तथा पूरे देश की एकता तथा अखण्डता के हित में उन्हें लोकतंत्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ मिल कर चलना चाहिए। केवल लोकतंत्रीय आंदोलन के माध्यम से हमारे देश के अल्पसंख्यकों को आशाएं और अकांक्षाएं पूरी करनी चाहिए।

में उम्मीद करता हूं कि अकाली दल के नेता इसे स्वीकार करेंगे तथा बातचीत द्वारा समस्या का समाधान करने की चेष्ठा करेंगे। हम सब मिलकर उग्रवादियों की कार्यवाहियों का मुकाबला करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव। वह आखरी वक्ता हैं। उनके बाद गृह मंत्री महोदय अपना भाषण देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : प्रधान मंत्री भाषण देंगी ?

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रधान मंत्री भाषण नहीं देंगी। वह भाषण सुनने के लिए आयीं थीं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, पंजाब की स्थिति दिनोदिन बिगड़ रही है। बजाए इसके कि स्थिति कुछ सुधरे, खतरा और भी ज्यादा गम्भीर हो गया है। इसलिए आज केवल इस सदन में ही नहीं बल्कि सारे में देश इस बात की चिन्ता है कि पंजाब की स्थिति आज एक गम्भीर राष्ट्रीय समस्या बन गई है। सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि आजतक इस स्थिति का हल नहीं निकल सका है। दरबारा सिंह की सरकार को हटाना पंजाब की समस्या का कोई हल नहीं था, राष्ट्रपति का शासन लागू करना पंजाब की समस्या का कोई हल नहीं था और न उससे कोई हल निकल ही सका है। पंजाब के कई जिलों को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने से पंजाब की समस्या का हल नहीं निकल सकेगा। ए० आई० एस० एस० एफ० के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने से पंजाब की समस्या का हल नहीं निकल सकता है। इसलिए यह गम्भीरता से सोचना चाहिए कि कारण क्या है और पंजाब की समस्या दिन प्रति दिन इतनी बिगड़ती हुई चली जा रही है और इतनी गम्भीर। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है। इसलिए जिस समस्या को लेकर पहले आन्दोलन शुरू हुआ चंडीगढ़ की समस्या, जमीन की समस्या, पानी की समस्या, उस समस्या का गंभीरता से हल निकालने के लिए सरकार ने कभी परवाह नहीं की। सरकार ने बुनियादी रूप से यह समझा कि यह समस्या सिक्खों की स्वर्ण मन्दिर से चलाई गई उनकी धार्मिक मांग है। इसलिए उनकी धार्मिक समस्या को मानो और उसका हल निकालने की कोशिश करो। इसलिये पहले उनकी धार्मिक मांगों को स्वीकार किया गया ···(व्यवधान)··· मैं ट्रिपार्टाइट के उस वक्त भी खिलाफ था। मेरी उस वक्त भी राय थी कि यदि गोल्डन टैम्पल में ट्रांसमीटर लगाने की बात आप मानेंगे या वहां से रिले करने की बात आप मानेंगे तो उससे हिन्दुस्तान के धर्मनिपेक्षता के लिए खतरा पैदा करेंगे। फिर यह मांग उठेगी कि मन्दिर में ट्रांसमीटर लगाओ, मस्जिद में ट्रांसमीटर लगाओ, चर्च में भी

लगाओ। हमने उसको गलत समझा था। सरकार ने उस मांग को माना। लेकिन जो मुख्य समस्या थी, जमीन की, चंडीगढ़ की, पानी की, सरकार ने नहीं माना। अब फिर सरकार संविधान की धारा-25 के अमेंडमेंट की दूसरी गलती करने जा रही है। सरकार यह समझती है कि इस अमेंडमेंट के बाद हम सिक्खों को खुश कर लेंगे, उनकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन धारा-25 में अमेंडमेंट करके सरकार दूसरी गलती करने जा रही है। चंडीगढ़ की समस्या से आंख बन्द कर लीजिए, पानी की समस्या से आंख बन्द कर लीजिए, जमीन की समस्या से आंख बन्द कर लीजिए, लेकिन संविधान में परिवर्तन करके सरकार यह दूसरी गलती करने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं गोल्डन टैम्पल में रिवाइवलैजिम और सिक्ख फण्डामैंटलिज्म के आन्दोलन की शुरूआत हुई है, अगर सरकार उसके सामने झुकी, तो मुल्क में एक प्रतिक्रियावादी और रिलीजियस फनेटिक ताकतों के सामने घुटने टेकने की बात होगी। आज सारे देश के अन्दर अशांति की भावना है। आप कल यहां पर नहीं थे। यहां विरोधी दल के लोगों में दु:ख था। इस तरह से सदन में कभी ऐसा सीन देखने को नहीं मिला। वे जानते थे संसद सदस्य जिसको कि कल हत्या हुई है, ऐसा आदमी जिसको देश से प्यार था, देश भक्त था, उसको घर में घुस कर हत्या कर दी गई उसके पहले बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई। लोगों के ऊपर ठेस लगती है, विरोधी दल के लोग अपनी भावना को उत्तेजित होकर स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन शासक दल के लोगों, में भी वहीं दु:ख था, वही चिन्ता थी। इस प्रकार की स्थिति से देश के लोगों में अशान्ति है और भय की भावना पैदा हो रही है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस समस्या के हल के लिए सरकार को राजनीतिक हल के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। चंडीगढ़ का कब निराकरण होगा। पंजाब की जमीन, पानी की समस्या का हल कब निकाला जाएगा। त्रिपक्षीय वार्ता के अन्दर जो ठोस सुझाव दिए गए थे, मैं समझता हूं कि आज भी देश के अन्दर सबसे ज्यादा वही सुझाव बेहतर हैं। सरकार उसके ऊपर फिर से बातचीत करे। अकाली दल के नेता नहीं आना चाहते हैं तो आप विरोधी दल के नेताओं से बातचीत करिए। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। आज ऐसी ताकतें जो देश की राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा कर रही है, आज दुनियां के दूसरे देश चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति पैदा हो, हमारी सीमाओं के ऊपर पैदा हो। जब दुनियां में ऐसी खतरनाक स्थिति हो रही है, तब यह चिन्ता का विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझकर विरोधी दल के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करे। जिस को और आप बुलाना चाहते हैं, बुलाइए। हरियाणा को बुलाइए और पंजाब को बुलाना चाहते हैं, तो बुलाइए और इसके ऊपर निर्णय करिए कि चंडीगढ़ पंजाब के साथ रहेगा या हरियाण के साथ रहेगा या केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। अबोहर और फाजिल्का का क्या होगा, उनके बारे में निर्णय कीजिये। पानी की समस्या का निर्णय कीजिये। इन समस्याओं के प्रति आंखें बन्द कर के, इन के ऊपर पर्दा डाल कर, यदि आप समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो ये समस्यायें और ज्यादा गम्भीर बन जायेंगी। आम जनता इन बातों से और ज्यादा चिन्तित है। उन को मालूम नहीं था कि संविधान की धारा 25 क्या है। इस देश में 25 सालों तक यह सवाल नहीं उठा, त्रिपक्षीय वार्ता में नहीं उठा, एक दम से यह सवाल कहां से आ गया? लेकिन इस के सामने सरकार ने घुटने टेकने शुरू कर दिये—यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यदि सरकार की मंशा थी कि हम

संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इस के लिये बातचीत कर सकते हैं और इस के लिये आप ने शिरोमणि अकाली दल के लोगों को बुलाना स्वीकार कर लिया जिन्होंने दो महीने पहले संविधान को जलाया, तो आप को इसे केवल अपनी पार्टी की समस्या नहीं बनाना चाहिए था। पार्टी के हित को देख कर आप ने बहुत नुकसान कर लिया है, देश का बहुत नुकसान कर लिया है, किस तरह से आप को वोट मिले, कौन हमारे साथ रहे, कैसे किस को खुश रखना है—इस तरह से राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान नहीं हो सकते हैं।

आज लोग पूछना चाहते हैं—स्वर्ण मन्दिर में सैकड़ों की तादाद में स्टेन-गन वाले लोग कैसे घुस गये ? स्वर्ण मन्दिर पर स्टेन गन लगा दी गई हैं, अगर हवाई जहाज से हमला होगा तो हम हवाई जहाज को भी शूट करेंगे—यह तैयारी कहां से हो गई, आप के वहां होते हुए ये चीजें वहां कैसे पहुंच गईं ? कितने लोग मारे गये हैं, कितने लोगों पर मुकदमा चला है, कितनों को पकड़ा गया है और कितनों को सजा हुई है—लोग इन बातों के जवाब चाहते हैं। यह समस्या अब केवल पंजाब की समस्या नहीं रह गई है, पंजाब से बाहर जा रही है। एक बात आज साफ हो जानी चाहिए—अकाली दल के नेतृत्व को और एक्सट्रीमिस्ट्स को यह मालूम हो जाना चाहिये कि सरकार खालिस्तान नहीं बनने देगी। सरकार को एक बार फिर घोषित करना चाहिये कि देश को चाहे जो कीमत चुकानी पड़े लेकिन खालिस्तान को नहीं बनने दिया जायेगा।

आज देश को इस बात से बहुत ज्यादा भिन्न है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि अकाली दल के नेतृत्व ने, संत लोंगोवाल और प्रकाश सिंह बादल ने, यह गलती की है कि जब कभी भी हिंसा हुई, लोगों की हत्यायें हुई, ऐसे सवाल पर वे बराबर मौन धारण करते रहे। मैं खुद जब अमृतसर में उन से मिलने गया, उन्होंने मुझ से कहा कि हम सरकार और एक्सट्रीमिस्ट्स दोनों से साथ-साथ नहीं लड़ सकते। अगर सरकार उन से नहीं लड़ सकती है तो एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं हैं। उन की यह बात गलत है, उनको एक्सट्रीमिस्ट्स से अलग होने का साहस दिखलाना चाहिये था और यही कारण है, आप ने इस सदन में देखा कि हम लोग जो अकाली दल का चण्डीगढ़ और दूसरे मामलों में समर्थन करते थे, आज वे आइसोलेटेड हो गये हैं। आज वे एक्सट्रीमिस्ट्स के हाथ में खेल रहे हैं। इस देश में ऐसी ताकतें पैदा हो रही हैं जो देश की आजादी के लिये खतरा पैदा कर रही हैं। मैं आज भी कहूंगा—बहुत गम्भीरता के साथ एक्सट्रीमिस्ट्स को मुल्क में आइसोलेट करना चाहिये।

अगर आप ने यह स्वीकार किया है कि 25 वीं धारा पर उन से बात करने को तैयार हैं तो आप थोड़ी राजनीतिक हिम्मत दिखाइये। आप अकाली दल के नेताओं को जेलों से रिहा कीजिये और उन से कहिये कि हम आप से बात करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप का क्या मकसद है, एक बार हमें लिख कर दीजिये और उस के बाद एक्रास-दि-टेबिल उन के साथ बात कीजिये। मेरी अपनी राय यह भी है – प्रधान मंत्री जी को एक बार संत लोंगोवाल को बातचीत के लिये निमन्त्रित करना चाहिये। देश बड़ा है, देश की सरहद के चारों तरफ ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो देश में अशांति की भावना पैदा करना चाहती हैं। जब मैं अमृतसर गया था और वहां से आने के बाद प्रधान मंत्री जी से कहा था कि संत लोंगोवाल ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर प्रधान मंत्री जी मुझे बुलायेंगी तो मैं दिल्ली आकर उन से मिलूंगा। उन्होंने कहा था कि

प्रधान मंत्री जी मुझे लिखकर के निमंत्रित करें तो मैं आऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी मुझ से कहा था कि मैं एक सवाल को प्रेस्टिज नहीं बनाती। मैं लिखकर उनको बुला सकती हूं, लेकिन मुझे इस बात का अहसास हो कि इसका कोई हल निकल सकता है। मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री को आज एक राष्ट्रीय नेता, प्रधानमंत्री होने के नाते संत लोंगोवाल को लिखकर बुलाना चाहिए, किसी भी तरह से उनको निमंत्रित करना चाहिए ताकि देश यह जान सके कि नहीं, प्रधानमंत्री ने अपील की लेकिन संत लोंगोवाल ने आने से इन्कार किया। उनकी पार्टी के साथियों का इरादा कुछ और मालूम होता है। आज एक्सट्रीमिस्ट्स को आइसोलेशन में डालना पड़ेगा, एक्सट्रीमिस्ट्स से लड़ने के लिए।

आज पंजाब की आम जनता इस बात के खिलाफ है। सिक्ख और हिन्दू दोनों इसके खिलाफ हैं। यहां भी हमारे बहुत से भाई सिक्ख हैं। वे भी कहते हैं कि यह गलत हो रहा है, हिन्दू आज डरा हुआ है, भयभीत है, उसकी स्थिति खराब हो रही है। कोई नहीं चाहता, जहां आधे हिन्दू और आधे सिक्ख पंजाब में रहते हैं, देश का खुशहाल इलाका हो, सब से अच्छे खाते-पीते लोग वहां रहते हों, वहां ऐसी बात हो। इस अशांति से लोगों के दिल में डर पैदा हो रहा है।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो एक्स्ट्रीमिस्ट्स हैं, उनको आइसोलेट करने का एक ही तरीका है कि अभी भी अकाली दल के नेतृत्व से, जो एक राजनीतिक पार्टी है, उससे आगे बातचीत करनी चाहिए, हल निकालने के लिए। अगर वे नहीं मानते हैं तो एक पक्षीय घोषणा करिए। सरकार ने रिलीजियस मांगों के बारे में भी यूनीलेटरली घोषणा की है, स्टेट सेंटर रिलेशन के बारे में भी यूनीलेटरली घोषित किया है, आर्टिकल 25 के बारे में भी एकतरफा घोषणा की है, तो इस देश के हित के लिए, पंजाब के हित के लिए एकतरफा घोषणा करनी चाहिए। ताकि पंजाब की आम जनता इससे बाहर आ सके।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस तरह के राजनीतिक कदम उठाएगी।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब स्पीकर साहब, पंजाब की समस्या को सामने रखकर आज सुबह से इस हाउस में चर्चा हो रही है। इस हाउस में इस पर परेशानी और गंभीरता का इजहार किया गया है, उसमें मैं भी सम्मिलत हूं कि आज वहां की हालत बहुत बिगड़ रही है। पिछले दिनों हरबंस लाल खन्ना और हरबंस मनचन्दा और वी० एन० तिवारी मेबर आफ पालियामेंट जिन हालात का शिकार हुए, वायलेंस का शिकार हुए, उससे एक बहुत बड़ी चिंता पैदा हुई है पूरे मुल्क में।

आज सरकार को दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक बात तो यह कि अपनी ताकत का इजहार करे। आज पंजाब के लोग जिस परेशानी का शिकार हैं उसको आप सब जानते हैं। आज वहां लोगों की जान और माल सुरक्षित नहीं हैं। वहां सरकार का फर्ज बनता है कि उनकी जिंदगी की पूरी हिफाजत का इन्तजाम करे। इस काम में आज सरकार कामयाब नहीं हो रहा है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। सरकार को अपनी ताकत और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। पंजाब में जो विरोध पक्ष के लोग हैं उनके साथ हमें वाकायदा डायलाग

का रास्ता खुला रखना होगा। धारा 25 में सिक्खों के हुकूक को तलफ नहीं किया गया है, इसके बावजूद सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। कुछ लोग जो सोचते हैं, जिनके मन में इसके बारे में कुछ चिंता है, परेशानी है, शंका है, उसको दूर करने के लिए सरकार ने मुनासिब कदम उठाया है। हालांकि सरकार ने इस मामले में पार्लियामेंट को एतमात में नहीं लिया, बल्कि कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिये कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की जमात बी० जे० पी० को भी इन हालात का शिकार बना दिया। ये भी खुले मैदान में आ गए। जब यह देखा कि पूरे मुल्क में धारा-25 की इज्जत नहीं हो रही है, तो अपोजिशन मेम्बरान पार्लियामेंट ने आपका साथ दिया। लेकिन, आपने उनको अपने साथ नहीं लिया। आपने पंजाब को डिस्टर्ब्ड एरिया माना है, लेकिन इसको सुधारना आपका फर्ज है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, चाहे वह जम्मू-काश्मीर, बंगाल या कोई भी स्टेट हो, उनको बिगाड़ने की तरफ ध्यान मत दीजिए। उनकी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ···(**व्यवधान**)··· अपोजिशन आपके साथ है और चाहती है कि मसले का कुछ-न-कुछ हल किया जाए। जम्मू-काश्मीर के लोगों की लाइफ-लाईन पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। इसकी वजह से ट्रैफिक, कम्युनिकेशन और टूरिस्ट वगैरह बरबाद हो रहा है। मेरी गुजारिश होगी कि पंजाब की समस्या का हल करने के लिए जल्दी से जल्दी सोल्यूशन ढूढ़े क्योंकि डेमोक्रेसी में अब यही रास्ता रह गया है।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : कल नियम 193 के अधीन इस चर्चा को उठाते समय यहां बड़ी उत्तेजना थी। हम ऐसा समझे थे कि विपक्ष पंजाब का ठोस हल देगा···

कुछ माननीय सदस्य : विपक्ष क्यों दे?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, हम सुझाव देंगे?

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : विपक्ष हल क्यों सुझाए। आपकी सरकार है। आप उत्तर दें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं उत्तर दूंगा। पर मैं देख रहा हूं कि विपक्ष का सारा प्रयत्न···

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : संसदीय लोकतंत्र का यह सिद्धान्त है और हम इसकी आशा करते हैं।

श्री बीजू पटनायक : अब आप संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों का स्मरण कराने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम यह समझे थे कि विपक्ष अनुकूल वातावरण बनाएगा। परन्तु हम देख रहे हैं कि वे सभी प्राप्त अवसरों का उपयोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व को नीचा दिखाने के लिए कर···

श्री बीजू पटनायक : हम सरकार की बात कर रहे हैं कांग्रेस की नहीं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सरकार में कांग्रेस भी आ जाती है। वे सारा दोष कांग्रेस पर डाल रहे हैं।

मैं यह पुनः बताना चाहता हूं कि हम शिरोमणि अकाली दल द्वारा रखी गई मांगों का हल ढूंढने के अपने प्रयत्न में असफल नहीं रहे हैं। अकाली दल ने 1981 में 45 मांगों की सूची दी

थी, जिसको कुछ समय बाद ही उन्होंने पत्र 15 मांगों में बदल दिया। सरकार को यह सूची मिलते ही, प्रधान मंत्री ने एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग की भावनाओं पर चिन्ता व्यक्त की, तथा अकाली नेताओं से इस संबंध में बातचीत करने की अपील की। प्रधान स्तर पर उनसे बातचीत हुई तथा बात में मंत्री स्तर पर परन्तु वह कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाई।

इसके बाद प्रधान मंत्री दो बार नई दिल्ली में अकाली नेताओं से मिलीं। इस मसले को सद्भावना के साथ हल करने के लिए संघ सरकार के मंत्रियों की समिति ने जनवरी, 1983 में अकाली दल के शिष्टमण्डल से दो बार चर्चा की और जब उन्होंने यहां आने से मना कर दिया, तो एक उप-समिति चण्डीगढ़ गई। प्रधान मंत्री ने उसके बाद 21-1-1983 को विपक्षी नेताओं की एक बैठक बुलाई और निर्णय के अनुसार नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस वार्ता के दौरान विपक्ष ने मतभेदों को कम करने में मदद करने का प्रयास किया।

पर जहां तक 24 जनवरी और 20 फरवरी, 1983 की बैठकों का प्रश्न है, जिसमें विभिन्न मांगों को समझने और हल ढूढ़ने के लिए, केन्द्रीय मंत्रियों और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के विपक्ष के नेताओं ने भाग लिया था, अकाली दल के नेताओं से बातचीत को 20 फरवरी, 1983 से आगे चालू नहीं रखा। मामले को हल करने की आशा में तथापि प्रधान मंत्री ने 27 फरवरी, 1983 को अकालियों की धार्मिक मांगों के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय घोषित कर दिया।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने सरकारिया आयोग की भी नियुक्ति की। मई, 1983 में सरकार ने शांतिपूर्ण हल के लिए पुन: पहल की और मैंने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष को चर्चा फिर से शुरू करने के लिए लिखा। तथापि अकाली दल के अध्यक्ष ने बातचीत शुरू करने के सरकार के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। शांतिपूर्ण हल ढूंढ़ने के लिए 22-6-83 को एक वक्तव्य जारी कर यह घोषणा की गई कि, बातचीत के लिए रास्ता अभी भी खुला है और सरकार अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियुक्त न्यायाधिकरण को रावी-व्यास जल विवाद को सौंपने को तैयार है और सीमा सम्बन्धी दावों का समूचा मामला निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इन दो विवादों के अंतिम निपटारे के सम्बन्ध में पंजाब और हरियाणा को जो व्यवस्था स्वीकार होगी, वह भारत सरकार को भी स्वीकार होगी।

सरकार बातचीत के द्वारा हल निकालने के लिए हमेशा तैयार रही है। इसी भावना को रखते हुए प्रधानमंत्री ने 7 फरवरी, 1984 को विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। तथा उन्हें अकाली दल से बातचीत करने में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया था। 14 फरवरी, 1984 की बैठक में कुछ लाभदायक सुझाव सामने आये परन्तु पंजाब के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठने के कारण बैठक में यह निर्णय किया गया कि बैठक स्थगित की जाये जिससे अकाली नेता पंजाब में जाकर सामान्य स्थिति फिर से बहाल करने में मदद कर सके। सामान्यत: यह आशा थी कि 3-4 दिन के बाद बैठक फिर होगी, परन्तु खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि अकाली दल ने आगे त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लेने से मना कर दिया। 28-2-1984 को सभा में दिए गए अपने वक्तव्य में मैंने बातचीत द्वारा समस्या का हल खोजने के लिए सरकार

की इच्छा को व्यक्त किया था। और आज भी सरकार यह चाहती है कि बातचीत के द्वारा कोई हल निकाला जाये और यदि आवश्यक हो तो इसमें विपक्ष की भी मदद और सलाह ली जाये।

श्रीमान, मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य का यहां जिक्र किया गया है। अपने वक्तव्य में मैंने कोई वादा नहीं किया था। वक्तव्य में यह कहा गया था कि अकालियों के मन में कोई गलतफहमी पैदा करने वाली बात को देखते हुए सरकार यह चाहती है कि इस संबंध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाली नेताओं और विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया जाये और उनसे इस संबंध में चर्चा करके सारे मामले को संसद के सामने लाया जाये। इसका संसद में लाया जाना सर्वथा निश्चित है, क्योंकि वहां विपक्ष के नेताओं को भी इस पर अपनी राय देने और सहयोग देने का अवसर मिलेगा। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि हम

18.00 म०प०

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपने कहा था कि आप विधान बनायेंगे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : गत कुछ दिनों में हुई घटनाओं पर हमें बड़ा खेद है। जहां तक अनुच्छेद 25 का संबंध है, श्री वाजपेयी संत लोंगोवाल के 18 मार्च के पत्र के बारे में जानना चाहते थे। इस पत्र में उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में उपयुक्त संशोधन किये जाने का जिक्र किया था। श्रीमान् मैंने सभा को बताया था कि इस संबंध में अकाली दल का यह पहला पत्र था। उसमें यह स्पष्ट नहीं था कि समस्या क्या है और मामला क्या है। वैयक्तिक विधि के संबंध में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई और न ही हमने इस सम्बन्ध में कोई वादा किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके पत्र में क्या था? अकाली दल के पत्र का विषय क्या था?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : विधि बनाने से, क्या अर्थ है?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमने उनके पत्र के उत्तर में उन्हें लिखा था···

श्री चन्द्रजीत यादव : उनके पत्र में क्या था?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप कृपया उसे सभा पटल पर रखेंगे?

प्रो० मधु दंडवते : गृह मंत्री महोदय, आपने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि आप संसद के समक्ष एक उचित विधान लायेंगे। अत: हम यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में आपका वादा क्या था?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वादा चर्चा करने का था। चर्चा के बाद यदि कोई समझौता होता है, तो हम निश्चय ही संसद में उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह समझा हूं कि···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है, गृह मंत्री महोदय जो रवैया अपना रहे हैं उससे उन पर आरोप लग सकता है कि वह अपनी बात से मुकर गए। जो पुराना बयान है उसको मैं कोट कर दूं:

> "सरकार इस मुद्दे पर शंका को दूर करने हेतु यथाआवश्यक संशोधन द्वारा विधान बनाने तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति तथा सिख समुदाय के अन्य प्रतिनिधियों और विधिवेत्ताओं से परामर्श करने के लिए तैयार होगी।"

क्या यह वायदा नहीं है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी एक साथ न बोलें। मैं यह समझा हूं कि यदि उन चर्चाओं के दौरान इस बात पर सहमति हुई तो वे संसद के समक्ष आएंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय ने यह कहा है कि वे उन लोगों के साथ विचार-विमर्श करेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो आप ऐसा करेंगे। क्या यह ठीक है ? चर्चा के पश्चात् आप इसे संसद के समक्ष लायेंगे। क्या यह ठीक है न ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हम यह नहीं जान सकते कि 18 मार्च को अकालियों द्वारा भेजे गए पत्र की विषय वस्तु क्या है। उन्होंने इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का संबंध है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वे पत्र के बारे में पूछ रहे हैं। श्री मायातेवर, कृपया बैठ जाइये। वे 18 मार्च के पत्र की विषय-वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक 18 मार्च के पत्र का संबंध है, हमने अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है। उन्होंने स्वीय कानून के बारे में उल्लेख किया है।

प्रो० मधु दंडवते : 18 मार्च को पत्राचार हुआ था। कृपया उसे पढ़कर सुनाइये। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उन्होंने स्वीय कानून के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन हमने उन्हें कुछ भी नहीं लिखा है। हमने उन्हें सिर्फ अनुच्छेद 25 के बारे में लिखा है कि हम उनसे उन पर चर्चा करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : कृपया इसके बारे में राष्ट्र को बतायें। महोदय, उन्होंने कहा है कि इस मसले पर पहला पत्र उन्हें 18 मार्च को प्राप्त हुआ था। अब हम जानना चाहते हैं कि उस पत्र की विषय-वस्तु क्या है ?

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : मैं यह कह रहा हूं, पत्र में चाहे जो कुछ भी हो, जहां तक हमारे उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है·····

श्री चन्द्रजीत यादव : हम उस पत्र की विषय-वस्तु जानना चाहते हैं·····

प्रो० मधु दण्डवते : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संसद को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने उस पत्र का हवाला दिया है। मैं मांग करता हूं कि उस पत्र को सभा पटल पर रखा जाये। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : पत्र को सभा पटल रखा जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : जब माननीय मन्त्री किसी पत्र का हवाला देते हैं तो मेरा यह अधिकार बनता है कि उनसे उसे सभा पटल पर रखने को कहें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में एक स्पष्ट नियम और मैं नियमानुसार काम करूंगा। उक्त नियम बहुत ही सरल है। मैं नियम 370 को पढ़कर सुनाता हूं :—

"यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान किसी ऐसे परामर्श या राय को प्रकट करे जो उसे सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गई हो तो वह साधारणतया उस राय या परामर्श वाला संगत दस्तावेज या दस्तावेज का भाग या उसका संक्षेप पटल पर रखेगा।"

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं पूर्णरूप से अपने अधिकार के अन्तर्गत मांग कर रहा हूं। आपने जो नियम उद्धृत किया है उसके आधार पर मैं मांग करता हूं कि मंत्री महोदय उस पत्र को सभा पटल पर रखें। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय उन्होंने वायदा के बारे में उल्लेख किया है। हमें यह जानने का अधिकार है कि अकाली दल का वायदा क्या है ?

(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मेरा निवेदन है कि नियम 370 यहां लागू नहीं होता क्योंकि यहां राय अथवा परामर्श नहीं है। क्या कोई राय अथवा परामर्श है ? यह न तो कोई राय है और न ही परमर्श। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ? क्या यह किसी प्रश्न का उत्तर है ? यहां वाद-विवाद के दौरान जब मंत्री महोदय ने राय अथवा परामर्श के बारे में उल्लेख किया तो यह न तो राय है और न ही परामर्श। आप इस नियम को कैसे लागू कर सकते हैं (व्यवधान) मैं भी यहां एक नियम को उद्धृत करना चाहता हूं कि इस के साथ नियम 368 को पढ़ा जाये। कृपया नियम 368 को देखें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, वे ठीक नहीं कह रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : क्या यह परामर्श अथवा राय है ? आप एक वकील रहे हैं। कृपया हमें बतलायें कि क्या उस पत्र की विषय वस्तु से कोई परामर्श अथवा राय बनता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि आप लोग एक दूसरे से क्यों बातचीत कर रहे हैं ? आपको मुझे सम्बोधित करना चाहिए। मुझे अनुमति देनी है।

पी० शिव शंकर : महोदय उन्होंने पत्र से कुछ भी उद्धृत नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 368 में यह कहा गया है :

"यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज-पत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को सभा पटल पर रखेगा। परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तवेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बतलाए कि उसका पेश किया जाना लोकहित में नहीं है।"

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, क्या उन्होंने पत्र से कोई उद्धरण दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : उक्त नियम में आगे कहा गया है—

"परन्तु यह और भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राज-पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे तो पत्रों का पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा।"

अतः यदि उद्धरण नहीं देना चाहते है, तो आप ठीक हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह नियम का मामला नहीं है। हम एक गम्भीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं, सदन को पूरी तरह विश्वास में लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं नियमों से बंधा हूं। नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह अब उन पर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

कृपया उन्हें बोलने दें।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे हो ? आप बैठते क्यों नहीं ? व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है।

संसदीय कार्य, तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जब वे वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं तो व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो सकता है। महोदय, किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है ? मैं आपसे जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं उठाया जा सकता है ? उनके उत्तर के आधार पर उठाया जा सकता है ?

श्री बूटा सिंह : यह आपके स्वविवेक के आधार पर उठाया जा सकता है लेकिन नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे पूछूंगा। श्री चन्द्रजीत यादव आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? अपकी बात सुनने के पश्चात् मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गृह मंत्री ने इस माह के 2 तारीख को एक वक्तव्य दिया था कि अनुच्छेद 25 के बारे में वे परामर्श करना चाहते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो उसमें संशोधन किया जायेगा। यही प्रयोजन था।

अब, उस संबंध में उन्होंने सभा में आज कहा है कि पहली बार अकाली दल ने अनुच्छेद 25 के सम्बन्ध में अपनी मागों के बारे में पहला पत्र भेजा है। यहां पूरी चर्चा अनुच्छेद 25 के

बारे में हो रही है। अकाली दल की मांग पूरे आंदोलन का आधार बन गई है। उन्होंने उन्हें लिखा है तथा एक वक्तव्य दिया है और अकालियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। अकालियों ने अब जो कुछ लिखा है, में जानने का अधिकार इस देश तथा इस सभा को है। अकालियों की मांगें सरकार के पास हैं।

इसलिये महोदय, मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं, यह कहने के लिए कि..... ....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मेरे काम में आप बाधा क्यों डाल रहे हैं?

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़) : मै कहता हूं कि गृह मंत्री को चाहिए कि वह सभा को विश्वास में लें और कि उस संदेशे को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए, अथवा कम से कम.....

अध्यक्ष महोदय : वह इस के लिए बाध्य नहीं है। मैं आपकी बात को अस्वीकार करता हूं, नियमों के अनुसार वह इसे सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य नहीं हैं।

श्री चंद्रजीत यादव : क्या इसका अर्थ यह है कि सभा को अन्धकार में रखा जाना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : ऐसा कुछ भी लिखा नहीं हुआ है या तो यह लोक हित में नहीं अथवा उन्होंने इसका सार दिया है। अन्यथा वह इसे सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य हैं।

श्री चंद्रजीत यादव : किस आधार पर वह इसे सभा के समक्ष रखने से इनकार कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नियम में यह बताया गया है :—

"वह..... संगत पत्र को सभा पर रखेगा :

परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मन्त्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोक हित के प्रतिकूल होगा।"

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई प्रश्न न पूछा जाये। कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार मन्त्री से किसी ऐसे दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जिससे उन्होंने उद्धृत नहीं किया है किन्तु वह केवल अपना विवरण दे रहे थे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उन्होंने इसे उद्धृत किया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल अपना विवरण ही दिया है (व्यवधान)।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह वादविवाद तब तक निरर्थक होगा जब तक हम यह जान लें कि उस पत्र में क्या लिखा गया था क्योंकि इसका सम्बन्ध अनुच्छेद 25 से है।

अध्यक्ष महोदय : नैतिक रूप से आपकी बात तर्क संगत हो सकती है। किन्तु मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह बात बिल्कुल ठीक है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपके इस विनिर्णय के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं : यह ठीक है कि नियम 368 में बाद वाले अंश में बताया गया है । यदि मंत्री लोक हित में हमें नहीं बताना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है । क्या आप जानते हैं कि लोक हित में वह हमें नहीं बता रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं मैं इसे नहीं मानता । मैं नियमों से अलग होकर कुछ नहीं करूंगा ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अपने 2.4 1984 के वक्तव्य में भी·····(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप उन्हें सभा पटल पर रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। किन्तु उन्होंने इस पत्र का हवाला दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो इसे अस्वीकार कर दिया है । वह अपने सही सही सारांश का उद्धरण अथवा अपना विवरण दे सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें उस पत्र की विषय वस्तु के बारे में क्यों नहीं बताना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं । यह उनका अपना निर्णय है । वह अपना विवरण दे सकते हैं । किन्तु उन्हें विवश नहीं किया जा सकता ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं । उन्हें यह कहने दिया जाये कि वह सभा को नहीं बतायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इसे मानता हूं जो आप कहते हैं कि वह इसे नहीं पढ़ेंगे; वह अपना विवरण देंगे । उन्हें इस पत्र का विवरण देने दिया जाये । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : : मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : अकाली दल कोई विदेशी सरकार नहीं है । यह एक राजनीतिक दल का पत्र है । अत: इसमें लोक हित क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा समाधान नहीं हुआ ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने इस पत्र से उद्धरण नहीं दिया है । मैंने केवल इस पत्र का हवाला दिया है और इसलिए इस पत्र से किसी उद्धरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी आप ने कहा है कि उस कम्यूनिकेशन में सैंप्रेट पर्सनल ला का उल्लेख है । पार्लियामेंट को अन्धेर में नहीं रखा जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना विवरण दे सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने स्वीय विधि का निश्चित हवाला दिया है । उसका अर्थ यह है कि उन्होंने इस पत्र से कुछ उद्धृत किया है । वह हमें अन्धेरे में क्यों रखना चाहते हैं ? (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है । मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है । (व्यवधान) ।

प्रो० मधु दंडवते : इसमें लोक हित क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे ही मालूम है। (व्यवधान)।

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : सरकार द्वारा किये गये प्रशासनिक उपाय ये हैं : (1) राज्य में अर्ध-सैनिक बलों को तैनात किया गया है (2) चल गश्त दलों की गतिविधियों में वृद्धि कर दी गई। और अधिक तेजी से सम्वाद भेजने के लिए बेतार सैटों के साथ चलते फिरते दस्तों की व्यवस्था कर दी गयी है, (3) उग्रवादियों को रोकने के लिए अनेक स्थानों पर जांच चौकियों की स्थापना की गयी है, (4) नाकाबन्दियों तथा तलाशियों का आयोजन किया गया है; (5) कुछ क्षेत्रों में हथियारों को रखने पर पाबन्दी लगा दी गयी है; (6) मोटर, साईकिलों को चलाये जाने को विनियमित करने के लिये पंजाब में जिलाधीशों को निदेश दिये गये हैं; (7) बसों और गाड़ियों में सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था कर दी गयी है; (8) रेल पटरियों की गश्त लगाने का प्रबन्ध किया गया है; (9) ग्राम रक्षा समितियों को फिर से क्रियाशील किया गया है; (10) ग्रामों में लोगों तथा ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को हथियारों के लाइसैंस जारी किये गये हैं।

जहां तक कानून को लागू करने का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक विक्षुब्ध क्षेत्र है और खतरनाक विक्षुब्ध क्षेत्र नहीं है। मेरा विचार यह है कि जहां तक अधिसूचना का सम्बन्ध, इस में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : सूचनार्थ, कृपया सभा को स्थगित मत कीजिये। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था गत 19 महीनों में.....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.16 म० प०

तत्पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 5 अप्रैल, 1984/16 चैत्र 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।